भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड

Insolvency and Bankruptcy Board of India

सत्यमेव जयते

वार्षिक रिपोर्ट

2018-19

www.ibbi.gov.in

यह रिपोर्ट भारत के राजपत्र में तारीख 1 मई, 2018 को प्रकाशित भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (वार्षिक रिपोर्ट) नियम, 2018 में विहित प्ररूप के अनुरूप है।

भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड
Insolvency and Bankruptcy Board of India

वार्षिक रिपोर्ट

2018-19

भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड

www.ibbi.gov.in

भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड
Insolvency and Bankruptcy Board of India
7th Floor, Mayur Bhawan, Connaught Place
New Delhi-110001 Tel: +91 11 23462801
E-mail: chairperson@ibbi.gov.in Web.: www.ibbi.gov.in

सत्यमेव जयते

Dr. M. S. Sahoo
Chairperson

बोर्ड-18011/1/2019-आई. बी. बी. आई.
दिनांक : 20 अप्रैल, 2020

सचिव, भारत सरकार
कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय
'ए' विंग, शास्त्री भवन
नई दिल्ली -110001.

प्रिय महोदय,

दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता, 2016 की धारा 229 के प्रावधानों के अनुसरण में, मैं भारत के राजपत्र में 1 मई, 2018 को अधिसूचित दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (वार्षिक रिपोर्ट) नियम, 2018 में निर्धारित प्रारूप में 1 अप्रैल, 2018 से 31 मार्च, 2019 तक की अवधि के लिए भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड की वार्षिक रिपोर्ट की एक प्रति अग्रेषित कर रहा हूँ।

भवदीय,

एम. एस साहू

(डॉ. एम. एस साहू)

संलग्न : उपरोक्तानुसार

The Secretary to Government of India
Ministry of Corporate Affairs
'A' Wing, Shastri Bhawan
New Delhi- 110 001.

Board -18011/1/2019-IBBI
20th April, 2020

Dear Sir,

In accordance with the provisions of section 229 of the Insolvency and Bankruptcy Code, 2016, I forward herewith a copy of the Annual Report of the Insolvency and Bankruptcy Board of India for the period 1st April, 2018 to 31st March, 2019, in the form prescribed in the Insolvency and Bankruptcy Board of India (Annual Report) Rules, 2018 notified on 1st May, 2018 in the Gazette of India.

Yours faithfully,

M. S. Sahoo

(Dr. M. S. Sahoo)

Encl.: As above.

शासी बोर्ड

(31 मार्च, 2019 की स्थिति के अनुसार)

अध्यक्ष

डॉ. एम. एस. साहू

पूर्णकालिक सदस्य

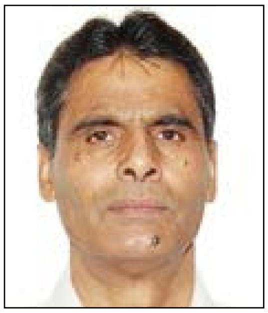

डॉ. नवरंग सैनी

डॉ. (सुश्री) मुकुलिता विजयवर्गीय

पदेन सदस्य

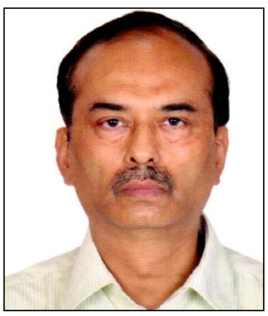

डॉ. शशांक सक्सेना
सलाहकार
आर्थिक कार्य विभाग
वित्त मंत्रालय

श्री ज्ञानेश्वर कुमार सिंह
संयुक्त सचिव
कारपोरेट कार्य मंत्रालय

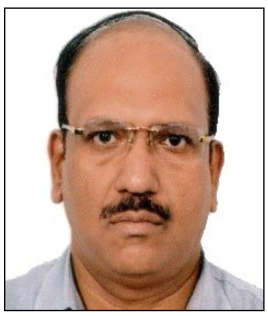

डॉ. राजीव मणि
संयुक्त सचिव एवं विधि सलाहकार
विधि कार्य विभाग
विधि और न्याय मंत्रालय

श्री उनिकृष्णन ए.
विधि सलाहकार
भारतीय रिजर्व बैंक

अध्यक्ष, पर्णूकालिक सदस्य और वरिष्ठ अधिकारी

(31 मार्च, 2019 की स्थिति के अनुसार)

(बाएं से दाएं)

बैठे हुएः श्री उमेश कुमार शर्मा, मुख्य महाप्रबंधक; डॉ. अनुराधा गुरु, मुख्य महाप्रबंधक; श्री रितेश कावड़िया, कार्यपालक निदेशक; डॉ. मुकुलिता विजयवर्गीय, पूर्णकालिक सदस्य; डॉ. एम. एस. साहू, अध्यक्ष; डॉ.नवरंग सैनी, पूर्णकालिक सदस्य; श्री के. आर. साजी कुमार, कार्यपालक निदेशक; डॉ. ममता सूरी, कार्यपालक निदेशक; श्री आई. श्रीकारा राव, मुख्य महाप्रबंधक।

पहली पंक्ति में खड़े हुएः श्री दिलीप अर्जुन खाँडाले, उप–महाप्रबंधक; श्री सौरव सरदार, सहायक प्रबंधक; श्री सुनील कुमार, उप–महाप्रबंधक; सुश्री मेधा शेकर; सहायक प्रबंधक; सुश्री अर्चना शर्मा, सहायक प्रबंधक; सुश्री तुहिना मार्डी, सहायक प्रबंधक; सुश्री पूजा सिंगला, सहायक प्रबंधक; सुश्री नमिशा सिंह, सहायक प्रबंधक; श्री अभिषेक शर्मा, सहायक प्रबंधक; श्री मैथिल उन्नीकृष्णन, महाप्रबंधक; श्री दीपांशु सिंह, सहायक प्रबंधक; श्री सरम संतोष, सहायक प्रबंधक; श्री सुशांत कुमार दास, सहायक महाप्रबंधक; श्री राममिलन सिंह, सहायक प्रबंधक; श्री विजय कुमार, सहायक महाप्रबंधक।

दूसरी पंक्ति में खड़े हुएः श्री असित बेहरा, सहायक प्रबंधक; श्री देबज्योति रे चौधुरी, मुख्य महाप्रबंधक; श्री ओम प्रकाश वर्मा, सहायक प्रबंधक; श्री रामेश्वर धारीवाल, मुख्य महाप्रबंधक; श्री राघव माहेश्वरी, सहायक प्रबंधक; श्री विनय पांडे, सहायक प्रबंधक; श्री अभिषेक मित्तापल्ली, सहायक प्रबंधक; श्री अंशुल अग्रवाल, सहायक प्रबंधक; सुश्री मनप्रीत कौर, सहायक प्रबंधक; श्री अमित साहू, उप–महाप्रबंधक; श्री यादविंदर सिंह, सहायक प्रबंधक।

कार्यपालक निदेशक

(31 मार्च, 2019 की स्थिति के अनुसार)

नाम	प्रभाग
डा. ममता सूरी	कारपोरेट दिवाला; कारपोरेट परिसमापन; डाटा प्रबंधन और संग्रहण; वित्त और लेखय संगठन (आई.यू., आई.पी.ए., आई.पी.ई. आर.वी.ओ.) रजिस्ट्रीकृत मूल्यांकक; रजिस्ट्रीकृत मूल्यांककों से संबंधित परिवाद, शिकायत निवारण, निगरानी, जांच और अन्वेषण
श्री रितेश कावड़िया	मानव संसाधन; स्थापना; परीक्षा; सूचना प्रौद्योगिकी और अन्य प्रक्रमण; दिवाला वृतिक; दिवाला वृतिकों और व्यावसायिक संस्थाओं से संबंधित परिवाद, शिकायत निवारण, निगरानी, जांच और अन्वेषणं
श्री के. आर. सजी कुमार	व्यष्टिक दिवाला; व्यष्टिक शोधन अक्षमता; सतत व्यावसायिक शिक्षा; ज्ञान प्रबंधन और भागीदारी; राष्ट्रीय दिवाला कार्यक्रम; अनुसंधान और प्रकाशन; विधिक कार्य; न्यायनिर्णयन, अभियोजन और न्यायालय कार्यवाहियां; पक्ष सर्मथन, बोर्ड सचिवालय; अंतरराष्ट्रीय कार्य; संसूचना; कार्यनीति; संसद प्रकोष्ठ और सूचना का अधिकार अधिनियमं

विषय-वस्तु

बॉक्स मदों की सूची xi
सारणियों की सूची xi
आकृतियों की सूची xii
संक्षेपाक्षरों की सूची xiii

अनुभाग कः अध्यक्ष का कथन 1

अनुभाग खः समीक्षाधीन वर्ष

- वृहत आर्थिक पृष्ठभूमि 5
- प्रमुख नीतिगत कार्यकलाप 8

अनुभाग गः नीतियां, कार्यक्रम और कार्यकलाप

ग.1 सेवा प्रदाता

- दिवाला व्यावसायिक 13
- दिवाला व्यावसायिक संस्थाएं 16
- दिवाला व्यावसायिक अभिकरण 16
- सूचना उपयोगिताएं 18
- परिवाद और शिकायतें 18
- निरीक्षण और जांच 18
- रजिस्ट्रीकृत मूल्यांकक 19
- रजिस्ट्रीकृत मूल्यांकक संगठन 20

ग.2ः प्रक्रियाएं

- कारपोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया 20
- फॉस्ट ट्रैक कारपोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया 22
- कारपोरेट परिसमापन 23
- स्वैच्छिक परिसमापन 24
- व्यष्टिक दिवाला समाधान और शोधन अक्षमता 24

ग.3 पक्ष-समर्थन और जागरूकता

- कार्यक्रम 28
- शैक्षणिक व्यस्तताएँ 29
- न्यूजलेटर 29

ग.4 अनुसंधान

अनुभाग घः बोर्ड के कार्य

- अर्ध विधिक कार्य 30
- कार्यकारी कार्य 34
- अर्ध न्यायिक कार्य 44

अनुभाग ङः परिणामों का विश्लेषण

- कारपोरेट प्रक्रियाएं 46
- उभरता हुआ न्यायशास्त्र 52

अनुभाग चः संहिता का प्रभाव

- संहिता की प्रभावशीलता 60
- संहिता की क्षमता 61
- संहिता की प्रभावकारिता 61
- कारपोरेट शासन 64

अनुभाग छः बोर्ड का कार्य–निष्पादन 67

अनुभाग जः शासी बोर्ड का कार्य–निष्पादन 72

अनुभाग झः बोर्ड का वित्तीय कार्य–निष्पादन 78

अनुभाग ञः वैधानिक बाध्यताओं का अनुपालन 80

अनुभाग टः संगठनात्मक विषय

- उत्तरदायित्व केन्द्र 83
- मानव संसाधन 84
- प्रदायगी डिजाइन 84
- आयकर में छूट 87
- वार्षिक दिवस समारोह 87
- सूचना का अधिकार और पारदर्शिता 87

बॉक्स मदों की सूची

पृष्ठ

1 दिवाला सेवाओं को व्यावसायिक बनाना ... 14
2 दिवाला व्यावसायिकों पर नियामक शुल्क ... 15
3 मूल्यांकन मानक ... 21
4 जाखिम भरा लेन–देन ... 23
5 विनियमन बनाने के लिए विनियमन ... 31
6 नियामक प्रभाव आकलन ... 32
7 नज सिद्धांत और संहिता ... 63
8 आईबीसीः कारपोरेट प्रशासन के लिए संहिता ... 64
9 आईबीबीआईः अद्वितीय नियामक ... 68
10 ग्रेजुएट दिवाला कार्यक्रम ... 71
11 व्यष्टिक गारंटीदाताओं का दिवाला समाधान ... 75
12 सीमा पार दिवाला ... 75
13 वित्तीय सेवा प्रदाताओं का समाधान ... 76

सारणियों की सूची

1 विभिन्न देशों में वित्तीय बाजारों का विकास ... 6
2 डीबीआर में दिवाला अंकों का समाधान करना ... 7
3 दिवाला समाधान में भारत का प्रदर्शन ... 8
4 31 मार्च, 2019 को दिवाला विधि समिति की संरचना ... 9
5 31 मार्च, 2019 को मूल्यांकन मामलों के बारे में समिति की संरचना ... 10
6 नीति और विनियामक विकास का कालक्रम, 2018–19 ... 11
7 2018–19 में आईपीए द्वारा आयोजित कार्यक्रम ... 17
8 2018–19 में आईपीए द्वारा प्रकाशनों का विवरण ... 17
9 बोर्ड द्वारा आयोजित निरीक्षण ... 19
10 मूल्यांकन व्यावसाय का विकास ... 20
11 2018–19 में सीआईआरपी विनियमों में संशोधन ... 22
12 2018–19 में पक्ष समर्थन की कार्यक्रमों में भागीदारी ... 24
13 2018–19 में पक्ष समर्थन की कार्यक्रमों का विवरण ... 25
14 2018–19 में आयोजित आईपी और सीओसी कार्यशालाएं ... 28
15 2018–19 में अधिसूचित विनियमन ... 33
16 विषय–वार गोलमेज घटनाएँ ... 33
17 सेवा प्रदाताओं पर सलाहकार समिति की संरचना ... 34
18 कारपोरेट दिवाला और परिसमापन पर सलाहकार समिति की संरचना ... 34
19 व्यष्टिक दिवाला और शोधन अक्षमता पर सलाहकार समिति की संरचना ... 34
20 आईपी का रजिस्ट्रीकरण और रजिस्ट्रीकरण रद्द करना ... 36
21 31 मार्च, 2019 को आईपी का वितरण ... 36
22 31 मार्च, 2019 को आईपी की पात्रता के अनुसार उनका वितरण ... 36
23 31 मार्च, 2019 को आईपी की आयु प्रोफाइल ... 36
24 31 मार्च, 2019 को मान्यता प्राप्त आईपीई ... 37
25 2018–19 के दौरान आईपी कार्यशालाएं ... 37
26 31 मार्च, 2019 तक आरपी के साथ आईआरपी का प्रतिस्थापन ... 38
27 एनईएसएल के पास सूचना का विवरण ... 38
28 31 मार्च, 2019 को रजिस्ट्रीकृत मूल्यांकक ... 39
29 31 मार्च, 2019 को आरवी का रजिस्ट्रीकरण ... 39
30 31 मार्च, 2019 को क्षेत्रवार आरवी. ... 39
31 31 मार्च, 2019 को आरवी की आयु रुपरेखा ... 41
32 31 मार्च, 2019 तक शिकायतों और परिवादों की प्राप्ति और निपटान ... 41
33 31 मार्च, 2019 तक क्षेत्र वार सीमित दिवाला परीक्षा ... 41
34 परिसंपकि वर्ग भूमि और भवन में क्षेत्र–वार मूल्यांकन परीक्षा ... 42

35 संयंत्र और मशीनरी में क्षेत्र–वार मूल्यांकन परीक्षा 42
36 प्रतिभूति या वित्तीय परिसंपत्तियों में क्षेत्र–वार मूल्यांकन परीक्षा 42
37 बोर्ड द्वारा 2018–19 में जारी किए गए परिपत्र 43
38 आईपी और आरवी के रूप में रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदनों की अस्वीकृति 44
39 2018–19 में जिन आईपीई की मान्यता रद्ध की गई 44
40 2018–19 में जिन अनुशासनात्मक कार्यवाहियों को बंद किया गया 45
41 31 मार्च, 2019 तक कारपोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया 46
42 31 मार्च, 2019 तक सीआईआरपी की पीठ–वार स्वीकृति और समापन 47
43 कॉरपोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया की शुरूआत 47
44 31 मार्च, 2019 तक सीआईआरपी का क्षेत्रवार वितरण 48
45 31 मार्च, 2019 को सीआईआरपी की स्थिति 48
46 दावों का वितरण और सीआईआरपी की वापसी का कारण 48
47 सीआईआरपी जिनका समापन समाधान योजना में हुआ, 2018–19 49
48 31 मार्च, 2019 तक समाधान योजनाओं और परिसमापन हेतु आदेश में समाप्त होने वाले सीआईआरपी 49
49 परिसमापन में समाप्त होने वाले सीआईआरपी का वितरण 49
50 31 मार्च, 2019 तक परिसमापन प्रक्रिया की स्थिति 50
51 विघटन द्वारा बंद किए गए परिसमापनों का विवरण 50
52 बंद परिसमापनों में वसूली 50
53 12 बड़े खातों की स्थिति 51
54 31 मार्च, 2019 तक स्वैच्छिक परिसमापन का प्रारंभ 51
55 413 परिसमापनों का विवरण 51
56 स्वैच्छिक परिसमापनों के अधीन कंपनियों की देनदारियों का वितरण 51
57 स्वैच्छिक परिसमापनों के अधीन कंपनियों की परिसंपत्तियों का वितरण 52
58 स्वैच्छिक परिसमापनों का क्षेत्रवार वितरण 52
59 स्वैच्छिक परिसमापन के कारण 52
60 स्वैच्छिक परिसमापनों का चरण 52
61 प्रमुख क्षेत्रों द्वारा सकल बैंक क्रेडिट की तैनाती 61
62 विभिन्न चैनलों के माध्यम से वसूले गए अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के एनपीए 62
63 बोर्ड की बैठकों में उपस्थिति 72
64 2018–19 में शासी बोर्ड का निष्पादन 73
65 वित्त वर्ष 2018–19 के लिए आय और व्यय विवरण 78
66 31 मार्च, 2019 को दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड की निधि 78
67 वैधानिक बाध्यताओं के अनुपालन का विवरण 80
68 31 मार्च, 2019 को आईबीबीआई का शासी बोर्ड 83
69 अनुशासनात्मक समिति का संघटन 83
70 आईबीबीआई के कर्मचारी 84
71 2018–19 के दौरान आयोजित विशिष्ट व्याख्यान 85
72 आईबीबीआई के अधिकारियों के लिए प्रशिक्षण 86
73 2018–19 में आवेदनों और प्रथम अपीलों की प्राप्ति और निपटान 88

आकृतियों की सूची

1 सकल घरेलू उत्पाद, ऋण और एनपीए वृद्धि 7
2 31 मार्च, 2019 को आईपी का भौगोलिक वितरण 35
3 31 मार्च, 2019 को आरवी का वितरण 40
4 सीडी का सीआईआरपी में माह–वार स्वीकृति 46
5 ओसी, एफसी और सीडी द्वारा सीआईआरपी का प्रारम्भ 47

संक्षेपाक्षरों की सूची

आईआईएम	भारतीय प्रबंध संस्थान
आईआईबीएफ	बैंकिंग व वित्त का भारतीय संस्थान
आईआईवी	भारतीय मूल्यांकक संस्थान
आईआईसीए	भारतीय कारपोरेट कार्य संस्थान
आईआरडीएआई	भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण
आईईजी	भारतीय आर्थिक विकास
आईओवी	मूल्यांककों का संस्थान
आईएआईआर	अंतरराष्ट्रीय दिवाला विनियामक संगम
आईएनएसओएल	अंतरराष्ट्रीय पुनर्संरचना, दिवाला और शोधन अक्षमता व्यावसायिक परिसंघ
आईएम	सूचना ज्ञापन
आईएमए इंडिया	अंतरराष्ट्रीय मार्केट परिसंघ– भारत
आईएलसी	दिवाला विधि समिति
आईएफसी	अंतरराष्ट्रीय वित्त निगम
आईजीआईडीआर	इंदिरा गांधी विकास अनुसंधान संस्थान
आईपी/आईपी(एस)	दिवाला वृत्तिक/दिवाला वृत्तिकों
आईपी विनियमन	भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (दिवाला व्यावसायिक) विनियमन, 2016
आईपीए/आईपीए(एस)	दिवाला व्यावसायिक एजेंसी/(एजेंसियां)
आईपीए ऑफ आई सी एम ए आई	आई सी एम ए आई का दिवाला व्यावसायिक अभिकरण
आईबीए	इंडियन बैंक एसोसिएशन
आईयू/आईयूज	सूचना उपयोगिता/उपयोगिताएं
आईवीएस	अंतरराष्ट्रीय मूल्यांकन मानक
आईसीएआई का आईआईआईपी	आईसीएआई का भारतीय दिवाला व्यावसायिक संस्थान
आईसीएआई	भारतीय चार्टर्ड अकाउटेंट संस्थान
आईसीडी	दिवाला प्रारम्भ होने की तारीख
आईसीएफएआई	भारतीय चार्टर्ड वित्तीय विश्लेषक संस्थान
आईसीएमएआई	भारतीय लागत लेखाकार संस्थान
आईसीएसआई	भारतीय कंपनी सचिव संस्थान
आईसीएसआईआईआईपी	आईसीएसआई दिवाला व्यावसायिक संस्थान
आईसीसी	इंडियन चेंबर ऑफ कॉमर्स
आरआईए	नियामक प्रभाव मूल्यांकन
आरआईसीएस	रॉयल इंस्टीट्यूशन ऑफ चार्टर्ड सर्वेयर्स
आरए	समाधान आवेदक
आरएफआरपी	समाधान योजना हेतु अनुरोध
आरएमडब्ल्यू	रजिस्ट्रीकरण और मानिटरिंग खंड
आरटीआई	सूचना का अधिकार
आरपी	समाधान वृत्तिक
आरबीआई	भारतीय रिजर्व बैंक

आरवी/आरवीज	रजिस्ट्रीकृत मूल्यांकक/कों
आरवीओ/आरवीओज	रजिस्ट्रीकृत मूल्यांकक संगठन
ईओआई	रूचि की अभिव्यक्ति
परीक्षा	सीमित दिवाला परीक्षा
ईडी	कार्यकारी निदेशक
ईसीबी	बाह्य वाणिज्यिक उधारी
एआईआईपीए	अखिल भारतीय दिवाला वृत्तिक परिसंघ
एए	न्यायनिर्णयन प्राधिकारी
एएल	मूल्यांकक कंपनी (मूल्यांकक और मूल्यांकन नियम), 2017
एचसी	उच्च न्यायालय
एजीएम	सहायक महाप्रबंधक
एफआरडीआई बिल	वित्तीय समाधान और जमा बीमा विधेयक, 2017
एफएए	प्रथम अपील प्राधिकारी
एफएसआर	वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट
एफएसपी/एफएसपीज	वित्तीय सेवा प्रदाता/प्रदाताओं
एफएसएलआरसी	वित्तीय क्षेत्र विधायी सुधार समिति
एफसी/एफसीज	वित्तीय लेनदार/वित्तीय लेनदारों
एनआईएफएम	राष्ट्रीय वित्तीय प्रबंध संस्थान
एनआईएसएम	राष्ट्रीय प्रतिभूति विपणन संस्थान
एनईएसएल	नेशनल ई–गवर्नेंस सर्विस लिमिटेड
एनएलयू	राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय
एनएलयूडी	राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय दिल्ली
एनएसडीए	राष्ट्रीय कौशल विकास अभिकरण
एनएसडीसी	राष्ट्रीय कौशल विकास निगम
एनजेए	राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी
एनबीएफसी	गैर–बैंककारी वित्तीय कंपनी
एनपीए	गैर–निष्पादन आस्ति
एनपीए(एस)	अनर्जक आस्ति/आस्तियां
एनसीएलएटी	राष्ट्रीय कंपनी विधि अपील अधिकरण
एनसीएलटी	राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण
एमओएफ	वित्त मंत्रालय
एमओएलएंडजे	विधि और न्याय मंत्रालय
एमडी	प्रबंध निदेशक
एलएलपी	सीमित दायित्व भागीदारी
एमएसएमई	सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम
एमएसडीई	कौशल विकास और उद्यामीयता मंत्रालय
एमओयू	समझौता ज्ञापन
एमसीए	कारपोरेट कार्य मंत्रालय
एमसीसीआई	मर्चेंट्स चेम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री
एसआईपीआई	सोसायटी ऑफ इन्साल्वेंसी प्रैक्टिशनर्स आफ इंडिया

एसआईसीए	रूग्ण औद्योगिक कंपनी (विशेष उपबंध) अधिनियम, 1985
एसईपीसी	सेवा निर्यात संवर्धन परिषद्
एसबीआई	भारतीय स्टेट बैंक
एसी	सलाहकार समिति
एससी	भारतीय उच्चतम न्यायालय
एससीएन	कारण बताओ सूचना
एससीबी	अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक
एसोचैम	एसोसिएटेड चैम्बर्स आफ कामर्स एंड इंडस्ट्री आफ इंडिया
ओईएसडी	आर्थिक सहयोग और विकास संगठन
ओसी/ओसीज.	प्रचालन लेनदार/लेनदारों
केएमपी	प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक
जीआईपी	स्नातक दिवाला कार्यक्रम
जीआरआर	वैश्विक पुनर्सरचना समीक्षा
जीएनएलयू	गुजरात राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय, गांधीनगर
जीएनपीए	सकल गैर निष्पादन आस्तियां
जीएम	महाप्रबंधक
जीएसटी	वस्तुएं और सेवा कर
जीडीपी	सकल देशीय उत्पाद
जीबी	शासी बोर्ड
टीएलएसएस	दा लॉ सोसाइटी ऑफ सिंगापुर
टीडीएस	स्रोत पर कर कटौती
डब्ल्यूजी	कार्य–समूह
डब्ल्यूटीएम	पूर्णकालिक सदस्य
डीआरटी	ऋण उगाही अधिकरण
डीजीएम	उप–महाप्रबंधक
डीबीआर	वर्ल्ड बैंक की डूइंग बिजनेस रिपोर्ट
डीसी	अनुशासनात्मक समिति
परिवाद विनियमन	भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड परिवाद और शिकायत निपटान प्रक्रिया) विनियमन, 2017
पीएचडीसीआईआइ	चेम्बर आफ कामर्स एंड इंडस्ट्री
पीएफआरडीए	पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण
पीएमकेवीवाई	प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना
पीजी/पीजीज	व्यक्तिगत गारंटीकर्ता/ओं
पीयूएफई	अधिमान, अधोमूल्यांकित, जबरन वसूली, धोखाधड़ी संव्यवहार
पीवीएआई	प्रेक्टिसिंग वेल्युअर एसोसिएशन ऑफ इंडिया
फॉस्ट ट्रैक विनियमन	भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड(कारपोरेट व्यक्तियों के लिए फॉस्ट ट्रैक दिवाला प्रक्रिया) विनियमन, 2017
फिक्की	फैडरेशन ऑफ इंडियन चौम्बर्स ऑफ कामर्स एंड इंडस्ट्री
बीआईएफआर	औद्योगिक और वित्तीय पुनर्गठन बोर्ड
बीएफएसआई एसएससी	बीएफएसआई कौशल क्षेत्र परिषद्
बीएमए	बड़ौदा प्रबंधन परिसंघ

बीएलआरसी	शोधन अक्षमता विधि सुधार समिति
बीएसई	बाम्बे स्टॉक एक्सचेंज
बोर्ड/आईबीबीआई	भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड
बोर्ड रेगुलेशंस	आईबीबीआई (शासी बोर्ड की बैठकों के लिए प्रक्रिया) विनियमन, 2017
यूएनआईसी	संयुक्त राष्ट्र निवेश समिति
यूएनसीआईटीआर	संयुक्त राष्ट्र अंतरराष्ट्रीय व्यापार विधि आयोग
लिक्विडेशन विनियमन	भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (समापन प्रक्रिया) विनियमन, 2016
वालंटरी लिक्विडेशन रेग्युलेशन	आईबीबीआई (स्वैच्छिक परिसमापन प्रक्रिया) विनियमन, 2017
विधि	विधि सेंटर फॉर लीगल पालिसी एंड रिसर्च
संहिता/आईबीसी	दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता, 2016
सरफेसी	वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002
सलाहकार विनियमन	आईबीबीआई (सलाहकार समिति) विनिमान, 2017
सीआईआई	भारतीय उद्योग संघ
सीआईआरपी	कारपोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया
सीईओ	मुख्य कार्यकारी अधिकारी
सीईवी	अभियंता और मूल्यांकक परिषद्
सीएंडएजी	भारत का नियंत्रक महालेखापरीक्षक
सीओपी	प्रैक्टिस प्रमाणपत्र
सिओसी	लेनदारों की समिति
सीजी/सीजीज	कारपोरेट गारंटीकर्ता/कारपोरेट गारंटीकर्ताओं
सीजीआई	कोंसुलेट जनरल ऑफ इंडिया
सीजीएम	मुख्य महाप्रबंधक
सीडी	कारपोरेट ऋणी
सीपीआईओ	केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी
सीपीजीआरएएमएस	केन्द्रीयकृत लोक शिकायत निवारण और मानिटरिंग प्रणाली
सीबीएस	मूल विज्ञान उत्कृष्टता केंद्र
सीवीएसआरटीए	सेंटर फॉर वेल्युएशन स्टडीज, रिसर्च एंड ट्रेनिंग एसोसिएशन
सीसीआई	भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग
सीसीसी	कोलकाता चैंबर ऑफ कॉमर्स
सेबी	भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड

क | अध्यक्ष का कथन

कंपनी का जीवन उतना ही मूल्यवान होता है जितना कि एक मानव का। जब किसी कंपनी पर गंभीर खतरा होता है तो आईबीसी उसे बचाने के लिए उसे नई जीवनरेखा प्रदान करती है।

अब तक का सफर

28 मई, 2016 को दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता, 2016 (आईबीसी/संहिता) अधिनियमित किए जाने पर भारत में दिवाला सुधारों को ठोस आकार मिला। कुछ ही समय में, यह हितधारकों द्वारा, हितधारकों का और हितधारकों के लिए सुधार बन गया। सुधारों में दो वर्ष में सामने आए परिणाम स्वतः स्पष्ट हैं। मुझसे अक्सर भारत में दिवाला क्षेत्र के अब तक के प्रदर्शन की रेटिंग करने के लिए कहा जाता है। मैं निम्नलिखित के आलोक में इसे 10 में से 10 की रेटिंग देता हूं:

(क) भारत के पास दिवाला कानून को कोई पूर्व अनुभव नहीं था, जो कि स्वयं सक्रिय, प्रोत्साहन–अनुरूपी, बाजार–प्रेरित और समय–बद्ध हो। संहिता और अंतर्निहित सुधार, कई मायनों में, एक अंजान क्षेत्र की ओर ले जाने वाला सफर था– अज्ञात जलराशि में डुबकी जैसा और आस्था की डुबकी जैसा। आधुनिक और मजबूत दिवाला शासन के कार्यान्वयन के लिए आवश्यक संस्थान मौजूद नहीं थे। कानून बनाया जाना था; अवसंरचना का निर्माण करना था; क्षमता का निर्माण करना था; बाजार और व्यवहार विकसित करने थे; और हितधारकों को संहिता से अवगत होना था, बदलाव को अंगीकार करना था और इसका उपयोग करना सीखना था। फिर भी, सेवा प्रदाताओं और कारपोरेट दिवाला के संबंध में पूरे विनियामक ढांचे और कारपोरेट दिवाला के लिए पूरी पारिस्थितिकी तंत्र की व्यवस्था की गई ताकि अधिनियमन के छह माह के भीतर और भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (आईबीबीआई/बोर्ड) की स्थापना के दो माह के भीतर 1 दिसंबर, 2016 को कारपोरेट शोधन अक्षमता की कार्यवाही शुरू की जा सके।

(ख) आमतौर पर ऐसे महत्वपूर्ण कानून के कार्यान्वयन में कई चुनौतियां आती हैं। सभी संबंधितों ने चुनौतियों का डटकर सामना किया और उनका तत्परता से समाधान किया। उभरते हुए बाजार की वास्तविकताओं के साथ अपने उद्देश्यों को आगे ले जाने के लिए इसके कार्यान्वयन से उत्पन्न कमियों को दूर करने के लिए संहिता में दो प्रमुख विधायी अंतक्षेप और दर्जनों अधीनस्थ विधानों का साक्ष्य किया। न्यायनिर्णयन प्राधिकारी (एए), अपीलीय प्राधिकरण और उच्चतम न्यायालय (एससी) ने कई वैचारिक मुद्दों को स्पष्ट करने और विवादास्पद मुद्दों का निपटान करने और अस्पष्ट क्षेत्रों का तत्काल समाधान करने के लिए कई ऐतिहासिक आदेश दिए हैं। संहिता ने संवैधानिक मस्टर पारित किया है। स्थायी समिति, दिवाला विधि समिति (आईएलसी), मुद्दों की पहचान करने और उनका समाधान करने के लिए सिफारिशें करने के लिए निरंतर संहिता के कार्यान्वयन की समीक्षा करती है।

(ग) मार्च, 2019 के अंत तक, एक दर्जन शहरों में न्यायनिर्णयन प्राधिकारी मौजूद है। अपीलीय प्राधिकरण, आईबीबीआई, 2456 दिवाला व्यावसायिक (आईपी), 3 दिवाला व्यावसायिक एजेंसियां (आईपीए), 48 दिवाला व्यावसायिक संस्थाएं (आईपीई), एक सूचना उपयोगिता (आईयू), 1186 रजिस्ट्रीकृत मूल्यांकक (आरवी) और 11 रजिस्ट्रीकृत मूल्यांकक संगठन (आरवीओ) की व्यवस्था है। देनदार और लेनदार समान रूप से कारपोरेट दिवाला प्रक्रियाओं का आश्रय ले रहे हैं। लगभग 1900 फर्मों को, जिनमें से कुछ के पास अत्यधिक नॉन परफार्मिंग एसेट्स (एनपीए) हैं, कारपोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया (सीआईआरपी) में शामिल किया गया है। उनमें से 40 फीसदी ने इस प्रक्रिया में समाधान योजना, वापसी या परिसमापन के आदेश आए हैं जबकि शेष राशि 31 मार्च, 2019 की स्थिति के अनुसार जारी हैं। अन्य 400 फर्मों ने स्वैच्छिक परिसमापन शुरू कर दिया है और उनमें से एक चौथाई ने यह प्रक्रिया पूरी कर ली है।

(घ) संहिता का मुख्य उद्देश्य संकट में फंसी कंपनियों का जीवन बचाना है। मार्च, 2019 तक, संहिता में समाधान योजनाओं के माध्यम से ऐसी 100 कंपनियों को बचाया है, जिनमें से 34 गहरे संकट में थीं। उनके साथ उपलब्ध संपत्ति का वास्तविक मूल्य, जब वे आईबीसी प्रक्रिया से गुजरे, केवल 0.54 लाख करोड़ रू. था। इन फर्मों को बचाने के अलावा, समाधान योजनाओं में लेनदारों के लिए 1.20 लाख करोड़ रू. वसूले गए जो इन फर्मों की संपत्ति के वास्तविक मूल्य का लगभग 222 प्रतिशत है। वसूली या परिसमापन के किसी भी अन्य विकल्प से अधिकाधिक 100 रु. कम वसूली/परिसमापन की लागत प्राप्त होती। 122 रू. की अतिरिक्त वसूली आईबीसी की ओर से बोनस है। वसूली योग्य मूल्य के 222 प्रतिशत की वसूली के बावजूद, वित्तीय लेनदारों (एफसी) को अपने दावों की तुलना में 46 प्रतिशत कम स्वीकार करने पड़े। यह केवल फर्मों के आईबीसी प्रक्रिया में प्रवेश के समय तक मूल्य में कमी को दर्शाता है। फिर भी, अन्य विकल्पों की तुलना में, भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के आंकड़ों के अनुसार, बैंक आईबीसी के माध्यम से बेहतर ढंग से उबर रहे हैं।

(ङ) फर्मों के जीर्णोद्धार और लेनदारों के लिए वसूली से परे, संहिता में महत्वपूर्ण व्यवहारगत परिवर्तन आए हैं जिसके परिणामस्वरूप संहिता के बाहर लेनदारों के लिए पर्याप्त वसूली और फर्मों के प्रदर्शन में सुधार हुआ है। संहिता के इस विश्वसनीय खतरे से कि किसी फर्म के स्वामित्व में परिवर्तन हो सकता है, देनदारों के व्यवहार में बदलाव आया है। हजारों देनदार संकट में फंसी संपत्ति के जीवन चक्र के शुरुआती चरणों में व्यतिक्रम का निपटारा कर रहे हैं। वे विभिन्न चरणों में निपटारा कर रहे हैं, अर्थात् जब व्यतिक्रम आसन्न हो; व्यतिक्रम किए जाने पर; पुनर्भुगतान का नोटिस प्राप्त करने पर, लेकिन आवेदन भरे जाने से पहले या आवेदन भरने के बाद लेकिन इसे दाखिल किए जाने से पूर्व, और आवेदन दाखिल किए जाने के बाद भी, इस प्रकार संहिता के अधीन प्रक्रिया के परिणामों से बचने के लिए सर्वोत्तम प्रयास कर रहे हैं। ऐसा लगता है कि व्यतिक्रमकर्ताओं की जन्नत खत्म हो गई है और ऋण को चुकाना अब कोई विकल्प नहीं रह गया है। ज्यादातर कंपनियों को अब संकट के इन शुरुआती चरणों में बचाया गया है,

और लेनदारों को अच्छी–खासी वसूली मिली है।

(च) संहिता से बाजार के वर्चस्व की स्थापना हुई है, जबकि पूंजी–ऋण और इक्विटी के आपूर्तिकर्ताओं की शक्तियों को संतुलित किया गया है। दिवाला बाजार का परिणाम है। संहिता में बाजार की समस्या का बाजार से समाधान का पता लगाने के लिए बाजार प्रक्रिया दी जाती है। जहां इक्विटी आपूर्तिकर्ता किसी फर्म के संकट को दूर करने में विफल रहे हैं, संहिता में लेनदारों को ऐसा करने का अवसर दिया जाता है। इससे हितधारक राज्य द्वारा दिए गए समाधान को स्वीकार करने के बजाय मामलों को स्वयं के लिए निर्णय ले पाते हैं। बाजार, सबसे बड़ा पाटन होने के नाते, हर व्यतिक्रमकर्ता फर्म से समान व्यवहार करता है, चाहे उसका आकार कुछ भी हो या उसके पास बाजार की कितनी ही ताकत क्यों न हो। अब प्रायोजकों को फर्म से चिपके रहने का अधिकार, चाहे इसका आचरण जैसा भी हो, अच्छा नहीं रह गया है। हमने कई फर्मों का स्वामित्व बदलते हुए देखा है, बावजूद इसके कि उनमें से कुछ अपनी लड़ाई को उच्चतम न्यायालय तक ले गए।

आगे का सफर

जब मैं निवर्तमान प्रयासों को भलीभांति देखता हूं और ये प्रयास अंततः संबंधित हितधारकों के मस्टर पर खरे उतरते हैं, तो मुझे निकट भविष्य में आईबीसी के दायरे में विकास के तीन प्रकार के घटनाक्रम दिखाई देते हैं।

क. संस्थाओं का निर्माण

सबसे पहला कार्य है दिवाला और शोधन अक्षमता प्रक्रियाओं में उनकी भूमिका को देखते हुए दिवाला और शोधन अक्षमता संस्थाओं का सुदृढ़ीकरण करना।

(क) ***दिवाला व्यावसायः*** दिवाला कार्यवाही के लिए अत्यधिक कुशल, परिष्कृत व्यावसायिक सेवाओं की आवश्यकता होती है। इस संहिता के अधीन आईपी पर कई विकसित न्यायक्षेत्रों से भिन्न संकट में फंसी फर्म के निवर्तमान सरोकारों के तौर पर मामलों का संचालन करने, इसकी संपत्ति के मूल्य की रक्षा करने, सभी लागू कानूनों का अपनी ओर से पालन करने, संपूर्ण समाधान का निष्पक्षता एवं समानता के साथ संचालन करने, धोखाधड़ी और तरजीह लेनदेन के माध्यम से कम हुए मूल्य को पुनः प्राप्त करने आदि का जबरदस्त उत्तरदायित्व सौंपा गया है। विधि, प्रबंधन, लेखा, आदि के कुशल व्यावसायिकों ने, जिन्हें दस वर्ष का अनुभव है, कुछ प्रशिक्षण लेने और सीमित दिवाला परीक्षा, दिवाला परीक्षा (परीक्षा) उत्तीर्ण करने के बाद दिवाला व्यावसाय में शामिल हुए हैं। उन्होंने अदभुत प्रदर्शन किया है। दिवाला व्यवसाय को अगले स्तर पर ले जाने के लिए, आईबीबीआई ने ऐसे युवा और मेधावी लोगों के लिए जिनके पास व्यावसायिक अर्हता अथवा संबंधित विषय में डिग्री है किंतु कोई अनुभव नहीं है, दो वर्षीय स्नातक दिवाला कार्यक्रम (जीआईपी) की परिकल्पना की है। जीआईपी का उद्देश्य आवश्यकता के अनुरूप आईपी को समृद्ध करना और सॉफ्ट कौशल जैसेकि जन प्रबंधन, उद्यमशीलता, भावनात्मक बुद्धिमत्ता, और गहन नैतिकता और अखंडता सहित आईपी के लिए आवश्यक चीजों को संपोषित करना है। जीआईपी पूरा होने पर, कोई आईपी के रूप में रजिस्ट्रीकरण के लिए पात्र होगा। जीआईपी दुनिया में अपनी तरह का पहला है और इसका प्रयास दिवाला को ज्ञान के विषय के रूप में सृजित करना है।

(ख) ***मूल्यांकन व्यावसायः*** संहिता का एक प्रमुख उद्देश्य संकट में व्यक्तियों की परिसंपत्ति का मूल्य अधिकत करना है। तुलना और संसूचित निर्णय को आसान बनाने के लिए परिसंपत्तियों का मूल्य निर्धारण पारदर्शी और विश्वसनीय होना आवश्यकता है। मूल्यांकन, परिसमापन सहित विकल्पों के मूल्यांकन और विकल्पों के चयन के संदर्भ का कार्य करता है, जिससे सीआईआरपी से गुजरने वाली फर्म के भाग्य का फैसला होता है। यदि मूल्यांकन सही नहीं है, तो व्यवहार्य फर्म का परिसमापन किया जा सकता है और अव्यवहार्य फर्म का पुनर्वास किया जा सकता है, जो किसी अर्थव्यवस्था के लिए दुर्भाग्यपूर्ण हो सकता है। अनुपयुक्त मूल्यों का उपयोग करके लिए गए निर्णयों से पार्टियों को अनुचित लाभ या हानि के अलावा, बाजार के विकृत होना और संसाधनों को गलत तरीके से आवंटन की संभावना होती है जिनसे बाजार अर्थव्यवस्था में आर्थिक वृद्धि प्रभावित हो सकती है। कंपनी अधिनियम, 2013 के अधीन एक अंतरिम ढांचा तैयार किया गया है। ऐसे संस्थागत ढांचे की स्थापना का काम शुरू हो गया है जिससे आवश्यकता अनुरूप मूल्यांकन व्यावसायिकों का विकास और विनियमन होता है। यहाँ भी, प्रयास नया है और इसका उद्देश्य ज्ञान के स्वतंत्र विषय के रूप में मूल्यांकन के विषय का सृजन करना है।

(ग) ***सूचना उपयोगिताः*** समाधान प्रक्रिया सूचना गहन है। मूल्य, हितधारकों के पास सूचना की गुणवत्ता की उपलब्धता पर निर्भर करता है। संहिता में वित्तीय सूचनाओं को संग्रहीत करने के लिए अंतः प्रचालनीय आईयू के प्रतिस्पर्धी उद्योग की व्यवस्था है जिससे व्यतिक्रम स्थापित करने, दावों को सत्यापित करने और लेनदारों की समिति (सीओसी) का तत्परता से गठन करने में मदद मिलती है और इससे दिवाला प्रक्रियाओं को समयबद्ध तरीके से पूरा करने में सुविधा मिलती है। यह सुनिश्चित करने के लिए कि आईयू से दिवाला और शोधन अक्षमता के समाधान के लिए आवश्यक सूचनाएं प्राप्त करती है, संहिता में एफसी के लिए डाटा प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य बनाया गया है और आइयू के लिए ऐसे डाटा को स्वीकार करना बाध्य किया गया है। सटीकता सुनिश्चित करने और विवादों की रोकथाम के लिए, संहिता में अनिवार्य किया गया है कि ऐसे रिकॉर्ड को सभी संबंधित पक्षों के साथ सह–सत्यापित किया जाए। एक आईयू आई है और संबंधित हितधारकों द्वारा उपयोग के लिए महत्वपूर्ण जानकारी इकट्ठा कर रही है। यह भी दिवाला के क्षेत्र में सुचना की असमानता को दूर करने के लिए दुनिया में अपनी तरह का पहला तरीका है।

(घ) ***लेनदारों की समितिः*** सीओसी, जिसमें एफसी शामिल है, का दायित्व संकट में फंसी फर्म के भाग्य का फैसला करना है, चाहे वह बचाव करना हो या इसका परिसमापन करना हो। सीओसी के निर्णय आमतौर पर किसी भी विश्लेषण, मूल्यांकन या एए द्वारा न्यायिक समीक्षा के लिए खुले नहीं हैं। सरकार सहित हितधारक, समाधान योजना से बंधे हैं, जो सीओसी का वाणिज्यिक निर्णय है। गलत निर्णय से एक अन्यथा व्यवहार्य फर्म नष्ट हो सकती है या फर्म गलत लोगों के हाथों में जा सकती है। सीओसी यह निर्णय लेती है कि क्या फर्म आर्थिक संकट में है और यदि ऐसा है, तो यह उभरते अवसरों का लाभ लेने के लिए फर्म के संसाधनों को अन्य प्रतिस्पर्धी उपयोगों और उद्यमी को लिए जारी कर सकती है। यदि फर्म वित्तीय संकट में है, तो सीओसी फर्म का वर्तमान प्रबंधन के चंगुल से बचाव करता है और परिसमापन से बचने के लिए इसे विश्वसनीय और सक्षम प्रबंधन के हाथों में देता है। इससे सक्षम और विश्वसनीय लोगों से प्रतिस्पर्धी, व्यवहार्य और जीवनक्षम समाधान योजनाओं के लिए फर्म और बाजार का अंतर्निहित मूल्य दिखाई देता है। इससे समाधान योजनाओं की व्यवहार्यता और जीवनक्षमता और समाधान आवेदकों (आरए) की क्षमता और विश्वसनीयता का आकलन होता है। सीओसी की संस्था को उसके दायित्वों के अनुरूप सुदृढ़ करने के लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं।

ख. प्रक्रिया में सुधार

दूसरे प्रकार के विकास का संबंध निश्चितता, दक्षता और प्रभावकारिता के लिए सुधार प्रक्रिया से है।

(क) ***उत्तरदायी विनियमनः*** नियामक के रूप में, आईबीबीआई का दुनिया में

कहीं कोई समानांतर नहीं है। यह अन्य के साथ–साथ कारपोरेट और व्यक्तिगत दिवाला, परिसमापन और शोधन अक्षमता प्रक्रियाओं के लिए विनियमन बनाता है। विनियमन, हालांकि, एक अमिश्रित आशीर्वाद नहीं है। न ही हर बाजार की प्रत्येक विफलता के लिए विनियमन है। एक उत्तरदायी नियामक, प्रतिभागियों की स्वतंत्रता को अनुचित तरीके से बाधित किए बिना और अल्पतम अनपेक्षित परिणामों के साथ बाजार की बदलती जरूरतों के अनुरूप स्वयं सक्रिय होकर विनियमों को बनाता और संशोधित करता है। आईबीबीआई ने यह सुनिश्चित करने के लिए कि विनियमन प्रभावी होने के साथ–साथ उत्तरदायी हैं और अतिरेक भी नहीं हैं, विनियमन बनाने की प्रक्रिया को मानकीकृत किया है। आईबीबीआई (विनियमन जारी करने के लिए तंत्र) विनियमन, 2018 विनियमन बनाने की प्रक्रिया को शासित करता है, जिसमें लागत लाभ विश्लेषण और जनता से परामर्श करना शामिल है।

(ख) ***समाधानशीलताः*** संहिता में व्यतिक्रम के मामले में, लेनदारों का फोकस वसूली की संभावना से समाधान की संभावना पर परिवर्तित किया है। बाजार अब, ऐसी फर्म से व्यवहार करने को तरजीह देता है जो समाधान योग्य हो। समाधान योग्य फर्म को ऋण की घटी लागत के माध्यम से गैर–समाधान योग्य फर्म की तुलना में प्रतिस्पर्धी लाभ होता है। जहां किसी फर्म का मूल्य प्रवर्तकों या उनके परिवार के सदस्यों के बीच अनौपचारिक, रिकार्ड से परे की व्यवस्था या निजी संबंधों में निहित होता है, भावी आरए के लिए मूल्य का पता लगाना और दोहन करना मुश्किल हो सकता है जिससे फर्म का समाधान करना दूर की बात हो सकती है। फर्म मूल्य सृजन और उसे बनाए रखने पर फोकस करेगी, जो कि आरए को दिखाई देता हो और तत्काल हस्तांतरणीय हो। इसी तरह, फर्म अद्यतन सूचना ज्ञापन (आईएम) तैयार रखेगी, जिससे समाधान प्रक्रिया, यदि शुरू की जाती है, तो उसका त्वरित निष्कर्ष हो सके। फर्म का प्रयास होगा कि वह हर समय खुद को, यदि जरूरत पैदा होती है, फिर से जीवंत बनाए। एक तरह से, उनमें फर्म के लाभ के लिए और साथ ही बड़े पैमाने पर समाज के लिए एक तरह की 'जिजीविषा' तैयार होगी।

(ग) ***संकटग्रस्त परिसंपत्तियों के लिए बाजारः*** भारत सबसे तेजी से बढ़ती, खरबों डॉलर की अर्थव्यवस्था है और दुनिया में पांचवीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। पिछले तीन दशकों में औसत विकास दर लगभग सात प्रतिशत रही है। विगत पांच वर्षों में विश्व बैंक के ईज ऑफ डूइंग बिजनेस सूचकांक में इसकी रैंकिंग में सुधार हुआ और यह 142वें स्थान से 63वें स्थान पर आ गया है। वर्षों से सभी महत्वपूर्ण आँकड़ों, जैसे कि प्रतिस्पर्धा सूचकांक और नवाचार सूचकांक में सुधार हो रहा है। प्रतिस्पर्धा और नवाचार की दृष्टि से यह स्वाभाविक है कि कुछ फर्मों को संकट होगा। अर्थव्यवस्था के आकार और इसकी विकास क्षमता को देखते हुए, बाजार में संकटग्रस्त परिसंपत्ति का निरंतर प्रवाह होगा। उनका समाधान करना होगा, जो आवश्यक नहीं की आईबीसी प्रक्रिया के जरिये ही हो। उन्हें संकट के बिल्कुल शुरुआती दिनों में भी खरीदा जा सकता है। विनियमनों से कारपोरेट ऋणों के लिए द्वितीयक बाजार के विकास में सुविधा हो सकती है। कई मंच ऐसी संकटग्रस्त परिसंपत्तियों का विवरण प्रदान करते हैं। जैसे–जैसे भागीदारी बढ़ती है, बाजार में आने वाले दिनों में तरलता होनी चाहिए।

(घ) ***अनुबंधों का स्वचालनः*** आईयू को ऋण समझौते के किसी पक्ष से जानकारी प्राप्त करने और फिर सूचना के प्रयोग योग्य होने से पहले अन्य पक्ष से सत्यापन प्राप्त करने में समय और प्रयास लगता है। ऋण अनुबंधों के स्वचालन (ऋण समझौतों का मानकीकरण, ऋण समझौतों का अमूर्तिकरण और उनके ऑनलाइन निष्पादन) से अनुबंध की प्रक्रिया कुशल बन जाएगी और स्पष्ट प्रमाणीकरण की आवश्यकता कम हो जाएगी। इससे दिवाला कार्यवाही निर्बाध रूप से आसान होगी जिस प्रकार इस स्वचालन ने प्रतिभूति बाजारों में क्रांति ला दी है। आईयू या कुछ अन्य रिपॉजिटरी, ऋण अनुबंधों के स्वचालन की सुविधा प्रदान कर सकती है और ऋणों के बारे में और दिवाला कार्यवाही के लिए अपेक्षित सभी जानकारी के लिए 'वन स्टॉप शॉप' का काम कर सकती हैं।

(ङ) ***सर्वोत्तम व्यवहारः*** कानून से हर समस्या का समाधान नहीं मिलता और न ही मिल सकता है। कई समस्याओं के समाधान प्रदान करने के लिए सर्वोत्तम व्यवहार विकसित होते हैं। इस तरह के सर्वोत्तम व्यवहार, समय के साथ–साथ कानून की पूरी शक्ति प्राप्त कर लेते हैं और ये रीति–रिवाज बन जाते हैं। उदाहरण के लिए, विनियमनों में किसी आईएम से संकटग्रस्त फर्म के संबंध में दिवाला प्रारंभ करने की तारीख (आईसीडी) को ऐसे विवरण सहित, जैसाकि उनके मूल्य का आकलन करने के लिए आमतौर पर आवश्यक होता है, परिसंपत्तियों और देनदारियों का विवरण प्रदान करना आवश्यक होता है। 'विवरण' में अधिग्रहण की तारीख, अधिग्रहण की लागत, शेष उपयोगी जीवन, पहचान संख्या, प्रभारित मूल्य ह्रास, बही–मूल्य और कोई भी अन्य प्रासंगिक विवरण जैसे विवरण शामिल हैं। बाजार, विभिन्न प्रकार की परिसंपत्तियों के संबंध में प्रासंगिक विवरणों का पता लगाएगा, जो किसी परिसंपत्ति के विवरण के लिए सर्वोत्तम व्यवहार का काम करेगा।

ग. शेष तत्व

तीसरा सेट संहिता के शेष तत्वों का कार्यान्वयन है।

(क) ***व्यष्टिक दिवालाः*** कारपोरेट दिवाला में कई मील के पत्थर पार कर लेने के बाद, अब अगली बड़ी बात यथा व्यष्टिक दिवाला पर फोकस करने का समय है। संहिता व्यष्टिकों को तीन वर्गों नामतः कारपोरेट ऋणी (सीडी) के व्यष्टिक गारंटीकर्ता (पीजी), साझेदारी फर्म और प्रोपराइटरशिप फर्म और अन्य व्यष्टिक में वर्गीकृत किया गया है ताकि इन उपबंधों के व्यापक प्रभाव को देखते हुए दिवाला को चरणबद्ध तरीके से कार्यान्वित किया जा सके। व्यष्टिक दिवाला को संचालित करने के लिए काम शुरू हो गया है। पीजी के सीआईआरपी को दिवाला समाधान के साथ व्यष्टिक दिवाला शुरू हो सकता है जिससे किसी सीडी और उसके कारपोरेट गारंटीकर्ता (सीजी) का दिवाला समाधान होता है। पूर्व चरणों के कार्यान्वयन से सीखने के बाद के चरणों में अधिक सुचारू कार्रवाई में मदद मिलेगी।

(ख) ***नई शुरूआत की प्रक्रियाः*** संहिता के भाग III में ऐसी नई शुरुआत प्रक्रिया दी गई है जिससे वे देनदार ऋणमुक्ति की मांग कर सकते हैं जिनकी वार्षिक आय ≤ रू. 60,000, परिसंपत्तियां ≤ रू. 20,000, ऋण ≤ रू. 35,000 है और जिनके पास घर नहीं है। इन उपबंधों के कार्यान्वयन से ऐसे देनदारों को कठिनाई हो सकती है जो इष्टमीकरण और आईपी का उपयोग करते हैं। उन्हें राहत की मांग करने के लिए निम्न–लागत, सरलीकृत और सहज–प्राप्त, अधिमानतः प्रौद्योगिकी–आधारित प्रक्रिया पर विचार करने की सलाह दी जा सकती है। प्रौद्योगिकी सक्षम मंच के साथ–समर्पित न्यायनिर्णयन तंत्र और दिवाला परामर्शदाता ऐसे देनदारों को बेहतर सेवा दे सकते हैं।

(ग) ***वित्तीय सेवा प्रदाता (एफएसपी):*** संहिता में केंद्र सरकार को दिवाला और परिसमापन कार्यवाही के उद्देश्य से वित्तीय क्षेत्र के नियामकों, एफएसपी या एफएसपी की श्रेणियों के परामर्श से अधिसूचित करने हेतु सक्षम बनाया गया है। चूंकि देश के पास अभी भी एफएसपी के समाधान के लिए विशेष ढांचा नहीं है, एफएसपी के दिवाले का निपटारा करने के लिए अंतरिम व्यवस्था के रूप में संहिता के अधीन संशोधित दिवाला प्रक्रिया निर्धारित करने के लिए संहिता के उपबंधों का इस्तेमाल किया जा सकता है, जिसमें पर्याप्त प्रणालीगत जोखिम नहीं होता।

(घ) ***सीमा पार दिवाला:*** संहिता से सरकार संहिता के उपबंधों को लागू करने के लिए विदेशों के साथ द्विपक्षीय समझौते कर सकती है। ऐसी द्विपक्षीय सोच की स्पष्ट सीमाएँ हैं। आईएलसी ने इस तथ्य पर विचार करते हुए कि कुछ कारपोरेट एकाधिक न्यायक्षेत्रों में व्यवसाय करते हैं और उनकी परिसंपत्तियां कई न्यायक्षेत्रों में होती हैं, सीमा–पार दिवाला पर विश्वस्तर पर स्वीकृत और भलीभांति मान्यता प्राप्त सीमा–पार दिवाला लागू ढांचा, संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय व्यापार विधि आयोग (यूएनसीआईटीआरएएल) मॉडल विधि का परिचय कराने के लिए एक अध्याय जोड़ने का प्रस्ताव किया है। इसने यह सुनिश्चित करने के लिए कुछ हटाने की सिफारिश की है कि देशीय दिवाला ढांचे और प्रस्तावित सीमा पार दिवाला ढांचे के बीच कोई असंगतता नहीं है।

(ङ) ***समूह दिवाला:*** कंपनियों के बीच सामंजस्य का लाभ लेने के लिए व्यवसाय को कंपनियों के समूह में आयोजित करने को अधिकाधिक तरजीह दी जा रही है। यह कुछ परिस्थितियों में मूल्य को अधिकतम करने के लिए समूह कंपनियों के बीच सामंजस्य को बनाए रखने के लिए कंपनियों के समूह के दिवाला को एकजुटता से निपटाना करने में उपयोगी हो सकता है। वैकल्पिक ढांचे के लिए प्रावधान का परामर्श दिया जा सकता है ताकि समूह कंपनियों की दिवाला कार्यवाही का कुछ हद तक सिंक्रोनाइजेशन हो जहां यह मूल्य को अधिकतम रखने के उद्देश्य को बढ़ावा देता है। प्रक्रियात्मक समन्वय के साथ इसकी शुरूआत हो सकती है, जबकि सीमा पार समूह दिवाला और ठोस समेकन पर बाद के चरण में विचार किया जा सकता है, जो ढाचें के पूर्व चरणों को लागू करने के अनुभव पर निर्भर और प्रासंगिक समय पर महसूस की गई जरूरत पर निर्भर होता है।

वर्ष 2018–19 में देश में दिवाला क्षेत्र में काफी मजबूती आई है। कानून परिपक्व हो गया है और परिणाम दिखाई देने लगा है। प्रत्येक–हितधारक और प्राधिकरण उद्देश्य के पूर्ण एकीकरण से समान स्थिति पर हैं। हम ऐसी राह पर है जो सृजनशील है और कम से कम कुछ वर्षों तक सृजनशील ही रहेगी। आगामी वर्षों में, प्रक्रियाओं और परिणामों के संदर्भ में निश्चितता के साथ प्रक्रियाओं को और अधिक सुव्यवस्थित किया जाएगा।

मैं कारपोरेट कार्य मंत्रालय (एमसीए) को दिवाला सुधारों को प्रेरित करने और हर कदम पर एवं हर चुनौतीपूर्ण स्थिति में बोर्ड को निर्देशित करने के लिए धन्यवाद देता हूं। मैं आईबीसी के सफल कार्यान्वयन के लिए अपनी विशेषज्ञता और अटल समर्थन देने के लिए आईबीबीआई के शासी बोर्ड (जीबी) के सदस्य सहयोगियों का भी धन्यवाद करता हूं।

(डॉ. एम.एस. साहू)

ख समीक्षाधीन वर्ष

वृहत आर्थिक पृष्ठभूमि

सरकार का 1990 के दशक से प्रयास रहा है कि व्यवसाय हेतु अनुकूल वातावरण हो जिससे फर्मों के लिए व्यवसाय करना आसान हो। भारत, 'कौन, क्या और कैसे करे' सूची का विस्तार करने और पूंजीगत मुद्दे (नियंत्रण) अधिनियम, 1947 और आयात और निर्यात (नियंत्रण) अधिनियम, 1947 जैसे अधिनियमों को निरस्त करने के लिए, जिससे कथित सूची प्रतिबंधित हुई, आर्थिक विद्धियों की नई शैली अधिनियमित कर रहा है। 1990 के दशक में व्यवसाय शुरू करने की स्वतंत्रता पर फोकस किया गया। जिससे लाइसेंस–परमिट–कोटा राज को विघटित कर दिया, जब विवेकाधीन लाइसेंस ने रजिस्ट्रीकरण की पात्रता प्रदान की। इससे अपेक्षाओं को पूरा करने वाली फर्मों को प्रवेश की स्वतंत्रता की सुविधा के लिए, राज्य से किसी विशेष अनुमोदन की आवश्यकता बगैर संसाधन जुटाने की अनुमति दी। 2000 के दशक में सुधारों में व्यवसाय जारी रखने पर फोकस किया गया– जिससे एक स्वतंत्र और निष्पक्ष बाजार का निर्माण हुआ। यह फर्मों के एकाधिकार के नियंत्रण से हटकर बाजार में फर्मों के बीच प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देने पर हो गया। इसने प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देने और व्यवसायों का विस्तार करने के लिए एकाधिकार और प्रतिबंधित व्यापार व्यवहार अधिनियम, 1969 को निरस्त कर दिया। सुधारों से समान परिवेश एवं प्रतिस्पर्धी तटस्थता मिली और फर्मों को व्यापार करने के लिए अन्य फर्मों की स्वतंत्रता को रोकने पर प्रतिबंध लगा।

आयोजित आर्थिक कार्यकलाप

सुधारों ने आर्थिक स्वतंत्रता के नियंत्रण का विस्तार किया और फर्मों/कंपनियों के रूप में आर्थिक गतिविधियों के अधिकाधिक आयोजन को प्रेरित किया। इन फर्मों ने बाजारों के विश्वास का लाभ लिया, जिन्होंने इक्विटी, ऋण और लोन के जरिए बाह्य निधियन आकर्षित हुआ। संगठित आर्थिक गतिविधियों की वित्तपोषण आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए बाजारों ने वित्तीय बाजारों में सुधारों का विस्तार किया। व्यवसाय शुरू करने की स्वतंत्रता, आकार पर प्रतिबंधों को समाप्त करना, फर्मों की संसाधन जुटाने की क्षमता, और धन की उपलब्धता, फर्मों की संख्या के साथ–साथ उनके संचालन के पैमाने में एक साथ तीव्र गति से वृद्धि हो रही है। वे अर्थव्यवस्था के पहियों को निरंतर गति में रखने, इसे निवेश, उत्पादन से ईंधन प्रदान करने और रोजगार पैदा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। प्रोफेसर कॉलिन मेयर किसी अर्थव्यवस्था में व्यवसाय/कंपनियों के महत्व का वर्णन इन शब्दों में करते हैं: *'आधुनिक अर्थव्यवस्था में कारपोरेट सर्वाधिक महत्वपूर्ण संगठनों में से एक है– जिसमें घर, भोजन, कपड़े और रोजगार मिलता है'।*[1] 31 अक्टूबर, 2019 तक, कंपनी अधिनियम, 2013 के अधीन देश में 11,56,114 सक्रिय कंपनियां पंजीकृत थीं। उनमें से 94.35 प्रतिशत (10,90,762) निजी क्षेत्र में थीं, जिनकी अधिकृत पूंजी 25.47 लाख करोड़ रुपये थी।[2] उद्योगों के वार्षिक सर्वेक्षण के डाटा से संकेत मिलता है कि संगठित विनिर्माण क्षेत्र में औसत अचल पूंजी 1990–91 में 1.2 करोड़ रु. से बढ़कर 2017–18 में 14 करोड़ रु. हो गई। इसी अवधि के दौरान, आउटपुट का औसत मूल्य 2.5 करोड़ से बढ़कर 34 करोड़ रु. हो गया जो फर्मों के आकार और परिचालनों में वृद्धि को दर्शाता है।

उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण को बढ़ावा देने वाले उपायों से प्रतिस्पर्धा और नवाचार की तीव्रता और अधिक प्रेरित हुई। इस दशक के मध्य में, सरकार ने सुधारों को तेज कर दिया, जिसमें निर्गमन की स्वतंत्रता प्रदान करने के लिए दिवाला सुधार, प्रतिस्पर्धा और नवाचार के दुष्प्रभावों को दूर करने के लिए अंततः आर्थिक स्वतंत्रता शामिल थी। दिवाला सुधारों में प्रतिस्पर्धी उपयोगों के लिए उद्यमी (उद्यमियों) सहित (क) किसी असफल, लेकिन जीवनक्षम फर्म को बचाने; और (ख) गैर–जीवनक्षम फर्म का परिसमापन करने और अपने संसाधनों को जारी रखने के लिए बाजार तंत्र का प्रावधान किया गया है। सुधारों के परिणाम आश्चर्यजनक रहे हैं। 1992 से सुधार उपरांत अवधि में औसत विकास दर सुधार–पूर्व अवधि की तुलना में दोगुनी से अधिक रही है। 2010 से शुरू दशक में व्यापक आर्थिक स्थिरता के साथ–साथ सकल देशीय उत्पाद (जीडीपी) में निरंतर वृद्धि देखी गई। जीडीपी 2017–18 में 7.2 फीसदी से मामूली रूप से घटकर 2018–19 में 6.8 फीसदी पर पहुंच गई, जो कृषि और सहबद्ध गतिविधियों में कम वृद्धि, खाद्य कीमतों में कमी, सरकारी अंतिम उपभोग की वृद्धि में गिरावट और रुपए के मूल्यह्रास की वजह से है।[3] हालांकि, अर्थव्यवस्था 2018–19 में मध्यम मुद्रास्फीति, सकल देशीय उत्पाद के 2.1 प्रतिशत के प्रबंधनीय चालू खाते के घाटे और अर्थव्यवस्था के विनिर्माण क्षेत्र में वृद्धि के कारण लगातार चुस्त रही। दुनिया के उत्पादन की वृद्धि दर 2017 में 3.8 प्रतिशत से घटकर 2018 में 3.6 प्रतिशत होने, जिसके 2019 में 3.3 प्रतिशत की और गिरावट होना अनुमानित है[4], की पृष्ठभूमि में, 2018–19 में भारत की विकास दर निश्चित रूप से असामान्य थी।

आर्थिक विकास के प्रेरक, विशेष रूप से निवेश और औद्योगिक उत्पादन ने भारत के आर्थिक प्रदर्शन को सुदृढ़ता प्रदान की है। आर्थिक विकास का प्रमुख चालक होने के नाते, जो सकल देशीय उत्पाद का लगभग 32 प्रतिशत है, और उसके भीतर अचल निवेश (सकल अचल पूंजी निर्माण) 2018–19 में सकल देशीय उत्पाद का लगभग 29 प्रतिशत है, 2011–12 के बाद से लगातार मंदी के बाद, निवेश में 2017–18 से सुधार होने लगा। अचल निवेश में वृद्धि 2016–17 में 8.3 फीसदी से बढ़कर 2017–18 में 9.3 फीसदी और 2018–19 में 10.0 फीसदी हो गई। इसके अलावा, औद्योगिक विकास 2018–19 के दौरान बढ़कर 6.9 प्रतिशत हो गया, जबकि 2017–18 में यह 5.9 प्रतिशत था। भारतीय अर्थव्यवस्था लचीली बनी हुई है और 2018–19 में प्रमुख वैश्विक अर्थव्यवस्था और दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ती ट्रिलियन–डॉलर अर्थव्यवस्था के रूप में उभरी है। इसके अतिरिक्त, अनुमान है कि 2019–20 में सकल देशीय उत्पाद वृद्धि दर में सुधार होगा जो खपत और निजी निवेश से प्रेरित होगी।

[1] कॉलन मेयर (2013)) 'फर्म कमिटमेंट' ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस

[2] वार्षिक रिपोर्ट 2019–20, कारपोरेट कार्य मंत्रालय, भारत सरकार

[3] आर्थिक सर्वे, 2018–19

[4] आइ.एम.एफ. डाटाबेस का वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक, अप्रैल 2019

वित्तीय बाजार

1990 के आर्थिक सुधारों के बाद से, भारत में वित्तीय बाजारों का पर्याप्त विकास हुआ है, जिससे व्यवसायों के लिए पूंजी जुटाने और अर्थव्यवस्था के सतत विकास के लिए वित्तीय संसाधन प्रदान करने के विकल्पों का विस्तार हुआ है। आज, भारत की पूंजी बाजार दक्षता (मूल्य खोज), विपणनीयता (कम प्रभावी लागत), लचीलापन (उत्पाद वर्गों और उपज वक्रों में दरों की सह–गति) और स्थिरता के संदर्भ में कई उन्नत अर्थव्यवस्थाओं के समकक्ष है। इक्विटी बाजार सबसे बड़ा खंड बना हुआ है (मार्च, 2019 के अंत में 2,202 बिलियन अमरीकी डॉलर का शेष स्टॉक), चाहे सरकारी क्षेत्र, राज्य विकास ऋण और कारपोरेट बॉन्ड बाजारों में लगातार वृद्धि हुई है।[5] कारपोरेट बॉन्ड मार्केट का आकार 2014–15 के बाद 13.5 प्रतिशत की वार्षिक वृद्धि दर के साथ, मार्च, 2019 में 447 बिलियन अमरीकी डॉलर के बकाया स्टॉक तक बढ़ गया है। इस अवधि के दौरान कारपोरेट बॉन्ड में द्वितीयक बाजार व्यापार का परिमाण बढ़कर 2018–19 में 267 बिलियन डॉलर हो गया है। परंपरागत रूप से बैंक दुनिया भर में व्यवसायों के लिए ऋण का प्रमुख स्रोत रहे हैं। भारत में बैंक सामाजिक–आर्थिक प्रगति के लिए महत्वपूर्ण रहे हैं, और वरियता प्राप्त क्षेत्र ऋण जैसी नीतियों के माध्यम से, इनका आर्थिक उद्देश्यों को पूरा करने से कहीं अधिक के लिए उपयोग किया गया है। मार्चांत, 2019 को भारत में बैंकों के पास कुल 1,28,87,262 करोड़ रुपये की परिसंपत्ति और सकल ऋण 95,19,554 करोड़ रुपये था। सकल ऋण का 60 प्रतिशत (57,82,457 करोड़ रू.) उद्योग और सेवा गतिविधियों में कारोबार में चला गया है।[6] भले ही विकल्प के रूप में कारपोरेट बॉन्ड बाजार विकसित हो रहे हैं तब भी बैंक व्यवसाय ऋण का सबसे प्रमुख स्रोत बने हुए हैं।

सारणी 1: विभिन्न देशों में वित्तीय बाजारों का विकास

(जीडीपी के प्रतिशत के रूप में 2018 के लिए डाटा)

देश	सूचीबद्ध कंपनियों का बाजार पूंजीकरण	कारपोरेट ऋण बाजार विस्तार	बैंकों द्वारा निजी क्षेत्र को देशीय ऋण
ब्राजील	49.06	99.05	61.78
चीन	46.48	18.86	161.13
भारत	76.63	17.16	50.05
दक्षिण कोरिया	87.30	74.30	150.34
मलेशिया	111.00	44.5	120.36
संयुक्त राज्य अमरीका	148.15	123.47	52.06

स्रोतः विश्व बैंक डाटाबेस और भारतीय रिजर्व बैंक।

अंतरराष्ट्रीय स्तर पर वित्तीय बाजारों की तुलना में, इसमें वृद्धि (सारणी 1) और बाजार के सभी क्षेत्रों में संतुलित वृद्धि की गुंजाइश है। बाजार पूंजीकरण/ इक्विटी बाजार, सकल देशीय उत्पाद के संबंध में आकार के संदर्भ में, भारत अन्य अधिकारक्षेत्रों के साथ तुलनीय है। सारणी में सूचीबद्ध, प्रत्येक क्षेत्राधिकार में, भारत को छोड़कर, ऋण वित्त (कारपोरेट ऋण और देशीय ऋण) इक्विटी वित्त से कहीं अधिक है, जिससे कारपोरेट लाभ से लाभान्वित होते हैं। चूंकि अमेरिका जैसे उन्नत अधिकारक्षेत्र आमतौर पर ऋण और इक्विटी बाजार विकसित करते हैं, इसलिए बैंकों से ऋण पर उनकी निर्भरता कम है। जहां ऋण बाजार का विकास नहीं हुआ है, जैसा कि भारत में है, बैंकों से ऋण पर निर्भरता अधिक है। बहुत सी समस्याएं हैं यदि बहुत अधिक कारपोरेट वित्त, बैंक ऋण से आता है, सबसे महत्वपूर्ण यह है कि चूंकि बैंक बचतकर्ताओं और निवेशकों के बीच मध्यवर्ती होते हैं, वे आम तौर पर प्रतिभूतित ऋण प्रदान करते हैं, जो अर्थव्यवस्था में ऋण आपूर्ति को सीमित करता है।

कंपनी वित्त

दशकों के आर्थिक सिद्धांत सृजन और अनुभवजन्य शोध के बाद, किसी उद्यम के लिए सबसे इष्टतम पूंजी संरचना पर बहस अभी भी खुली है। उद्यम, पूंजी जुटाने के लिए इक्विटी और ऋण, दोनों के विवेकपूर्ण मिश्रण का उपयोग करते हैं और किसी व्यवसाय की पूंजीगत संरचना इसके लिए विशेष होती है। समय के साथ–साथ स्रोत की अपेक्षा दूसरे स्रोत को तरजीह और कई अन्य कारकों की प्रतिक्रिया में परिवर्तन आता है लेकिन स्पष्ट तथ्य बना रहता है कि अर्थव्यवस्था की समृद्धि के लिए इक्विटी और ऋण, दोनों ही आवश्यक हैं और दोनों में से किसी की भूमिका को कम नहीं आंका जा सकता है। सारणी 1 में देशों में विभिन्न प्रकार के वित्तपोषण के उपयोग को इंगित किया गया है। अमेरिका, मलेशिया, और भारत सहित कई देशों में वित्त जुटाने के पसंदीदा विकल्पों में से एक इक्विटी बाजार है जैसाकि सूचीबद्ध बाजारों के बाजार पूंजीकरण से जीडीपी अनुपात से स्पष्ट है। चीन और कोरिया में बैंक ऋण पसंदीदा रास्ता है। ब्राजील में बाह्य वित्त के स्रोत के रूप में कारपोरेट बांड प्रमुख है और काफी हद तक अमेरिका में भी ऐसा है।

यह मार्ग चीन, भारत, और मलेशिया के अन्य विकल्पों की तुलना में कमजोर है। भारत में कारपोरेटों, ऋण के लिए इक्विटी पसंद करते हैं। ऐसा संभवतः इसलिए है, क्योंकि इक्विटी अनुबंध में निवेशकों को आय का वायदा नहीं किया जाता। दूसरी ओर, ऋण अनुबंध के अधीन ऋणी उचित रिटर्न के साथ उधार ली गई राशि को चुकाता है। इस प्रकार, ऐसे अनुबंधों में देनदार की ओर से पुनर्भुगतान में व्यतिक्रम की संभावना होती है। जब कारपोरेट वित्तपोषण के लिए ऋण लेने के विकल्प का उपयोग करते हैं, तो वे कारपोरेट बॉन्ड के बजाय बैंक ऋण पर अधिक भरोसा करते हैं। इसका कारण भारत में कारपोरेट बॉन्ड बाजारों की सीमित पहुंच और प्रतिस्पर्धी दरों पर बैंकों से ऋण की उपलब्धता हो सकता है।

2006 में विकासशील भारत का कारपोरेट बॉन्ड मार्केट्स पर विश्व बैंक के अध्ययन में भारत में कारपोरेट बॉन्ड मार्केट्स के विकास की कमी के संदर्भ में निम्नलिखित का उल्लेख कियाः *"कारपोरेट बॉन्ड बाजार की एक प्रमुख विधिक कमजोरी व्यतिक्रम किए जाने पर बाण्डधारकों द्वारा प्राप्त पेऑफ है। औद्योगिक देशों में, सुसंचालित संस्थानों के साथ–साथ एक व्यापक शोधन अक्षमता संहिता होती है। जब कोई कंपनी समय पर नकदी प्रवाह का भुगतान नहीं कर पाती, तो कंपनी का प्रबंधन दल विस्थापित कर दिया जाता है, कंपनी को बेच दिया जाता है, और शेष मूल्य बांड्धारकों को दे दिया जाता है। ऐसी प्रक्रिया भारत में नहीं है। व्यतिक्रम की स्थिति में बाण्डधारकों को लगभग शून्य प्राप्त होने के अनुसार अपनी योजना बनानी होती है।"* लेनदारों के अधिकारों का सुदृढ़ीकरण करके, दिवाला कानून एक संतुलित वित्तीय बाजार को बढ़ावा देने का आश्वासन देता है।

बैंक ऋण

बैंक ऋण में वृद्धि होने से, निरपेक्ष और सापेक्ष, दोनों अर्थों में एनपीए में भी वृद्धि हुई है, जो भारतीय बैंकिंग प्रणाली के लिए चिंता का कारण रहा है। मार्च, 2019 में अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (एससीबी) का सकल एनपीए 9.2 प्रतिशत (9.36 लाख करोड़ रु.) रहा, जो बढ़ते एनपीए के खतरे का समाधान करने के लिए सरकार द्वारा किए गए व्यापक उपायों के मद्देनजर जैसेकि रिकॉग्निशन, रिजॉल्यूशन, रिकैपीटलाईजेशन और रिफॉर्म (मान्यता, समाधान, पुनर्पूंजीकरण और

---

[5] वायरल वी. आचाय (2019)) डवलपमेंट ऑफ वा;बल कैपिटल मार्केट्स– दी इंडियन ,क्सपीरिपंस) आरबीआई स्पीचेस) 29 जून।

[6] भारत में बैंकिंग की प्रवृति और प्रगति पर आरबीआई की रिपोर्ट, 2018–19

सुधार) की 4आर की कार्यनीति के मद्देनजर मार्च, 2018 में 11.2 प्रतिशत (10.39 लाख करोड़ रु.) से कमतर था। इसी अवधि के दौरान, पीएसबी में 14.6 प्रतिशत से 11.6 प्रतिशत होने की गिरावट कहीं अधिक स्पष्ट थी। एससीबी द्वारा सकल बैंक ऋण की वृद्धि दर 2017–18 में 8.18 प्रतिशत से बढ़कर 2018–19 में 12.22 प्रतिशत हो गई। एससीबी द्वारा गैर–खाद्य ऋण, मार्चांत, 2018 में 83.61 लाख करोड़ रु. की तुलना में मार्च, 2019 को 94.71 लाख करोड़ रू. था। गैर–खाद्य ऋण के भीतर ही, औद्योगिक क्षेत्र में ऋण की वृद्धि दर 2017–18 में 6.2 प्रतिशत की तुलना में 2018–19 में 5.6 प्रतिशत थी, और सेवा क्षेत्र में यह 2017–18 में 10.6 प्रतिशत के मुकाबले 2018–19 में 4 प्रतिशत थी।[7] आकृति 1 में सकल देशीय उत्पाद और ऋण एवं सकल एनपीए की वृद्धि दर को 2014–15 से सकल वृद्धि के प्रतिशत के रूप में दर्शाया गया है। हाल के वर्षों में, आईबीसी, एनपीए के समाधान में मदद कर रहा है और इसे कम करने में योगदान कर रहा है। भारत में बैंकिंग की प्रवृत्तियों और प्रगति के संबंध में भारतीय रिजर्व बैंक की रिपोर्ट में यह स्वीकार किया गया है कि जबकि एससीबी द्वारा बट्टे खाते में डाले गए ऋणों का एक हिस्सा ऋण के अधिक पुराना होने के कारण था, एनपीए के वसूली के प्रयासों को आईबीसी से प्रोत्साहन मिला। अब जब बैंकों के पास आईबीसी का उपयोग करने का विकल्प है, तो उन्हें प्रतिभूति–आधारित ऋण देने से फोकस हटाने की संभावना है, जिससे ऋण की उपलब्धता और अधिक बढ़ेगी।

ईज ऑफ डूइंग बिजनेस

व्यवसाय से लोगों को वस्तुओं और सेवाओं के साथ–साथ आजीविका प्राप्त होती है और परिणामस्वरूप ये आर्थिक कल्याण में योगदान करते हैं। बेहतर व्यावसायिक विनियमों से आमतौर पर अधिक व्यवसाय होता है, जो सामान्यतः अधिक आर्थिक कल्याण में अंतरित होता है। इसलिए, प्रत्येक अर्थव्यवस्था का प्रयास, अपनी फर्मों के लिए व्यापार करना आसान बनाने के लिए बेहतर व्यावसायिक विनियमन हासिल करना होता है। विश्व बैंक स्वयं से संबंधित 'ईज ऑफ डूइंग बिजनेस' के संदर्भ में लगभग 200 अर्थव्यवस्थाओं का मापन करता है और उन्हें रैंक प्रदान करता है, जो विकास को बढ़ावा देने के लिए विनियमों की अनुकूलता को संदर्भित करता है। इसका मूल्यांकन दस संकेतकों के आधार पर किया जाता है, जिसमें 'दिवाला समाधान' भी शामिल है। लगभग दो वर्ष पूर्व, सरकार ने व्यवसाय करने के मामले में शीर्ष 50 अर्थव्यवस्थाओं में से एक होने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य रखा और इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए, दिवाला ढाँचे की मरम्मत सहित गहन संस्थागत सुधारों की शुरुआत की।

विश्व बैंक की डूइंग बिजनेस रिपोर्ट (डीबीआर) द्वारा भारत के एक ऐसी नई संहिता अपनाकर दिवाला का समाधान करने के प्रयासों की अच्छी–खासी प्रशंसा मिली है जिससे सीडी के लिए पुनर्गठन प्रक्रिया शुरू हुई और दिवाला कार्यवाही के दौरान देनदारों का कारोबार जारी रखने को आसान बनाया है। अक्टूबर, 2019 में जारी नवीनतम डीबीआर 2020 में, जिसमें अप्रैल, 2019 तक दिवाला विधि प्रणाली में प्रगति को ध्यान में रखा गया है, भारत ने लंबी छलांग लगाई है और दिवाला समाधान मापदण्ड में अपनी रैंकिंग में सुधार कर 52 वां स्थान हासिल किया है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के 'दिवाला समाधान' मापदण्ड में भारत के प्रयासों की विशेष रूप से सराहना करते हुए निम्न टिप्पणी की थी: *"भारत के मामले से पुनर्गठन प्रक्रियाओं के सफल कार्यान्वियन का एक उदाहरण मिलता है। भारत ने 2016 में एक दिवाला शासन की स्थापना की......उपलब्ध प्रक्रिया के पुनर्गठन से कंपनियों के पास वित्तीय जीवनक्षमता को बहाल करने के प्रभावी उपकरण हैं, और लेनदारों के पास सफलतापूर्वक मोलभाव करने के बेहतर उपकरणों तक पहुंच है और उनके पास दिवाला कार्यवाही के अंत में उधार दिए गए धन को वापस करने के अधिक अवसर होते है।''*

सारणी 2: डीबीआर में दिवाला अंकों का समाधान करना

रिपोर्ट का वर्ष →	2017	2018	2019	2020
↓ दिवाला समाधान के लिए समग्र रैंक	136	103	108	52
दिवाला समाधान के लिए अंक (0–100) (2018 रिपोर्ट तक इसे फ्रंटियर अंक से दूरी कहा जाता है)[8]	32.75	40.75	40.84	62
समय (वर्ष)	4.3	4.3	4.3	1.6
लागत (संपदा का प्रतिषत)	9.0	9.0	9.0	9.0
वसूली दर(सेंट प्रति डालर)	26.0	26.4	26.5	71.6
दिवाला ढांचा सूचकांक की स्थिति (0–16)	6.0	8.5	8.5	7.5
परिमाण (पीसमील बिक्री के तौर पर 0 और निवर्तमान सरोकार के तौर पर 1)	0	0	0	1

स्रोतः 2017 से 2020 के लिए विश्व बैंक की डूइंग बिजनेस रिपोर्टें

आकृति 1: सकल घरेलू उत्पाद, ऋण और एनपीए वृद्धि

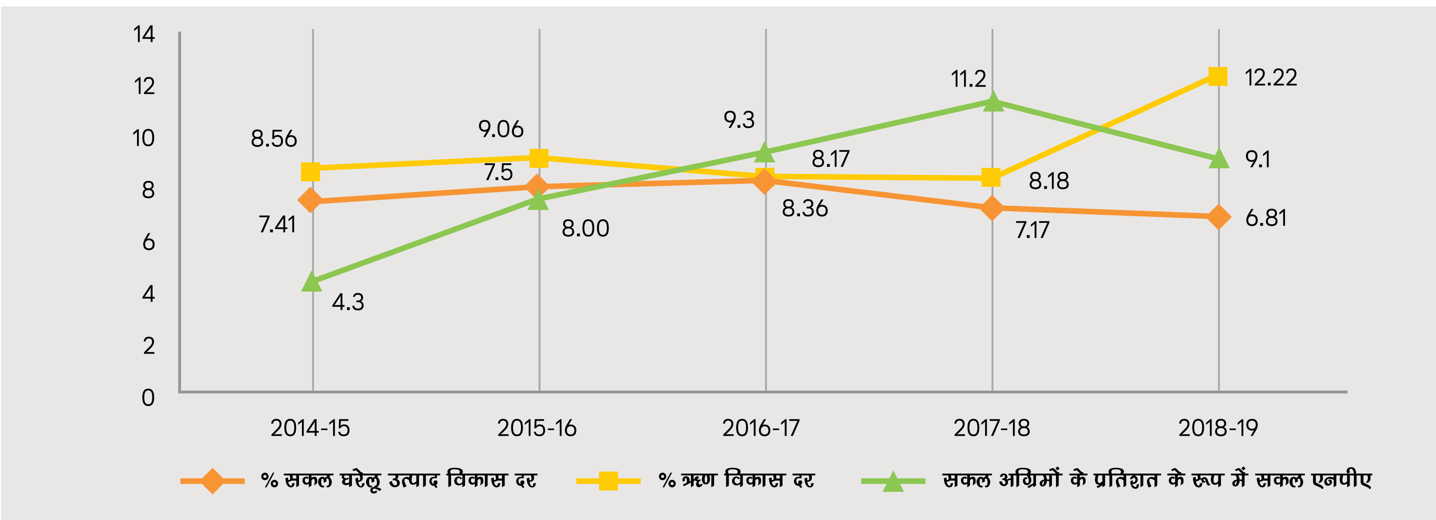

[7] भारत में बैंकिंग की प्रवृति और प्रगति पर आरबीआई की रिपोर्ट, 2018–19

[8] 2019 की रिपोर्ट में, डूइंग बिजनेस डिस्टेंस टू फ्रंटियर स्कोर का नाम बदलकर ''ईज ऑफ डूइंग बिजनेस स्कोर'' कर दिया गया है ताकि माप– वह स्कोर, जो सर्वश्रेश्ठ विनियामक प्रेक्टिस की अपेक्षा अर्थव्यवस्था की स्थिति को दर्षाता है– को बेहतर तरीके से दिखाया जा सके। फिर भी, स्कोर की गणना करने की प्रक्रिया समान रहती है। यह स्कोर अर्थव्यवस्था के मौजूदा प्रदर्शन और पिछले वर्षों में उपयोग किए गए 10 डूइंग बिजनेस संकेतकों के लिए 41 समान संकेतकों के पूरे नमूने में एक डूइंग बिजनेस 2015 में निर्धारित सर्वश्रेष्ठ विनियामक प्रेक्टिस के बीच अंतर को दिखाता है। उच्च स्कोर व्यापार करने में पूर्ण बेहतर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस दिखाता हैं (सर्वश्रेष्ठ स्कोर 100 निर्धारित है), जबकि कम स्कोर, खराब ईज ऑफ डूइंग बिजनेस दर्षाता है (सबसे खराब प्रदर्शन 0 निर्धारित है)।

डीबीआर में नोट किया गया कि नए कानून से वाणिज्यिक संस्थाओं के लिए परिसमापन या ऋण प्रवर्तन के अन्य तंत्रों के विकल्प के रूप में दिवाला समाधान का विकल्प मिला है जिससे दिवाला कंपनियों अपनी वित्तीय खुशहाली को बहाल कर सकने अथवा बंद करने के तरीके में बदलाव ला सकती है। संहिता में लेनदारों के लिए सफलतापूर्वक मोलभाव करने के लिए प्रभावी उपकरण की व्यवस्था की है और लेनदारों के लिए उनके देय को भुनाने के अधिक अवसर दिए हैं। रिपोर्ट में नोट किया गया है कि इसके फलस्वरूप, लेनदारों के लिए समग्र वसूली दर डॉलर पर 26.5 से उछलकर 71.6 सेंट हो गई है और दिवाला समाधान के लिए लगने वाले समय में भी काफी कमी आई है जो 4.3 वर्ष से घटकर 1.6 वर्ष हो गया है। भारत अब तक, दिवाला समाधान घटक के संबंध में दक्षिण एशिया में सबसे अच्छा प्रदर्शन कर रहा है और वसूली दर, लगने वाले समय और सीआईआरपी की लागत के संबंध में आर्थिक सहयोग और विकास संगठन (ओईसीडी) उच्च आय वाली अर्थव्यवस्थाओं के औसत से बेहतर प्रदर्शन करता है जैसा सारणी 3 में दर्शाया गया है।

सारणी 3: दिवाला समाधान में भारत का प्रदर्शन

मापदण्ड	भारत	दक्षिण एशिया	ओईसीडी उच्च आय
दिवाला समाधान रैंक	52	104	28
दिवाला समाधान स्कोर (0–100)	62	40.8	74.9
वसूली दर (सेंट प्रति डालर)	71.6	38.1	70.2
समय (वर्श)	1.6	2.2	1.7
लागत (संपदा प्रतिशत)	9	9.9	9.3
दिवाला ढांचा सूचकांक की शक्ति (0–16)	7.5	6.5	11.9

स्रोतः विश्व बैंक की डूइंग बिजनेस रिपोर्ट 2020

प्रमुख नीतिगत कार्यकलाप

यह संहिता 28 मई, 2016 को अधिनियमित की गई थी। अधिनियमन के छह माह के भीतर सेवा प्रदाताओं और कारपोरेट प्रक्रियाओं से संबंधित विनियमों को लागू किया गया था, राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण (एनसीएलटी) और आईबीबीआई की स्थापना की गई थी, आईपी का एक काडर उपलब्ध कराया गया था, और लेनदेन शुरू किया गया था। वर्ष 2017–18 में नियामक ढांचे में मजबूती, संहिता का परिष्कार किया गया और संहिता के कार्यान्वयन को सुगम बनाने के लिए प्राधिकरणों जैसे एमसीए, वित्त मंत्रालय (एमओएफ), भारतीय प्रतिभूति और विनियामक बोर्ड (सेबी), भारतीय रिजर्व बैंक, भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (सीसीआई) आदि द्वारा कई पूर्वसक्रिय उपाय किए गए। एए और न्यायालयों ने कई विवादास्पद मुद्दों को तेजी से सुलझाया और प्रक्रियाओं को सरल बनाया। दिवाला सेवाओं का व्यवसायीकरण किया गया। बाजार प्रतिभागियों नामतः सीडी, प्रचालन देनदार (ओसी), एफसी, आरए ने खडे अधिगम वक्र को बड़ी तेजी से पूरा किया। वर्ष के अंत तक, कई सीआईआरपी पूरे हुए। संहिता के परिणाम मिलने लगे। समीक्षाधीन वर्ष में संहिता के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए नियामक व्यवस्था और कई नीतिगत पहलों को मजबूत करने के लिए कई घटनाक्रम हुए। वर्ष 2018–19 के दौरान इनमें से कुछ महत्वपूर्ण घटनाक्रमों की रूपरेखा यहां दी गई है।

सरकार द्वारा सुविधा

वर्ष के दौरान सरकार द्वारा दी गई कुछ महत्वपूर्ण सुविधाएं यहां सूचीबद्ध हैं।

दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता (दूसरा संशोधन) अधिनियम, 2018

आईएलसी ने 26 मार्च, 2018 को कई सिफारिशों के साथ अपनी पहली रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। इनमें से कई सिफारिशों को 6 जून, 2018 को दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता (संशोधन) अध्यादेश, 2018 में स्थान दिया गया। 17 अगस्त, 2018 को लागू दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता (दूसरा संशोधन) अधिनियम, 2018 से उक्त अध्यादेश रद्द कर दिया गया। इसमें, अन्य बातों के साथ–साथ, निम्नलिखित के लिए प्रावधान किया गया है:

(क) इसमें घर खरीदारों को अचल संपत्ति परियोजनाओं में वित्तपोषण की विशेष प्रकृति और कुछ निवर्तमान मामलों में उच्चतम न्यायालय द्वारा घर खरीदारों पर विचार के कारण एफसी माना गया है। इससे वे व्यतिक्रमकर्ता प्रक्तों के खिलाफ संहिता की धारा 7 को लागू करने और सीओसी में प्रतिवेदन देने और दिवाला समाधान प्रक्रिया में प्रभावी रूप से भाग लेने में सक्षम बन गए।

(ख) रोजगार सृजन और आर्थिक विकास के संदर्भ में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) के महत्व को स्पष्ट तौर पर स्वीकार करते हुए, इसने एमएसएमई के सीआईआरपी में आरए के संबंध में धारा 29क के अधीन कुछ अपात्रताओं को शिथिल कर दिया। इसने केंद्र सरकार को यह भी अधिकार दिया कि वह एमएसएमई के संबंध में, यदि जनता के हित में अपेक्षित हो, संहिता के कतिपय उपबंधों अथवा इसके संशोधनों को लागू करने में और अधिक छूट दे सकती है।

(ग) इसने अनपेक्षित बहिष्करण से बचने के लिए धारा 29क को सुव्यवस्थित किया। इसमें किसी वित्तीय संगठन को एनपीए के कारण अयोग्य घोषित करने से छूट यदि यह सीडी से संबंधित पक्ष नहीं है। इसमें ऐसे वित्तीय संगठन को भी छूट दी यदि यह सीडी का एफसी है और आईसीडी से पूर्व इक्विटी शेयरों में परिवर्तनीय इक्विटी शेयरों या लिखतों में ऋण के अंतरण अथवा प्रतिस्थापन के कारण पूरी तरह से सीडी का संबंधित पक्ष है। इसने आरए के लिए तीन साल का कूलिंग–ऑफ प्रदान किया, जिसके पास ऐसे अधिग्रहण की तारीख से, संहिता के अधीन विगत में सीडी प्राप्त करने की वजह से एनपीए हो। यह विकलांगता अनुसूची (व्यवसाय से संबंधित कानून) में विनिर्धारित किसी भी अधिनियम के अधीन दो वर्ष या उससे अधिक के कारावास अथवा किसी कानून के अधीन सात वर्ष के कारावास के दंडनीय अपराध के लिए सजा दिए जाने तक सीमित थी। धारा 29क में निहित अपात्रता की विस्तृत श्रृंखला पर विचार करते हुए, इसके लिए किसी आरए को प्रक्रिया में भाग लेने के लिए अपनी पात्रता को प्रमाणित करने के लिए शपथ पत्र प्रस्तुत करना अपेक्षित होगा जिसमें इस पर पात्रता का प्रमुख दायित्व दिया गया हो।

(घ) इसने आवेदक द्वारा आवेदन किए जाने पर, 90 प्रतिशत मतदान हिस्से के अनुमोदन से, किसी आवेदन को जमा कराने के बाद वापस लेने की अनुमति दी गई है।

(ङ) परिसमापन के खिलाफ समाधान को प्रोत्साहित करने की दृष्टि से, इसने सभी प्रमुख निर्णयों के लिए जैसेकि समाधान योजना की मंजूरी, सीआईआरपी अवधि के विस्तार आदि के लिए मतदान की सीमा को 75 प्रतिशत से घटाकर 66 प्रतिशत कर दिया है। इसने सीआईआरपी के दौरान सीडी की सुविधा जारी रखने के लिए दैनिक निर्णयों के लिए मतदान सीमा भी कम करके 51 प्रतिशत कर दी है।

(च) इसमें प्रतिभूति धारकों, जमा धारकों और एफसी के सभी अन्य वर्गों की भागीदारी को अनुमत करने के लिए तंत्र का प्रावधान किया गया है जो अधिकृत प्रतिनिधि(यों) (एआर) के माध्यम से सीओसी की बैठकों में निश्चित संख्या से अधिक हो।

(छ) इसने सफल आरए को समाधान योजना की मंजूरी की तारीख से अथवा ऐसे कानून में दी गई ऐसी अवधि के भीतर, जो भी बाद में हो, किसी भी कानून के अधीन आवश्यक अनुमोदन प्राप्त करने की अनुमति दी गई है।

(ज) इसमें संहिता के अधीन स्थगन के दायरे से गारंटीदाताओं–निजी या कारपोरेट की आस्तियों को शामिल नहीं किया गया है।

(झ) इसके लिए किसी कारपोरेट से, सीडी के शेयरधारकों द्वारा पारित विशेष प्रस्ताव या सीडी के कुल भागीदारों, जैसा मामला हो, में से कम से कम तीन–चौथाई द्वारा पारित समाधान के अनुमोदन से ही सीआईआरपी शुरू करना अपेक्षित है।

(ञ) इसने अंतरिम समाधान वृत्तिक (आईआरपी)/समाधान वृत्तिक (आरपी) को सीआईआरपी के दौरान अपने मामलों का प्रबंधन करते हुए सीडी की ओर से वैधानिक अनुपालन के लिए स्पष्ट तौर पर उत्तरदायी बनाया है।

(ट) इसने सीमाकन अधिनियम, 1963 को संहिता के अधीन कार्यवाही या अपील के लिए लागू किया है।

(ठ) इसने संहिता के प्रयोजनों को और अधिक आगे ले जाने के लिए, कुछ व्यावसायिकों और अन्य संस्थानों के कामकाज और व्यवहार के विकास और विनियमन को बढ़ावा देने के लिए बोर्ड के कार्यों के दायरे का विस्तार बढ़ाया है।

दिवाला विधि समिति

केंद्र सरकार ने 16 नवंबर, 2017 के आदेश के माध्यम से संहिता की कार्यात्मकता और कार्यान्वयन का जायजा लेने ऐसे मुद्दों की पहचान करने के लिए, उन मुद्दों की पहचान करने के लिए जो संहिता के अधीन निर्धारित कारपोरेट दिवाला समाधान और परिसमापन ढांचे को प्रभावित कर सकते हैं, ऐसे मुद्दों को हल करने के लिए उपयुक्त सिफारिशें करने, और संहिता के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए निर्धारित प्रक्रियाओं की दक्षता को बढ़ाने के लिए सचिव, एमसीए की अध्यक्षता में आईएलसी का गठन किया था। समिति ने 26 मार्च, 2018 को अपनी पहली रिपोर्ट और 16 अक्टूबर, 2018 को दूसरी रिपोर्ट प्रस्तुत की।

सरकार ने 6 मार्च, 2019 को संहिता की कार्यात्मकता और कार्यान्वयन का विश्लेषण करने, कारपोरेट दिवाला समाधान और परिसमापन ढांचे की प्रभावशीलता और प्रभावशीलता को प्रभावित करने वाले मुद्दों की पहचान करने और उन्हें संबोधित करने के लिए उपयुक्त सिफारिश करने के लिए स्थायी समिति के रूप में आईएलसी का पुनर्गठन किया और सचिव, एमसीए इस समिति के अध्यक्ष थे। इसे व्यक्तियों और साझेदारी फर्मों के लिए दिवाला समाधान और दिवाला ढांचे का अध्ययन करने और कार्यान्वयन के लिए सिफारिशें करने का काम भी सौंपा गया था। पुनर्गठित आईएलसी की संरचना सारणी 4 में प्रस्तुत की गई है।

सारणी 4: 31 मार्च, 2019 को दिवाला विधि समिति की संरचना

क्र. सं.	नाम और पद	आईएलसी में स्थिति
1	सचिव, एमसीए	अध्यक्ष
2	अध्यक्ष, आईबीबीआई	सदस्य
3	अपर सचिव (बैंकिंग), वित्तीय सेवाएं विभाग	सदस्य
4	डॉ. टी. के. विश्वनाथन, पूर्व महासचिव, लोकसभा और अध्यक्ष, बीएलआरसी	सदस्य
5	श्री यू. के. सिन्हा, पूर्व सेबी अध्यक्ष	सदस्य
6	आरबीआई का कम से कम कार्यकारी निदेशक रैंक का नामिति	सदस्य
7	श्री सुनिल मेहता, एमडी और सीईओ, पंजाब नेशनल बैंक	सदस्य
8	श्री उदय कोटक, प्रेजिडेंट डेजिग्नेट, सीआईआई और एमडी एवं सीईओ, कोटक महिन्द्रा बैंक	सदस्य
9	श्री शार्दुल श्रॉफ, कार्यकारी अध्यक्ष, शारदुल अमरचंद मंगलदास एण्ड कंपनी	सदस्य
10	श्री बेहराम वकील, साझेदार, एजेडबी और साझेदार	सदस्य
11	प्रेजीडेंट, इंस्टिट्यूट ऑफ चार्टेड एकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया	सदस्य
12	प्रेजीडेंट, इंस्टिट्यूट ऑफ कास्ट्स एकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया	सदस्य
13	प्रेजीडेंट, इंस्टिट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया	सदस्य
14	संयुक्त सचिव (नीति/दिवाला), एमसीए	सदस्य सचिव

सीमा पार दिवाला

संहिता की धारा 234 और 235 केंद्र सरकार को संहिता के उपबंधों को लागू करने के लिए किसी भी देश की सरकार के साथ पारस्परिक समझौता करने में सक्षम बनाती हैं। केंद्र सरकार ने इस तथ्य पर विचार करते हुए कि क्योंकि कारपोरेट एक से अधिक क्षेत्राधिकार में लेनदेन करते हैं और कई क्षेत्राधिकारों में संपत्ति रखते हैं, विश्व स्तर पर स्वीकृत और भलीभांति मान्यता प्राप्त सीमा पार दिवाला ढांचा लागू करने के लिए संहिता में एक अध्याय जोड़ने का प्रस्ताव रखा। इसने 20 जून, 2018 को हितधारकों की टिप्पणियां मांगते हुए मसौदा अध्याय को सार्वजनिक डोमेन में रखा है। इसमें निम्नानुसार प्रस्तावित हैः

(क) पहुंचः इसमें विदेशी दिवाला अधिकारियों और विदेशी लेनदारों को देशीय अदालतों तक सीधी पहुंच की अनुमति दी गई है और उन्हें एक देनदार के खिलाफ देशीय दिवाला प्रक्रिया में भाग लेने और शुरू करने की क्षमता प्रदान की गई है।

(ख) मान्यताः यह ऐसी मान्यता के आधार पर देशीय न्यायालयों द्वारा विदेशी कार्यवाही और उपचार को मान्यता देती है। यदि देशीय न्यायालय यह निर्णय करते हैं कि देनदार का मुख्य हितों का केंद्र विदेश में है, तो वे ऐसे विदेश में दिवाला कार्यवाही को मुख्य कार्यवाही मानेंगे, यदि नहीं, तो उन्हें गैर–मुख्य कार्यवाही माना जाएगा।

(ग) सहयोगः यह देशीय और विदेशी अदालतों, और देशीय एवं विदेशी आईपी के बीच सहयोग के लिए आधारभूत बुनियादी ढांचा निर्धारित करता है। इनके बीच प्रत्यक्ष सहयोग की व्यवस्था की गई हैः (i) देशीय न्यायालय और विदेशी दिवाला प्रतिनिधि, (ii) देशीय न्यायालय और विदेशी न्यायालय (iii) विदेशी न्यायालय और देशीय आईपी, और (iv) विदेशी दिवालिया प्रतिनिधि और देशीय आईपी।

(घ) समन्वयः इसमें देशीय दिवाला कार्यवाही शुरू करने के लिए ढांचा दिया गया है, जब एक विदेशी दिवाला कार्यवाही पहले से ही शुरू हो गई है या इसके विपरीत हो।

आईएलसी ने अपनी दूसरी रिपोर्ट 16 अक्टूबर, 2018 को प्रस्तुत की जिसमें सीमा पार दिवाला, 1997 में यूएनसीआईटीआरएएल मॉडल कानून को अपनाने की सिफारिश की गई है, जिसमें सीमा पार दिवाला मुद्दों का निपटान करने के लिए व्यापक रूपरेखा दी गई है। इसने यह सुनिश्चित करने के लिए कुछ कार्व आउट्स की भी सिफारिश की है कि देशीय दिवाला ढांचा और प्रस्तावित सीमा पार दिवाला ढांचा के बीच कोई असंगतता नहीं है। 44 देशों द्वारा यूएनसीआईटीआरएएल मॉडल कानून अपनाया गया है और इसलिए, यह सीमा पार दिवाला के निपटान संबंधी अंतरराष्ट्रीय सर्वोत्तम व्यवहार का हिस्सा है।

एनसीएलटी पीठ

सरकार ने 28 जून, 2018 को राजस्थान के लिए जयपुर में एनसीएलटी की पीठ का गठन किया और 1 अगस्त, 2018 को केरल और लक्षद्वीप के लिए कोच्चि में

एक अन्य पीठ का गठन किया। इसके अतिरिक्त, 8 मार्च 2019 को मध्य प्रदेश के लिए इंदौर में और आंध्र प्रदेश के लिए अमरावती में एनसीएलटी की दो अन्य पीठों का गठन किया गया।

सीआईआरपी के लिए आवेदक

संहिता की धारा 7 एफसी, या एफसी की ओर से किसी अन्य व्यक्ति को, जैसाकि सरकार द्वारा अधिसूचित किया जाए, सीआईआरपी आरंभ करने के लिए आवेदन दायर करने की अनुमति देती है। सरकार ने 27 फरवरी, 2019 को, एफसी की ओर से, निम्नवत उन लोगों को अधिसूचित किया, जो आवेदन दायर कर सकते हैं:

(i) अभिभावक;
(ii) एफसी की संपत्ति का निष्पादक या प्रशासक;
(iii) ट्रस्टी (डिबेंचर ट्रस्टी सहित); तथा
(iv) कंपनी के निदेशक बोर्ड द्वारा विधिवत अधिकृत व्यक्ति।

न्यायनिर्णयन प्राधिकरण नियमावली

सरकार ने 14 मार्च, 2019 को दिवाला और शोधन अक्षमता (न्यायनिर्णयन प्राधिकरण को आवेदन) नियम, 2016 में संशोधन किया ताकि फास्ट ट्रैक सीआईआरपी शुरू करने के लिए आवेदन के प्रपत्रों में संशोधन किया जा सके और यदि समाधान के लिए फास्ट ट्रैक प्रक्रिया उपलब्ध है तो निर्धारण के लिए प्रासंगिक सीडी का विवरण प्रस्तुत करना आवश्यक बनाया जाए।

प्रतिभूति संविदा (विनियमन) नियम, 1957 में संशोधन

केंद्र सरकार ने 24 जुलाई, 2018 को प्रतिभूति संविदा (नियमन) नियम, 1957 में संशोधन किया। इस संशोधन में यह प्रावधान किया गया है कि जहां सूचीबद्ध कंपनी में सार्वजनिक शेयरधारिता संहिता की धारा 31 के अधीन अनुमोदित समाधान योजना के कार्यान्वयन के परिणामस्वरूप 25 प्रतिशत से नीचे है, ऐसी कंपनी को सेबी द्वारा निर्दिष्ट तरीके से, इस तरह की गिरावट की तारीख से अधिकतम तीन साल की अवधि के भीतर जनता की शेयरधारिता को 25 प्रतिशत तक लाना होगा। हालाँकि, यदि जनता की हिस्सेदारी 10 प्रतिशत से कम हो जाती है, तो सेबी द्वारा निर्दिष्ट तरीके से, इस तरह की गिरावट की तारीख से अधिकतम अठारह माह की अवधि के भीतर इसे कम से कम 10 प्रतिशत तक बढ़ाया जाएगा।

कंपनी (रजिस्ट्रीकृत मूल्यांकक और मूल्यांकन) नियम, 2017 का संशोधन

सरकार ने मूल्यांकन मामलों पर सलाह देने के लिए तीन व्यावसायिक संस्थानों के अध्यक्षों को समिति में पदेन सदस्यों के रूप में शामिल करने के लिए 13 जून, 2018 को मूल्यांकन नियमावली में संशोधन किया। इसने, इसके अतिरिक्त, 25 सितंबर, 2018 को मूल्यांकन नियमावली में संशोधन किया ताकि ऐसे किसी व्यक्ति को जो, इन नियमों के लागू होने की तारीख को कंपनी अधिनियम, 2013 के अधीन मूल्यांकन सेवाएं प्रदान कर रहा था, 31 जनवरी, 2019 तक नियमावली के अधीन रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र के बिना मूल्यांकन सेवाओं को जारी रख सकें।

इसने यह स्पष्ट करने के लिए 13 नवंबर, 2018 को मूल्यांकन नियमावली में और संशोधन किया कि ये नियम किसी भी संपत्ति, स्टॉक, शेयर, डिबेंचर, प्रतिभूति या साख या निवल किसी अन्य संपत्ति या निवल मूल्य अथवा कंपनी अधिनियम, 2013 के उपबंधों के अधीन किसी कंपनी या उसकी देनदारियों के संबंध में मूल्यांकन पर लागू होते हैं। इसने मूल्यांकक के रूप में रजिस्ट्रीकरण के लिए योग्यता और अनुभव की आवश्यकताओं को भी सुव्यवस्थित किया।

मूल्यांकन मामलों के बारे में सलाह हेतु समिति

केंद्र सरकार ने कंपनी (रजिस्ट्रीकृत मूल्यांकक और मूल्यांकन) नियम, 2017 के अधीन नियम 19 के अधीन 23 अप्रैल, 2018 को 'मूल्यांकन मामलों संबंधी परामर्श समिति' का गठन किया। इसने 6 जुलाई, 2018 को समिति में चार और सदस्यों को नामित किया। समिति ने अपनी पहली रिपोर्ट 27 फरवरी, 2019 को सरकार को सौंपी। सारणी 5 में 31 मार्च, 2019 की स्थिति के अनुसार समिति की संरचना प्रस्तुत है।

सारणी 5: 31 मार्च, 2019 को मूल्यांकन मामलों के बारे में समिति की संरचना

क्र.सं.	नाम और पद	समिति में पद
1	डॉ. आर. नारायणस्वामी, प्रोफेसर (वित्त और लेखा), आईआईएम, बंगलुरु	अध्यक्ष
2	डॉ. नवरंग सैनी, पूर्ण कालिक सदस्य, आईबीबीआई	सदस्य/संयोजक
3	श्री के. बिस्वाल, अपर सचिव, विधायी विभाग	सदस्य
4	श्री केवीआर मूर्ति, संयुक्त सचिव, एमसीए	सदस्य
5	श्री राजेश कुमार केडिया, निदेशक, सीबीडीटी	सदस्य
6	श्री सौरव सिन्हा, मुख्य महाप्रबंधक, आरबीआई	सदस्य
7	श्री जयंत जश, मुख्य महाप्रबंधक, सेबी	सदस्य
8	श्री. ए. रमना राव, महाप्रबंधक, आईआरडीएआई	सदस्य
9	श्री पिचौया सुब्रमण्यम, आईओवी रजिस्ट्रीकृत मूल्यांकक फाउंडेशन के प्रतिनिधि	सदस्य
10	श्री चंदर साहनी, आईसीएसआई रजिस्ट्रीकृत मूल्यांकक संगठन के प्रतिनिधि	सदस्य
11	श्री वरुण गुप्ता, भारतीय उद्योग परिसंघ के प्रतिनिधि	सदस्य
12	श्री आरके बंसल, फिक्की के प्रतिनिधि	सदस्य
13	श्री धिनाल शाह, आईसीएआई रजिस्ट्रीकृत मूल्यांकक संगठन के प्रतिनिधि	सदस्य
14	प्रेजीडेंट, द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया (पदेन)	सदस्य
15	प्रेजिडेंट, द इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया (पदेन)	सदस्य
16	प्रेजिडेंट, द इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया (पदेन)	सदस्य

भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा सुविधाएं

भारतीय रिजर्व बैंक ने 7 फरवरी, 2019 के परिपत्र के माध्यम से बाह्य वाणिज्यिक उधार (ईसीबी) ढांचे के अधीन अंतिम उपयोग प्रतिबंधों में छूट देते हुए, अनुमोदन मार्ग के अधीन लक्ष्य कंपनी के रुपये सावधि ऋणों के पुनर्भुगतान के लिए सीआईआरपी के अधीन आरए को भारतीय बैंकों की शाखाओं/विदेशी अनुषंगी कंपनियों को छोड़कर, मान्यताप्राप्त उधारदाताओं से ईसीबी जुटाने की अनुमति दी है। तदनुसार, आरए, जो अन्यथा पात्र उधारकर्ता हैं, ईसीबी जुटाने के लिए ऐसे प्रस्ताव अपने अधिकृत डीलर बैंक के माध्यम से अनुमोदन के लिए आरबीआई के पास भेज सकते हैं।

सेबी द्वारा सुविधाएं

सेबी ने संहिता के अधीन प्रस्तावों को सुविधाजनक बनाने के लिए कई विनियमों में संशोधन किया।

सेबी (पूंजी का निर्गमन और प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियमन, 2018 का अध्याय VII प्रतिभूतियों के अधिमान्य निर्गमन से संबंधित मूल्य निर्धारण, शेयरधारक अनुमोदन, प्रकटीकरण, अवधि इत्यादि जैसे पहलुओं को प्रशासित करता है। सेबी ने इस उपबंध के लिए उक्त विनियमन में 31 मई, 2018 को संशोधन किया कि अध्याय VII के उपबंध लॉक–इन उपबंधों को छोड़कर, वहां लागू नहीं होंगे, जहां निर्दिष्ट प्रतिभूतियों का अधिमान्य निर्गमन संहिता की धारा 31 के अधीन अनुमोदित समाधान योजना के अनुसार किया गया है।

सेबी (शेयरों और अधीनीकरण का पर्याप्त अधिग्रहण) विनियमन, 2011 के विनियमन 3(2) के परंतुक में यह प्रावधान किया गया है कि कोई उपर्युक्त अधिकतम अनुमत नॉन–पब्लिक शेयरधारिता के अधिग्रहण के अनुसरण में समग्र शेयरधारिता वाले शेयरों की संख्या से अधिक शेयर अथवा मताधिकार को अधिग्रहण करने अथवा इसके लिए कोई करार करने का पात्र नहीं है। सेबी ने संहिता की धारा 31 के अधीन अनुमोदित समाधान योजना के अनुसरण में अधिग्रहण को परंतुक की कठोरता से छूट देने के लिए 31 मई, 2018 को उक्त विनियमों में संशोधन किया।

सेबी (इक्विटी शेयर को सूची से हटाना) विनियमन, 2009 इक्विटी शेयरों को सूचीबद्ध करने और सूची से हटाने को प्रशासित करता है। सेबी ने यह प्रावधान करने के लिए 31 मई, 2018 को उक्त विनियमन में संशोधन किया कि विनियमन के प्रावधान संहिता की धारा 31 के अधीन अनुमोदित समाधान योजना के अनुसरण में सूचीबद्ध संगठन के इक्विटी शेयरों को सूची से हटाने पर लागू नहीं होंगे, यदि ऐसी योजना में (क) ऐसे शेयर को सूची से हटाने के काम को पूरा करने के लिए कोई विशिष्ट प्रक्रिया निर्धारित की गई है; अथवा (ख) मौजूदा सार्वजनिक शेयरधारकों को समाधान योजना में निर्दिष्ट मूल्य पर बाहर निकलने की व्यवस्था की गई है। शेयरधारकों को उस मूल्य पर बाहर निकलने की व्यवस्था प्रदान की जाएगी जो सीआईआरपी विनियमों के विनियमन 35 के अधीन यथा–निर्धारित परिसमापन मूल्य से कमतर नहीं होगा। इसके अलावा, पब्लिक शेयरधारकों को उस मूल्य पर बाहर निकलने की व्यवस्था प्रदान की जाएगी जो उस मूल्य से कमतर नहीं होगा जिस पर प्रवर्तकों या अन्य शेयरधारकों को, प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से, बाहर निकलने की सुविधा प्रदान की जाती है। इसके अलावा, उक्त विनियमों में इक्विटी शेयरों को सूची से हटाने से पूर्व निर्दिष्ट अवधि पूरा करना अपेक्षित होता है। सेबी ने किसी कंपनी के इक्विटी शेयरों को सूचीबद्ध करने की इस अपेक्षा से छूट देने के लिए विनियमों में संशोधन किया है जो संहिता के अधीन सीआईआरपी से गुजरे हैं।

सेबी ने यह प्रावधान करने के लिए 31 मई, 2018 को सेबी (सूचीयन बाध्यताएं और प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियमन, 2015 में संशोधन किया कि विनियमन 17 (निदेशक मंडल), विनियमन 18 (लेखापरीक्षा समिति), विनियमन 19 (नामांकन और पारिश्रमिक समिति) और विनियमन 20 (हितधारक संबंध समिति) के उपबंध, ऐसे सूचीबद्ध संगठन के संबंध में दिवाला समाधान प्रक्रिया के दौरान लागू नहीं होंगे जो संहिता के अधीन सीआईआरपी से गुजर रही है, बशर्ते कि आईआरपी या आरपी द्वारा संबंधित नियमों में निर्दिष्ट निदेशक मंडल या समितियों, जैसा भी मामला हो, की भूमिका और उत्तरदायित्व पूरे किए जाएंगे। इसके अलावा, उक्त विनियमनों में यह अपेक्षित है कि लेनदेन से संबंधित सभी सामग्री संबंधित पक्ष शेयरधारकों द्वारा अनुमोदित होंगे और कोई भी संबंधित पक्ष ऐसे समाधान का अनुमोदन करने के लिए मतदान करने का पात्र नहीं होगा। सेबी ने यह प्रावधान करने के लिए विनियमन में संशोधन किया कि ये प्रावधान समाधान योजना अनुमोदित किए जाने के एक दिन के भीतर प्रकटीकरण के अध्यधीन संहिता की धारा 31 के अधीन अनुमोदित समाधान योजना के संबंध में लागू नहीं होंगे। संशोधन में यह भी प्रावधान किया गया है कि विनियमन 24 (5) (एक सामग्री सहायक में शेयरों का निपटान), 24 (6) (संपत्ति का निपटान), 31क, (5), (6) और (7) (ख) (प्रवर्तक अथवा प्रवर्तक समूह का पुनः वर्गीकरण) और 37 (व्यवस्था की योजना) के उपबंध, संहिता की धारा 31 के अधीन अनुमोदित समाधान योजना के भाग के तौर पर इन गतिविधियों पर लागू नहीं होंगे।

संशोधनों के अनुसार, संहिता के अधीन किसी सूचीबद्ध सीडी के सीआईआरपी के संबंध में निम्नलिखित का प्रकटीकरण करना अपेक्षित है:

(क) कारपोरेट आवेदक द्वारा सीआईआरपी शूरू करने के लिए आवेदन भरना, जिसमें व्यतिक्रम की राशि का भी उल्लेख किया गया हो;
(ख) एफसी द्वारा सीडी के खिलाफ सीआईआरपी शुरू करने के लिए आवेदन भरना, जिसमें व्यतिक्रम की राशि का भी उल्लेख किया गया हो;
(ग) एए द्वारा व्यतिक्रम की राशि अथवा अस्वीकृति या वापस करना, जैसा लागू हो, के साथ–साथ आवेदन दाखिल करना;
(घ) एए द्वारा संहिता की धारा 13 के अधीन पारित आदेश के अनुसरण में की गई सार्वजनिक घोषणा;
(ड.) लेनदारों की सूची, जैसाकि सीडी द्वारा सीआईआरपी विनियमन, 2016 के विनियमन 13 (2) (ग) के अधीन प्रदर्शित की जानी अपेक्षित है;
(च) आरपी की नियुक्ति/प्रतिस्थापन;
(छ) सीओसी की बैठकों की पहले या बाद में सूचना;
(ज) संहिता की धारा 25(5)(ज) के अधीन समाधान योजनाओं के निमंत्रण का संक्षिप्त विवरण;
(झ) आरपी द्वारा प्राप्त समाधान योजनाओं की संख्या;
(ञ) एए के पास समाधान योजना फाइल करना;
(ट) एए द्वारा समाधान योजना का अनुमोदन या अस्वीकृति, यदि लागू हो;
(ठ) एए द्वारा अनुमोदित समाधान योजना की मुख्य विशेषताएं, जिनमें वाणिज्यिक गोपनीय बातें शामिल न हों; तथा
(ड) कोई अन्य महत्वपूर्ण सामग्री, जिनमें वाणिज्यिक गोपनीय बातें शामिल न हों;

सारणी 6 में अप्रैल, 2018 से मार्च, 2019 की अवधि के दौरान नियामक ढांचे में महत्वपूर्ण घटनाक्रमों का कालक्रमानुसार विवरण दिया गया है।

सारणी 6: नीति और विनियामक विकास का कालक्रम, 2018–19

दिनांक	घटनाक्रम
23.04.18	सरकार ने कंपनी (रजिस्ट्रीकृत मूल्यांकक और मूल्यांकन) नियम, 2017 के नियम 19 के अधीन मूल्यांकन मामलों पर सलाह देने के लिए समिति का गठन किया।
23.04.18	आईबीबीआई ने आईपी के रूप में रजिस्ट्रीकरण के लिए रजिस्ट्रेशन पूर्व शैक्षिक पाठ्यक्रम का विवरण निर्दिष्ट किया।
01.05.18	सरकार ने 1 मई, 2018 को एफएसपी की दिवाला और परिसमापन कार्यवाही से संबंधित संहिता की धारा 227 से धारा 229 के उपबंधों को लागू करने की तारीख तय की।
01.05.18	सरकार ने आईबीबीआई के लेखाओं और तुलन–पत्र के वार्षिक विवरण का फॉर्म उपलब्ध कराने के लिए आईबीबीआई (लेखाओं के वार्षिक विवरण का प्ररूप) नियम, 2018 अधिसूचित किया।
01.05.18	सरकार ने आईबीबीआई की वार्षिक रिपोर्ट का प्ररूप उपलब्ध कराने के लिए आईबीबीआई (वार्षिक रिपोर्ट) नियम, 2018 अधिसूचित किया।

04.05.18	आईबीबीआई ने संहिता के व्यष्टिक दिवाला से संबंधित उपबंधों के कार्यान्वयन के लिए कार्यनीति और एप्रोच की सिफारिश करने के लिए पूर्व कानून सचिव, श्री पी.के. मल्होत्रा की अध्यक्षता में कार्य– समूह (डब्ल्यूजी) का पुनर्गठन किया।
15.05.18	आईबीबीआई ने जीआईपी के लिए संरचना, सामग्री और वितरण तंत्र की सिफारिश करने के लिए एक कार्य– समूह का गठन किया।
31.05.18	आईबीबीआई ने अंतरिम समाधान व्यावसायिक अथवा समापक (सिफारिश) दिशानिर्देश, 2018 के रूप में कार्य दिवाला व्यावसायिक उपलब्ध कराए हैं।
31.05.18	सेबी ने संहिता के अधीन अनुमोदित समाधान योजनाओं के अधीन निर्दिष्ट प्रतिभूतियों के अधिमान्य निर्गमन के मानदंडों को छूट देने के लिए सेबी (पूंजी का निर्गमन और प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियमन, 2009 में संशोधन किया।
31.05.18	सेबी ने संहिता के अधीन अनुमोदित समाधान योजना के अनुसरण में अधिकतम अनुमत नॉन–पब्लिक धारिता से अधिक अधिग्रहण को अनुमत करने के लिए सेबी (शयरों का पर्याप्त अधीनीकरण और अधिग्रहण) विनियमन, 2011 में संशोधन किया।
31.05.18	सेबी ने संहिता के अधीन अनुमोदित समाधान योजना के अनुसरण में इक्विटी शेयरों को सूची से हटाने के लिए गैर सूचीबद्ध करने के नियमों में छूट देने के लिए सेबी (इक्विटी शेयरों को सूची से हटाना) विनियमन, 2009 में संशोधन किया।
31.05.18	सेबी ने कतिपय प्रकटीकरण के अध्यधीन कारपोरेट शासी मानदंडों का सीआईआरपी से गुजरने वाली सूचीबद्ध कंपनी को छूट देने के लिए सेबी (सूचीयाँ बाध्यताएं और प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियमन, 2015 में संशोधन किया।
06.06.18	हितधारकों के हितों की रक्षा के लिए, विशेष रूप से घर खरीदारों और एमएसएमई के हितों की रक्षा के लिए सीडी के परिसमापन की अपेक्षा समाधान को बढ़ावा देने और आरए की पात्रता से संबंधित उपबंधों को सुगत बनाने के लिए दिवाला एंड शोधन अक्षमता (संशोधन) अध्यादेश, 2018 प्रख्यापित किया गया।
13.06.18	सरकार ने मूल्यांकन मामलों के बारे में सलाह देने के लिए तीन व्यावसायिक संस्थानों के प्रेजीडेंट को समिति में पदेन सदस्य के रूप में शामिल करने के लिए कंपनी (रजिस्ट्रीकृत मूल्यांकक और मूल्यांकन) (दूसरा संशोधन) नियम, 2018 में संशोधन किया।
20.06.18	सरकार ने विश्व स्तर पर स्वीकृत और भलीभांति मान्यता प्राप्त सीमा पार दिवाला ढांचा लागू करने के लिए संहिता में एक अध्याय जोड़ने का प्रस्ताव दिया।
04.07.18	आईबीबीआई ने मतदान के तरीके का प्रावधान और प्रक्रिया को और अधिक सुगम बनाने के लिए आईबीबीआई (कारपोरेट व्यक्तियों के लिए दिवाला समाधान प्रक्रिया) विनियमन, 2018 में संशोधन किया।
19.07.18	आईबीबीआई ने 16 आरवी के पहले समूह का रजिस्ट्रीकरण प्रदान किया।
24.07.18	सरकार ने समय प्रदान करने के लिए प्रतिभूति संविदा (विनियमन) नियम, 1957 में संशोधन किया ताकि पब्लिक शेयरधारिता लाई जा सके यदि यह संहिता के अधीन अनुमोदित समाधान योजना के क्रियान्वयन के परिणामस्वरूप सीमा स्तर से नीचे गिर गई है।
17.08.18	दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता (संशोधन) अध्यादेश, 2018 को दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता (दूसरा संशोधन) अधिनियम, 2018 से प्रतिस्थापित किया गया।
25.09.18	सरकार ने उन व्यक्तियों को बिना रजिस्ट्रीकरण 31 जनवरी तक सेवाएं प्रदान करना जारी रखने को अनुमति प्रदान करने के लिए कंपनी (रजिस्ट्रीकृत मूल्यांकक और मूल्यांकन) नियम, 2018 में संशोधन किया, जो मूल्यांकन सेवाएं प्रदान कर रहे थे।
05.10.18	आईबीबीआई ने मतदान प्रक्रिया को सुगम बनाने के लिए आईबीबीआई (कारपोरेट व्यक्तियों के लिए दिवाला समाधान प्रक्रिया) विनियमन, 2016 में संशोधन किया।
11.10.18	आईबीबीआई ने आईपी और आईपीई पर शुल्क लगाने के लिए (दिवाला व्यावसायिक) विनियमन, 2016 में संशोधन किया।
11.10.18	आईबीबीआई ने आईपीए के लिए उच्च अभिशासन मानदंडों को निर्दिष्ट करने के लिए आईबीबीआई (आदर्श उप–नियम और दिवाला व्यावसायिक अभिकरण बोर्ड) विनियमन, 2016 में संशोधन किया।
11.10.18	आईबीबीआई ने आईपीए के लिए शेयरधारिता मानदंडों को युक्तिसंगत बनाने के लिए आईबीबीआई (दिवाला व्यावसायिक अभिकरण) विनियमन, 2016 में संशोधन किया।
11.10.18	आईबीबीआई ने आईयू के लिए उच्च अभिशासन मानदंड निर्दिष्ट करने के लिए सूचना (सूचना उपयोगिताएँ) विनियमन, 2017 में संशोधन किया।
16.10.18	आईएलसी ने सीमा पार दिवाला, 1997 के यूएनसीआईटीआरएएल मॉडल कानून को अपनाने की सिफारिश करते हुए अपनी दूसरी रिपोर्ट प्रस्तुत की।
22.10.18	आईबीबीआई ने आईबीबीआई (परिसमापन प्रक्रिया) विनियमन, 2018 में संशोधन किया जिससे एक परिसमापक निवर्तमान मामले के तौर पर सीडी के व्यवसाय को बेच सकता है।
22.10.18	आईबीबीआई ने अपनी विनियमन बनाने की प्रक्रिया को प्रशासित करने के लिए आईबीबीआई (विनियमन को जारी करने के लिए ढांचा) विनियमन, 2018 अधिसूचित किया।
13.11.18	सरकार ने आरवी के तौर पर रजिस्ट्रीकरण के लिए अर्हता और अनुभव की अपेक्षाओं को सुगम बनाने के लिए कंपनी (रजिस्ट्रीकृत मूल्यांकक और मूल्यांकन) नियम, 2017 में संशोधन किया।
30.11.18	आईबीबीआई ने अंतरिम समाधान व्यावसायिक अथवा समापक (सिफारिश) दिशानिर्देश, 2018 के रूप में कार्य करने के लिए दिवाला व्यावसायिक उपलब्ध कराए।
18.12.18	आईबीबीआई ने सीवीएसआरटीए द्वारा तैयार आस्ति वर्ग 'संयत्र और मशीनरी' के लिए अध्ययन सामग्री उपलब्ध कराई।
28.12.18	कार्यसमूह ने जीआईपी पर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की।
15.01.19	आईबीबीआई ने परिसमापक के हितों के टकराव का समाधान करने के लिए आईबीबीआई (स्वैच्छिक परिसमापन प्रक्रिया) विनियमन, 2017 में संशोधन किया।
17.01.19	आईबीबीआई ने किसी समूह में सीडी के दिवाला और परिसमापन की सुविधा के लिए एक पूर्ण नियामक ढांचा तैयार करने की सिफारिश करने के अधिदेश से श्री यूके सिन्हा, पूर्व अध्यक्ष, सेबी की अध्यक्षता में कार्य–समूह का गठन किया।
24.01.19	आईबीबीआई ने समाधान योजना प्रस्तुत करने के लिए वास्तविक, सक्षम और विश्वसनीय आरए से इतर अन्य लोगों को हतोत्साहित करने के लिए आईबीबीआई (कारपोरेट व्यक्तियों के लिए दिवाला समाधान प्रक्रिया) विनियमन, 2016 में संशोधन किया।
01.02.19	कंपनी अधिनियम, 2013 और दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता, 2016 के अधीन सभी मूल्यांकन आज की तारीख से अनिवार्य रूप से आरवी द्वारा किए जाने है।
07.02.19	भारतीय रिजर्व बैंक ने अनुमोदन मार्ग के अधीन लक्ष्य कंपनी के रुपये सावधि ऋणों की चुकोती के लिए मान्यताप्राप्त उधारदाताओं से ईसीबी जुटाने की अनुमति देने के लिए बाह्य वाणिज्यिक उधार (ईसीबी) के लिए अंतिम उपयोग प्रतिबंधों में छूट दी है।
26.02.19	आईबीबीआई ने सीवीएसआरटीए द्वारा तैयार आस्ति वर्ग 'भूमि और भवन' के लिए अध्ययन सामग्री उपलब्ध कराई।
27.02.19	समिति ने कंपनियां (रजिस्ट्रीकृत मूल्यांकक और मूल्यांकन) नियमावली, 2017 के नियम 19 अधीन मूल्यांकन मामलों पर सलाह देने वाली समिति ने अपनी पहली रिपोर्ट सरकार को सौंप दी।
01.03.19	सरकार ने उन व्यक्तियों की एक सूची अधिसूचित की है जो एफसी की ओर से एए के समक्ष सीडी के खिलाफ सीआईआरपी शुरू करने के लिए आवेदन दायर कर सकते है।
01.03.19	व्यष्टिक दिवाला पर आईबीबीआई कार्य–समूह ने नियमों और विनियमों के मसौदा के साथ सीडी के पीजी के लिए दिवाला प्रक्रिया के संबंध में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की।
06.03.19	संहिता की कार्यात्मकता और कार्यान्वयन का विश्लेषण करने और उन्हें संबोधित करने के लिए उपयुक्त सिफारिशें करने के लिए आईएलसी का एक स्थायी समिति के रूप में पुर्नगठन किया गया।
14.03.19	सरकार ने प्ररूप में संशोधन करने के लिए दिवाला और शोधन अक्षमता (न्यायनिर्णयन प्राधिकारी को आवेदन) नियमावली, 2016 में संशोधन किया ताकि आवेदक फास्ट ट्रैक सीआईआरपी शुरू कर सके।

ग | नीतियां, कार्यक्रम और कार्यकलाप

ग.1 सेवा प्रदाता

सीआईआरपी वाद्ययंत्र समूह के समान है, जहां कलाकारों के दो सेट एक–दूसरे के समन्वय में अपनी–अपनी भूमिकाएं निभाते हैं। यहाँ पहला सेट बाजार को दर्शाता है जिसमें ऋणी, लेनदार और आरए होते हैं, जो सीआईआरपी की शुरुआत और इसका समापन करते हैं और सीआईआरपी के दौरान कई तरह के मुद्दों पर वाणिज्यिक निर्णय लेते हैं। अन्य सेट रक्षकों को दर्शाता है जिसमें सरकार, एए, आईबीबीआई, आईपी, आईपीई, आईपीए, आईयू, आरवी और आरवीओ शामिल हैं, जो बाजार के कर्ताधर्ताओं के लिए निर्णय लेने और प्रक्रिया में निष्पक्षता एवं पारदर्शिता सुनिश्चित करना सुगम बनाते हैं। उनका एकमात्र अधिदेश संहिता के उद्देश्यों को आगे बढ़ाने के लिए बाजार की प्रक्रिया को कुशल बनाना है ताकि बाजार में कर्ताधर्ता अपने हित आगे बढ़ा सकें। वे परिस्थितियों के अधीन सबसे अच्छा निर्णय लेने के लिए बाजार का मार्गदर्शन करते हैं और इसे सुविधाजनक बनाते हैं। उन आईपी, आईपीई, आईपीए, आईयू, आरवी और आरवीओ के विनियमन और विकास के माध्यम से, जो फिट व उपयुक्त और तकनीकी रूप से सक्षम हैं, और जिनके पास नैतिकता और व्यावसायिकता के उच्चतम मानकों को बनाए रखने के लिए प्रेरणा और उत्साह है, आईबीबीआई, दिवाला सेवाओं (बॉक्स 1) को व्यावसायिक बनाने के लिए जिम्मेदार है।

दिवाला व्यावसायिक

आईपी, दिवाला के क्षेत्र का प्रमुख संस्थान है। वह देखभाल करने वाला है, उसका तनाव दूर होता है जब वह तनावग्रस्त व्यक्तियों के तनाव को दूर करता है। वह वित्तीय संकटग्रस्त व्यक्ति और उसके हितधारकों के लिए आशा की किरण है। वह संहिता के अधीन वित्तीय रूप से संकटग्रस्त व्यक्तियों (कंपनियों, सीमित देयता भागीदारी (एलएलपी), साझेदारी और प्रोप्राइटरशिप फर्म और व्यक्तियों) की दिवाला कार्यवाही (समाधान, परिसमापन और दिवाला प्रक्रियाओं) में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। किसी प्रक्रिया का संचालन करते समय, दिवाला व्यावसायिक में संपूर्ण सांविधिक और कानूनी कर्तव्य/शक्तियां निहित होती हैं। उसे महत्वपूर्ण व्यावसायिक और वित्तीय निर्णय लेने होते हैं जिनके सीडी और इसके सभी हितधारकों के लिए महत्वपूर्ण प्रभाव हो सकते हैं। वह न्यायालय का अधिकारी होता है।

एनसीएलटी, दिवाला व्यावसायिक को सीडी की दिवाला कार्यवाही आयोजित करने के लिए आईआरपी, आरपी या परिसमापक नियुक्त करता है। इससे जहाँ आवश्यक होता है, दिवाला कार्यवाही में आईपी प्रतिस्थापित होता है अथवा उसके प्रतिस्थापन का अनुमोदन करता है। एक अर्थ में, आईपी, एनसीएलटी की ओर से दिवाला कार्यवाही की निगरानी रखता है। वह समाधान से गुजरने वाली सीडी के निदेशक मंडल की शक्तियों का उपयोग करता है। वह जारी सरोकार के तौर पर सीडी के कार्यों का प्रबंधन करता है, इसकी संपत्ति के मूल्य की रक्षा करता है और इसकी ओर से लागू कानूनों का अनुपालन करता है। वास्तव में, वह संपूर्ण सीआईआरपी का संचालन करता है। कानून द्वारा आईपी को उसकी जिम्मेदारियों का प्रभावी ढंग से निर्वहन करने की सुविधा प्रदान की गई है और इसके लिए उसे शक्तियों प्रदान की गई हैं। कानून के अधीन सीडी के प्रत्येक अधिकारी को उसे रिपोर्ट करना बाध्य है। सीडी के प्रायोजक को उसे सभी सहायता और सहयोग देने के लिए भी बाध्य किया गया है। आवश्यक वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति करने और सीडी के विरुद्ध कार्यवाही पर स्थगन का आश्वासन है। संहिता में आईपी को अपनी सहायता के लिए आईपी की नियुक्ति करने का अधिकार दिया गया है। वह आईपीई से सहायता सेवाएं ले सकता है, जिसमें वह भागीदार/निदेशक होता है। उसे सद्भाव में किए गए कार्यों के लिए संरक्षण प्राप्त है। आईबीबीआई द्वारा दायर शिकायत को छोड़कर आईपी के विरुद्ध अपराधों के मुकदमों पर रोक है।

आईपी विनियमन

प्रत्येक व्यवसाय में अनिवार्य रजिस्ट्रीकरण प्रक्रिया के माध्यम से एक पेशे में प्रवेश को नियंत्रित किया जाता है। यह प्रवेश में बाधक नहीं होता है, लेकिन किसी पेशे में केवल योग्य लोग ही प्रवेश कर पाते है, जो एक नोबल व्यवसाय होता है। दिवाला कानून सुधार समिति (बीएलआरसी), जिसने दिवाला व्यावसायिक की परिकल्पना की थी, ने समुक्ति कीः *"लाइसेंसिंग से यह सुनिश्चित होता है कि निर्दिष्ट मानदंडों को पूरा किए बिना कुछ कार्यकलापों को करना गैर–कानूनी है। व्यावसायिक लाइसेंसिंग से पेशे में औसत कौशल स्तर बढ़ सकता है, जिससे सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार होगा।"* औपचारिक रजिस्ट्रीकरण प्रक्रिया सुनिश्चित करती है कि विनियामक स्वयं को किसी व्यक्ति की पेशे के लिए उपयुक्तता के संबंध में संतुष्ट करता है और यह भी सुनिश्चित करता है कि केवल पात्र, योग्य और काबिल व्यक्ति ही पेशे में आएं। इससे विनियामक को मूल्यांकन सेवाओं को प्रदान करने के लिए पात्र व्यावसायियों का रजिस्टर बनाकर रखने और इसे उपलब्ध कराने में मदद मिलती है ताकि उपयोगकर्ता किसी व्यावसायिक को ले सकें जब उन्हें किसी व्यावसायिक की जरूरत हो। प्रवेश की स्वतंत्रता के हिस्से के रूप में, भारतीय अर्थव्यवस्था काफी हद तक विवेकाधीन लाइसेंस से रजिस्ट्रीकरण की पात्रता की ओर अंतरित हुई है। इसका आश्य यह है कि किसी पेशे के सदस्यों की संख्या पर कोई पाबंदी नहीं होगी। सदस्यता तत्काल मिलेगी और नए सदस्य के प्रवेश के लिए किसी सदस्य के लिए बाहर जाना जरूरी नहीं होगा। कोई भी व्यक्ति, जो पूर्व–निर्धारित पात्रता मानदंडों को पूरा करता हो, रजिस्ट्रीकरण का पात्र होगा। यदि किसी कारण, उसे रजिस्ट्रीकरण से वंचित किया जाता है, तो ऐसा उसकी सुनवाई के बाद, केवल एक उपयुक्त आदेश के माध्यम से करना होगा।

आईबीबीआई ने 23 नवंबर, 2016 को आईबीबीआई (दिवाला व्यावसायिक) विनियमन, 2016 (आईपी विनियमन) अधिसूचित किए जिनमें अन्य बातों के साथ–साथ आईपी के रजिस्ट्रीकरण, विनियमन और निगरानी के प्रावधान हैं। दिसंबर, 2016 में संहिता के लागू होने पर पेशे को शीघ्र शुरू करने के लिए, आईपी विनियमों के विनियमन 9 में उन चार्टर्ड एकाउंटेंट, कंपनी सचिवों, लागत लेखाकारों और अधिवक्ताओं को 31 दिसंबर, 2016 तक बोर्ड के पास रजिस्ट्रीकरण

बॉक्स 1: दिवाला सेवाओं को व्यावसायिक बनाना

संहिता के अधिनियमन से पहले, भारत को बाजार–निर्देशित, प्रोत्साहन–अनुरूप और समय–बद्ध दिवाला प्रक्रिया का कोई अनुभव नहीं था। न ही विफलता के समाधान के लिए कोई प्रभावी तंत्र था, लेकिन जीवनक्षम उद्यम थे और न ही कारपोरेट व्यक्तियों और एकल व्यक्तियों की विभिन्न प्रक्रियाओं (दिवाला समाधान, परिसमापन और शोधन अक्षमता) के लिए अपेक्षित व्यावसायियों का कॉडर अथवा व्यावसायिक सेवाओं के लिए बाजार था। इन प्रक्रियाओं के लिए पारिस्थितिकी तंत्र के कई आवश्यक तत्व, जैसे कि आईयू, एए अथवा आईबीबीआई भी मौजूद नहीं थे।

संहिता में किसी विफल सीडी के पुनरुद्धार और पुनर्वास के लिए सीआईआरपी का प्रावधान दिया गया है। इसमें परिकल्पना की गई है कि किसी सीडी के सीआईआरपी शुरू करने पर, आईपी, सीडी के मामलों के प्रबंधन को संभालता है, महत्वपूर्ण व्यावसायिक और वित्तीय निर्णय लेता है, अपनी संपत्ति के मूल्य की रक्षा करता है और उसे परिरक्षित रखता है, एक जारी सरोकार के तौर पर इसके कार्यों का प्रबंधन करता है और इसकी ओर से सभी लागू कानूनों का अनुपालन करता है। वह दावे प्राप्त करता है और उनका सामना करता है, हितों के संघर्षों का समाधान करता है, आरए को सीडी के बारे में पूर्ण, सही और समय पर जानकारी प्रदान करता है, समाधान योजनाओं की जांच करता है, सीओसी को सर्वश्रेष्ठ समाधान योजना तक पहुंचने में मदद करता है, धोखाधड़ी और तरजीह लेनदेन के माध्यम से क्षतितमूल्य को पुनर्प्राप्त करने में मदद करता है और पूर्ण सीआईआरपी का संचालन करता है। संहिता के अधिनियमन से पहले, सीडी अपनी संपत्ति को धारित किए रहती थी जब यह किसी भी प्रकार के पुनर्वास से गुजर रहा होता था और किसी व्यावसायिक को सीडी की जिम्मेदारी लेने की कोई आवश्यकता नहीं थी।

चूंकि समाधान का दायरा अधिकांशतः मौजूदा देनदार के साथ बातचीत के माध्यम से ऋण के पुनर्निर्धारण तक सीमित था, इसलिए पक्षों को बहुत अधिक व्यावसायिक मदद की आवश्यकता नहीं थी। संहिता से 'लेनदार नियंत्रण में' क्षेत्र आया है जिससे एक आईपी के लिए 'बहुविध क्षमताओं का होना आवश्यक हो गया है। इसने किसी भी प्रकार के विलय, समामेलन और पुनर्गठन सहित समाधान की असीमित संभावनाएं खोल दी हैं जिनके लिए अक्सर व्यावसायिक मदद की आवश्यकता होती है।

जल्द ही व्यावसायिक सहायता प्रदान करने के लिए आईपी उभर कर आया। कोई व्यक्ति आईपी के रूप में रजिस्ट्रीकरण का पात्र है, यदि उसके पास चार्टर्ड अकाउंटेंट, कंपनी सेक्रेटरी लागत लेखाकार या अधिवक्ता के रूप में, सदस्यता के बाद दस वर्ष का अनुभव है, अथवा स्नातक की डिग्री के बाद प्रबंधन में 15 साल का अनुभव है और उसने सीमित दिवाला परीक्षा (परीक्षा) उत्तीर्ण की है और वह पूर्व–रजिस्ट्रीकरण प्रशिक्षण कर रहा है। आईबीबीआई परीक्षा आयोजित करता है और इसे बाजार की गतिशीलता के साथ प्रासंगिक बनाए रखने के लिए अक्सर अद्यतन करता है। एक आईपी प्रत्येक वर्ष निरंतर कुछ न्यूनतम घंटे व्यावसायिक शिक्षा ग्रहण करता है। दिवाला पेशे को अगले स्तर पर ले जाने के लिए, आईबीबीआई ने ऐसे युवाओं और मेधावी लोगों के लिए दो वर्षीय जीआईपी शुरू किया है जिनके पास प्रासंगिक विषय में व्यावसायिक अर्हता या डिग्री है लेकिन कोई अनुभव नहीं है। जीआईपी पूरा कर लेने पर, कोई भी पात्रता परीक्षा के बाद आईपी के रूप में रजिस्ट्रीकरण कराने का पात्र होगा।

आईपी की बड़ी जिम्मेदारियां होती हैं। उसके लिए यह संभव नहीं है कि वह स्वयं बड़ी और जटिल सीडी की सीआईआरपी का संचालन पूरी तरह कर सके। कानून उसे आईपीई से सहायक सेवाएं लेने में सक्षम बनाता है जिसमें वह भागीदार या निदेशक होता है। इसके अलावा, आईपी के पास सीआईआरपी का संचालन करने या जारी सरोकार के तौर पर सीडी के परिचालन को जारी रखने के लिए संभवतः सभी आवश्यक विशेषज्ञता न हो। वह संभवतरू विफल हो रही सीडी के लिए आवश्यक व्यावसायिक तौर पर विभिन्न सेवाएं प्रदान करने के लिए सुसज्जित न हो। कानून उसे सहायता करने के लिए व्यावसायियों की सेवाएं लेने में सक्षम बनाता है। इससे अधिवक्ताओं और लेखाकारों जैसे व्यावसायियों का सृजन हुआ है जो इस रिक्त स्थान को भरने के लिए तेजी से सीख रहे हैं।

संहिता का प्रमुख उद्देश्य संकट में व्यक्तियों की परिसंपत्ति के मूल्य और परिणामस्वरूप अपने हितधारकों के लिए मूल्य को अधिकतम करना है। इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए तुलना और संसूचित निर्णयन को आसान बनाने के लिए परिसंपत्तियों का पारदर्शी और विश्वसनीय मूल्य निर्धारण है। मूल्यांकन, परिसमापन सहित विकल्पों के मूल्यांकन और विकल्पों के चयन के संदर्भ का कार्य करता है, जिससे सीडी और परिणामतः हितधारकों के भाग्य का फैसला होता है। यदि मूल्यांकन सही नहीं है, तो जीवनक्षम सीडी का परिसमापन किया जा सकता है और एक गैर–जीवनक्षम सीडी का पुनर्वास किया जा सकता है, जो किसी अर्थव्यवस्था के लिए दुर्भाग्यपूर्ण हो सकता है। विनियमों के साथ पठित संहिता में उन आरवी का मूल्यांकन दिया गया है जो इस रूप में मौजूद नहीं थीं। कंपनी अधिनियम, 2013 के अधीन जवाबदेही मूल्यांककों का काडर उपलब्ध कराने के लिए ढांचा बनाया गया था। अन्य आवश्यकताओं को पूरा करने की शर्त पर, कोई व्यक्ति आरवी होने का पात्र होता है, यदि (i) उसके पास आवश्यक अर्हता और अनुभव हो, (ii) उसने कोई मान्यता प्राप्त शैक्षिक पाठ्यक्रम पूरा कर लिया है और (iii) उसने आईबीबीआई द्वारा आयोजित मूल्यांकन परीक्षा उत्तीर्ण की है। कोई साझेदारी संगठन या कंपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के अध्यधीन रजिस्ट्रीकरण के लिए भी पात्र है। आईबीबीआई तीन परिसंपत्ति वर्गों, अर्थात् भूमि और भवन, संयंत्र और मशीनरी और प्रतिभूतियों या वित्तीय परिसंपत्तियों के लिए मूल्यांकन परीक्षाएं आयोजित करता है। मूल्यांकक व्यावसायिक कतिपय न्यूनतम घंटे निरंतर व्यावसायिक शिक्षा ग्रहण करता है।

समाधान प्रक्रिया सूचना गहन होती है। संहिता में वित्तीय सूचनाओं को संग्रहीत करने के लिए अंतःपरिचलनीय आईयू के एक प्रतिस्पर्धी उद्योग का प्रावधान किया गया है जिससे चूक तय करने के साथ ही दावों को शीघ्रता से सत्यापित करने में मदद मिलती है और इससे संहिता के अधीन लेनदेन को समयबद्ध तरीके से पूरा करने में सुगमता होती है। कानून में आईपीए और आरवीओ के प्रतिस्पर्धी उद्योग की परिकल्पना की गई है ताकि संहिता के अधीन उभरते कार्यों के लिए उनके सदस्य तैयार हों। आईबीबीआई, आईपीए, आरवीओ, शैक्षणिक संस्थान और बाजार व्यावसायियों के साथ–साथ एफसी और आईपी जैसे अन्य हितधारकों के लिए कई प्रकार के क्षमता–निर्माण कार्यक्रमों का प्रस्ताव करते हैं।

संहिता ने दिवाला सेवाओं को व्यावसायिक बनाया है और आईपी, आईपीए, आरवी, आरवीओ, आईपीई, और आईयू की सेवाओं के लिए बाजार तैयार किया है और अधिवक्ताओं, लेखाकारों और अन्य व्यावसायियों की सेवाओं के दायरे का विस्तार किया है। इसने इन व्यावसायियों की शिक्षा और क्षमता निर्माण के लिए विशाल बाजार भी तैयार किए हैं।

के लिए आवेदन करने पर आईपी का कार्य करने के लिए अनुमत किया गया था जो 15 वर्षों से कार्य कर रहे थे। ये रजिस्ट्रीकरण छह माह की सीमित अवधि के लिए यानी 30 जून, 2017 तक मान्य थे। आईपी विनियमनों के विनियमन 5 के अधीन, सदस्यता के बाद 10 वर्षों का अनुभव (अभ्यास अथवा रोजगार) वाले अधिवक्ताओं, चार्टर्ड एकाउंटेंटों, कंपनी सचिवों और लागत लेखाकारों और अर्हता उपरांत 15 वर्ष के प्रबंधन अनुभव वाले स्नातकों को परीक्षा उत्तीर्ण करने पर आईपी के रूप में रजिस्ट्रीकरण का पात्र बनाया गया था।

आईबीबीआई ने 28 मार्च, 2018 को आईपी विनियमों में संशोधन किया, जो 1 अप्रैल, 2018 से प्रभावी है और इनमें निम्नलिखित का प्रावधान किया गया हैः

(क) अन्य अपेक्षाओं को पूरा करने के अध्यधीन, कोई व्यक्ति आईपी के रूप में रजिस्ट्रीकरण कराने का पात्र होगा यदि उसने विगत 12 माह के भीतर,

बॉक्स 2: दिवाला व्यावसायिकों पर विनियामक शुल्क

विनियमन संसाधन गहन कार्य है। जैसे–जैसे बाजारों का तेजी से विकास होता है, विनियामक को प्रभावी विनियमन प्रदान करने हेतु गति बनाए रखने के लिए क्षमता और संसाधन की आवश्यकता होती है। इसके पास सही प्रतिभा को तैनात करने और उसे बनाए रखने के लिए आवश्यक वित्तीय स्वतंत्रता होनी चाहिए।[9] निधियन, विनियामक को अपने कानूनी उद्देश्यों को प्रभावी तौर पर पूरा करने के लिए जरूरतों के अनुरूप होना चाहिए।[10] कानून को नियामक को अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए शुल्क लगाने में सक्षम बनाना चाहिए। सेबी की कारोबार आधारित शुल्क लगाने के लिए शक्तियों को बरकरार रखते हुए, उच्चतम न्यायालय[11] ने नियामकों द्वारा लगाए गए शुल्क के मुद्दे पर कानूनी स्थिति का समाधान किया। इसने तर्क दिया: *"बोर्ड (अर्थात सेबी) प्रतिभूति बाजार की कार्यकलापों को नियंत्रित करने के लिए संसद के अधिनियम द्वारा सृजित किया गया स्वायत्त निकाय है जिसमें हजारों की संख्या में जनता भारी मात्रा में धन का निवेश करेगी। इसलिए, बाजार के कार्यकलापों की सजग निगरानी की नितांत आवश्यकता है और इसके लिए, यदि संविधि में जरूरी है तो स्वयं प्रतिभूति बाजार से शुल्क संग्रह द्वारा आवश्यक निधियां पूरी की जानी चाहिए, उक्त प्रभार के संबंध में इस आधार पर प्रश्न नहीं किया जा सकता कि बोर्ड के पूंजीगत व्यय के लिए आवश्यक धन, भारत सरकार द्वारा दिया जाना चाहिए।"* हालांकि, इसने निम्नलिखित व्यापक सिद्धांत निर्धारित किए: (क) संविधि द्वारा विनियामक को अपने कार्यों का निर्वहन करने के लिए शुल्क प्रभारित करने का अधिकार दिया जाना चाहिए (ख) विनियामक द्वारा प्रभारित शुल्क बहुत ज्यादा नहीं होना चाहिए और जनहित में होना चाहिए; (ग) शुल्क का उपयोग केवल विनियामक के कार्यों के निर्वहन के लिए किया जाना चाहिए जैसाकि संविधि द्वारा निर्धारित हैं और (घ) विनियामक, प्रभार की मात्रा का चयन कर सकता है, बशर्ते कि यह तर्क की कसौटी पर खरा उतरे। नियामक को वित्तीय मामलों पर स्वतंत्रता होनी चाहिए।

वित्तीय क्षेत्र विधायी सुधार आयोग[12], जिसने भारत की वित्तीय प्रणाली को नियंत्रित करने वाले विधिनों की व्यापक समीक्षा की, ने तर्क दिया कि विनियामक का वित्तपोषण मुख्यतः शुल्क के माध्यम से किया जाना चाहिए क्योंकि इससे सुनिश्चित होता है कि नियमन की लागत को वित्तीय हितधारक (जो विनियमन बाजारों के मुख्य लाभार्थी हैं) वहन करें बजाय कि इस लागत को सरकार के पूरे द्वारा वजन किया जाए। इसने सिफारिश की कि विनियामकों को आत्मनिर्भर होने के लिए तीन अलग–अलग प्रकार का शुल्क। यथा: (क) रजिस्ट्रीकरण के लिए एकसमान शुल्क, (ख) लेनदेन की प्रकृति के आधार पर आश्रित शुल्क और (ग) लेनदेन की संख्या या मूल्य पर आधारित शुल्क प्रभारित करने का अधिकार दिया जाए। बीएलआरसी, जिसने संहिता की अवधारणा की थी, का यह भी मानना था कि एक अच्छे व्यवहार के रूप में बोर्ड को अपना वित्तपोषण अपने विनियमित संगठनों से एकत्र शुल्क से करना चाहिए। इसने सिफारिश की कि बोर्ड का वित्तपोषण सरकारी सहायता और विनियमित संस्थाओं से एकत्रित शुल्क के मिश्रण से किया जाएगा। 'भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड निर्माण' के संबंध में डब्ल्यूजी[13] ने समुक्ति की: *"आईबीबीआई और इसकी विश्वसनीयता के निर्माण के प्रारंभिक उपाय में, निधियत का मुख्य स्रोत भारत सरकार से बजटीय अनुदान होगा। कुछ वर्षों में, दिवाला मध्यवर्ती उद्योग का ढांचा दिखाई देगा। विनियमित संस्थाओं का राजस्व दृश्यमान होगा। उस समय, आईबीबीआई सभी आईपी, आईपीए और आईयू पर शुल्क प्रभारित करेगा जो अपने खर्चों के लिए भुगतान करेंगे। शुल्क उन प्रभारों के अनुरूप होगा जो सेबी प्रतिभूतियों फर्मों से लेता है और जो एक्सचेंज के स्तर पर कार्यान्वित किए जाते हैं।"*

विनियामक द्वारा शुल्क प्रभारित करना – भारत और अन्य अधिकारक्षेत्रों में–बिल्कुल सामान्य है। फाइनेंशियल कंडक्ट ऑथोरिटी, यूनाइटेड किंगडम, तीन प्रकार के शुल्क प्रभारित करता है, अर्थात प्राधिकार शुल्क, प्राधिकार शुल्क में परिवर्तन और फर्मों से आवधिक शुल्क, जिन्हें वे फर्म की विनियमित गतिविधि के प्रकार, फर्म द्वारा किए गए व्यवसाय की राशि और गतिविधि को विनियमित करने के लिए वहन की गई लागत के आधार पर प्राधिकृत करते हैं। प्रतिभूति विनिमय आयोग, संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा प्रत्येक राष्ट्रीय प्रतिभूति विनिमय के लिए ऐसे विनिमय पर संव्यवहार प्रतिभूतियों की बिक्री की कुल राशि के प्रति एक मिलियन डालर पर 15 डालर शुल्क और ऐसी एसोसिएशन के सदस्य द्वारा अथवा उसके माध्यम से बिक्री की कुल राशि का प्रति 1 मिलियन 15 डालर शुल्क का भुगतान करना अपेक्षित है। सेबी अपने वार्षिक कारोबार के आधार पर हर मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज से वार्षिक विनियामक शुल्क भी वसूलता है। इसके अलावा, प्रत्येक स्टॉकब्रोकर/क्लियरिंग सदस्य/सेल्फ–क्लियरिंग सदस्य से उनके द्वारा किए गए ऑफ–मार्केट लेनदेन सहित प्रतिभूति लेनदेन के संबंध में निर्दिष्ट दरों पर शुल्क का भुगतान करना अपेक्षित होता है।

प्रत्येक व्यवसाय के लिए एक विनियामक होता है। इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया (आईसीएसआई) कंपनी सचिवों के व्यावसायों और दी इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया (आईसीएआई) चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के पेशे आदि का विनियमन करता है। प्रत्येक कंपनी सचिव, संस्थान का सदस्य बनने के लिए प्रवेश शुल्क का भुगतान करता है। वह अपनी सदस्यता को जारी रखने के लिए वार्षिक सदस्यता शुल्क अदा करता है। वह प्रेक्टिस प्रमाणपत्र लेने के लिए अतिरिक्त वार्षिक शुल्क का भुगतान करता है। अधिकांश अन्य व्यावसायिक अपने विनियामकों को इसी प्रकार शुल्क का भुगतान करते हैं। ऐसे अधिकांश विनियामक अपने सदस्यों से शुल्क–आधारित आय के संबंध में आत्मनिर्भर हैं। संहिता ने हाल ही तक बोर्ड को आईपी, आईपीए और आईयू के रजिस्ट्रीकरण के लिए शुल्क या अन्य शुल्क प्रभारित करने की अनुमति दी थी। दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता (दूसरा संशोधन) अधिनियम, 2018 ने इस संहिता के प्रयोजनों को पूरा करने के लिए सेबी अधिनियम, 1992, आईआरडीएआई अधिनियम, 1999 या पीएफआरडीए अधिनियम, 2013 के उपबंधों के समान ही आईपी, आईपीए और आईयू के रजिस्ट्रीकरण और नवीनीकरण शुल्क सहित, शुल्क या अन्य शुल्क प्रभारित करने की अनुमति दी। पूर्वोक्त के अनुसार और इस पर विचार करते हुए कि आईपी और आईपीई पर बोर्ड की निगरानी का बोर्ड के विनियामक खर्चों पर सीधा प्रभाव पड़ता है, आईबीबीआई ने एक शुल्क प्रभारित करने के लिए आईपी विनियमों में संशोधन किया जिसकी गणना आईपी द्वारा अर्जित शुल्क और आईपीई द्वारा अपनी लागतों को वहन करने के लिए प्राप्त कारोबार के आधार पर की जाती है।

आईबीबीआई द्वारा अपेक्षित परीक्षा उत्तीर्ण की है और आईपीए से पूर्व रजिस्ट्रीकरण शैक्षिक पाठ्यक्रम पूरा किया है।

(ख) परीक्षा का पाठ्यक्रम, प्रारूप, अर्हता अंक और परीक्षा की बारंबारता, परीक्षा से कम से कम तीन माह पूर्व आईबीबीआई की वेबसाइट पर प्रकाशित की जाएगी।

(ग) 10/15 वर्ष के अपेक्षित अनुभव वाला व्यक्ति दिवाला व्यावसायिक के रूप में रजिस्ट्रीकरण का पात्र है। इसके अलावा, बहुत कम अनुभव या अनुभवहीन व्यक्ति भी जीआईपी सफलतापूर्वक पूरा करने पर आईपी के रूप में रजिस्ट्रीकरण का पात्र होगा, जैसा कि आईबीबीआई द्वारा अनुमोदित किया जाए।

(घ) रजिस्ट्रीकरण की शर्त के रूप में, आईपी आईबीबीआई द्वारा यथा–अपेक्षित निरंतर व्यावसायिक शिक्षा जारी रखेगा।

(ङ) आईपी, संहिता के अधीन अपने कार्यों, कर्तव्यों और जिम्मेदारियों को आउटसोर्स नहीं करेगा।

---

[9] रॉय, एस और अन्य (2019), 'बिल्डिंग स्टेट केपेसिटी फोर रेगुलेषन इन इंडिया' इन रेगुलेषन इन इंडिया: डिजाइन, केपेसिटी, परफार्मेन्स, संस्करण। डी. कपूर और एम. खोसला, हार्ट पब्लिशिंग।

[10] ओईसीडी (2014), द गवर्नेंस ऑफ रेगुलेटर्स, ओईसीडी बेस्ट प्रैक्टिस प्रिंसिपल्स फॉर रेगुलेटरी पॉलिसी, ओईसीडी पब्लिशिंग, पेरिस।

[11] उच्चतम न्यायालय (2001), बीएसई ब्रोकर्स फोरम बनाम सेबी (2001) 3 एससीसी 482.

[12] वित्तीय क्षेत्र विधायी सुधार आयोग की रिपोर्ट (2013), खंड I विश्लेषण और सिफारिशें।

[13] भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड के निर्माण पर कार्यसमूह की रिपोर्ट (2016)।

(च) आईपी उसे देय शुल्क, आईपीई को देय शुल्क, और आईपीए के लिए, जिसका वह व्यावसायिक सदस्य है, द्वारा रखे गए व्यावसायियों को देय शुल्क बताएगा, और एजेंसी इसे अपनी वेबसाइट पर प्रदर्शित करेगी।

आईबीबीआई ने निम्नलिखित प्रावधान करने के लिए 11 अक्टूबर, 2018 को आईपी विनियमनों में संशोधन किया

(क) आईपी, प्रत्येक वर्ष 30 अप्रैल को या उससे पहले, आईबीबीआई को विगत वित्तीय वर्ष में उसके द्वारा प्रदान की गई सेवाओं के लिए अर्जित व्यावसायिक शुल्क के 0.25 प्रतिशत की दर से परिकलित शुल्क का भुगतान करेगा;

(ख) आईपीई के रूप में मान्यता का आवेदन करनेवाला पात्र व्यक्ति, मान्यता के लिए आवेदन के साथ रु. 50,000 आवेदन शुल्क अदा करेगा;

(ग) आईपीई, प्रत्येक वर्ष 30 अप्रैल को या उससे पहले, आईबीबीआई को विगत वित्तीय वर्ष में उसके द्वारा प्रदान की गई सेवाओं से आय के 0.25 प्रतिशत की दर से परिकलित शुल्क का भुगतान करेगा;

(घ) आईपीई, जब कोई व्यक्ति निदेशक या साझेदार नहीं रहता अथवा निदेशक या साझेदार, जैसा मामला हो, के रूप में शामिल होता है, सात दिनों के भीतर 2000 रुपये के शुल्क के साथ आईबीबीआई को इसकी सूचना देगा; और

(ङ) किसी आईपी या आईपीई द्वारा शुल्क के भुगतान में विलंब होने पर न चुकाए गए शुल्क की राशि पर 12 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से साधारण ब्याज देना होगा।

बॉक्स 2 इस नियामक कार्रवाई के औचित्य और पृष्ठभूमि को सूचीबद्ध करता है।

सुविधा

आईबीबीआई का प्रयास आईपी को उनके कर्तव्यों के निर्वहन को सुविधाजनक बनाना है। यह कानून और न्यायशास्त्र में घटनाक्रमों को उनके मार्गदर्शन के लिए तुरंत आईपी के नोटिस में लाता है। इसने 29 जून, 2018 को आईपी को परिस्थितियों की जानकारी देते हुए विस्तृत सुविधा संचार जारी किया, जब एए उनके बचाव में आया है और परेशानियों के मामले में उनके पास विकल्प उपलब्ध हुए। इसने दोहराया कि आईआरपी/आरपी न्यायालय के अधिकारी के रूप में कार्य कर रहा है और अधिकारी के रूप में उनका कोई अनुपालन न करना न्यायालय की अवमानना होगी। इसके अलावा, संहिता के अधीन बनाए गए विनियमों के साथ पठित संहिता ने सीआईआरपी में एक आईपी और सीओसी की जिम्मेदारियां निर्धारित कर दी हैं और उन्हें कुछ जिम्मेदारियां संयुक्त रूप से सौंपी हैं। उभरता न्यायशास्त्र सीआईआरपी में उनकी संबंधित भूमिकाओं के संबंध में और अधिक स्पष्टता ला रहा है। आईबीबीआई ने, 1 मार्च, 2019 को, तीन आईपीए के परामर्श से आईपी और सीओसी के दायित्वों को सांकेतिक चार्टर जारी किया ताकि वे सीआईआरपी में अपनी भूमिकाओं एवं उत्तरदायित्वों को पूर्ण और स्पष्ट तरीके से समझ सकें।

दिवाला व्यावसायिक संस्थाएं

आईपीई संस्थागत व्यवस्था है जो कुछ आईपी इस शर्त के अध्यधीन किसी भी व्यावसायिक आवश्यकता के मामले में उन्हें सहायता सेवाएं प्रदान करने के लिए संगठनात्मक क्षमता का निर्माण करने में सक्षम बनाता है कि आईपीई, आईपी के तौर पर अपने साझेदारों अथवा निदेशकों की भूल–चूक के सभी कृत्यों के लिए संयुक्त रूप से और अलग–अलग उत्तरदायी होगी। आईपीई न तो आईपीए के सदस्य के रूप में नामांकित किया जाता है न ही आईपी के रूप में रजिस्ट्रीकृत किया जाता है और संहिता के अधीन यह आईपी का कार्य नहीं कर सकता। एक एलएलपी, रजिस्ट्रीकृत साझेदारी फर्म और कंपनी को आईपीई के रूप में मान्यता दी जाती है यदि एलएलपी या रजिस्ट्रीकृत साझेदारी फर्म के अधिकांश साझेदार या कंपनी के अधिकांश पूर्णकालिक निदेशक संहिता के अधीन आईपी के रूप में रजिस्ट्रीकृत हैं। आईपी किसी मान्यता प्राप्त आईपीई के संगठनात्मक संसाधनों का उपयोग कर सकता है।

विनियमनावली में आईपीई की मान्यता का प्रावधान है। आईबीबीआई ने इस व्यवस्था के लिए 1 अप्रैल, 2018 से प्रभावी आईपी विनियमों में, 28 मार्च, 2018 से प्रभावी संशोधन किया कि कोई कंपनी, रजिस्ट्रीकृत साझेदारी फर्म या एलएलपी, आईपीई के रूप में मान्यता की पात्र होगी, यदिः– (क) इसका एकमात्र उद्देश्य उस आईपी को सहायता सेवाएँ प्रदान करना है, जो इसके भागीदार या निदेशक हैं, जैसा भी मामला हो; (ख) इसके पास एक करोड़ रुपये से कमतर निवल मूल्य नहीं है; (ग) इसके अधिकांश शेयर आईपी के पास हैं, जो इसके निदेशक हैं, यदि यह एक कंपनी है; (घ) अधिकांश पूंजी योगदान आईपी द्वारा किया जाता है, जो इसके भागीदार हैं, यदि यह एलएलपी फर्म या रजिस्ट्रीकृत साझेदारी फर्म है; (ड) इसके अधिकांश भागीदार या निदेशक, जैसा भी मामला हो, आईपी हैं; (च) इसके अधिकांश पूर्णकालिक निदेशक आईपी हैं, यदि यह एक कंपनी है; और (छ) इसका कोई भी भागीदार या निदेशक किसी अन्य आईपीई का भागीदार या निदेशक नहीं है। इसने आईपीई पर शुल्क लगाने के लिए 11 अक्टूबर, 2018 को आईपी विनियमों में संशोधन किया।

दिवाला व्यावसायिक अभिकरण

दिवाला व्यवसाय, द्विस्तरीय विनियामक संरचना है जिसमें आईबीबीआई प्रधान विनियामक है और कई आईपीए, फ्रंटलाइन विनियामक हैं। आईपीए, आईबीबीआई के पास रजिस्ट्रीकृत बाजार संस्थाएं हैं, जो आईबीबीआई की निगरानी के अध्यधीन नियामक या निगरानी सेवाएं प्रदान करती हैं। यदि ऐसा पाया गया कि उनकी अधिदेशित भूमिका अदा करने में कमी है, तो उनका रजिस्ट्रीकरण वापस लिया जा सकता है। वे बेहतर दिवाला सेवाएं प्रदान करने के लिए एक–दूसरे के साथ प्रतिस्पर्धा करते हैं।

आईपीए विनियमन

आईबीबीआई (दिवाला व्यावसायिक एजेंसियां) विनियमन, 2016 (आईपीए विनियमन) में अन्य बातों के साथ–साथ आईबीबीआई के पास आईपीए के रूप में रजिस्ट्रीकृत होने के लिए प्रावधान किए गए हैं। एक कंपनी जो कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 8 के अधीन रजिस्ट्रीकृत हो, जिसका न्यूनतम निवल मूल्य 10 करोड़ रु. और प्रदत पूंजी 5 करोड़ रुपये हो, आईपीए बनने की पात्र है। आईपीए की कम से कम 51 प्रतिशत शेयर पूंजी, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से भारत में रहने वाले व्यक्तियों के पास धारित होनी चाहिए। आईपीए, इसके प्रायोजक, इसके निदेशक और पूंजीवादी शेयरधारक 'फिट–और उपयुक्त' व्यक्ति होने चाहिए। आईबीबीआई (आदर्श उप–विधि और दिवाला व्यावसायिक अभिकरण शासी परिषद्) विनियमन, 2016 (उप–विधि विनियमन) किसी आईपीए के लिए उन उप–विधियों को अपनाना अनिवार्य बनाता है जो आईबीबीआई द्वारा बनाए गए आदर्श उप–विधियों के अनुरूप हों। स्वतंत्र निदेशकों की संख्या शेयरधारक निदेशकों की संख्या से कमतर नहीं होगी और एक–चौथाई से अधिक निदेशक आईपी नहीं होने चाहिएं। आईपीए के लिए व्यावसायिक सदस्यों के विनियमन और निरीक्षण के लिए सदस्यता समिति(यां), निगरानी समिति, शिकायत निवारण समिति(यां), और अनुशासनात्मक समिति(यां) (डीसी) होना अपेक्षित है। उनके कार्य–निष्पादन, सांविधिक अपेक्षाओं के अनुपालन की निगरानी की सुगमता के लिए और पारदर्शिता एवं जवाबदेही के हित में, आईबीबीआई ने उनके परामर्श से वार्षिक अनुपालन प्रमाणपत्र का प्रारूप बनाया है जो आईबीबीआई को प्रस्तुत करना होगा और वित्तीय वर्ष समाप्त होने के 45 दिन की भीतर उनकी वेबसाइट पर प्रदर्शित करना होगा।

आईबीबीआई ने निम्नलिखित प्रावधान करने के लिए 11 अक्टूबर, 2018 को उप–विधि विनियमों में संशोधन किया:

(क) किसी आईपीए के शासी बोर्ड में प्रबंध निदेशक, स्वतंत्र निदेशक और शेयरधारक निदेशक शामिल होंगे। प्रबंध निदेशक को स्वतंत्र निदेशक या शेयरधारक निदेशक नहीं माना जाएगा। एक व्यक्ति, प्रत्येक तीन–तीन वर्ष के अधिकतम दो कार्यकालों या उसके कुछ भाग अथवा सत्तर वर्ष की आयु तक, जो भी पहले हो, स्वतंत्र निदेशक के रूप में काम कर सकता है;

(ख) आईपीए, आईबीबीआई द्वारा समय–समय पर जारी किए गए दिशा–निर्देशों के अध्यधीन प्रबंध निदेशक के चयन और नियुक्ति से जुड़ी अर्हता और अनुभव, नियुक्ति विधि, नियुक्ति के नियम व शर्तें और अन्य प्रक्रियात्मक औपचारिकताओं का निर्धारण करता है। प्रबंध निदेशक की नियुक्ति, नियुक्ति का नवीनीकरण और सेवा की समाप्ति आईबीबीआई के पूर्व अनुमोदन के अध्यधीन होंगे; तथा

(ग) प्रबंध निदेशक, सदस्यता समिति, निगरानी समिति, शिकायत निवारण समिति और डीसी के पदेन सदस्य होंगे।

आईबीबीआई ने यह प्रावधान करने के लिए 11 अक्टूबर, 2018 को आईपीए विनियमों में संशोधन किया कि कोई भी व्यक्ति, किसी भी समय, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, अकेले या समूह में काम करने वाले व्यक्तियों के साथ मिलकर किसी आईपीए में 5 प्रतिशत से अधिक चुकता इक्विटी शेयर पूंजी अर्जित या धारित नहीं करेगा। हालाँकि, कुछ संस्थाएँ, नामतः स्टॉक एक्सचेंज, निक्षेपागार, बैंकिंग कंपनी, बीमा कंपनी, सार्वजनिक वित्तीय संस्थान और बहुपक्षीय वित्तीय संस्थान, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, अकेले या समूह के रूप में काम करने वाले व्यक्तियों के साथ मिलकर किसी आईपीए में 15 प्रतिशत तक संदत्त इक्विटी शेयर पूंजी अर्जित या धारित कर सकते हैं। इसके अलावा, केंद्र सरकार, राज्य सरकार और सांविधिक नियामक, किसी आईपीए की 100 प्रतिशत तक चुकता इक्विटी शेयर पूंजी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, अर्जित या धारित कर सकते हैं। आईपीए, इसके प्रवर्तक, निदेशक और शेयरधारक 'फिट और उपयुक्त' व्यक्ति होने आवश्यक हैं।

आईबीबीआई, विषय विशिष्ट बैठकों के अतिरिक्त घटनाक्रम साझा करने और उनको पेश आने आने वाली समस्याओं का समाधान करने के लिए हर माह की 7 तारीख को आईपीएएस के प्रबंध निदेशक (एमडी)/मुख्य कार्यकारी अधिकारियों (सीईओ) से बैठक करता है। आईपीए अपने सदस्यों के आचरण और कार्य–निष्पादन की निगरानी कर रहे हैं और अपने उन सदस्यों के विरुद्ध उचित कार्रवाई शुरू करते हैं जो संहिता विनियमनों के उपबंधों का पालन नहीं करते हैं। वे अपने सदस्यों की क्षमता के निर्माण के लिए कई उपाय भी कर रहे हैं। सारणी 7 में 2017–18 में उनके द्वारा आयोजित कार्यक्रमों का विवरण प्रस्तुत किया गया है। आईपीएएस द्वारा अपने सदस्यों के लाभ के लिए विभिन्न प्रकाशनों का विवरण सारणी 8 में दिया गया है।

सारणी 7: 2018–19 में आईपीए द्वारा आयोजित किए गए कार्यक्रम

कार्यक्रम	निम्न द्वारा आयोजित कार्यक्रमों की संख्या				लाभार्थियों की संख्या
	आईपीए आईसीएआई	आईसीएसआई आईआईपी	आईआईआईपी आईसीएआई	कुल	
प्रारंभिक पाठ्यक्रम	04	शून्य	शून्य	04	50
पंजीकरण पूर्व पाठ्यक्रम	16			16	786
वेबिनार	16	05	05	26	20620
कार्यशालाएं	10	शून्य	05	15	1350
गोलमेज	20	06	04	30	2792
संगोष्ठियां/सम्मेलन	08	04	06	18	2234

सारणी 8: 2018–19 में आईपीए द्वारा प्रकाशनों का विवरण

क्र. सं.	प्रकाशन की प्रकृति	प्रकाशन का नाम	आवधिकता	प्रकाशन का माह	संस्करणों की संख्या
		आईपीए आईसीएआई			
1	ई–जर्नल	दी इनसॉल्वेंसी प्रोफेशनल्सः यूअर इनसाइट जर्नल	मासिक	अक्तूबर, नवंबर और दिसंबर, 2018	03
2	दैनिक अद्यतन	आईबीसी एयू–काउरेंट	दैनिक	सितंबर, 2018 से	150
		आईसीएसआई आईआईपी			
1	रेडी रिकॉनर्स	इंटरिम रिजाल्यूशन प्रोफेशनल	संस्करण	अगस्त, 2018	01
2		प्रेक्टिकल आस्पेक्ट्स ऑफ इनसॉल्वेंसी लॉज	संस्करण	मई, 2018, अगस्त, 2018	02
3		इनसॉल्वेंसी एण्ड बैंकरप्टसी कोड, 2016 (विद रूल्स एण्ड रेग्यूलेशन्स)	संस्करण	अगस्त, 2018, दिसंबर, 2018, मार्च, 2019	03
4		ज्यूडिशियल /रेग्यूलेटरी रूलिंग्स फोर स्टेकहोल्डर्स	संस्करण	जनवरी, 2019	01
5		वॉलेंटरी लिक्वीडेशन	संस्करण	अगस्त, 2018	01
6	ज्ञान पहल	लर्निंग कर्व्स	दैनिक	फरवरी, 2019 से	36
		नॉलेज रेपोनेरे	पाक्षिक/मासिक	अप्रैल, 2018 से	19
		एमसीक्यू सीरीज (लिमिटेड इनसॉल्वेंसी एग्जामिनेशन)	संस्करण	फरवरी, 2018 जनवरी, 2019	02
7	पत्रिका	आईसीएसआई आईआईपी इनसॉल्वेंसी एण्ड बैंकरप्टसी जर्नल	मासिक	अप्रैल, 2018 से	12
8	अनुसंधान	लीगल फ्रेमवर्क ऑफ ग्रुप इनसॉल्वेंसी	एक बार	मार्च, 2019	01

आईआईआईपी आईसीएआई					
1	न्यूजलेटर	राउंड अप ऑफ न्यूज रिलेटेड टू आईबीसी	साप्ताहिक	जनवरी, 2019 से	11
2	न्यायिक निर्णयों पर अद्यतन	ई–ज्यूरीस	अर्ध–वार्षिक	अक्तूबर, 2018	01
3	पुस्तकें	ज्यूडिशियल प्रोनाउन्समेंट अंडर आईबीसी, 2016: सीरीज–1	एक बार	जुलाई, 2018	01
4		ज्यूडिशियल प्रोनाउन्समेंट अंडर आईबीसी, 2016: सीरीज–2	एक बार	जनवरी, 2019	01
5	ई–लर्निंग:एक ऑनलाईन मंच	लिमिटेड इनसॉल्वेंसी एग्जामिनेशन	वार्षिक	जनवरी, 2019	01

सूचना उपयोगिताएं

व्यतिक्रम का निर्धारण करना, संहिता के अधीन प्रक्रियाओं में तेजी लाने के लिए महत्वपूर्ण है। इसमें समय लग सकता है और संभावित रूप से प्रक्रिया शुरू होने में देरी हो सकती है। इसके शुरू होने के बाद दावों के प्रमाण से प्रक्रिया धीमी हो सकती है। व्यवस्था होने से, जहां देनदार से संबंधित वित्तीय जानकारी संग्रहीत होती है, प्रक्रिया शुरू करने और प्रक्रियाओं को पूरा करने में समय में बहुत कमी आ जाएगी। संहिता में वित्तीय सूचनाओं को संग्रहीत करने के लिए आईयू की परिकल्पना की गई है जिससे व्यतिक्रम साबित करने और दावों को शीघ्रता सत्यापित करने में मदद मिलती है और इससे संहिता के अधीन प्रक्रियाओं को समयबद्ध तरीके से पूरा करने में सुविधा मिलती है। बीएलआरसी ने बाजार की विफलता से बचने के लिए, राज्य के पास केंद्रीकृत निक्षेपागार के बजाय इंटरऑपरेबल आईयू के लिए निजी प्रतिस्पर्धी बाजार की परिकल्पना की। यह सुनिश्चित करने के लिए कि आईयू, दिवाला और शोधन अक्षमता के समाधान के लिए आवश्यक सूचनाओं को संग्रहीत करता है, संहिता ने एफसी के लिए डाटा प्रस्तुत करना अनिवार्य कर दिया और आईयू के लिए इस डाटा को स्वीकार करना बाध्य कर दिया है। सटीकता सुनिश्चित करने और विवादों की रोकथाम करने के लिए, संहिता में अधिदेशित है कि इन रिकॉर्डों को सभी संबंधित पक्षों के साथ सह–सत्यापित किया जाए। संहिता में यह विहित है कि संहिता के अधीन अपने कार्यों का निर्वहन करने में आईआरपी, आरपी, परिसमापक या दिवाला ट्रस्टी के रूप में कार्य करनेवाले आईपी द्वारा आईयू के रिकॉर्डों को प्राप्त किया जा सकता है। आईयू एक नवीन सृजन है और किसी अन्य क्षेत्राधिकार में इसका कोई समानांतर नहीं है।

आईयू विनियमन

आईबीबीआई (सूचना उपयोगिताएं) विनियमन, 2017 (आईयू विनियमन) में आईयू के रजिस्ट्रीकरण और विनियमन की रूपरेखा दी गई है। न्यूनतम 50 करोड़ रुपये निवल मूल्य वाली पब्लिक कंपनी आईयू के रूप में रजिस्ट्रीकरण की पात्र है। इसके आधे से अधिक निदेशक, स्वतंत्र निदेशक होंगे। आईयू, इसके प्रायोजक, इसके निदेशक, इसके प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक (केएमपी), और इसकी 5 प्रतिशत से अधिक चुकाई गई इक्विटी शेयर पूंजी या इसकी कुल मतदान शक्ति के धारक व्यक्ति, फिट और उपयुक्त व्यक्ति होंगे। आमतौर पर, एक व्यक्ति के पास चुकाई गई इक्विटी शेयर पूंजी का 10 प्रतिशत से अधिक नहीं होना चाहिए, जबकि कुछ निर्दिष्ट व्यक्ति चुकाई गई इक्विटी शेयर पूंजी के 25 प्रतिशत तक हिस्सा धारित कर सकते हैं। हालाँकि, शुरू में, कुछ आवश्यकताओं को पूरा करने वाला व्यक्ति 51 प्रतिशत या भारतीय कंपनी, रजिस्ट्रीकरण की तारीख के तीन वर्षों के लिए किसी आईयू की संदत्त इक्विटी शेयर पूंजी के 100 प्रतिशत तक धारित कर सकती है, यदि आईयू 30 सितंबर, 2018 से पहले रजिस्ट्रीकृत है। हालांकि, इस विशेष व्यवस्था के अधीन अब तक कोई आईयू रजिस्ट्रीकृत नहीं किया गया है।

आईबीबीआई ने आईयू के संबंध में 11 अक्टूबर, 2018 को आईबीबीआई (मॉडल बाय–लॉज एण्ड गवर्निंग बोर्ड ऑफ इनसॉल्वेंसी प्रोफेशनल एजेंसीज) विनियमन, 2016 के संशोधन में दिए गए मामलों के सदृश मामलों के लिए प्रावधान करने के लिए 11 अक्टूबर, 2018 को आईयू विनियमों में संशोधन किया। संशोधन विनियमों के लागू किए जाने की तारीख को, आईबीबीआई के साथ रजिस्ट्रीकृत आईपीए और आईयू को एक वर्ष के भीतर संशोधित नियमों का पालन करना आवश्यक है।

परिवाद और शिकायतें

आईबीबीआई ने 7 दिसंबर, 2017 को आईबीबीआई (परिवाद और शिकायत निपटान प्रक्रिया) विनियमन, 2017 (शिकायत विनियमन) को अधिसूचित किया। कोई भी हितधारक शिकायत दर्ज कर सकता है जिसमें उस सेवा प्रदाता के उपाय का विवरण, जिसने व्यथित व्यक्ति को पीड़ित किया है, परिवाद का विवरण कि क्या यह वित्तीय है अथवा किसी अन्य प्रकार की, जिससे पीडित व्यक्ति गुजरा है; सेवा प्रदाता के व्यवहार ने किस प्रकार पीड़ा पहुंचाई है, सेवा प्रदाता से व्यथा का समाधान करने के लिए उसके द्वारा किए गए प्रयास, और व्यथा को किस प्रकार दूर किया जा सकता है, का विवरण दिया गया हो। यह 2500 रुपये के शुल्क के साथ निर्दिष्ट प्ररूप में शिकायत दर्ज कर सकता है। शिकायत में संहिता के किसी भी उपबंध अथवा इसके अधीन नियमों, या विनियमों, या दिशा–निर्देशों के किसी भी उपबंध के कथित उल्लंघन अथवा आईबीबीआई द्वारा किसी सेवा प्रदाता या उससे जुडे व्यक्तियों को जारी किए गए दिशा–निर्देश या परिपत्र या निर्देश; सेवा प्रदाता या उससे जुडे व्यक्तियों के कथित आउपाय या गतिविधि का विवरण, ऐसे उपाय या गतिविधि की तारीख और स्थान के साथ बताया जाना आवश्यक है जिससे कानून के उपबंधों का उल्लंघन हुआ है, और कथित उल्लंघन के समर्थन में प्रमाण का विवरण दिया जाए। यदि शिकायत गंभीर है, तो शुल्क वापस कर दिया जाता है। जहां आईबीबीआई का अभिमत है कि वहां प्रथम दृष्टया मामला बनता है, वह निरीक्षण या जांच का आदेश दे सकता है या कारण बताओ नोटिस जारी कर सकता है, जैसाकि अनिवार्य है। भाग घ में शिकायतों की प्राप्ति और निपटान का विवरण प्रस्तुत किया गया है।

निरीक्षण और जांच

कानून के लागू उपबंधों के अनुपालन के संबंध में तथ्यों को सत्यापित करने का मानक तंत्र हैं। इस सत्यापन के आधार पर, उपयुक्त प्रवर्तन कार्रवाई, यदि आवश्यक हो, शुरू की जाती हैं। चूंकि निरीक्षण और जांच से सेवा प्रदाताओं पर प्रभार लगाने के अतिरिक्त, उनकी स्वतंत्रता का उल्लंघन होता है और निरीक्षण और जांच से परिणाम में उन पर प्रवर्तन कार्रवाई की जा सकती है, संबंधित हितधारकों को निरीक्षण और जांच से कष्ट को कम से कम करने के लिए और साथ ही, अनावश्यक प्रवर्तन कार्रवाई से बचने के लिए स्पष्ट अभिशासन सिद्धांत होने चाहिएं जैसाकि धारा 196(1)(ध) के अधीन अपेक्षित है। बोर्ड ने तदनुसार 14

जून, 2017 को आईबीबीआई (निरीक्षण और जांच) विनियमन, 2017 अधिसूचित किया।

इन विनियमनों के अनुसार बोर्ड किसी परिवाद, शिकायत या किसी अन्य आदान से कारण निरीक्षण के अलावा, प्रत्येक वर्ष निश्चित संख्या में सेवा प्रदाताओं का निरीक्षण कर सकता है। निरीक्षण करने के लिए, इसे निर्दिष्ट उद्देश्यों के लिए एक सेवा प्रदाता के रिकॉर्ड का निरीक्षण करने के लिए निरीक्षण प्राधिकरण (आईए) नियुक्त करने के लिए आदेश जारी करना होता है। आदेश में निरीक्षण के दायरे, आईए की संरचना निरीक्षण करने के लिए समय सीमा, निरीक्षण में प्रगति की रिपोर्टिंग, निरीक्षण रिपोर्ट प्रस्तुत करना, आदि का उल्लेख होता है। बोर्ड और आईए निरीक्षण को गोपनीय बनाए रखने और निरीक्षण के अधीन सेवा प्रदाता के व्यवसाय पर कम से कम बोझ, या व्यवधान पैदा करने का हर संभव प्रयास करते हैं। विनियमों में कारण बताओ नोटिस के निपटान सहित, जहां जारी किया गया हो, निरीक्षण के तरीके और निरीक्षण रिपोर्ट पर विचार करने के तरीके की व्यवस्था की गई है। बोर्ड द्वारा आयोजित निरीक्षणों का विवरण सारणी 9 में प्रस्तुत किया गया है।

सारणी 9: बोर्ड द्वारा आयोजित निरीक्षण

वर्ष	निरीक्षणों की संख्या			
	आरंभ में जारी	आदेशित निरीक्षण	बंद निरीक्षण	अंत में जारी निरीक्षण
2016–17	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
2017–18	0	2	0	2
2018–19	2	10	3	9
कुल	**लागू नहीं**	**12**	**3**	**लागू नहीं**

रजिस्ट्रीकृत मूल्यांकक

विभिन्न पक्ष वस्तुओं या सेवाओं का आदान–प्रदान आमतौर पर बाजार द्वारा निर्धारित कीमत पर करते हैं। हालांकि, उन्हें वस्तुओं या सेवाओं के आदान–प्रदान के लिए मूल्य की आवश्यकता होती है, जिसके लिए या तो बाजार मौजूद नहीं होता, या बाजार कई कारणों से अप्रमाणिक कीमत वसूल करता है। उन्हें मूल्य की आवश्यकता संदर्भ अथवा तुलना के लिए भी होती है ताकि वे दिवाला कार्यवाही में समाधान योजना प्रस्तुत या स्वीकार करने जैसे विवेकपूर्ण निर्णय ले सकें। यदि मूल्य प्रामाणिक और वास्तविक नहीं है तो मूल उद्देश्य ही समाप्त हो जाता है। हितधारक किसी कंपनी का अनुचित परिसमापन कर सकते हैं यदि वे समाधान योजनाओं के अधीन प्रस्तावित मूल्य के साथ तुलना के लिए अधिक संदर्भ मूल्य का उपयोग करते हैं। ऐसे निर्णयों से पक्षों को अनुचित लाभ या हानि के अतिरिक्त अनुपयुक्त मूल्यों के उपयोग के कारण लिए जाने वाले निर्णयों में बाजार को विकृत करने और संसाधनों का गलत आबंटन हो सकता है। इसके लिए मूल्यांकन व्यावसाय को संस्थागत बनाना आवश्यक है।

भारत में मूल्यांकन व्यवसाय का लंबा इतिहास रहा है। विभिन्न संविधियां–बैंकिंग, प्रतिभूतियां, कर, कंपनी, दिवाला– के लिए विभिन्न प्रयोजनों के लिए मूल्यांकन की आवश्यकता होती है। अलग द्वीप के रूप में कार्यरत प्रत्येक संविधि इस बात पर फोकस करती है कि किसका मूल्यांकन कराना आवश्यक है, मूल्यांकन सेवाएं कौन प्रदान कर सकता है और इस मूल्यांकन का क्या तरीका है। कई स्व–विनियमन संगठनों ने आमतौर पर उपयोगकर्ताओं की जरूरतों को पूरा करने के लिए विशेषज्ञता का निर्माण करने का प्रयास किया है। इनमें से प्रत्येक अलग रहकर अपने–अपने सदस्यों के हितों को अलग से बढ़ावा देता है। इन्होंने, मांग और आपूर्ति दोनों ओर से पेशे के सर्वांगीण विकास को खतरे में नहीं डाला है जिनमें से अधिकांश बहुत छोटे हैं और उनमें क्षमता एवं प्रेरणा का अभाव है। चूंकि किसी भी द्वीप में कोई भी और हर कोई शामिल हो सकता है, पेशे में उसका अकादमिक हित सीमित होता है। इन सीमाओं के बावजूद, मूल्यांकन पेशा एक स्वतंत्र बहु–विषयक पेशे के रूप में विकसित हुआ है। कंपनी (रजिस्ट्रीकृत मूल्यांकक और मूल्यांकन) नियमावली, 2017 (मूल्यांकन नियमावली) में मूल्यांकन पेशे के विकास और विनियमन के लिए एकीकृत संस्थागत ढांचा दिया गया है, हालांकि इसका दायरा संहिता और कंपनी अधिनियम, 2013 के अधीन आवश्यक मूल्यांकन तक सीमित है। केंद्र सरकार ने आरवी के रूप में रजिस्ट्रीकरण के लिए विभिन्न स्पष्टीकरण देने, अपेक्षित अर्हता एवं अनुभव को सुगम बनाने और 1 फरवरी, 2019 से मूल्यांकन को केवल आरवी द्वारा किए जाने को अधिदेशित करने के लिए 2018–19 के दौरान तीन बार, 13 जून, 2018, 25 सितंबर, 2018 और 13 नवंबर, 2018 को मूल्यांकन नियमों में संशोधन किया। आईबीबीआई ने निर्देशित किया कि 1 फरवरी, 2019 से, कोई भी आईपी, संहिता अथवा उसके अधीन बनाए गए विनियमन के अधीन आरवी से इतर किसी व्यक्ति को किसी भी मूल्यांकन के निष्पादन के लिए नियुक्त नहीं करेगा। हालांकि, मूल्यांकन नियमावली के अधीन यह ढांचा कंपनी अधिनियम, 2013 और संहिता के अलावा किसी अन्य कानून के अधीन मूल्यांकन के निष्पादन को प्रभावित नहीं करता है।

मूल्यांकन नियमों में दिवाला पेशे के मॉडल का व्यापक अनुसरण किया गया है। निर्दिष्ट अर्हता और अनुभव रखने वाले व्यक्ति को आरवीओ के रूप में नामांकन कराना, आरवीओ द्वारा संचालित शैक्षिक पाठ्यक्रम को पूरा करना, आईबीबीआई द्वारा आयोजित परीक्षा उत्तीर्ण करना और बाद में, आईबीबीआई के पास मूल्यांकक के रूप में रजिस्ट्रीकरण कराना आवश्यक होता है। एक संगठन (साझेदारी फर्म और कंपनी) भी एक मूल्यांकक के रूप में रजिस्ट्रीकरण का पात्र है। मूल्यांकन नियमों में मूल्यांकन मानकों और मूल्यांककों के लिए आउपाय संहिता का भी प्रावधान है। आईबीबीआई, मूल्यांकन नियमों के अधीन प्राधिकरण का कार्य करता है। यह आरवीओ की पहचान करता है और मूल्यांककों को रजिस्ट्रीकृत करता है और उन पर निगरानी रखता है। इसने हितधारकों के परामर्श से सभी तीन परिसंपत्ति वर्गों नामत, (क) भूमि और भवन, (ख) संयंत्र और मशीनरी, और (ग) प्रतिभूति या वित्तीय आस्तियों के लिए मूल्यांकन परीक्षा के पाठ्यक्रम, प्रारूप और आवृत्ति का प्रकाशन किया है। यह 31 मार्च, 2018 से रोजाना सभी तीन परिसंपत्ति वर्गों के लिए देश भर के कई स्थानों से कंप्यूटर आधारित ऑनलाइन मूल्यांकन परीक्षा आयोजित करता है। इसमें तीन परिसंपत्ति वर्गों के लिए शैक्षिक पाठ्यक्रम का विवरण निर्दिष्ट किया गया है, जिसे आरवीओ को मूल्यांकन परीक्षा देने से पहले भूमि और भवन और (ख) संयंत्र और मशीनरी के लिए मूल्यांकन अध्ययन,

तत्कालीन माननीय विधि और न्याय एवं कारपोरेट कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री श्री पी. पी. चौधरी द्वारा 19 जुलाई, 2018 को आरवी को प्रमाण पत्र का वितरण।

शोध और प्रशिक्षण एसोसिएशन केंद्र (सीवीएसआरटीए) द्वारा तैयार किया की गई एक बहुत विस्तृत, विश्व स्तरीय अध्ययन सामग्री उपयोगकर्ताओं द्वारा निःशुल्क डाउनलोड के लिए अपनी वेबसाईट पर उपलब्ध कराई है।

इन नियमों के अनुसार, केंद्र सरकार ने मूल्यांकन मामलों पर सलाह देने के लिए 23 अप्रैल, 2018 को डॉ. आर. नारायणस्वामी, प्रोफेसर, वित्त और लेखा, भारतीय प्रबंधन संस्थान (आईआईएम), बंगलुरु की अध्यक्षता में समिति का गठन किया। नियमों में केंद्र सरकार को समिति की सिफारिशों पर मूल्यांकन मानकों (बॉक्स 3) को अधिसूचित और संशोधित करना (समय–समय पर) आवश्यक है। आईबीबीआई ने, नियमों के अधीन 'प्राधिकरण' होने के नाते, आरवी का रजिस्ट्रीकरण शुरू किया। तत्कालीन विधि और न्याय और कारपोरेट कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री, श्री पी. पी. चौधरी ने 19 जुलाई, 2018 को, जो एक बहुत ही महत्वपूर्ण पेशे के जन्म को चिह्नित करता है, 16 आर.वी. के पहले सेट को रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र प्रदान किए। सारणी 10 में मूल्यांकन पेशे के विकास का कालक्रम दर्शाया गया है।

सारणी 10: मूल्यांकन व्यवसाय का विकास

दिनांक	आयोजन
29.11.13	कंपनी अधिनियम, 2013 अधिनियमित किया गयां इसकी धारा 247 में आरवी के लिए प्रावधान किया गया।
28.05.16	दिवाला एवं शोधन अक्षमता संहिता, 2016 अधिनियमित किया गया। धारा 59 में स्वैच्छिक परिसमापन के मामले में आरवी द्वारा तैयार मूल्यांकन रिपोर्ट की आवश्यकता होती है।
30.11.16	आरवी द्वारा मूल्यांकन के लिए आईबीबीआई (कारपोरेट व्यक्तियों के लिए दिवाला समाधान प्रक्रिया), 2016 उपलब्ध किया गया।
26.05.17	कंपनी (रजिस्ट्रीकृत मूल्यांकक एवं मूल्यांकन) नियम, 2017 के मसौदे को सार्वजनिक टिप्पणियों के लिए जारी किया गया।
18.10.17	कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 247 लागू। कंपनी (रजिस्ट्रीकृत मूल्यांकक एवं मूल्यांकन) नियम, 2017 अधिसूचित।
23.10.17	कंपनी (कठिनाइयों को दूर करना) दूसरा आदेश, 2017 आरवीओ के लिए प्रावधान करने हेतु जारी किया गया। कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 247 के अधीन शक्तियां और कार्य आईबीबीआई को सौंपे गए।
27.12.17	दो आरवीओ, अर्थात इंस्टीट्यूशन ऑफ एस्टेट मैनेजर्स एंड अप्रेजर्स, और आईओवी रजिस्ट्रीकृत मूल्यांकक फाउंडेशन, को मान्यता दी गई।
31.03.18	तीनों परिसंपत्ति वर्गों अर्थात संयंत्र और मशीनरी, भूमि और भवन, प्रतिभूति या वित्तीय संपत्ति के लिए मूल्यांकन परीक्षाएं शुरू हुई।
23.04.18	मूल्यांकन मामलों पर सलाह के लिए समिति गठित।
19.07.18	16 आरवी के पहले सेट को रजिस्ट्रीकरण प्रदान करना।
18.12.18	सीवीएसआरटीए द्वारा तैयार परिसंपत्ति वर्ग 'संयंत्र और मशीनरी' के लिए अध्ययन सामग्री उपलब्ध कराई गई।
01.02.19	इस तारीख से आरवी द्वारा कंपनी अधिनियम, 2013 और आईबीसी अनिवार्य के अधीन मूल्यांकनं
26.02.19	परिसंपत्ति सीवीएसआरटीए द्वारा तैयार परिसंपत्ति वर्ग 'भूमि और भवन' के लिए अध्ययन सामग्री उपलब्ध कराई गई

रजिस्ट्रीकृत मूल्यांकक संगठन

आरवीओ आरवी के लिए फ्रंटलाइन विनियामक के रूप में कार्य करते हैं। वे आरवी के निरीक्षण, विकास और विनियमन के लिए संस्थागत व्यवस्था उपलब्ध कराते हैं। वे मूल्यांकन नियमों में दी गई पात्रता आवश्यकताओं का पालन करने वाले मूल्यांकक के लिए सदस्यता प्रदान करते हैं, मूल्यांकन में शैक्षिक पाठ्यक्रम का संचालन करते हैं और सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस (सीओपी) जारी होने से पहले प्रत्येक सदस्यों के लिए प्रशिक्षण प्रदान करते हैं। वे व्यावसायिक उपाय के मानक भी निर्धारित करते हैं और मानकों के पालन के प्रति अपने सदस्यों की निगरानी करते हैं। वे यह सुनिश्चित करने के लिए उचित कार्रवाई कर सकते हैं कि उनके सदस्यों द्वारा मानक नियमों का अनुपालन कड़ाई से की जाए।

ग.2: प्रक्रियाएं

आईबीबीआई अद्वितीय विनियामक है जो सेवा प्रदाताओं के साथ–साथ प्रक्रियाओं को नियंत्रित करता है। जबकि, इसके पास शोधन अक्षमता क्षेत्र में सेवा प्रदाताओं के लिए विनियामक निरीक्षक है, यह प्रकिया नामतः कारपोरेट दिवाला समाधान, कारपोरेट परिसमापन, संहिता के अधीन इंडिविजुअल दिवाला समाधान और इंडिविजुअल शोधन अक्षमता के लिए नियम लिखता भी है और लागू भी करता है।

कारपोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया

संहिता के उद्देश्यों के संबंध में, राष्ट्रीय कंपनी विधि अपील अधिकरण (एनसीएलएटी) ने *बिनानी इंडस्ट्रीज लिमिटेड बनाम बैंक ऑफ बड़ौदा और अन्य*[14] में पायाः *"आईएंडबी संहिता* का उद्देश्य' समाधान है। समाधान का उद्देश्य 'कारपोरेट ऋणदाता' की परिसंपत्तियों के मूल्य को अधिकतम करना और इस तरह सभी लेनदारों के लिए भी करना है। यह 'हितधारक' या 'हितधारकों के एक समूह' जैसे लेनदारों के लिए मूल्य का अधिकतमकरण और उद्यमशीलता को बढ़ावा देने, ऋण की उपलब्धता और हितों को संतुलित करने के लिए नहीं है। पहला उद्देश्य ''समाधान'' है। दूसरा उद्देश्य *''कारपोरेट देनदार'' की 'संपत्ति के मूल्य का अधिकतमीकरण' है और तीसरा उद्देश्य ''उद्यमशीलता को बढ़ावा देना, ऋण की उपलब्धता और हितों को संतुलित करना''* है। उद्देश्य का यह *क्रम अनुलंघनीय* है। "प्राथमिक उद्देश्य संकटग्रस्त व्यक्तियों की संपत्ति के मूल्य को अधिकतम करने हेतु समाधान है। संहिता में इसे स्वीकार किया गया है कि निवर्तमान सरोकार का इसके सभी भागों की अपेक्षा कहीं अधिक मूल्य है। यह व्यावसायिक विफलता को बाजार की अर्थव्यवस्था के कामकाज के सामान्य और वैध अंश के तौर पर देखता है। जब व्यवसाय विफल हो जाते हैं, तो समाज के लिए सबसे अच्छा परिणाम वित्तपोषकों के बीच तीव्र सौदेबाजी करना, नई देनदारी व्यवस्था का उपयोग करते हुए और नई प्रबंधन टीम से निवर्तमान सरोकारों का वित्तपोषण

[14] 2018 का सीए (एटी) (इनसॉल्वेंसी) नं. 2

बॉक्स 3: मूल्यांकन मानक

मूल्यांकनकर्ता किसी संपत्ति (या एक देयता) के मूल्य का अनुमान लगाने के लिए तकनीकी उपकरणों और व्यावसायिक निर्णय का उपयोग करता है। जबकि उसके पास सर्वोत्तम उपलब्ध साधनों का उपयोग करने और अपने ज्ञान को लागू करने की स्वतंत्रता है, उसके द्वारा अनुमानित मूल्य को हितधारकों द्वारा समान रूप से समझा जाना चाहिए और संपत्ति, समय और स्थान पर तुलनीय होना चाहिए ताकि इस तरह के मूल्यांकन के आधार पर विवेकपूर्ण व्यापारिक निर्णय लिए जा सकें। यदि प्रत्येक मूल्यांकक एक ही परिस्थिति में अलग–अलग दृष्टिकोणों का उपयोग करके एक अलग मूल्य देता है, तो एक ग्राहक के लिए मूल्यांकन बहुत मुश्किल हो सकता है और सही मूल्यांकन करने वाले मूल्यांकक को अपनी स्थिति का बचाव करना मुश्किल हो सकता है। बाजार मूल्यांकक की क्षमता और मूल्यांकन प्रक्रिया की अखंडता पर सवाल उठा सकता है। मुल्यांकको की जवाबदेही और दायित्व गंभीर रूप से प्रतिबंधित हो सकते हैं। ऐसी स्थिति बाजार के हित में नहीं है जहां मूल्यांकन रिपोर्ट के आधार पर विभिन्न महत्वपूर्ण आर्थिक और वाणिज्यिक निर्णय लिए जाते हैं। इसके लिए मूल्यांकको को विभिन्न मूल्यांकको की मूल्यांकन रिपोर्टों के बीच विचलन के दायरे को कम करने और मूल्यांकनों की विश्वसनीयता, स्थिरता और तुलनात्मकता की पुष्टि के लिए आस्तियों का मूल्यांकन करने हेतु समान धारणाओं, सिद्धांतों, कार्यप्रणालियों और प्रथाओं का उपयोग करने की आवश्यकता होती है।

वित्तीय पतन के परिणाम स्वरुप, जिसमें संपत्ति से संबंधित मूल्यांकन/लेनदेन का पता चला था, 20वीं शताब्दी की अंतिम तिमाही में मूल्यांकन मानकों पर जोर ने अधिक प्रमुखता ग्रहण की। इस तरह के पतन से बचने के लिए पहले राष्ट्रीय स्तर पर और फिर अंतरराष्ट्रीय स्तर[15] पर मूल्यांकन मानकों का उद्भव हुआ। द रॉयल इंस्टीट्यूशन ऑफ चार्टर्ड सर्वेयर (आरआईसीएस) ने रेड बुक प्रकाशित करके यूके में 1970 के दशक के संपत्ति पतन पर प्रतिक्रिया दी, जिससे मूल्यांककों से अपेक्षित मूल्यांकन और व्यावसायिक आउपाय के मानक स्थापित किए गए, जबकि यूएसए में संघीय सरकार ने एक समान मूल्यांकन मानकों और प्रत्येक राज्य में मूल्यांककों के लिए लाइसेंस पर जोर देते हुए 1980 के दशक के उत्तरार्ध के ''बचत और ऋण'' संकट पर प्रतिक्रिया दी।

मूल्यांककों द्वारा अंतर्राष्ट्रीय मूल्यांकन मानक परिषद द्वारा जारी मानकों के दो सेट, अर्थात् अंतर्राष्ट्रीय मूल्यांकन मानक (आईवीएस), और आरआईसीएस रेड बुक व्यापक रूप से अपनाए जाते हैं। इसके अलावा, कुछ भौगोलिक क्षेत्रों में, मूल्यांकन व्यावसायिक संगठन अपने सदस्यों के लिए मानक निर्धारित करते हैं। कई देशों ने अपने स्वयं के मूल्यांकन मानकों को भी निर्धारित किया है, जैसे यूएस (युनिफोर्म स्टैंडर्ड्स ऑफ प्रोफेशनल अप्रैसल प्रक्टिस), मलेशिया (मलेशियन वैल्यूएशन स्टैंडर्ड्स), ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड (ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड वेल्युएशन एंड प्रोपर्टी स्टैंडर्ड्स), आदि। यद्यपि, हाल के दिनों में वर्षों से यह देखा गया है कि देश या तो आईवीएस की ओर बढ़ रहे हैं या ऐसा करने का इरादा कर रहे हैं।

आईवीएस में पांच 'सामान्य मानक' और छह 'परिसंपत्ति–विशिष्ट मानक' शामिल हैं। सामान्य मानकों में सभी परिसंपत्ति वर्गों के मूल्यांकन के लिए लागू मानक, कार्य, जांच और अनुपालन के कवरिंग क्षेत्र, मूल्य, मूल्यांकन दृष्टिकोण और विधियों के आधार और रिपोर्टिंग शामिल होते हैं। परिसंपति–विशिष्ट मानकों में विशिष्ट प्रकार के परिसंपति मूल्यांकन से संबंधित आवश्यकताएं शामिल होती हैं, जिसमें प्रत्येक परिसंपति प्रकार की विशेषताओं की पृष्ठभूमि की जानकारी शामिल होती है, जो मूल्य और अतिरिक्त परिसंपत्ति–विशिष्ट आवश्यकताओं को प्रभावित करती है, जो आम मूल्यांकन दृष्टिकोण और उपयोग किए गए तरीकों से संबंधित हैं। ये व्यवसाय और व्यावसायिक हित, अमूर्त परिसंपत्ति, संयंत्र और मशीनरी, वास्तविक परिसंपत्ति हित, विकास परिसंपत्ति और वित्तीय उपकरण को शामिल करते है। आईवीएस राष्ट्रीय आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए लचीलेपन की अनुमति देता है। कथित तौर पर, कुछ देशों ने आईवीएस को राष्ट्रीय मानकों के रूप में अपनाया है, और कुछ ने राष्ट्रीय विधानों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए संशोधनों के साथ आईवीएस को अपनाया है। व्यावसायिक संगठनों ने कई देशों में अपने सदस्यों के लिए आईवीएस के भागों या सभी आईवीएस को अपनाया है।

आरआईसीएस रेड बुक आईवीएस को अपनाता है और अनुप्रयोग करता है। मानक के तीन रूप हैः (क) नैतिकता और आचरण के आसपास केंद्रित व्यावसायिक मानक, (ख) सामान्य परिभाषा और सम्मेलनों पर केंद्रित तकनीकी मानक, (ग) निर्णय के गहन विश्लेषण और वस्तुनिष्ठता पर केंद्रित प्रदर्शन या वितरण मानक। आरआईसीएस भी स्थानीय सांविधिक अथवा नियामक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए प्रस्थान की अनुमति देता है। प्रस्थान के साथ रेड बुक को राष्ट्रीय मूल्यांकन मानक संघ कहा जाता है, जो कुछ देशों में प्रकाशित हुआ है। मई, 2011 में जारी 'आरआईसीएस वैल्यूएशन स्टैंडर्ड्स – ग्लोबल एंड इंडिया', चार भारत–विशिष्ट मार्गदर्शन नोट उपलब्ध कराता हैः (क) वित्तीय विवरणों के लिए मूल्यांकन, (ख) सुरक्षित ऋण के लिए मूल्यांकन, (ग) भारत में विकास भूमि, और (घ) भारत में कर उद्देश्यों के लिए मूल्यांकन। यह समझा जाता है कि आरआईसीएस भारतीय क्षेत्राधिकार के अधीन शुरु किए गए मूल्यांकन के लिए भारत के लिए रेड बुक हेतु एक राष्ट्रीय पूरक पर काम कर रहा है।

मूल्यांकन नियम अधिदेश करता है कि मूल्यांकन करते समय, एक आरवी केंद्र सरकार द्वारा यथा अधिसूचित या संशोधित मूल्यांकन मानकों का पालन करे। जब तक मूल्यांकन मानकों को केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित या संशोधित नहीं किया जाता है, तब तक एक मूल्यांकक (क) अंतरराष्ट्रीय स्तर पर स्वीकृत मूल्यांकन मानको (ख) किसी भी आरवीओ द्वारा अपनाए गए मूल्यांकन मानकों के अनुसार मूल्यांकन करेगा। मूल्यांकन नियमों का नियम 18 केंद्र सरकार को मूल्यांकन मामलों पर सलाह देने संबंधी समिति की सिफारिशों के आधार पर समय–समय पर मूल्यांकन मानकों को अधिसूचित और संशोधित करने में सक्षम बनाता है ।

करना है। यदि यह संभव नहीं है, तो समाज के लिए सबसे अच्छा परिणाम तीव्र परिसमापन है। जहां ऐसी व्यवस्थाएं होती हैं, बाजार प्रक्रिया सृजनात्मक विनाश को कुशलतापूर्वक प्रेरित करती है।

संहिता के रूप में, और सीआईआरपी विनियमों को लागू किया गया था और हजारों सीआईआरपी शुरू हुए, कुछ कमियां सामने आईं, जिन्हें विधायी संशोधन, न्यायालयी निर्णयों और अधीनस्थ विधानों के माध्यम से जल्दी से समाधान किया गया। सारणी 11 वर्ष 2018–19 में सीआईआरपी विनियमों में विभिन्न संशोधन और इस के लिए तर्क प्रस्तुत करती है।

[15] गिल्बर्टसन, बैरी एंड डंकन प्रेस्टन (2005), ''ए विजन फॉर वैल्युएशन'', जर्नल ऑफ प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंस, खण्ड 23 सं. 1.

सारणी 11: 2018–19 में सीआईआरपी विनियमों में संशोधन

अधिसूचना की तारीख	संशोधन
04.07.18	*प्राधिकृत प्रतिनिधि:* संशोधन के लिए आवश्यक है कि सीडी में जहां भी लेनदारों के वर्ग हों, जिनके वर्ग में कम से कम दस लेनदार हों, आईआरपी प्रत्येक वर्ग में लेनदारों के एआर के रूप में कार्य करने के लिए सार्वजनिक घोषणा में तीन आईपी चुनने की पेशकश करेगा। एक वर्ग में एक एफसी अपने एआर के रूप में कार्य करने के लिए आईआरपी द्वारा प्रदान किए गए तीन विकल्पों में से एक आईपी की अपनी पसंद को इंगित कर सकता हैं आईपी, जो वर्ग में सबसे अधिक संख्या में लेनदारों की पसंद है, को संबंधित वर्ग के एफसी के एआर के रूप में नियुक्त किया जाएगा। यह सीओसी की बैठकों में वर्ग में एफसी के प्रतिनिधित्व की सुविधा प्रदान करता है।
	आवेदन वापस लेना: यह संशोधन वापसी का तरीका (सीआईआरपी को बंद करने के लिए) प्रदान करता हैं प्रक्रिया के अधीन कुछ उद्देश्यों के लिए किए गए अनुमानित लागत व्यय के प्रति बैंक गारंटी के साथ, एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट (ईओआई) के लिए आमंत्रण जारी करने से पहले वापसी संबंधी आवेदन आईआरपी अथवा आरपी को प्रस्तुत किया जा सकता है, जैसा भी मामला हो,। सीओसी अपने गठन के सात दिनों के भीतर या आवेदन प्राप्ति के सात दिनों के भीतर आवेदन पर विचार करेगा, जो भी बाद में हों यदि आवेदन को 90 प्रतिशत वोटिंग के साथ सीओसी द्वारा अनुमोदित किया जाता है, तो आरपी इस तरह के अनुमोदन के तीन दिनों के भीतर आवेदक की ओर से एए को आवेदन प्रस्तुत करेगा।
	ब्याज दर: जहां एक वर्ग में लेनदारों के मामले में पक्षकारों के बीच ब्याज दर पर सहमति नहीं हुई है, ऐसे लेनदार का मतदान हिस्सा वित्तीय ऋण के अनुपात में होगा जिसमें प्रति वर्ष आठ प्रतिशत की दर से ब्याज भी शामिल है। यह वर्ग में एफसी की मतदान शक्ति को निर्धारित करने की सुविधा प्रदान करता है।
	आरपी के रूप में कार्य करने के लिए आईआरपी: जहां आरपी की नियुक्ति में देरी होती है, आईआरपी आईसीडी के 40 वें दिन से आरपी नियुक्त होने तक आरपी के कार्यों को करेगा। यह निर्बाध प्रक्रिया सुनिश्चित करता है भले ही आरपी की नियुक्ति में देरी हो।
	वोटिंग विंडो: प्रत्येक प्रतिभागी को लिखित में कम से कम पांच दिनों का नोटिस देकर सीओसी की बैठक बुलाई जाएगी। यद्यपि, सीओसी नोटिस अवधि को पांच दिन से घटाकर ऐसी किसी अन्य अवधि, एआर के मामले में कम से कम 48 घंटे, और अन्य सभी मामलों में 24 घंटे कर सकता है। एआर एक वर्ग में लेनदारों के एजेंडे को प्रसारित करेगा और मतदान निर्देशों के लिए विंडों खुलने से कम से कम 24 घंटे पहले वोटिंग विंडो की घोषणा करेगा और कम से कम 12 घंटे के लिए वोटिंग विंडो को खुला रखेगा।
	अधिमानी लेन–देन: आरपी राय बनाएगा कि सीडी 75 वें दिन तक कुछ लेनदेन (अधिमान्य, कम मूल्यांकित, जबरन वसूली या धोखाधड़ी लेनदेन) के अधीन है या नहीं और आईसीडी के 115 वें दिन तक इसका निर्धारण करेगा। जहां आरपी इस तरह का निर्धारण करता है, वह आईसीडी के 135 वें दिन से पहले उपयुक्त राहत के लिए एए को आवेदन करेगा। यह क्षतित मूल्य को जल्दी से पुनर्प्राप्त करने में सहायता करता है (बॉक्स 4)।
	ईओआई संबंधी दिशानिर्देश: आरपी आईसीडी से 75वें दिन तक ईओआई के लिए एक आमंत्रण प्रकाशित करेगा। इस आमंत्रण में मानदंड, अपात्रता, ईओआई प्रस्तुत करने की अंतिम तारीख और अन्य विवरण विनिर्दिष्ट किया जाएगा और गैर–वापसीयोग्य जमा के भुगतान की आवश्यकता नहीं होगी। निर्दिष्ट समय के बाद प्राप्त किसी भी ईओआई को अस्वीकार कर दिया जाएगा। आरपी रिकॉर्ड के अनुसार सामग्री आधारित कार्य करेगा और ईओआई जमा करने की अंतिम तारीख के 10 दिनों के भीतर संभावित आरए की एक अनंतिम सूची जारी करेगा। अनंतिम सूची पर आपत्तियों पर विचार करने के बाद, आरपी आपत्तियों की प्राप्ति के अंतिम तारीख के 10 दिनों के भीतर भावी आरए की अंतिम सूची जारी करेगा। इससे प्रक्रिया में निश्चितता आती है।
	सूचना ज्ञापन संबंधी दिशानिर्देश: आरपी संभावित आरए को अनंतिम सूची जारी करने के पाँच दिनों के भीतर आईएम, मूल्यांकन मैट्रिक्स और समाधान योजनाओं के लिए अनुरोध (आरएफआरपी) जारी करेगा और समाधान योजनाओं को प्रस्तुत करने के लिए कम से कम 30 दिन की अनुमति देगा। आरएफआरपी प्रक्रिया में प्रत्येक उपाय और संबंधित समयसीमा सहित आरपी और भावी आरए के बीच बातचीत के तरीके और उद्देश्यों को विस्तार से बताएगा। समाधान योजना को यह प्रदर्शित करने की आवश्यकता है कि (क) यह डिफॉल्ट के कारण का समाधान करता है; (ख) यह साध्य और व्यवहार्य है; (ग) इसके प्रभावी कार्यान्वयन के लिए प्रावधान हैं; (घ) इसमें आवश्यक अनुमोदन और उस के लिए समय–सीमा का प्रावधान हैं; और (ङ) आरए में समाधान योजना को लागू करने की क्षमता है। यह प्रक्रिया में निश्चितता लाती है और प्रभावी दिवाला समाधान सुनिश्चित करता है।
	मॉडल समयसीमा: यह संशोधन सीआईआरपी के मॉडल समय–सीमा के लिए प्रावधान करता हैं, यह मानते हुए कि आईआरपी को प्रक्रिया शुरू होने की तारीख को नियुक्त किया गया है और उपलब्ध समयसीमा 180 दिन हैं यह सीआईआरपी का संचालन करते समय समयसीमा को पूरा करने हेतु आईपी मार्गदर्शन प्रदान करता है।
05.10.18	*वोटिंग विंडो:* सीआईआरपी विनियमों में पहले आरपी को बैठक के समापन के 48 घंटे के भीतर सीओसी के सभी सदस्यों को इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से बैठक का कार्यवृत परिचालित करने और बैठक में मतदान नहीं करने वाले सदस्यों का वोट प्राप्त करने की आवश्यकता होती थी। संशोधन में अब आरपी को इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से बैठक का कार्यवृत एआर को भी परिचालित करना होगा। एआर एक वर्ग में आरपी से प्राप्त बैठकों के कार्यवृत को एफसी को परिचालित करेगा। वह मतदान के निर्देशों के लिए विंडों खुलने से कम से कम 24 घंटे पहले वोटिंग विंडो की घोषणा करेगा और इसे कम से कम 12 घंटे तक खुला रखेगा। वह कार्यवृतों के परिचालन के अनुसार वर्ग में एफसी से प्राप्त वोटिंग निर्देशों के अनुसार, इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से या इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग प्रणाली के माध्यम से वोट का प्रयोग करेगा। यह ऐसे वर्ग में एफसी को बैठक के कार्यवृत के परिचालित होने के पश्चात मतदान करने हेतु सक्षम बनाता है, जो बैठक में मामले पर मतदान नहीं कर सके थे।
	ओसी को भुगतान: विनियमों में पहले ओसी को परिसमापन मूल्य का भुगतान और प्राथमिकता में एफसी को असहमति का प्रावधान था। एफसी के संदर्भ को हटाते हुए, संशोधन यह प्रावधान करता है कि एक समाधान योजना के अधीन ओसी के कारण राशि का भुगतान एफसी पर प्राथमिकता से किया जाएग। चूंकि एफसी निर्णयकर्ता हैं, इसलिए संशोधन एफसी को भुगतान की राशि और भुगतान का तरीका तय करने में सक्षम बनाता है।
	अभिलेखों का संरक्षण: आरपी सीआईआरपी से संबंधित अभिलेखों की भौतिक और इलेक्ट्रॉनिक प्रतिलिपि को आईबीबीआई द्वारा निर्धारित रिकॉर्ड प्रतिधारण अनुसूची के अनुसार संरक्षित करेगा।
24.01.19	*समाधान योजना का कार्यान्वयन:* यह संशोधन वास्तविक, सक्षम और विश्वसनीय आरए के अलावा अन्य लोगों को समाधान योजना प्रस्तुत करने के लिए हतोत्साहित करता है, यह सुनिश्चित करने के लिए कि समाधान योजना, जिसे एक बार मंजूरी मिल गई है, को अवश्य कार्यान्वित किया जाना चाहिए। यह प्रदर्शन सुरक्षा प्रस्तुत करने हेतु आरए की आवश्यकता के लिए आरएफआरपी को अधिदेशित करता है, यदि समाधान योजना को सीओसी द्वारा अनुमोदित किया जाता है। समाधान योजना में एक विवरण शामिल होगा कि क्या आरए या इससे संबंधित किसी भी पक्ष को अतीत में किसी भी समय संहिता के अधीन एए द्वारा अनुमोदित किसी भी समाधान योजना को लागू करने में विफल या कार्यान्वयन की विफलता में योगदान रहा हैं अनुमोदन के लिए एए को समाधान योजना प्रस्तुत करते समय आरपी, सुरक्षा प्रदर्शन की प्राप्ति के साक्ष्य संलग्न करेगा। एए द्वारा योजना के अनुमोदन के पश्चात् यदि आरए योजना को लागू करने में विफल या कार्यान्वयन की विफलता में योगदान देता है तो प्रदर्शन सुरक्षा रोक दिया जाएगा। एक लेनदार, जो एए द्वारा अनुमोदित समाधान योजना के गैर–कार्यान्वयन से असंतुष्ट है, उचित दिशा निर्देशों के लिए एए को आवेदन दे सकता है।

फास्ट ट्रैक कारपोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया

हालांकि संभावना है कि लेनदार और देनदार स्वयं अनुमत व्यतिक्रम अधिकतम अवधि की तुलना में छोटी अवधि में समझौता करने का विकल्प चुनें, बीएलआरसी का अभिमत था कि उन मामलों के लिए स्पष्ट प्रावधान करना अच्छा है जहां सीआईआरपी का अनिवार्य रूप से किसी अधिक जटिल समय–सीमा की अपेक्षा कम समयसीमा में समाधान हो जाना चाहिए था। इन मामलों को फास्ट–ट्रैक

बॉक्स 4: जोखिम भरा लेन–देन

फर्म अक्सर संपत्ति को अलग कर देती हैं। वे ऐसा उचित कारण से करती हैं, कभी कृतज्ञतापूर्वक या कभी किसी ओर की कीमत पर दूसरे पक्ष लेने के लिए। दिवाला विधि, दिवाला आवेदन दाखिल होने से पहले किए गए ऐसे अलगावों पर आधारित होता है, यदि यह समान वितरण (साथ ही साथ उसी वर्ग के लेनदारों की देखभाल) की विशुद्धता को नुकसान पहुँचाता है और दिवाला कार्यवाही में सभी हितधारकों के लाभ के लिए सीडी की संपत्ति के मूल्य को अधिकतम करता है। इस तरह के अलगाव, जो दिवाला कार्यवाही को नुकसान पहुँचाते है, उन्हें असुरक्षित, परिहार, अनियमित, या धोखाधड़ी वाले अलग–अलग नामों के लेनदेन से पुकारा जाता है ।

बीएलआरसी ने उल्लेख किया कि इस तरह के अलगाव में धोखाधड़ी हस्तांतरण हो सकता है, या धोखे से एक निश्चित लेनदार या लेनदारों के वर्ग को दूसरों पर तरजीह दी जा सकती है। इसने सिफारिश की कि सीआईआरपी (लुक बैक पीरियड) के लिए आवेदन करने से पहले निश्चित अवधि तक के सभी लेनदेन की जांच इस तरह के लेनदेन के किसी भी साक्ष्य के लिए की जानी चाहिए। इसके अतिरिक्त यह सिफारिश की गई है कि धोखाधड़ी वरीयता वाले लेनदेन या संबंधित पक्षों को हस्तांतरण के लिए सख्त जांच होनी चाहिए, जिसके लिए 'लुक बैक पीरियड' लंबा होना चाहिए।

यूएनसीआईटीआरएएल लेजिस्लेटिव गाइड औचित्य की व्याख्या करता है।[16] दिवाला कार्यवाही (परिसमापन और पुनर्गठन दोनों) लंबे समय के बाद शुरू हो सकती है जब लेनदार पहले यह जान लेता है कि इस तरह के परिणाम से बचा नहीं जा सकता है। उस हस्तक्षेप की अवधि में, देनदार के लिए लेनदारों से संपत्ति छिपाने, कृत्रिम देनदारियों का व्यय करने, रिश्तेदारों और दोस्तों को दान या उपहार देने या दूसरों को छोड़कर कुछ लेनदारों का भुगतान करने का महत्वपूर्ण अवसर हो सकते हैं। एक लाभदायक स्थिति में खुद को रखने के लिए रणनीतिक कार्रवाई शुरू करने हेतु लेनदारों के लिए अवसर भी हो सकते हैं। इस तरह के कार्यकलापों का परिणाम, अंततः दिवाला कार्यवाही के संदर्भ में, आम तौर पर साधारण असुरक्षित लेनदारों को नुकसान पहुंचाता है जो इस तरह की कार्रवाई के लिए भागीदार नहीं थे और जिनके पास सुरक्षा हित की सुरक्षा नहीं है। यह गाइड जोखिम भरे लेनदेन के प्रभाव को लक्षित करने और उलटने के लिए परिहार कार्यवाही की परिकल्पना करता है। अमेरिकी शोधन अक्षमता संहिता यह प्रावधान करती है कि शोधन अक्षमता ट्रस्टी 'संपत्ति में देनदार के किसी भी ब्याज के किसी भी हस्तांतरण' को निर्धारित करने के लिए आवेदन कर सकता है जिसे (क) एक ऋणदाता के लाभ के लिए किया गया था (ख) किसी पूर्ववर्ती ऋण के कारण किया गया था (ग) तब किया गया जब देनदार दिवाला हो गया था (ङ) शोधन अक्षमता याचिका दायर करने से पहले या एक वर्ष के भीतर यदि 'इनसाइडर' के लिए बनाया गया था; और लेनदार को इससे अधिक प्राप्त करने में सक्षम बनाता है जो इसे परिसमापन[17] में प्राप्त होगा ।

संहिता ने चार प्रकार के लेनदेन की पहचान की है, जो दिवाला प्रक्रिया को नुकसान पहुँचाते हैं। ये हैः अधिमानी लेन–देन, कम मूल्यांकित लेनदेन, धोखाधड़ी वाले लेन–देन और जबरन ऋण लेन–देन। ये चार प्रकार पूर्ण प्रमाणिक नहीं होते हैं: कोई लेन–देन एक ही साथ धोखाधड़ी वाला और कम मूल्यांकित भी हो सकता है; यह अधिमान्य, कम मूल्यांकित, धोखाधड़ी और जबरन वसूलीवाला सब एक ही साथ हो सकता है। संहिता आरपी या परिसमापक को एए पर लागू करने के लिए बाध्य करती है यदि ऐसा प्रतीत होता है कि कुछ लेन–देन दूसरों पर तरजीह देते हुए किए गए हैं लेनदार के पक्ष में अनुचित पक्षपात, जो अन्य लेनदार के सामूहिक हित को प्रभावित करता है,, या कम मूल्यांकित है, इस अर्थ में कि देनदार नगण्य विचार के लिए एक या एक से अधिक परिसंपत्तियों का गंभीर हस्तांतरण करता है या जबरदस्ती वसूला जाने वाला क्रेडिट लेन–देन या प्रासंगिक समय/अवधि के भीतर किए गए लेन–देन को अलग करने के लिए, एक कपटपूर्ण प्रकृति का होता है। आवेदन का प्रभाव यह है कि लेनदेन को शून्य घोषित किया जाता है, यथास्थिति स्थापित की जाती है, और प्रभाव पलट जाते हैं। तरजीह लेन–देन के लिए प्रासंगिक समय आईसीडी से पहले दो साल है, अगर यह संबंधित पक्षकार के पक्ष में बनाया जाता है और एक साल अगर यह संबंधित पक्षकार के अलावा किसी अन्य व्यक्ति से बनता है। संहिता की धारा 5 (24) उन लोगों की सूची उपलब्ध कराती है जिनका संहिता के प्रयोजनों के लिए 'संबंधित पक्षकार' के रूप में अर्ध लगाया गया है।

लेन–देन से बचने के उपबंध यह सुनिश्चित करते हैं कि लेनदेन, जिनका कोई अन्य व्यावसायिक उद्देश्य नहीं है, और केवल कुछ लेनदारों को लाभ पहुंचाने या दिवाला या परिसमापन की प्रक्रिया में बाधा डालने के लिए किए गए हैं, अलग सेट किए जाते हैं। यह प्रावधान वित्तीय स्थिति को सही करने में सहायता करते हैं जब किसी संपत्ति का निश्चित हस्तांतरण केवल संपत्ति को संपत्ति पूल से दूर रखने के लिए लेनदारों के बीच विभाजित करने के लिए किया जाता है। यद्यपि, परिहार के सिद्धांतों का परिश्रमपूर्वक अभ्यास किया जाना चाहिए ताकि व्यापार के साधारण नियमों में किए गए वैध लेनदेन या जो सीडी द्वारा अर्जित संपत्ति में एक सुरक्षा रुचि पैदा करता है, उलटा न हो।

सीआईआरपी प्रक्रिया के अधीन किया जा सकता है। इन सिफारिशों को ध्यान में रखते हुए, संहिता की धारा 55 से 58, जो फास्ट ट्रैक प्रक्रिया से संबंधित है, निश्चित सीमा से नीचे की संपत्ति और आय के साथ ऐसी सीडी या लेनदारों के ऐसे वर्ग या ऋण की राशि या कारपोरेट व्यक्तियों की ऐसी श्रेणियों पर लागू होती है, केंद्र सरकार द्वारा यथा अधिसूचित। एमसीए ने इस प्रक्रिया के लिए सीडी की श्रेणियों को अधिसूचित किया है। आईबीबीआई (कारपोरेट व्यक्तियों के लिए फास्ट ट्रैक दिवाला समाधान प्रक्रिया) विनियमन, 2017 (फास्ट ट्रैक विनियमन) में फास्ट ट्रैक प्रक्रिया के अधीन एए द्वारा समाधान योजना के अनुमोदन से इसका समाधान होने तक पात्र सीडी के दिवाला समाधान प्रारंभ करने की प्रक्रिया दी गई है।

कारपोरेट परिसमापन

सीडी की सीआईआरपी का पालन करते हुए चार परिस्थितियों में परिसमापन का आदेश पारित किया जा सकता हैः

(क) आरपी द्वारा अनुमोदन के लिए प्रस्तुत समाधान योजना को निर्दिष्ट आवश्यकताओं का अनुपालन न किए जाने के कारण एए निरस्त कर देता है;

(ख) एए को सीआईआरपी को पूरा करने के लिए अनुमेय समय के भीतर सीओसी द्वारा अनुमोदित समाधान योजना प्राप्त नहीं होती है;

(ग) सीओसी ने अपेक्षित बहुमत से सीआईआरपी अवधि के दौरान किसी भी समय सीडी के परिसमापन का निर्णय लिया है और आरपी ने एए को इसकी सूचना दी है; अथवा

(घ) जहां इस आधार पर परिसमापन आदेश के लिए एए को सीडी से इतर किसी अन्य व्यक्ति द्वारा आवेदन दिया है कि अनुमोदित समाधान योजना का संबंधित सीडी द्वारा उल्लंघन किया गया है।

आईबीबीआई (परिसमापन प्रक्रिया) विनियमन, 2016 (परिसमापन विनियमन), में अन्य बातों के साथ–साथ संहिता की धारा 33 के अधीन परिसमापन आदेश

[16] दिवाला कानून पर विधायी मार्गदर्शिका के भाग दो के अध्याय एफ का खंड 148.

[17] यूएस दिवाला संहिता की धारा 547 (ख)।

जारी करने से लेकर धारा 54 के अधीन विघटन आदेश तक की कार्यकलापों का विवरण दिया गया है। यह विनियमन सार्वजनिक घोषणा के तरीके और सामग्री, हितधारकों के दावों की रसीद और सत्यापन, रिपोर्ट और रजिस्टरों को परिसमापक द्वारा अनुक्षित, संरक्षित और प्रस्तुत किए जाने, परिसंपत्तियों की प्राप्ति के तरीके और सुरक्षा हित, तथा हितधारकों को आय के वितरण को विनिर्दिष्ट करता है। वे आगे प्रावधान करते हैं कि परिसमापक को सार्वजनिक नीलामी के माध्यम से परिसंपत्तियां सामान्य रूप से बेचनी चाहिए। वह संपत्ति को निजी बिक्री के माध्यम से तभी बेच सकता है जब संपत्ति नष्ट होने वाली हो एवम यदि तुरंत बेची नहीं जाती है तो परिसंपत्ति के मूल्य में काफी गिरावट की संभावना है, या परिसंपत्ति असफल नीलामी के आरक्षित मूल्य से अधिक कीमत पर बेची जाती है। वह स्टैंड एलोन आधार पर संपत्ति बेच सकता है, या मंदी की स्थिति में संपत्ति, पार्सल में संपत्ति या सामूहिक रूप से संपत्ति के सेट को बेच सकता है, या निवर्तमान सरोकार के रुप में सीडी बेच सकता है।

आईबीबीआई ने 22 अक्टूबर, 2018 को आईबीबीआई (परिसमापन प्रक्रिया) विनियमन, 2016 में संशोधन किया, ताकि सीडी के परिसंपत्तियों पर सुरक्षा हित के शर्ताधीन में निवर्तमान सरोकार के रुप में सीडी के व्यवसाय को बेचने के लिए परिसमापक को सक्षम बनाया जा सके। यह प्रावधान करता है कि जहां सीआईआरपी के दौरान मूल्यांकन किया गया है, परिसमापक इस तरह के मूल्यांकन पर विचार करेगा। अन्यथा, परिसमापक परिसमापन शुरू होने की तारीख के सात दिनों के भीतर, सीडी की परिसंपत्तियों या व्यवसायों के वास्तविक मूल्य का निर्धारण करने के लिए दो आरवी नियुक्त करेगा।

स्वैच्छिक परिसमापन

संहिता की धारा 59 में प्रावधान है कि कारपोरेट व्यक्ति, जो स्वेच्छा से परिसमापन करना चाहता है और जिसने कोई व्यतिक्रम नहीं किया है, संहिता के अध्याय V के उपबंधों के अधीन स्वैच्छिक परिसमापन कार्यवाही शुरू कर सकता है। आईबीआईबी (स्वैच्छिक परिसमापन प्रक्रिया) विनियमन, 2017 (स्वैच्छिक परिसमापन विनियमन) एक कारपोरेट व्यक्ति – कंपनियों, एलएलपी और सीमित देयता के साथ शामिल किसी अन्य व्यक्ति को इसके विघटन तक स्वैच्छिक परिसमापन की प्रक्रिया को शुरु करने का प्रावधान करता है। यदि परिसमापक का यह विचार हो कि परिसमापन किसी व्यक्ति को धोखा देने के लिए किया जा रहा है या परिसमापन में बेची जाने वाली परिसंपत्ति की प्रक्रिया से कारपोरेट व्यक्ति अपने ऋणों का पूर्ण भुगतान नहीं कर पाएगा, वह परिसमापन की प्रक्रिया को निलंबित करने और इस तरह के किसी भी आदेश को पारित करने, जो भी उचित समझा जाए, के लिए एए को एक आवेदन करेगा।

आईबीबीआई ने 15 जनवरी, 2019 को स्वैच्छिक परिसमापन विनियमों में संशोधन किया। विनियमन 6 में यह प्रावधान है कि एक आईपी को एक परिसमापक के रूप में नियुक्त किए जाने की पात्रता होगी, यदि वह और उसके प्रत्येक भागीदार या आईपीई के निदेशक, जिसमें वह भागीदार या निदेशक है, स्वतंत्र सीडी है । संशोधन स्पष्ट करता है कि किसी व्यक्ति को स्वतंत्र सीडी माना जाएगा, यदि वह किसी लेखा परीक्षकों या सचिवीय लेखा परीक्षकों के फर्म का कर्मचारी या स्वत्वाधिकारी या भागीदार नहीं है। यह यह भी स्पष्ट करता है कि हितधारकों को परिसमापन शुरू होने की तारीख से 30 वें दिन या उससे पहले दावों का प्रमाण प्रस्तुत करने की आवश्यकता होती है।

व्यष्टिक दिवाला समाधान और शोधन अक्षमता

संहिता के भाग III में निहित व्यक्तियों और साझेदारी फर्मों के लिए दिवाला समाधान और शोधन अक्षमता से संबंधित प्रावधान अभी तक लागू नहीं किए गए हैं। पहले उपाय में आईबीसी (संशोधन) अधिनियम, 2018 में संलग्न वस्तु और कारणों के विवरण के अनुसार, ये प्रावधान सीडी के पीजी पर लागू किए जाएंगे जो एकल व्यक्ति हो सकते हैं। बाद में, इन्हें अन्य एकल व्यक्तियों और फिर चरणों में साझेदारी फर्मों के लिए लागू किया जाएगा।

एकल व्यक्ति दिवाला और शोधन अक्षमता का मामला पूरे विश्व में एक जटिल और चुनौतीपूर्ण मुद्दा है। साझेदारी और प्रोपराइटरशिप फर्मों और अन्य व्यक्तियों के दिवाला और शोधन अक्षमता से संबंधित संहिता के उपबंधों के कार्यान्वयन से देश की बड़ी आबादी प्रभावित होती है। वित्तीय संस्थानों और अन्य ऋणदाताओं द्वारा साझेदारी और स्वामित्व फर्मों को विस्तारित ऋण की प्रकृति एवं संघटन और ऐसी फर्मों के सामने आ रहे मुद्दों की गहरी समझ आवश्यक है।

ग.3 पक्ष–समर्थन और जागरूकता

जबकि सरकार और विनियामक नीति तैयार कर सकते हैं या अर्थव्यवस्था में कुछ लेन–देन के लिए कानूनी ढांचा उपलब्ध करा सकते हैं, यह महत्वपूर्ण है कि इन्हें हितधारकों को अवगत कराया जाए और नीति या कानूनी ढांचे को आगे और परिष्कृत करने के लिए प्राप्त उनकी प्रतिक्रिया से अवगत कराया जाए। किसी भी सुधार के शुरुआती दिनों में, इस तरह के जुड़ाव, हितधारकों को नीति और नियमों से अवगत कराने और उन्हें संभावित उपयोग और उपयोग के तरीके से अवगत कराने के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। इस प्रकार, पक्ष सर्मथन नीति या विधि में बदलाव को बढ़ावा देने या मजबूत करने के महत्व को मानती है। यह ऐसे परिवर्तनों के लिए हितधारकों का समर्थन प्राप्त करने के तरीके के रूप में भी कार्य करता है। दिवाला सुधारों के संदर्भ में, हितधारकों को संहिता, नियामक ढांचे और पारिस्थितिकी तंत्र से परिचित होना चाहिए, जो सभी भारतीय संदर्भ में नए हैं।

अध्यक्ष, पूर्णकालिक सदस्य (डब्ल्यूटीएम) और आईबीबीआई के वरिष्ठ अधिकारियों ने विभिन्न क्षमताओं (संकाय, पैनलिस्ट, स्पीकर, गेस्ट ऑफ ऑनर, मुख्य अतिथि, आदि) में दिवाला और शोधन अक्षमता पर देश भर के संस्थानों की मेजबान में आयोजित 126 आयोजन (संगोष्ठी, सम्मेलन, गोलमेज, अध्ययन मंडली, कार्यशाला, आदि) में भाग लिया, विवरण सारणी 12 में प्रस्तुत किया गया है।

सारणी 12: 2018–19 में पक्ष–समर्थन कार्यक्रमों में भागीदारी

नाम और पदनाम	आयोजन की संख्या		
	2016–17	2017–18	2018–19
डॉ. एम एस साहू, अध्यक्ष	45	83	86
श्रीमती सुमन सक्सेना, पूर्णकालिक सदस्य	0	9	0
डॉ. नवरंग सैनी, पूर्णकालिक सदस्य	0	13	14
डॉ. मुकुलिता विजयवर्गीय, पूर्णकालिक सदस्य	उप. नहीं	20	14
अन्य अधिकारी	0	9	12
कुल	**45**	**134**	**126**

इन आयोजनों का विवरण सारणी 13 में दिया गया है।

सारणी 13: 2018-19 में पक्ष-समर्थन कार्यक्रमों का विवरण

क्र.सं	दिनांक	स्थान	आयोजक	कार्यक्रम	विषय	द्वारा भागीदारी
1	10.04.18	नई दिल्ली	एआईआईपीए	सम्मेलन	आईबीसी	डा. सैनी, पूर्णकालिक सदस्य
2	15.04.18	मुंबई	एनआईएसएम	पुरस्कार समारोह	वित्तीय साक्षरता	अध्यक्ष
3	20.04.18	चेन्नई	आईबीबीआई	आईपी कार्यशाला	सीआईआरपी	अध्यक्ष
4	20.04.18	चेन्नई	एकेएम एंड एसोसिएट्स	पोर्टल का शुभारंभ	आईबीसी के तहत उभरते न्यायशास्त्र	अध्यक्ष
5	21.04.18	चेन्नई	आईआईबीएफ	कार्यशाला	आईबीसी	अध्यक्ष
6	27.04.18	मुंबई (वीडियो)	आईजीआईडीआर	कार्यशाला	दिवाला और शोधन अक्षमता सुधार	अध्यक्ष
7	04.05.18	भोपाल	एनजेए	सत्र	आईबीसी –2016: एक अवलोकन	अध्यक्ष
8	06.05.18	भुवनेश्वर	एनएसडीसी	कौशल कॉन्क्लेव	दिवाला और शोधन अक्षमता संबंधी कौशल	अध्यक्ष
9	08.05.18	नई दिल्ली	एसोचैम	गोलमेज	आईबीसी	अध्यक्ष
10	17.05.18	मुंबई	एसईपीसी और सीआईआई..	संगोष्ठी	भारतीय बैंकिंग प्रणाली: रोड अहेड	डा. विजयवर्गीय, पूर्णकालिक सदस्य
11	18.05.18	मुंबई	आईसीएसआई	सम्मेलन	ईमर्जिंग प्रैक्टिस – आईबीसी, वैल्यूएशन और आरईआरए	डा. सूरी, कार्यपालक निदेशक
12	19.05.18	नई दिल्ली	आईओवी आरवीएफ	संगोष्ठी	मूल्यांकन: उभरती चुनौतियां	अध्यक्ष
13	25.05.18	मुंबई	फिक्की	सम्मेलन	तनावग्रस्त परिसंपत्तियों का समाधान	अध्यक्ष
14	25.05.18	नई दिल्ली	आईएमएफ और आईआईसीए	कार्यशाला	आईबीसी न्यायशास्त्र	डा. विजयवर्गीय, पूर्णकालिक सदस्य
15	26.05.18	मुंबई	आईबीबीआई	आईपी कॉन्क्लेव	आईपी संस्थान का निर्माण	अध्यक्ष
16	27.05.18	नई दिल्ली	आईसीएमएआई आरवीओ	शैक्षिक पाठ्यक्रम	मूल्यांकक का क्षमता निर्माण	अध्यक्ष
17	28.05.18	नोएडा	आईपीए	शैक्षिक पाठ्यक्रम	आईपी का क्षमता निर्माण	अध्यक्ष
18	08.06.18	हैदराबाद	आईबीबीआई	गोलमेज	आईबीसी और सीआईआरपी और अध्यादेश	अध्यक्ष
19	09.06.18	कोलकाता	सीआईआई	संगोष्ठी	आईबीसी	अध्यक्ष
20	09.06.18	कोलकाता	आईआईवी – आरवीओ	शैक्षिक पाठ्यक्रम	मूल्यांकन पेशा: चुनौतियाँ	अध्यक्ष
21	09.06.18	कोलकाता	आईसीसी	गोलमेज	आईबीसी और सीआईआरपी और अध्यादेश	अध्यक्ष
22	11.06.18	नई दिल्ली	आईपीए और आईबीबीआई	गोलमेज	आईबीसी और सीआईआरपी और अध्यादेश	अध्यक्ष
23	14.06.18	मुंबई	आईपीए और ओआरएस	गोलमेज	आईबीसी और सीआईआरपी और अध्यादेश	अध्यक्ष
24	19.06.18	नई दिल्ली	एनएसडीए	बैठक	दिवाला और शोधन अक्षमता एसोसिएट	डा. सैनी, पूर्णकालिक सदस्य
25	26.06.18	नई दिल्ली	जीआरआर	पुरस्कार वितरण समारोह	सबसे बेहतर क्षेत्राधिकार	अध्यक्ष और अन्य
26	29.06.18	नई दिल्ली	आईसीएआई	सम्मेलन	दिवाला, पुनर्गठन और मूल्यांकन	डा. विजयवर्गीय, पूर्णकालिक सदस्य
27	29.06.18	बेंगलुरु	आईबीबीआई	आईपी कार्यशाला	आईबीसी	श्री कुमार, कार्यपालक निदेशक
28	04.07.18	मुंबई	स्टेट बैंक ऑफ इंडिया	कॉनक्लेव	आईबीसी : एक्सपीरियंस सो फार एंड वे फॉरवर्ड	अध्यक्ष
29	10.07.18	नई दिल्ली	आईईजी	सत्र	आर्थिक सुधार	अध्यक्ष
30	10.07.18	नई दिल्ली	एमएसडीई	लॉन्च समारोह	इन्सॉल्वेंसी एसोसिएट्स	अध्यक्ष
31	12.07.18	मुंबई	आईआईआईपी आईसीएआई और अन्य	गोलमेज	क्रॉस बॉर्डर इंसॉल्वेंसी	डा. सैनी, पूर्णकालिक सदस्य
32	17.07.18	नई दिल्ली	एसआई पीआई	गोलमेज	क्रॉस बॉर्डर इंसॉल्वेंसी	डा. विजयवर्गीय, पूर्णकालिक सदस्य
33	21.07.18	नई दिल्ली	आईसीएआई	कॉनक्लेव	आईबीसी	अध्यक्ष
34	23.07.18	सिंगापुर	टीएल एस.एस.	सम्मेलन	क्रॉस बॉर्डर इंसॉल्वेंसी में विनियामकों की भूमिका	अध्यक्ष
35	27.07.18	कोलकाता	आईसीएसआई आईआईपी	गोलमेज	क्रॉस बॉर्डर इंसॉल्वेंसी	डा. सैनी, पूर्णकालिक सदस्य
36	03.08.18	नई दिल्ली	आईजीआईडीआर और आईबीबीआई	सम्मेलन	दिवाला और शोधन अक्षमता सुधार	अध्यक्ष
37	11.08.18	मुंबई	आईसीएआई	कॉनक्लेव	आईबीसी	डा. सैनी, पूर्णकालिक सदस्य
38	12.08.18	गोआ	पीवी एआई आरवीओ	शैक्षिक पाठ्यक्रम	मूल्यांकक का क्षमता निर्माण	अध्यक्ष
39	18.08.18	मुंबई	सीआईआई	सम्मेलन	आईबीसी : लर्निंग, चैलेन्जेज एंड वे फॉरवर्ड	अध्यक्ष
40	21.08.18	नई दिल्ली	आईसीएसआई आईआईपी	वेबिनार	लागत और संबंधों पर खुलासे	अध्यक्ष
41	24.08.18	नई दिल्ली	बीएफएसआई एसएससी और अन्य	रिफ्रेशर प्रोग्राम	पीएमकेवीवाई के तहत आईपी के लिए रिफ्रेशर प्रोग्राम	अध्यक्ष

42	25.08.18	बैंगलोर	सीआईआई	सम्मेलन	आईबीसी	अध्यक्ष
43	27.08.18	नई दिल्ली	विधि एवं न्याय मंत्रालय	सत्र	आईबीसी	अध्यक्ष
44	05.09.18	नई दिल्ली	आईएमए इंडिया	फोरम	सीएफओ के लिए आईबीसी	अध्यक्ष
45	07.09.18	हैदराबाद	आईबीबीआई	आईपी कार्यशाला	आईबीसी	श्री कुमार, कार्यपालक निदेशक
46	11.09.18	मुंबई	एसबीआई	संगोष्ठी	आईबीसी	अध्यक्ष
47	11.09.18	मुंबई	फिक्की	सम्मेलन	आईबीसी	अध्यक्ष
48	14.09.18	नई दिल्ली	आईपीए	वेबिनार	लागत और संबंधों पर खुलासे	अध्यक्ष
49	15.09.18	भुवनेश्वर	ओड़िशा सरकार	सम्मेलन	इन्सॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सीः कोड डिमिस्टिफाई	अध्यक्ष
50	17.09.18	बैंकाक	विश्व बैंक	फोरम	फोरम फॉर एशियन इन्सॉल्वेंसी रिफॉर्म	डा. सैनी, पूर्णकालिक सदस्य
51	24.09.18	लंदन	भारतीय उच्चायोग	संगोष्ठी	डिस्ट्रेस्ड एसेट मार्केट इन इंडिया	अध्यक्ष
52	25.09.18	लंदन	भारतीय उच्चायोग	सत्र	इन्सॉल्वेंसी के लिए विनियामक ढांचा	अध्यक्ष
53	30.09.18	देहरादून	यूपीईएस	इन्सॉल्वेंसी मूट	इन्सॉल्वेंसी लॉ मूट कोर्ट प्रतियोगिता	डा. सूरी, कार्यपालक निदेशक
54	01.10.18	नई दिल्ली	आईबीबीआई	वार्षिक दिवस	वार्षिक दिवस	अध्यक्ष और अन्य
55	08.10.18	मानेसर	आईआईसीए	एड्रेस	आईबीबीआई के ग्रेड 'ए' अधिकारियों के लिए इंडक्शन प्रोग्राम	अध्यक्ष
56	15.10.18	मॉरीशस	आईएआईआर	सम्मेलन	दिवाला रुझान और विकास	श्री कुमार, कार्यपालक निदेशक
57	18.10.18	नई दिल्ली	आईआईआईपी आईसीएआई	वेबिनार	सीओसी की भूमिका	अध्यक्ष
58	24.10.18	मुंबई	क्रिसिल	पैनल	भारत के कॉर्पोरेट बॉन्ड मार्केट का विस्तार	डा. सैनी, पूर्णकालिक सदस्य
59	30.10.18	नई दिल्ली	आईबीबीआई	गोलमेज	सीआईआरपी और पीएफयूई लेनदेन	अध्यक्ष
60	02.11.18	कोलकाता	आईसीएआई का आईपीए	गोलमेज	आईबीसी और सीआईआरपी	डा. सैनी, पूर्णकालिक सदस्य
61	03.11.18	कोलकाता	आईसीएआई का आईपीए	सम्मेलन	आईबीसी	डा. सैनी, पूर्णकालिक सदस्य
62	03.11.18	कोलकाता	एमसीसीआई	गोलमेज	आईबीसी	डा. सैनी, पूर्णकालिक सदस्य
63	03.11.18	मुंबई	आईबीबीआई और एसबीआई	गोलमेज	परिसमापन और पीएफयूई लेनदेन	अध्यक्ष
64	03.11.18	मुंबई	आईबीबीआई और एसबीआई	गोलमेज	सीआईआरपी और पीएफयूई लेनदेन	अध्यक्ष
65	09.11.18	कोलकाता	आईआईआईपी आईसीएआई	गोलमेज	सीआईआरपी और पीएफयूई लेनदेन	अध्यक्ष
66	09.11.18	कोलकाता	आईसीएआई का आईपीए	गोलमेज	एकल व्यक्ति शोधन अक्षमता विनियमन	अध्यक्ष
67	10.11.18	कोलकाता	आईआईआईपी आईसीएआई	संगोष्ठी	उभरते हुए आईबीसी का लैंडस्केप	अध्यक्ष
68	10.11.18	कोलकाता	आईआईआईपी आईसीएआई	सत्र	कॉर्पोरेट इन्सॉल्वेंसी का कार्यान्वयन	अध्यक्ष
69	12.11.18	नई दिल्ली	आईआईसीए	गोलमेज	इन्सॉल्वेंसी एकेडमिक फोरम	अध्यक्ष और अन्य
70	12.11.18	नई दिल्ली	आईएनएसओएल	सम्मेलन	आईबीसी : लर्निंग एंड रोड अहेड	अध्यक्ष
71	13.11.18	नई दिल्ली	आईएनएसओएल	पैनल	विनियामक वास्तुकला	अध्यक्ष
72	14.11.18	नई दिल्ली	एनएलयूडी	व्यावहारिक	कॉर्पोरेट इन्सॉल्वेंसीः प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण	अध्यक्ष
73	17.11.18	नई दिल्ली	एनएलयूडी और अन्य	इन्सॉल्वेंसी मूट	सीआईआरपी और परिसमापन	अध्यक्ष
74	24.11.18	नई दिल्ली	फिक्की	सम्मेलन	आईबीसी	अध्यक्ष
75	26.11.18	नई दिल्ली	पेंगुइन	पुस्तक विमोचन	आर्थिक सुधार	अध्यक्ष
76	30.11.18	चंडीगढ़	आईबीबीआई	कार्यशाला	आईबीसी कार्यशाला	डा. सैनी, पूर्णकालिक सदस्य और अन्य
77	01.12.18	हैदराबाद	आईबीबीआई	आईपी कॉनक्लेव	आईपी के लिए क्षमता निर्माण	अध्यक्ष
78	05.12.18	न्यूयॉर्क	सीजीआई और फिक्की	सम्मेलन	आईबीसी : स्ट्रेस्ड एसेट्स के लिए एक नया प्रतिमान	अध्यक्ष
79	05.12.18	न्यूयॉर्क	सीजीआई और फिक्की	पैनल	डिकोडिंग आईबीसी	अध्यक्ष
80	05.12.18	न्यूयॉर्क	सीजीआई और फिक्की	गोलमेज	स्ट्रेस्ड एसेट्स में निवेश के अवसर	अध्यक्ष
81	05.12.18	न्यूयॉर्क	एसबीआई	वार्ता	आईबीसी और आर्थिक सुधार	अध्यक्ष
82	07.12.18	टोरंटो	सीजीआई और फिक्की	गोलमेज	भारत में स्ट्रेस्ड एसेट्स निवेश के अवसर	अध्यक्ष
83	07.12.18	मुंबई	एसोचैम	सम्मेलन	भारतीय मूल्यांकन प्रणालीः द वे फॉरवर्ड	डा. विजयवर्गीय, पूर्णकालिक सदस्य
84	14.12.18	गुवाहाटी	आईबीबीआई	जागरूकता	आईबीसी जागरुकता	श्री कुमार, कार्यपालक निदेशक
85	14.12.18	नई दिल्ली	निजी प्रायोजक	पुस्तक विमोचन	पायनियर – एक आईपी की यात्रा	डा. विजयवर्गीय, पूर्णकालिक सदस्य

86	15.12.18	शिलांग	आईबीबीआई	जागरूकता	आईबीसी जागरुकता	श्री कुमार, कार्यपालक निदेशक
87	18.12.18	नई दिल्ली	विधि	सम्मेलन	आईबीसी : अगले दो वर्षों के लिए एक रोडमैप	अध्यक्ष
88	21.12.18	पुणे	आईबीबीआई	आईपी कार्यशाला	आईबीसी	डा. विजयवर्गीय, पूर्णकालिक सदस्य
89	08.01.19	पुणे	आईपीए और आईबीबीआई	राष्ट्रीय कॉनक्लेव	कॉर्पोरेट इन्सॉल्वेंसी एंड वैल्यूएशन	डा. सैनी, पूर्णकालिक सदस्य
90	14.01.19	नई दिल्ली	आईसीएसआई आईआईपी	वेबिनार	आईबीसी के तहत न्यायिक / विनियामक व्याख्याएं	अध्यक्ष
91	17.01.19	मुंबई (वीडियो)	सीबीएस	परिसंवाद	दिवाला और शोधन अक्षमता सुधार	अध्यक्ष
92	19.01.19	हैदराबाद	एसआईपीआई	गोलमेज	गोइंग कंसर्न सेल एंड ग्रुप इन्सॉल्वेंसी	अध्यक्ष
93	19.01.19	वडोदरा	आईपीए और आईबीबीआई	जागरूकता	दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता, 2016	श्री धारीवाल, मुख्य महाप्रबंधक
94	23.01.19	नई दिल्ली	आईसीएसआई	शिक्षा पाठ्यक्रम	आईपी का क्षमता निर्माण	श्री कुमार, कार्यपालक निदेशक
95	01.02.19	मुंबई	एसआईपीआई और अन्य	गोलमेज	गोइंग कंसर्न सेल एंड ग्रुप इन्सॉल्वेंसी	अध्यक्ष
96	01.02.19	मुंबई	एनईएसएल	ज्ञान मंच	आईबीसी	अध्यक्ष
97	01.02.19	कोयंबटूर	आईबीबीआई	आईपी कार्यशाला	आईबीसी	श्री कुमार, कार्यपालक निदेशक
98	12.02.19	बैंगलोर	आईपीए आईसीएआई	सत्र	आईबीसी के तहत आइयू की भूमिका और सीआईआरपी	डा. सैनी, पूर्णकालिक सदस्य
99	15.02.19	मुंबई	एसबीआई और आईबीबीआई	सीओसी कार्यशाला	सीओसीः एन इंस्टिट्यूट ऑफ पब्लिक फेथ	अध्यक्ष
100	15.02.19	मुंबई	आईआईसीए	जीआईपी का शुभारंभ	ग्रेजुएट इनसॉल्वेंसी प्रोग्राम	अध्यक्ष
101	15.02.19	पुणे	भारतीय रिजर्व बैंक	कार्यशाला	आईबीसी गारंटिज फ्रीडम टू एक्जिट	डा. विजयवर्गीय, पूर्णकालिक सदस्य
102	16.02.19	मुंबई	एसबीआई और आईबीबीआई	सत्र	व्यवहार्य फर्मों का बचाव	अध्यक्ष
103	18.02.19	नई दिल्ली	यूएनआईसी	सत्र	आईबीसी और इसका प्रभाव	अध्यक्ष
104	22.02.19	लखनऊ	विधि संकाय और आईबीबीआई	जागरूकता	दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता, 2016	डा. गुरु, मुख्य महाप्रबंधक
105	23.02.19	अहमदाबाद	सीवीएसआरटीए आरवीए	परिसंवाद	मूल्यांकन पेशा	अध्यक्ष
106	24.02.19	नई दिल्ली	सिरिल अमरचंद मंगलदास	संगोष्ठी	विवाद समाधान में नवाचार	डा. विजयवर्गीय, पूर्णकालिक सदस्य
107	25.02.19	मुंबई	एसबीआई	रणनीति मीट	आईबीसी : प्रतिमान बदलाव – मुद्दे और चुनौतियां	अध्यक्ष
108	27.02.19	नई दिल्ली	एसआईपीआई और अन्य	गोलमेज	गोइंग कन्सर्न सेल	अध्यक्ष
109	01.03.19	हैदराबाद	आईसीएफएआई और आईबीबीआई	सम्मेलन	दिवाला और शोधन अक्षमता विधि	अध्यक्ष
110	02.03.19	मुंबई	आईएमसी और अन्य	संगोष्ठी	आईबीसी – चुनौतियां, अवसर और सीख	डा. विजयवर्गीय, पूर्णकालिक सदस्य
111	05.03.19	नई दिल्ली	आईसीएसआई और आईआईपी	गोलमेज	आईबीसी – बैंकर्स के लिए एक गेमचेंजर	डा. विजयवर्गीय, पूर्णकालिक सदस्य
112	08.03.19	कोलकाता	आईसीएआई का आईपीए	इंटरेक्शन	सीओसी की भूमिकाएं और उम्मीदें	अध्यक्ष
113	08.03.19	वडोदरा	बीएमए	गोलमेज	आईबीसी – चेंजिंग इंडियन कार्पोरेट हॉरिजन	डा. विजयवर्गीय, पूर्णकालिक सदस्य
114	09.03.19	कोलकाता	आईबीबीआई	आईपी कार्यशाला	इन्सॉल्वेंसी प्रोफेशनल्स	अध्यक्ष
115	09.03.19	कोलकाता	एसआईपीआई	गोलमेज	सेल एज गोइंग कंसर्न एंड ग्रुप इन्सॉल्वेंसी	अध्यक्ष
116	09.03.19	कोलकाता	सीसीसी	सम्मेलन	दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता	अध्यक्ष
117	09.03.19	कोलकाता	आईसीसी	संगोष्ठी	आईबीसी : चैलेन्जेज, लर्निंग एंड वे फॉर्वर्ड	अध्यक्ष
118	12.03.19	लखनऊ	आईआईएम	सत्र	दिवाला सुधार	अध्यक्ष
119	15.03.19	नई दिल्ली	एसआईपीआई और आईबीबीआई	गोलमेज	आईबीसी : ग्लोबल लर्निंग, स्थानीय अनुप्रयोग, लोकल एप्लिकेशन	अध्यक्ष और अन्य
120	18.03.19	नई दिल्ली	एनआईपीएफपी	सत्र	विनियामक आचरण और आर्थिक विश्लेषण	डा. विजयवर्गीय, पूर्णकालिक सदस्य
121	25.03.19	नई दिल्ली	सीआईआई और अन्य	सम्मेलन	आईबीसी संबंधी प्रमुख चुनौतियों का समाधान करना	डा. सूरी, कार्यपालक निदेशक
122	25.03.19	नई दिल्ली	सीआईआई	सम्मेलन	क्रॉस बॉर्डर एंड पर्सनल इन्सॉल्वेंसी	अध्यक्ष
123	25.03.19	नई दिल्ली	आईआईआईपी आईसीएआई	वेबिनार	आईपी और सीओसी का चार्टर	अध्यक्ष
124	25.03.19	नई दिल्लीं	सीआईआई और अन्य	सम्मेलन	आईबीसी संबंधी प्रमुख चुनौतियों का समाधान करना	डा. विजयवर्गीय, पूर्णकालिक सदस्य
125	27.03.19	नई दिल्ली	आईआईसीए	ओपन हाउस	शिक्षा जगत में दिवाला	अध्यक्ष
126	31.03.19	वडोदरा	आईसीएसआई	संगोष्ठी	आईबीसी : सीखने के अवसर और आगे का रासता	डा. सैनी, पूर्णकालिक सदस्य

कार्यक्रम

विभिन्न आयोजनों के अलावा, जहां आईबीबीआई ने भाग लिया, जैसा कि ऊपर विवरण दिया गया है, आईबीबीआई ने स्वयं सरकारी/ अन्य संस्थानों के साथ मिलकर जागरूकता और पक्ष समर्थन कार्यक्रम का आयोजन किया। इनमें से कुछ कार्यक्रमों का विवरण नीचे दिया गया है।

अंतर्राष्ट्रीय रोड शो

आईबीबीआई, भारत के महावाणिज्य दूतावास और फिक्की के साथ मिलकर 5 दिसंबर, 2018 को भारतीय महावाणिज्य दूतावास, न्यूयॉर्क, अमेरिका में 'इन्सॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड–ए न्यू पैराडिग्म फॉर स्ट्रेस्ड एसेट्स' पर एक सम्मेलन का आयोजन किया। इस कार्यक्रम का उद्घाटन तत्कालीन माननीय केंद्रीय वित्त और कारपोरेट कार्य मंत्री, श्री अरुण जेटली जी ने वीडियो लिंक के माध्यम से किया था। इस सम्मेलन के बाद संभावित हितधारकों के साथ एक गोलमेज सम्मेलन हुआ, जिसमें बड़े फंड हाउस और लॉ फर्म शामिल थे। इसके बाद 7 दिसंबर, 2018 को भारत के महावाणिज्य दूतावास, टोरंटो, कनाडा में इंडियन इन्सॉल्वेंसी रेजिम विषय पर एक गोलमेज सम्मेलन का आयोजन किया गया।

आईबीबीआई–आईजीआईडीआर सम्मेलन

तत्कालीन माननीय विधि और न्याय तथा कारपोरेट कार्य राज्य मंत्री, श्री पीपी चौधरी ने 3 अगस्त, 2018 को नई दिल्ली में आईबीबीआई और इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट रिसर्च (आईजीआईडीआर) द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित दो दिवसीय 'दिवाला और शोधन अक्षमता सुधार सम्मेलन' का उद्घाटन किया। सम्मेलन में संहिता के कार्यान्वयन में प्रगति का जायजा लिया गया और उभरते मुद्दों और चुनौतियों पर विचार–विमर्श किया गया। इसमें भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता सुधार के विभिन्न आयामों को कवर करने वाले शोध पत्रों के प्रस्तुतीकरण के साथ–साथ कई पैनल चर्चाएँ भी हुईं।

आईबीबीआई–विधि सम्मेलन

आईबीबीआई एंड विधि सेंटर फॉर लीगल पॉलिसी (विधि) ने संयुक्त रूप से 'इनसोल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड, 2016: ए रोडमैप फॉर द नेक्स्ट टू इयर्स' नामक एक सम्मेलन का आयोजन 18 नवंबर, 2018 को नई दिल्ली में किया। सम्मेलन में पिछले दो वर्षों में संहिता के कार्यान्वयन से अधिगम के लिए प्रमुख हितधारकों को एक साथ लाया गया और अगले दो वर्षों में दिवाला पारिस्थितिकि प्रणाली के विकास के लिए एक रोडमैप तैयार किया। श्री अरुण जेटली, तत्कालीन केंद्रीय वित्त और कारपोरेट कार्य मंत्रालय मंत्री ने सम्मेलन का उद्घाटन किया और विचार–विमर्श के लिए सीआईआरपी से संबंधित मुद्दों का सुझाव दिया। इसमें चार पैनल चर्चाएँ और नीति आयोग के उपाध्यक्ष, डॉ. राजीव कुमार का समापन भाषण था। सम्मेलन में श्री जेटली के हाथों विधि और अर्न्स्ट एंड यंग के संयुक्त, प्रकाशन, 'इनसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड: दी जर्नी सो फॉर एंड रोड अहेड, पुस्तक का विमोचन किया गया।

राष्ट्रीय कॉन्क्लेव

आईसीएसआई आईआईपी, आईसीएसआई आरवीओ, आईसीएमएआई के आईपीए और आईसीएमएआई आरवीओ के साथ संयुक्त रूप से आईबीबीआई ने 8 जनवरी, 2019 को पुणे, महाराष्ट्र में कॉरपोरेट इन्सॉल्वेंसी एंड वैल्यूएशन पर एक राष्ट्रीय कॉन्क्लेव का आयोजन किया।

अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन

आईबीबीआई, और डेलावेयर लॉ स्कूल (यूएसए) के सहयोग से, आईसीएफएआई लॉ स्कूल, हैदराबाद ने आईसीएफएआई कैम्पस, हैदराबाद में 1 से 3 मार्च, 2019 तक 'दिवाला और शोधन अक्षमता विधि: वैश्विक प्रतिक्रिया' पर तीन दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया। सम्मेलन में, दिवाला और शोधन अक्षमता विधि ढांचे और पारिस्थितिकी तंत्र के पूरे विषय को कवर करने वाले 40 शोध पत्र प्रस्तुत किए गए थे।

इंटरएक्टिव मीट विद बैंकर्स

आईसीएसआई आईआईपी के साथ संयुक्त रुप से आईबीबीआई ने 5 मार्च, 2019 को नई दिल्ली में आईबीसी– इंटरएक्टिव मीट विद बैंकर्स का आयोजन किया था। सीआईआरपी में एफसी, आरपी और अन्य हितधारकों की भूमिका और जिम्मेदारियों पर चर्चा की गई।

आईबीबीआई–बीएमए सम्मेलन

आईबीबीआई के साथ, बड़ौदा प्रबंधन संघ (बीएमए) ने चेंजिंग इंडियन कॉर्पोरेट हॉरिजन' विषय पर 8 मार्च, 2019 को बड़ौदा में आईबीसी पर एक सम्मेलन का आयोजन किया।

जागरूकता कार्यक्रम

आईबीबीआई द्वारा अन्य संगठनों के साथ मिलकर निम्नलिखित जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए थे:

(क) आईबीबीआई ने तीन आईपीए के साथ मिलकर गुवाहाटी में 14 दिसंबर, 2018 को एक दिवाला और शोधन अक्षमता जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया।

(ख) 15 दिसंबर, 2018 को शिलांग में एक और जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया।

(ग) आईबीबीआई ने 19 जनवरी, 2019 को तीन आईपीए के साथ मिलकर वडोदरा में एक जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया।

(घ) आईबीबीआई के साथ मिलकर, विधि संकाय, लखनऊ विश्वविद्यालय ने 22 फरवरी, 2019 को एक जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया।

कार्यशालाएँ

यह आईबीबीआई का प्रयास है कि दिवाला और शोधन अक्षमता के क्षेत्र में सेवा प्रदाताओं और पारिस्थितिकी तंत्र के अन्य तत्वों की क्षमता का निर्माण किया जाए। यह आईपी और एफसी के लिए कार्यशालाओं और प्रशिक्षण सत्रों का आयोजन करता है, जिनका विवरण सारणी 14 में दिया गया है:

सारणी 14: 2018–19 में आयोजित आईपी और सीओसी कार्यशालाएं

क्र.सं.	आयोजन	आयोजक	दिनांक	स्थान
1	आईपी कार्यशाला	आईबीबीआई	20.04.18 –21.04.18	चेन्नई
2	आईपी कार्यशाला	आईबीबीआई	29.06.18 –30.06.18	बेंगलुरु
3	आईपी पुनश्चर्या कार्यक्रम	आईबीबीआई, बीएफएसआई एसएससी	24.08.18	दिल्ली
4	आईपी कार्यशाला	आईबीबीआई	07.09.18 –08.09.18	हैदराबाद
5	आईपी कार्यशाला	आईबीबीआई	30.11.18–1.12.18	चंडीगढ़
6	आईपी कार्यशाला	आईबीबीआई	21.12.18–22.12.18	पुणे
7	आईपी कार्यशाला	आईबीबीआई	01.02.19–02.02.19	कोयंबटूर
8	सीओसी कार्यशाला	आईबीबीआई, एसबीआई, आईआईबीएफ	15.02.19 – 16.02.19	मुंबई
9	आईपी कार्यशाला	आईबीबीआई	08.03.19 – 09.03.19	कोलकाता

शैक्षणिक व्यस्तताएँ

निबंध प्रतियोगिता

आईबीबीआई, ने उच्च शिक्षा के छात्रों के बीच दिवाला और शोधन अक्षमता शासन के बारे में जागरूकता पैदा करने के प्रयास में, शिक्षण संस्थानों[18] के माध्यम से निबंध प्रतियोगिताओं को बढ़ावा दिया। भारत में विश्वविद्यालयों, डीम्ड विश्वविद्यालयों और व्यावसायिक संस्थानों (जैसे आईसीएआई, आईसीएमएआई और आईसीएसआई) में किसी भी विषय के स्नातक और स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों के छात्र इस प्रतियोगिता में भाग ले सकते हैं। आईबीबीआई, शिक्षण संस्थान के माध्यम से, निबंध प्रतियोगिता में सभी प्रतिभागियों को भाग लेने का प्रमाण पत्र जारी कर रहा है, सर्वश्रेष्ठ निबंध लिखने वाले छात्र को 10,000 रुपए का नकद पुरस्कार और दूसरे सर्वश्रेष्ठ निबंध लिखने वाले छात्र को 5,000 रुपये का नकद पुरस्कार दिया जा रहा है। (i) आईसीएफएआई लॉ स्कूल हैदराबाद (ii) नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी, दिल्ली (एनएलयूडी) के तत्वावधान में तीन निबंध प्रतियोगिताएं पहले ही आयोजित की जा चुकी हैं।

इन्सॉल्वेंसी मूट

एनएलयूडी, आईएनएसओएल इंडिया, सोसायटी ऑफ इन्सॉल्वेंसी प्रैक्टिशनर्स ऑफ इंडिया (एसआईपीआई) और यूएनसीआईटीआरएएल रीजनल सेंटर फॉर एशिया एंड पैसिफिक के साथ संयुक्त रूप से आईबीबीआई ने 'प्रोसेस मेमोरेंडम एंड रेजोल्यूशन प्लान' विषय पर दिवाला और शोधन अक्षमता संबंधी श्रृंखला में दूसरे मूट का आयोजन किया। मूट में देश भर के प्रतिष्ठित विधि संस्थानों ने भाग लिया। गुजरात नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी गांधीनगर (जीएनएलयू) और यूनिवर्सिटी ऑफ पेट्रोलियम एंड एनर्जी स्टडीज (यूपीईएस), देहरादून की टीमों के बीच 17 नवंबर, 2018 को फाइनल राउंड आयोजित किया गया था। जीएनएलयू (सुश्री समिधा संजय माथुर, श्री रविन राजीव अभ्यंकर, श्री बृजराज सिंह देवड़ा, और श्री अनादि सिंह राठौर) की टीम विजयी हुई और यूपूईएस, देहरादून (श्री तुषार बहल, श्री शुभ अग्रवाल, और श्री साहिल भाटिया) प्रतियोगिता में उपविजेता रहे।

इंटर्नशिप कार्यक्रम

आईबीबीआई उन छात्रों को इंटर्नशिप का अवसर प्रदान करता है जो दिवाला, परिसमापन, शोधन अक्षमता या किसी अन्य संबंधित क्षेत्र में एक व्यावसायिक कैरियर बनाने की इच्छा रखते हैं। आईबीबीआई इंटर्नशिप दिशानिर्देश, 2017 में आईबीबीआई के साथ इस तरह की इंटर्नशिप के लिए आवेदन करने वाले छात्रों की आवश्यकताओं का विस्तृत विवरण दिया गया है। किसी भी मान्यता प्राप्त स्कूल/कॉलेज/संस्थान/विश्वविद्यालय से लॉ में पांच वर्षीय या तीन वर्षीय डिग्री कोर्स अथवा अर्थशास्त्र, वाणिज्य, वित्त, प्रबंधन या लॉ में परा–स्नातक पाठ्यक्रम करने वाला छात्र इस के लिए पात्र है। इंटर्नशिप की अवधि एक महीने की है। शोध प्रबंध सहित इंटर्नशिप के संतोषजनक समापन पर, इंटर्न करने वाले को वर्ष 2018–19 के दौरान इंटर्नशिप पूरा होने का प्रमाण पत्र दिया गया है।

न्यूजलेटर

जबकि आईबीबीआई नीति निर्माण में अपने आदान हासिल करने के लिए हितधारकों के साथ जुड़ता है, लेकिन उन्हें इनसॉल्वेन्सी रेजिम के कार्यों के बारे में जानकारी देना भी महत्वपूर्ण है, जिसमें नियामक भी शामिल है, जो किए जा रहे कार्यों और परिणामों के बारे में सूचित करता है। इस प्रयास में, आईबीबीआई अपनी स्थापना के बाद से त्रैमासिक न्यूजलेटर्स प्रकाशित कर रहा है। इनमें से पहला न्यूजलेटर्स अक्टूबर–दिसंबर, 2016 की तिमाही के लिए प्रकाशित किया गया था। व्यापक प्रसार के लिए आईबीबीआई की वेबसाइट पर न्यूजलेटर्स की सॉफ्ट कॉपी उपलब्ध है। न्यूजलेटर्स में विधिक और विनियामक विकास संहिता के तहत सभी प्रक्रियाओं और सेवा प्रदाताओं की स्थिति; क्षमता निर्माण की पहल और पक्ष समर्थन तथा जागरूकता सृजन गतिविधियाँ संपुटित है, जो तिमाही के दौरान आईबीबीआई द्वारा शुरु की गई हैं।

ग.4 अनुसंधान

दिवाला और शोधन अक्षमता जैसे एक उभरते क्षेत्र में, भविष्य की नीति निर्माण को सूचित करने हेतु साहित्य और बाजार की जानकारी का विश्लेषण करने की आवश्यकता होती है। तदनुसार, आईबीबीआई आईपीए और अकादमिकों के माध्यम से अनुसंधान और प्रकाशन को बढ़ावा दे रहा है। इसका एक अनुसंधान और प्रकाशन प्रभाग है जो (क) प्रक्रियाओं और परिणामों से संबंधित डेटा की तुलना और विश्लेषण करता है (ख) त्रैमासिक समाचार पत्र और ब्रोशर प्रकाशित करता है (ग) वार्षिक रिपोर्ट प्रकाशित करता है और (घ) मामला अध्ययन, अनुसंधान कार्यशालाओं के लिए बाहरी शोधकर्ताओं के साथ समन्वय करता है।

---

[18] 'इंस्टीट्यूट ऑफ लर्निंग', जैसा कि आईबीबीआई निबंध प्रतियोगिता दिशानिर्देश, 2017 में परिभाषित किया गया है, से भारत में विश्वविद्यालय, डीम्ड विश्वविद्यालय और व्यावसायिक संस्थान (आईसीएआई, आईसीएमएआई और आईसीएसआई) अभिप्रेत है और ये इसमें शामिल हैं।

घ | बोर्ड के कार्य

संहिता की धारा 196 बोर्ड के कार्यों को परिगणित करती है। यह बोर्ड को 'मिनी–स्टेट' बनाने की परिकल्पना करता है, जिसमें मोटे तौर पर कार्य के तीन सेट हैं, अर्थात् (क) अर्ध–विधायी कार्य: बोर्ड सेवा प्रदाताओं और प्रक्रियाओं को विनियमित करने के लिए विनियमन बनाता है; (ख) कार्यकारी कार्य: बोर्ड दिवाला प्रक्रिया के लिए सेवा प्रदाताओं को रजिस्ट्रीकृत और विनियमित करता है और शिक्षा, परीक्षा, प्रशिक्षण और निरंतर व्यावसायिक शिक्षा के माध्यम से व्यावसायिक विकास और विशेषज्ञता के लिए उपाय करता है; तथा (ग) अर्ध–न्यायिक कार्य: बोर्ड सेवा प्रदाताओं के विरुद्ध उनके कार्य को सुनिश्चित रूप से करने के लिए विरोधों पर निर्णय लेता है। इनमें से प्रत्येक कार्य को आगे बढ़ाने के लिए वर्ष 2018–19 के दौरान बोर्ड द्वारा की गई कार्रवाइयां इस भाग में बताई गई हैं।

अर्ध–विधिक कार्य

संहिता आईबीबीआई को दिवाला और शोधन अक्षमता से संबंधित मामलों पर विनियमन और दिशानिर्देश तैयार करने तथा आईपीए, आईपी और आईयू को दिशानिर्देश जारी करने में सक्षम बनाती है। संहिता की धारा 240 आईबीबीआई को विनियमन बनाने में उन शर्तों के अध्यधीन सक्षम बनाती है कि विनियमन: (क) संहिता के प्रावधानों को पूरा करता है, (ख) संहिता के अनुरूप हैं और इसके अधीन नियम बनाए गए हैं; (ग) शासकीय राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना द्वारा किया गया है; और (घ) 30 दिनों के लिए संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष, यथाशीघ्र प्रस्तुत किया गया है।

भारत में कई विनियामकों ने विनियमन तैयार करने में सर्वोत्तम प्रथाओं का विकास किया है। विनियमों को बनाने के लिए एक कठोर प्रक्रिया का पालन किया जाता है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि यह कम से कम संभव लागत पर बाजार की अभिज्ञात विफलता का समाधान करता है और यह अत्यधिक नहीं है। बोर्ड का यह प्रयास रहा है कि प्रभावी ढंग से एक संरचित व्यवस्था के माध्यम से हितधारकों के साथ जोड़ा जाए जो विनियमन बनाने की प्रक्रिया को पारदर्शी और सहभागी बनाता है। विनियामक प्रक्रिया में जनता की भागीदारी, विशेष रूप से हितधारकों और विनियमित, यह सुनिश्चित करती है कि विनियमों को विनियमन में रुचि रखने वाले और प्रभावित लोगों की वैध आवश्यकताओं से अवगत कराया जाता है। यह किसी भी हित समूह के अनुचित प्रभाव की धारणा को तोड़ते हुए लोकतांत्रिक वैधता प्रदान करता है।

प्रक्रिया आम तौर पर एक कार्यकारी समूह (डब्ल्यूजी) के साथ मसौदा नियम बनाने से शुरू होती है। मुद्दों के बारे में विस्तार से अध्ययन करने और विनियमनों के महत्वपूर्ण पहलुओं पर सिफारिशें देने के लिए कार्यकारी समूह की स्थापना करने की प्रक्रिया का उपयोग सरकार द्वारा संहिता के प्रावधानों को लागू करने के शुरुआती चरणों में किया गया था। इस प्रथा को ध्यान में रखते हुए, आईबीबीआई नियामक मुद्दों में गहराई तक पहुँचने और मसौदा नियमों का सुझाव देने के लिए डब्ल्यूजी का गठन करता है। इसके बाद, मुद्दों पर समझ को पुनः विकसित करने के लिए हितधारकों के साथ कई गोलमेज़ में ड्राफ्ट विनियमों पर चर्चा की जाती है, उक्त विनियमों द्वारा समाधान और इन मुद्दों के समाधान के लिए ऐसे विनियमों की उपयुक्तता की आवश्यकता होती है। यह प्रत्येक मसौदा विनियमन और उप–विनियमन पर, एक इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म के माध्यम से जनता की टिप्पणियां प्राप्त करता है; और मसौदा विनियमों पर प्रासंगिक सलाहकार समिति (एसी) की सलाह प्राप्त करता है। नियमन की प्रक्रिया नियमों को अंतिम रूप देने और अनुमोदन करने वाली शासी निकाय के साथ समाप्त होती है। सार्वजनिक टिप्पणियों पर विचार करने, गोलमेज पर प्रतिक्रिया प्राप्त करने और एसी की सलाह के बाद जीबी के साथ समन्वय बनाते हुए विनियमन की प्रक्रिया को अंतिम रूप दिया जाता है और विनियमों को अनुमोदित किया जाता है। आईबीबीआई ने विनियमन बनाने की प्रक्रिया को संचालित करने के लिए 22 अक्टूबर, 2018 को आईबीबीआई (विनियमन जारी करने की व्यवस्था) विनियमन, 2018 (बॉक्स 5) जारी किया है।

नियामक प्रभाव मूल्यांकन

बाजार की विफलता का अस्तित्व एक आवश्यक है, लेकिन विनियमन के लिए पर्याप्त स्थिति नहीं है। नियमन अपने आप में एक गुण नहीं है। न तो यह निःशुल्क है और न ही बाजार की सभी विफलताओं के लिए रामबाण है। यह अक्सर इसी कारण से विफल रहता है, जैसेकि सूचना विषमता, जैसे ही बाजार विफल रहता है, और बाजार विफलता के समान ही नियामक विफलता हो सकती है। कभी–कभी, ऐसी परिस्थितियां होती हैं जब कोई विनियमन किसी ज्ञात बाजार विफलता को त्रुटिसुधार नहीं कर सकता है। यह इसका प्रभावी ढंग से समाधान नहीं कर सकता है या उतनी लागत पर समाधान कर सकता है जो इससे अधिक है। कतिपय परिस्थितियों में, नियमन की लागत, बाजार विफलता की लागत से अधिक हो सकती है, जिससे बचा जाना चाहिए। विनियमन गैर–कार्यान्वयन योग्य और दुष्क्रियाशील हो सकता है या यहां तक कि विकृत भी हो सकता है। यदि इन्हें उपयुक्त तरीके से डिजाइन और कार्यान्वित नहीं किया जाता, तो नियमों के अनपेक्षित परिणाम हो सकते हैं। ऐसे विनियमनों की संभावना है चाहे बाजार विफलता संभाव्य न हो। विनियमन गुणित होते हैं और अनिवार्य की अपेक्षा अधिक हैं। यह विकास धीमा हो सकता है और कम विनियमित व्यवसाय को अंतरित कर सकते हैं। प्रस्तावित विनियमन के कुछ विनियामक प्रभाव मूल्यांकन (आरआईए) (बॉक्स 6) का निष्पादन करने और यह सुनिश्चित करने के लिए विनियमन के विकास में हितधारकों को संबद्ध करने के लिए उपयोगी है कि विनियमन, निम्नतम संभावित लागत पर ज्ञात बाजार विफलता को संबोधित करने के लिए भलीभांति बनाए जाते हैं। यह नोट किया जाए कि सभी परिस्थितियों में प्रत्येक बाजार विफलता को न तो कोई विनियमन या न ही बाजार प्रभावी तौर पर संबोधित कर सकता है। कुछ संदर्भों में बाजार की विफलताओं के साथ जीवनयापन करना और

बॉक्स 5: विनियमन बनाने के लिए विनियमन

पिछले दिनों, कारोबारी माहौल बहुत ऊर्जापूर्ण हो गया है। बाजारों में जो परिवर्तन पहले सदियों में होता था वह अब महीनों में, या वर्षों में हो रहा है। इसके लिए शासन ने विधि के 'लगभग आधे–अधूरे' रूप से सशक्त विनियामकों की स्थापना की है। इस धड़े का मानना है कि सभी संभव परिस्थितियों की कल्पना करना और विधि में उस के लिए प्रावधान करना संभव नहीं है। यहां, विधियां अति–विधायी नहीं होती हैं जो विकास को प्रतिबंधित कर सकती हैं। वे ढांचे की तरह होती हैं; लेकिन अधीनस्थ विधान (विनियमों) के माध्यम से अप्रत्याशित मजबूरियों सहित सभी संभावित परिस्थितियों से निपटने की क्षमता है, जो बदलती जरूरतों के साथ तेजी से विकसित हो सकती है। हालांकि, विधान अत्यधिक विधायी कार्यों को नहीं सौंपता है। अत्यधिक–विधान और अत्यधिक–कार्यभार से बचने के दौरान, विधायिका सुनिश्चित करती है कि विधि प्रत्येक वैध बाजार के विकास का समर्थन करे और अधीनस्थ विधान सीमित स्थान पर रहे।

यह देखते हुए कि विनियमन विधि हैं, इसमें कुछ न्यूनतम वैधता होनी चाहिए और इसे कुछ प्रक्रियात्मक कठोरता से गुजरना चाहिए। *सेलुलर ऑपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया बनाम भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण*[19] में, एससी (2016) ने पायाः *''हम पाते हैं कि, कुछ अच्छी तरह से परिभाषित अपवादों के अधीन, यह हमारे लोकतंत्र का एक स्वस्थ कार्य होगा यदि सभी अधीनस्थ विधान ''पारदर्शी'' होंगे ... हमें इस मुद्दे को उठाने और अमेरिकी प्रशासनिक प्रक्रिया अधिनियम (कुछ निश्चित परिभाषित अपवादों के साथ) के तहत एक कानून बनाने के लिए संसद को सलाह देनी होगी, जिसके द्वारा सभी अधीनस्थ कानून एक पारदर्शी प्रक्रिया के अधीन हैं, जिसके द्वारा सभी हितधारकों के साथ उचित विचार–विमर्श किया जाता है, और नियम या विनियमन बनाने की शक्ति का उपयोग एक व्याख्यात्मक ज्ञापन के साथ सभी हितधारकों के प्रस्तुतिकरण पर विचार करने के बाद किया जाता है, जो मोटे तौर पर ध्यान में रखता है कि उन्होंने क्या कहा है और उनसे सहमत या असहमत होने के क्या कारण हैं।''*

आईबीबीआई (विनियमन जारी करने की व्यवस्था) विनियमन, 2018 (विनियमन) व्यवस्था करता है कि किसी भी विनियमन को बनाने या संशोधित करने के उद्देश्य से, आईबीबीआई अपनी जीबी के अनुमोदन सहित, जनता से टिप्पणियां आमंत्रित करते हुए अपनी वेबसाइट पर निम्नलिखित अपलोड करेगा– क) प्रस्तावित विनियमनों का मसौदा, (ख) संहिता के विशिष्ट प्रावधान जिसके तहत बोर्ड विनियमनों का प्रस्ताव करता है, (ग) समस्या का विवरण जिसे प्रस्तावित विनियमन से समाधान करना चाहते हैं, (घ) प्रस्तावित विनियमनों का आर्थिक विश्लेषण, (ङ) प्रस्तावित विनियमनों के लिए प्रासंगिक अंतरराष्ट्रीय मानक निर्धारक एजेंसियों और अंतरराष्ट्रीय सर्वोत्तम प्रथाओं, यदि कोई हो, (च) प्रस्तावित विनियमनों के कार्यान्वयन का तरीका, और (छ) जनता से टिप्पणियां प्राप्त करने हेतु तरीका, प्रक्रिया और समयसीमा। ये जनता को कम से कम इक्कीस दिनों के लिए प्रस्तावित विनियमनों पर अपनी टिप्पणी प्रस्तुत करने की अनुमति देते हैं।

सार्वजनिक परामर्श व्यापक समाज को विनियमन बनाने में भागिदारी हेतु सक्षम बनाता है। यह विनियमित और हितधारकों के बीच प्रस्तावित नियमों के अनुपालन और स्वीकार्यता में सुधार करते हुए, नियामक को उपलब्ध जानकारी में वृद्धि करता है। यद्यपि, इस बात की आशंका है कि व्यापक परामर्श प्रक्रिया संगठित और मुखर रुचि समूहों के लिए नियामक प्रक्रियाओं[20] के परिणामों पर अत्यधिक प्रभाव डालने का अवसर पैदा कर सकती है। विविध हितधारक, जो बड़ी संख्या में हो सकते हैं, लेकिन कई मुद्दों के कारण परामर्श में भाग नहीं लेते हैं, जैसे कि वे सामूहिक कार्रवाई के न्यूनतम प्रभाव या समस्याओं का सामना करते हैं, उन्हे ठीक से नहीं सुना जाता हो।[21] परामर्श के माध्यम से प्राप्त इनपुट की स्वतंत्र रूप से जांच करने की आवश्यकता है, उन हितधारकों के हितों को भी ध्यान में रखते हुए, जिन्होंने परामर्श प्रक्रिया में भाग नहीं लिया है। यह सभी हितधारकों के अधिकारों और हितों के साथ–साथ बहुसंख्यक पक्षपातों से नियामक की स्वतंत्रता को सुरक्षित करने के लिए आवश्यक है। विनियमों में यह आवश्यकता है कि जीबी द्वारा सार्वजनिक टिप्पणियों पर विचार करने के बाद ही विनियमों को मंजूरी देनी चाहिए और अपनी वेबसाइट पर उसे टिप्पणियों पर अपनी प्रतिक्रिया का सामान्य विवरण देते हुए अपलोड करनी चाहिए, जो कि विनियमों की अधिसूचना की तारीख के बाद न हो। यदि जीबी प्रस्तावित नियमों से काफी भिन्न रूप में विनियमों का अनुमोदन करने का निर्णय लेता है, तो वह प्रक्रिया को फिर से दोहराएगा। जब तक एक अलग तिथि निर्दिष्ट नहीं की जाती है, उनकी अधिसूचना के तीस दिनों के बाद विनियमन लागू होंगे। यह विनियमों द्वारा किए गए परिवर्तनों को समायोजित करने के लिए विनियमित करने का अवसर प्रदान करता है। आपातकाल के मामले में, उपर्युक्त प्रक्रिया का अनुपालन किए बिना नियम बनाए जा सकते हैं।

अधीनस्थ विधानों के उद्देश्यों में से एक यह है कि इसे तीव्र गति वाले बाजार के विकास के लिए हमें प्रतिक्रिया करने, तीव्र प्रतिक्रिया करने और अक्सर सक्रिय रूप से प्रतिक्रिया करने की आवश्यकता है। इस अस्थिर प्रकृति के कारण, हमेशा संभावना है कि अधीनस्थ कानून अप्रचलित हो जाता है। इसलिए, नियमित अंतराल पर अधीनस्थ कानून की समीक्षा करना आवश्यक है। विनियमों के अनुसार बोर्ड को प्रत्येक तीन वर्षों में प्रत्येक विनियमन की समीक्षा करने की आवश्यकता होती है जब तक कि किसी भी समीक्षा को पूर्व से अनिवार्य किया जाए और किसी विनियमन को संशोधित या मंसूख करने की अपेक्षा है।

बाजार एवं विनियमन के विवेकपूर्ण मिश्रण का उपयोग करना बेहतर हो सकता है, जहां विनियमन बाजार को पूरक करते हैं, और उसका स्थान नहीं लेते।

ऐसा संभव है कि विनियामक, सर्वश्रेष्ठ प्रयासों और इरादों के बावजूद, विशेष रूप से एक परिवर्तनशील वातावरण में, हमेशा जमीनी वास्तविकताओं को इतना जल्दी न समझ सकें जितना जल्दी हितधारक समझ सकते हैं। इसीलिए, विनियमन बनाने में हितधारक अधिक सक्रिय भूमिका निभा सकते हैं। वे सहज ही वर्तमान विनियामक ढांचें में उन महत्वपूर्ण मुद्दों पर विचार कर सकते जिनसे लेन–देन में बाधा आती है और उनका वैकल्पिक समाधान प्रदान करते हैं। निर्दिष्ट समय के भीतर प्रस्तावित विनियमों के संबंध में फीडबैक मांगते हुए सामान्य परामर्श के अलावा, आईबीबीआई हितधारकों को उन्हें अपने लिए आवश्यक विनियमनों का सुझाव देने का अवसर प्रदान करता है। यह विचारों की क्राउडसोर्सिंग के समान है। इससे प्रत्येक विचार विनियामक तक पहुंच जाता है। परिणामस्वरूप, विनियामक के पास उपलब्ध विचारों का ब्रह्मांड बहुत बड़ा हो जाता है और अधिक अनुकूल नियामक ढांचे की संभावना बहुत अधिक हो जाती है। आईबीबीआई ने अप्रैल, 2018 में मौजूदा विनियमनों के संबंध में हितधारकों से टिप्पणियां आमंत्रित कीं थीं। इसने दिसंबर, 2018 तक प्राप्त टिप्पणियों को संसाधित किया और नियत प्रक्रिया का पालन करते हुए, मार्च, 2019 तक विनियमों में यथा आवश्यक संशोधन किया।

---

[19] 2016 के 7 एससीसी 703

[20] सोमा, एल एंड एफ नारू (2017), 'रेगुलेटरी पॉलिसी इन इंडियाः मूविंग टूवर्ड्स रेगुलेटरी गवर्नेंस', ओईसीडी रेगुलेटरी पॉलिसी वर्किंग पेपर्स, नं. 8, ओईसीडी, पेरिस।

[21] सोमनथन, टीवी (2016), 'द एडमिनिस्ट्रेटिव एंड रेगुलेटरी स्टेट' इन दी ऑक्सफोर्ड हैंडबुक ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, संस्करण, एस. चौधरी, एम. खोसला और पीबी मेहता, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस।

बॉक्स 6:नियामक प्रभाव आकलन

विधायिका ने विनियामकों को ऐसे विनियमन जारी करने का प्राधिकार सौंपा है जिनमें कानून की ताकत हो। इन प्राधिकारों के लिए इसके परिणामों के लिए पूरी जिम्मेदारी के साथ उपयोग करना आवश्यक होता है। वित्तीय क्षेत्र विधायी सुधार समिति (एफएसएलआरसी) प्रस्तावित विनियमनों की लागत और लाभों के विश्लेषण के प्रकाशन की सिफारिश करती है क्योंकि प्रत्येक नियामक हस्तक्षेप से विनियमित और प्रणाली पर कुछ लागतें लगाता है, और विनियमों से ऐसी लागतें कम होनी चाहिएं। हालांकि, यह स्वीकार किया जाता है कि अक्सर विशुद्ध संख्यात्मक मूल्य–आधारित लागत–लाभ विश्लेषण संभव नहीं है। ऐसे मामलों में, नियामक आमतौर पर आर्थिक लागतों और लाभों की प्रणालीगत जांच, आकलन और तुलना करता है जो प्रस्तावित विनियमों या किसी नीतिगत परिवर्तन के कार्यान्वयन के परिणामस्वरूप मिला हो ताकि किसी भी विनियामक हस्तक्षेप से पहले उप–इष्टतम परिणाम और निर्णयों की अधीनता से बचा जा सके। उन्होंने नीतिगत लक्ष्यों को स्पष्ट रूप से पहचानने; मूल्यांकन करने, यदि विनियमन आवश्यक हो; लक्ष्य प्राप्त करने के लिए नियमन से इतर साधनों पर विचार करने; प्रभावी एवं कुशल नियामक विकल्पों को देखने, विभिन्न दृष्टिकोणों के व्यापार– लेनदेन को मान्यता प्रदान करने और सर्वश्रेष्ठ का चयन करने के लिए नये नियामक प्रस्तावों के निर्माण के प्रारंभिक चरणों में आरआईए में एकीकृत करते हैं। इससे सुनिश्चित होता है कि विनियमन की लागत बाजार विफलता की लागत से कम है जिसे विनियमन संबोधित करना चाहता है, और प्रस्तावित विनियमन, विनियमित और पारिस्थितिकी तंत्र पर कम से कम लागत प्रभारित करता है। इससे नियामक यह प्रदर्शित कर सकता है कि इसके निर्णय विनियमन के विकास, निर्गमन और कार्यान्वयन के दौरान संभावित परिणामों के विवेकपूर्ण अनुमान पर आधार हैं।

ओईसीडी[22] ने टिप्पणी की है कि आरआईए से यह सुनिश्चित करने में मदद मिलती है कि विनियमन यथासंभव प्रभावी और कुशल हों। प्रभावी विनियमन से नीतिगत उद्देश्यों की प्राप्ति होती है जिनके लिए इसे बनाया गया हो। कुशल विनियमन से ये उद्देश्य समाज के सभी सदस्यों को न्यूनतम लागत पर प्राप्त होते हैं। अनुपयुक्त विनियमन से व्यवसाय करने की विधि में बाधा डालकर और नकारात्मक परिवेश की अवधारणाएं बनाकर विकास में बाधा आ सकती है। अतः किसी समस्या का समाधान करने या किसी लक्ष्य को प्राप्त करने और उनमें से सर्वश्रेष्ठ की पहचान करने के लिए उनके प्रभावों का आकलन करने के यथासंभव अलग–अलग व्यावहारिक तरीकों की पहचान करना आवश्यक है। इससे यह लग सकता है कि विनियमन का कोई मामला नहीं है। यह तब संभव है जब समस्या इतनी छोटी हो कि विनियमन का औचित्य ठहराया जा सके अथवा किसी विनियमन से समस्या का प्रभावी ढंग से समाधान मिलने की संभावना न हो और यह उस लागत पर मिलने की संभावना न हो जो विनियमन के अपेक्षित लाभों को देखते हुए उचित हो। नियमन तभी लागू किया जाना चाहिए, जब इससे समाज के आर्थिक और सामाजिक कल्याण सुधार की उम्मीद हो। इसमें ऐसे एकल समूहों पर प्रभाव को अनुचित तवज्जों देने की अपेक्षा जो विनियमन के लिए पैरवी कर रहे हो, 'पूर्ण समाज' को दृष्टिगत रखा जाता है। ओईसीडी[23], आरआईए को नए नियामक प्रस्तावों की शुरुआती चरणों में सिफारिश करता है। यह विकल्पों के मूल्यांकन का परामर्श देता है जैसे 'विनियमन' और 'कोई विनियमन नहीं' और यदि 'विनियमन' हो तो किस प्रकार का विनियमन।

आरआईए, किसी भी नियामक कार्रवाई करने से पहले एक नियामक के विचार करने का तरीका है और यह सुनिश्चित करने में इसके दूरगामी परिणाम होते हैं कि कार्रवाई वस्तुनिष्ठ है, और प्रक्रिया भलीभांति प्रलेखित की जाए। आरआईए के आयोजन में निम्नलिखित 7 महत्वपूर्ण तत्व या चरण हैः

चरण 1ः समस्या और नीतिगत संदर्भ परिभाषित करनाः महत्वपूर्ण प्रश्न जो किसी नियामक को एक आरआईए में पूछे जाने चाहिएं और उनके उत्तर हैंः एक नए विनियमन या किसी विनियमन में परिवर्तन द्वारा किन समस्याओं का समाधान किया जाता है?; इससे हस्तक्षेप क्यों किया जाना चाहिए?; क्या बाजार, पहचानी गई समस्या को दूर करने में विफल है और यदि हां, तो कैसे?; क्या मौजूदा विनियमन कारगर नहीं है, यदि हां, तो क्यों; आगे क्या कार्रवाई की आवश्यकता है; कार्रवाई करने/ कार्रवाई न करने के जोखिम क्या हैं?

चरण 2ः उद्देश्यों की पहचानः नियामक परिवर्तन के उद्देश्य की जानकारी होना महत्वपूर्ण है। नियामक को अपनी नियामक कार्रवाई के उद्देश्यों की पहचान करनी चाहिए, विशेष रूप से समीपस्थ समस्या का समाधान करने के लिए सीधे लिंक को आजमाने का प्रयास करना चाहिए। इस उद्देश्य को दृष्टिगत रखते हुए, नियामक को इसकी पहचान करनी चाहिए कि किसे परिवर्तन करने की आवश्यकता है और अपेक्षित परिवर्तन कितना होना चाहिए।

चरण 3ः व्यवहार्य विकल्पों की पहचानः नियामक को विचाराधीन समस्या का समाधान करने के लिए बहुत से विकल्पों (आमतौर पर 2 से 4 विकल्प) की पहचान करनी चाहिए, जिसमें 'कुछ भी न करें' विकल्प भी शामिल है। संभव है कि हमेशा विनियमन सबसे अच्छा विकल्प न हो। अतः नियामक के पास वैकल्पिक नीतिगत विकल्प, जैसे मुक्त बाजार, स्व–नियमन, बाजार प्रोत्साहन प्रदान करना आदि की आवश्यकता होती है।

चरण 4ः प्रभाव लागत का आकलनः प्रत्येक विकल्प के लाभः इस स्तर पर, विभिन्न विकल्पों का प्रभाव का मूल्यांकन किया जाता है, जिसमें उसकी पहचान करना भी शामिल है जो विनियमन में विनियमन/परिवर्तन से प्रभावित होता है, इसकी पहचान करना शामिल है। विवरण का स्तर आमतौर पर मुद्दे के महत्व पर आधारित होता है। यहां एक विनियमन के परिमाणात्मक भी और गुणवत्तात्मक, दोनों प्रभावों पर विचार किया जाता है। लाभ में टाली गई मृत्यु और चोटें, बचाए गए दुर्लभ आवास की एकडों भूमि आवास (सामाजिक विनियमों के लिए), अथवा वित्तीय संकट की घटी हुई संभाव्यता (वित्तीय विनियमों के लिए) जैसे परिणाम शामिल है। लागतों में कंपनियों के लिए बढ़ी उत्पादन लागत, कंपनियों के लिए विनियमन अनुपालन लागत, नियामक परिवर्तन में बाधा और उपभोक्ताओं के लिए बढ़ी हुई कीमतें जैसे परिणाम शामिल हो सकते हैं। बाह्य प्रभावों को भी अर्थात विनियमन द्वारा बाजार के लेन–देन में परोक्ष रूप से शामिल पक्षों द्वारा अनुभूत प्रभावों को यथासंभव सीमा तक विश्लेषण में शामिल किया जाना चाहिए।

चरण 5ः हितधारकों से परामर्श और उनके अभिमतों का प्रलेखनः हितधारकों के साथ परामर्श करना, आरआईए का एक महत्वपूर्ण तत्व है। ऐसे परामर्श के सुझावों को स्वीकार/ अस्वीकृत करने के कारणों के साथ भलीभांति प्रलेखित किया जाना चाहिए।

चरण 6ः निष्कर्ष और अनुशंसित विकल्पः उपर्युक्त चरणों के आधार पर, नियामक इस संबंध में निष्कर्ष पर पहुंच सकता है कि पहचाने गए उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए ज्ञात समस्या को दूर करने के लिए क्या नियामक कार्रवाई की जाए।

---

[22] ओईसीडी (2008), इंट्रोडक्टरी हैंडबुक फोर अंडरटेकिंग रेगुलेटरी इंपेक्ट एनालिसिस।

[23] ओईसीडी (2012), रिकमंडेषन ऑफ दी काउंसिल ऑफ दी ओईसीडी ऑन रेगुलेटरी पॉलिसी एण्ड गवर्नेन्स।

चरण 7: कार्यान्वयन और समीक्षा– कैसे, कब, कौन: आरआईए, इस चरण पर, यह प्रलेखन करता है कि पसंदीदा विकल्प किस प्रकार लागू किया जाएगा, विकल्प के संचालन के लिए कौन जिम्मेदार होगा और इसे कब कार्यान्वित किया जाएगा?

किसी विनियामक कार्रवाई के संभावित प्रभावों की पहचान और परिमाण निर्धारित करना, आरआईए के संचालन की कुंजी है। यदि ऐसा मामला हुआ कि नियामकों से पूरी जानकारी के साथ निर्णय लेने की अपेक्षा की गई थी, तो सभी सामाजिक लागतों और लाभों का सही और सटीक अनुमान लगाना होगा। किसी भी प्रकार के विनियमन के आरआईए को विनियमन के प्रभावों का सटीक आकलन करने में चुनौतियों का सामना करना होता है। हाल के दशकों में, शिक्षाविदों और एजेंसी के विशेषज्ञों ने इस प्रकार के विश्लेषण करने के लिए परिष्कृत और उपयोगी तकनीक विकसित की है, लेकिन उनमें आमतौर पर कुछ अनिश्चितता होती है। अन्य चुनौतियों में लोगों का व्यवहारगत परिवर्तन आता हैं जब वे स्वयं को नए विनियमन के अनुकूल ढालते हैं, जिनके बारे में पहले से बताना मुश्किल है; परिमाणीकरण जो विनियमन और परिणामों के बीच औपचारिक संबंध की अपेक्षा जिसकी अनिश्चितता दूर होनी चाहिए; और मौद्रिकीकरण, जो परिणामों के लिए मुश्किल है जो आसानी से समझ में नहीं आते है।

आरआईए की कतिपय विविधताएँ इनमें से कुछ कठिनाइयों को दूर करती हैं। इन विविधताओं में शामिल हैं: वैकल्पिक विनियमन की लागतों की तुलना जब लाभ के परिमाण का सटीक परिमाणीकरण या मौद्रिकीकरण न किया जा सकता हो; संभाव्यता या इसका निर्धारण करने के लिए विस्तृत विश्लेषण कि कोई विनियमन किन स्थितियों में लाभकारी होगा; विशेषज्ञ निर्णय के साथ गुणवत्तात्मक विश्लेषण जहां अनुभवी व्यावसायिक संभावित प्रभावों का वर्णन और इनकी व्याख्या करते हैं जिनका परिमाण निर्धारित नहीं किया जा सकता और इस संबंध में निर्णय लेते हैं कि लाभ के साथ लागतों की किस प्रकार तुलना की जाऐ और पूर्वव्यापी विश्लेषण, जिनमें विनियमन के कार्यान्वयन की कुछ अवधि के बाद, अक्सर वर्षों बाद, प्राप्त लागतों और लाभों का अनुमान लगाया जाता है।

बोर्ड ने 2016–17 में दस विनियमन अधिसूचित किये थे। इसने 2017–18 में चार नए विनियमन अधिसूचित किये थे। 2018–19 में, बोर्ड ने एक नया नियम अधिसूचित किया। इसने कुछ मौजूदा विनियमों को समय–समय पर संशोधित किया, जैसा कि सारणी 15 में विवरण दिया गया है। इनमें से प्रत्येक विनियमन और संशोधन का विवरण, रिपोर्ट के अनुभाग 'ग' की संबंधित उप–धारा के तहत दिया गया है।

सारणी 15: 2018–19 में अधिसूचित विनियमन

क्र. सं.	अधिसूचना की तारीख	विनियमन
1	03.07.18	आईबीबीआई (कारपोरेट व्यक्तियों के लिए दिवाला समाधान प्रक्रिया) (तृतीय संशोधन) विनियमन, 2018
2	05.10.18	आईबीबीआई (कारपोरेट व्यक्तियों के लिए दिवाला समाधान प्रक्रिया) (चतुर्थ संशोधन) विनियमन, 2018
3	11.10.18	आईबीबीआई (दिवाला वृतिक) (द्वितीय संशोधन) विनियमन, 2018
4	11.10.18	आईबीबीआई (सूचना सुविधाएं) (द्वितीय संशोधन) विनियमन, 2018
5	11.10.18	आईबीबीआई (दिवाला वृतिक एजेंसियों के मॉडल उप–कानून और शासी बोर्ड) (संशोधन) विनियमन, 2018
6	11.10.18	आईबीबीआई (दिवाला वृतिक एजेंसियां) (संशोधन) विनियमन, 2018
7	22.10.18	आईबीबीआई (विनियमन निर्गमन तंत्र) विनियमन, 2018
8	22.10.18	आईबीबीआई (परिसमापन प्रक्रिया) (द्वितीय संशोधन) विनियमन, 2018
9	15.01.19	आईबीबीआई (स्वैच्छिक परिसमापन प्रक्रिया) (संशोधन) विनियमन, 2019
10	24.01.19	आईबीबीआई (कारपोरेट व्यक्तियों के लिए दिवाला समाधान प्रक्रिया) (संशोधन) विनियमन, 2019

विभिन्न हितधारकों तक पहुंचने और मसौदा विनियमों/नीतियों के संबंध में उनकी प्रतिक्रिया प्राप्त करने के लिए, आईबीबीआई स्वयं या उद्योग, व्यावसायिक संस्थानों, आईपीए और आरवीओ के सहयोग से, अपने विनियमनों को अंतिम रूप देने से पहले पूरे भारत में गोलमेज़ का आयोजन करता है। समीक्षाधीन अवधि में आयोजित ऐसे गोलमेज़ की सूची, भाग 'ग' की सारणी 13 में दी गई है। सारणी 16 में विभिन्न विषयों के लिए गोलमेज़ की संख्या का सारांश है।

सारणी 16: विषय-वार गोलमेज़ घटनाक्रम

विषय	2016-17	2017-18	2018-19	कुल
संहिता के अधीन सेवा प्रदाता	04	02	––	06
कारपोरेट दिवाला प्रक्रियाएं – दिवाला समाधान, फास्ट ट्रेक समाधान, परिसमापन और स्वैच्छिक परिसमापन	04	11	07	22
व्यष्टिक दिवाला प्रक्रियाएं	––	10	01	11
मूल्यांकन नियमावली	––	18	––	18
क्रास बॉर्डर दिवाला	––	––	03	03
निवर्तमान सरोकार बिक्री और समूह दिवाला	––	––	04	04
अन्य	––	03	07	10
कुल	**08**	**44**	**22**	**74**

सलाहकार समितियाँ

नियामकों की स्थापना संबंधी अधिकांश संविधियों में आमतौर पर विनियामक के लिए उभरते विचारों के लिए एक साउंडिंग बोर्ड के रूप में काम करने और नियामक को व्यावसायिक बुद्धिमत्ता और डोमेन की जानकारी देने के लिए स्थायी एसी का गठन करने का प्रावधान किया गया है। आईबीबीआई ने आईबीबीआई (सलाहकार समिति) विनियमन, 2017 (सलाहकार समिति विनियमन) के अनुसार तीन स्थायी एसी का गठन किया है।

इन समितियों में दो प्रकार के सदस्य नामतः व्यावसायिक सदस्य जो संबंधित क्षेत्र में प्रख्यात शिक्षाविद और प्रेक्टिशनर हैं, और सामान्य सदस्य, जो प्रख्यात नागरिक हैं, जिनका क्षेत्र के साथ कोई संबंध नहीं है, जिनका अनुपात मौटे तौर पर 2:1 है। कोई भी व्यक्ति किसी भी समय एकाधिक एसी का सदस्य नहीं हो सकता है और किसी सदस्य का कार्यकाल तीन वर्ष से अधिक नहीं हो सकता, हालांकि उसकी पुनः नियुक्ति की जा सकती है। एक एसी स्वयं, अपने दायरे के अंतर्गत आने वाले किसी भी मुद्दे पर बोर्ड को सलाह दे सकता है और बोर्ड से अनुरोध प्राप्त होने पर अपने दायरे में आने वाले किसी भी मुद्दे पर परामर्श एवं व्यावसायिक सहायता दे सकता है।

(क) सेवा प्रदाता सलाहकार समिति

इसका गठन 18 अक्टूबर, 2016 को किया गया था। सलाहकार समिति विनियमन जारी करने पर, 30 अगस्त, 2017 को समिति का पुनर्गठन किया गया था। 31 मार्च, 2019 को इसकी संरचना सारणी 17 में दी गई है।

सारणी 17: सेवा प्रदाताओं पर सलाहकार समिति की संरचना

क्र. सं.	नाम और पद	समिति में पद
1	श्री मोहनदास पई, मणिपाल ग्लोबल एजुकेशन	अध्यक्ष,
2	श्री के.वी. आर. मूर्ति, संयुक्त सचिव, एमसीए	सदस्य
3	डॉ. बिमल एन. पटेल, निदेशक, गुजरात नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी	सदस्य
4	श्री जे. रंगनाकुलु, पूर्व कार्यकारी निदेशक, सेबी	सदस्य
5	श्री पी. आर. रमेश, डेलॉयट इंडिया	सदस्य
6	मुख्य कार्यकारी अधिकारी, आईसीएसआई आईपीए	सदस्य

(ख) कॉर्पोरेट दिवाला और परिसमापन पर सलाहकार समिति

इसका गठन 18 अक्टूबर, 2016 को किया गया था। सलाहकार विनियमन जारी करने से, 25 अगस्त, 2017 को समिति का पुनर्गठन किया गया था। 31 मार्च, 2019 को इसकी संरचना सारणी 18 में दी गई है।

सारणी 18: कॉर्पोरेट दिवाला और परिसमापन पर सलाहकार समिति की संरचना

क्र. सं.	नाम और स्थिति	समिति में स्थिति
1	श्री उदय कोटक, कार्यकारी उपाध्यक्ष और एमडी, कोटक महिंद्रा बैंक	अध्यक्ष
2	श्री ज्ञानेश्वर कुमार सिंह, संयुक्त सचिव, एमसीए	सदस्य
3	श्री आशीष कुमार चौहान, एमडी और सीईओ, बीएसई लिमिटेड	सदस्य
4	श्री एम.वी. नायर, अध्यक्ष, क्रेडिट इनफोर्मेशन ब्यूरो (इंडिया) लिमिटेड	सदस्य
5	डॉ. ओंकार गोस्वामी , अध्यक्ष, सीईआरजी सलाहकार प्राइवेट लिमिटेड	सदस्य
6	श्री सोमसेखर सुंदरेशन, कानूनी वकील	सदस्य
7	पीरामल ग्रुप और श्रीराम ग्रुप के चेयरमैन श्री अजय पीरामल	सदस्य
8	प्रो (डॉ.) रणबीर सिंह, कुलपति, एनएलयू, दिल्ली	सदस्य
9	श्री आर.के. नायर, पूर्व सदस्य, आईआरडीएआई	सदस्य
10	अध्यक्ष, एनसीएलटी और एनसीएलएटी बार एसोसिएशन	सदस्य
11	अध्यक्ष, इंडियन बैंक एसोसिएशन	सदस्य
12	मुख्य कार्यकारी अधिकारी, आईसीएमएआई का आई.पी.ए.	सदस्य

(ग) एकल दिवाला और शोधन क्षमता सलाहकार समिति

इसका गठन 15 सितंबर, 2017 को किया गया था। 31 मार्च, 2019 को इसकी संरचना सारणी 19 में दी गई है।

सारणी 19: व्यष्टिक दिवाला और शोधन अक्षमता सलाहकार समिति की संरचना

क्र. सं.	नाम और स्थिति	समिति में स्थिति
1	जस्टिस बी.एन. श्रीकृष्ण , पूर्व जस्टिस, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया	अध्यक्ष
2	श्री सीबी भावे , अध्यक्ष, आईआईएचएस और पूर्व अध्यक्ष, सेबी	सदस्य
3	प्रो. (डॉ.) दीपांकर गुप्ता, समाजशास्त्री और लेखक	सदस्य
4	श्री पृथ्वी हल्दिया, संस्थापक अध्यक्ष, प्राइम डाटाबेस	सदस्य
5	डॉ. (श्रीमती) पूर्णिमा आडवाणी, पूर्व अध्यक्ष, एनसीडब्ल्यू और अधिवक्ता	सदस्य
6	श्री आर.वी. वर्मा, पूर्व सीएमडी, नेशनल हाउसिंग बैंक	सदस्य
7	श्री संजीव सान्याल, प्रधान आर्थिक सलाहकार, वित्त मंत्रालय	सदस्य
8	प्रतिनिधि, एमसीए	सदस्य
9	अध्यक्ष, सोसायटी ऑफ इन्सॉल्वेंसी प्रैक्टिशनर्स ऑफ इंडिया	सदस्य
10	मुख्य कार्यकारी अधिकारी, आईसीएआई के आई.आई.आई.पी.	सदस्य

कार्यकारी कार्य

दिवाला वृतिक

31 दिसंबर 2016 को, 977 व्यक्तियों को छह माह की सीमित अवधि के लिए आईपी विनियमों के विनियमन 9 के तहत आईपी के रूप में पंजीकरण प्रदान किया गया था। 31 दिसंबर 2016 के बाद से, उन व्यक्तियों को आईपी विनियमनों के विनियमन 7 के तहत आईपी के रूप में पंजीकृत किया जाता है, जिनके पास आवश्यक अर्हता और अनुभव है और परीक्षा उत्तीर्ण की है। इस श्रेणी में, 31 मार्च, 2019 को 2460 व्यक्तियों को आईपी के रूप में पंजीकृत किया गया था, जिसमें से 4 व्यक्तियों का पंजीकरण अनुशासनात्मक कार्यवाही के जरिए रद्द कर दिया गया था। किसी व्यक्ति को आईबीबीआई के पास आईपी के रूप में पंजीकृत होने के लिए पहले आईपीए के पास नामांकित होना चाहिए। 31 मार्च, 2019 को तीन आईपीए पंजीकृत थे। आईपीए–वार,आईपी के पंजीकरण का विवरण सारणी 20 में दिया गया है। 31 मार्च, 2019 को पंजीकृत आईपी का क्षेत्रवार वितरण सारणी 21 में दिया गया है।

आकृति 2 में 31 मार्च, 2019 को आईपी का भौगोलिक वितरण दर्शाया गया है!

आईसीएआई, आईसीएसआई, आईसीएमएआई या बार काउंसिल के सदस्य के रूप में 10 वर्ष का अनुभव वाला व्यक्ति या प्रबंधन में 15 वर्ष का अनुभव रखने वाला व्यक्ति परीक्षा उत्तीर्ण करने के पश्चात आईपी के रूप में रजिस्ट्रीकरण के लिए पात्र है। सारणी 22 में 31 मार्च, 2019 को उनकी पात्रता के अनुसार (एक आईपी एक से अधिक संस्थान का सदस्य हो सकता है) आईपी का वितरण प्रस्तुत करता है। 2456 आईपी में से, 220 आईपी महिलाएं हैं जो रजिस्ट्रीकृत आईपी का लगभग नौ प्रतिशत है। सारणी–23 में 31 मार्च, 2019 को रजिस्ट्रीकृत आईपी की आयु प्रोफाइल प्रस्तुत है।

आकृति 2 : 31 मार्च, 2019 को आईपी का भौगोलिक वितरण। [24]

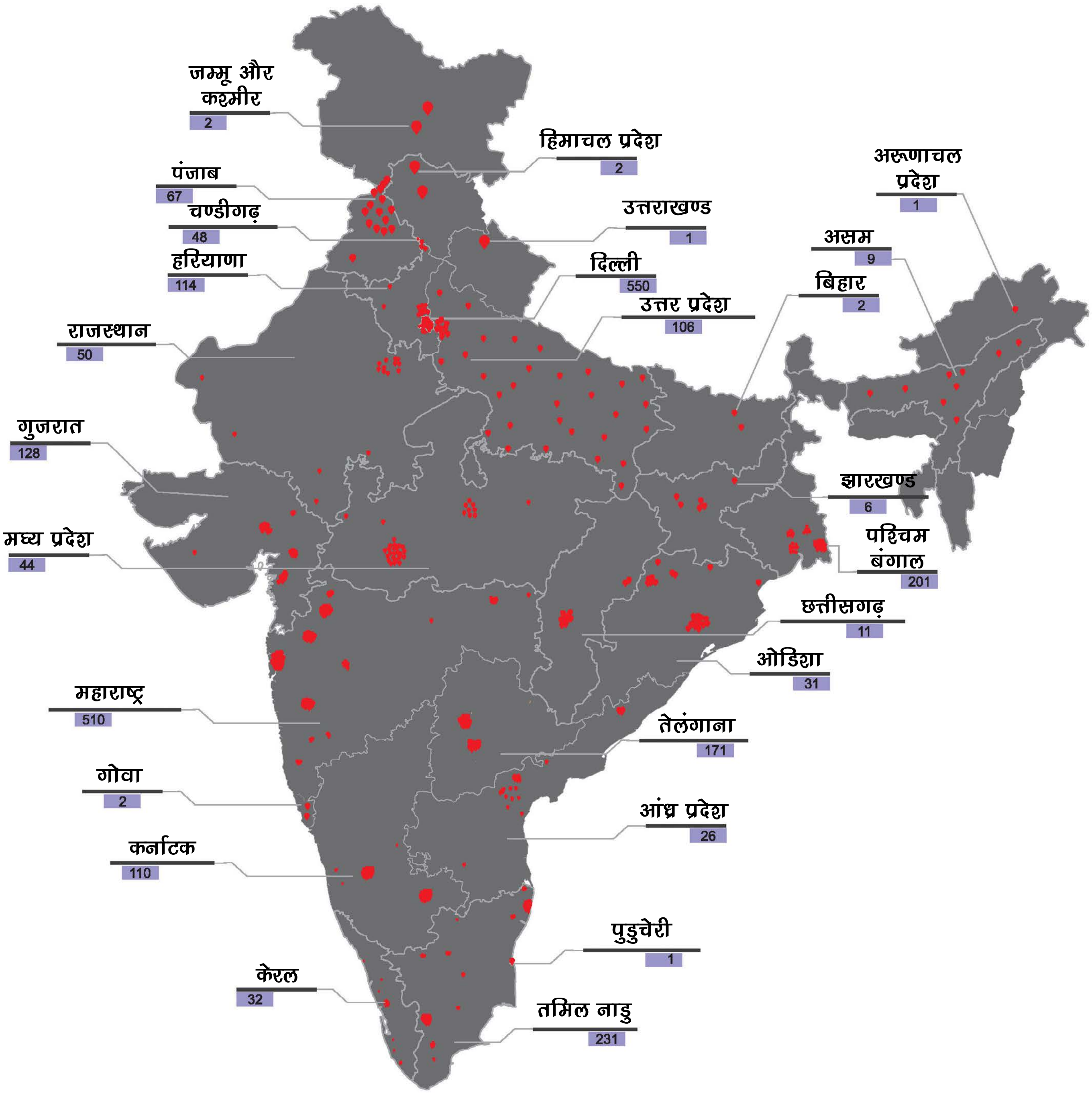

[24] 31 मार्च, 2019 को भारत का मानचित्र।

सारणी 20: आईपी का रजिस्ट्रीकरण और पंजीकरण रद्द करना

तिमाही	तिमाही के दौरान		तिमाही के अंत में पंजीकरण			
	पंजीकृत	मंसूख	आईसीएआई का आईआईआईपी	आईसीएसआई आईआईपी	आईसीएमएआई का आईपीए	कुल
अक्तू–दिसं, 2016*	977	0	713	221	43	977
जन.–मार्च, 2017	96	0	33	51	12	96
अप्रैल – जून, 2017	450	0	266	136	48	546
जुलाई–सितं., 2017	561	0	338	183	40	1107
अक्तू–दिसं, 2017	217	0	125	72	20	1324
जन.–मार्च, 2018	488	0	340	118	30	1812
अप्रैल – जून, 2018	71	1	43	21	6	1882
जुलाई– सितं., 2018	154	1	97	49	7	2035
अक्तू–दिसं, 2018	253	1	182	51	19	2287
जन.–मार्च, 2019	170	1	96	52	21	2456
कुल	**2460**	**4**	**1520**	**733**	**203**	**2456**

** ये रजिस्ट्रीकरण 30 जून, 2017 को समाप्त हो गए हैं।*

सारणी 21: 31 मार्च, 2019 को आईपी का वितरण

(संख्या)

शहर /क्षेत्र	आईसीएआई का आईआईआईपी	आईसीएसआई आईआईपी	आईसीएमएआई का आईपीए	कुल
नई दिल्ली	305	196	51	552
शेष उत्तरी क्षेत्र	221	131	38	390
मुंबई	276	88	24	388
शेष पश्चिमी क्षेत्र	196	88	25	309
चैन्नई	92	57	10	159
शेष राजस्थान क्षेत्र	246	131	35	412
कोलकाता	141	31	15	187
शेष पूर्वी क्षेत्र	44	14	5	63
कुल पंजीकरण	1521	736	203	2460
नेरस्तन	1	3	0	04
कुल	**1520**	**733**	**203**	**2456**

सारणी 22: 31 मार्च, 2019 को आईपी की पात्रता के अनुसार उनका वितरण

पात्रता	आईपी की संख्या		
	पुरूश	महिलाएं	कुल
आईसीएआई का सदस्य	1256	114	1370
आईसीएसआई का सदस्य	396	66	462
आईसीएमएआई का सदस्य	136	11	147
बार काउंसिल का सदस्य	147	17	164
प्रबंधकीय अनुभव	301	12	313
कुल	**2236**	**220**	**2456**

सारणी 23: 31 मार्च, 2019 को आईपी की आयु प्रोफाइल

आयु समूह (वर्षों में)	आईआईआईपी आईसीएआई	आईसीएसआई आईआईपी	आईसीएमएआई का आईपीए	कुल
≤ 40	212	72	4	288
> 40 ≤ 50	552	271	37	860
> 50 ≤ 60	482	198	56	736
> 60 ≤ 70	259	173	101	533
> 70 ≤ 80	14	16	5	35
> 80 ≤ 90	1	3	0	4
> 90	0	0	0	0
कुल	**1520**	**733**	**203**	**2456**

दिवाला वृत्तिक संस्थाएं

आईपीई आईपी को सहायता सेवाएँ प्रदान करते हैं। 31 मार्च, 2019 तक, 48 आईपीई थे। आईपीई की मान्यता का त्रैमासिक विवरण सारणी–24 में दिया गया है।

सारणी 24: 31 मार्च, 2019 को मान्यता प्राप्त आईपीई।

तिमाही	आईपीई की संख्या		
	मान्यताप्राप्त	गैर–मान्यताप्राप्त	तिमाही के अंत में
जन–मार्च, 2017	3	0	3
अप्रैल–जून, 2017	14	0	17
जुलाई–सितंबर, 2017	22	1	38
अक्टूबर–दिसंबर, 2017	18	0	56
जन–मार्च, 2018	19	0	75
अप्रैल–जून, 2018	1	3	73
जुलाई–सितंबर, 2018	4	4	73
अक्टूबर–दिसंबर, 2018	3	20	56
जन–मार्च, 2019	5	13	48
कुल	**89**	**41**	**48**

क्षमता निर्माण

यह आईबीबीआई का प्रयास है कि दिवाला और शोधन अक्षमता के क्षेत्र में आईपी की क्षमता का निर्माण किया जाए ताकि दिवाला शासन नया हो और कानून को परिकल्पित परिणामों को देने के लिए सही तरीके से समझा और समझाया जाना चाहिए।

आईपी कार्यशाला और कॉन्क्लेव

आईबीबीआई ने देश भर के विभिन्न स्थानों पर आईपी के लिए दो दिवसीय कार्यशालाएं आयोजित कीं, जैसा कि सारणी–25 में प्रस्तुत किया गया है।

सारणी 25: 2018–19 के दौरान आईपी कार्यशालाएं

तारीख	स्थान	आईपी की संख्या
20 – 21 अप्रैल, 2018	चेन्नई	50
29 – 30 जून, 2018	बंगलूरु	55
07–08 सितम्बर, 2018	हैदराबाद	34
30 नव. – 1 दिस., 2018	चंडीगढ़	54
21 – 22 दिस., 2018	पुणे	26
01 – 02 फर., 2019	कोयम्बतूर	23
08 – 09 मार्च, 2019	कोलकाता	27

आईबीबीआई ने तीन आईपीए के साथ मिलकर 26 मई, 2018 को मुंबई में एक आईपी कॉन्क्लेव का आयोजन किया, जिसमें 250 आईपी ने भाग लिया। इसने 1 दिसंबर, 2018 को हैदराबाद में एक और आईपी कॉन्क्लेव का आयोजन किया, जिसमें 400 आईपी की भागीदारी देखी गई। इन कॉन्क्लेव में नैतिकता, अखंडता और दिवाला प्रक्रियाओं में आईपी की स्वतंत्रता और आरए, व्यापार, लेनदारों और उनसे एए की अपेक्षाओं पर ध्यान केंद्रित किया गया।

आईबीबीआई ने अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) और भारतीय कारपोरेट कार्य संस्थान (आईआईसीए) के साथ साझेदारी में आईबीबीआई और अन्य नियामकों, आईपी और अन्य शेयरधारकों के अधिकारियों के लिए नई दिल्ली में 25 और 26 मई, 2018 को एक कार्यशाला का आयोजन किया। कार्यशाला में कारपोरेट दिवाला प्रस्ताव में उभरती प्रथाओं पर ध्यान केंद्रित किया गया और क्रॉस–कंट्री अनुभव के साथ अंतरराष्ट्रीय सर्वोत्तम प्रथाओं से सीख ली। इसने संहिता के अधीन दिवाला प्रक्रियाओं में उभरती हुई व्यावहारिक और परिचालन चुनौतियों को संबोधित किया।

कौशल विकास और उद्यमीयता मंत्रालय (एमएसडीई) और आईबीबीआई के मार्गदर्शन में बीएफएसआई एसएससी, तीन आईपीए के साथ और एसआईपीआई के साथ ज्ञान भागीदार के रूप में, दिल्ली में 24 अगस्त, 2018 के लिए आईपी के लिए एक दिवसीय रिफ्रेशर कार्यक्रम का आयोजन किया। यह कार्यक्रम भारत में नीतिशास्त्र और दिवाला शासन में आईपी के लिए नैतिकता और आचरण पर आधारित है।

आईपी और अन्य हितधारकों को नियमों और परिपत्रों के प्रावधानों पर स्पष्टता प्रदान करने के उद्देश्य से, आईबीबीआई ने समीक्षाधीन अवधि में विभिन्न विषयों पर पांच वेबिनार में भाग लिया। लागत और संबंधों के प्रकटीकरण से संबंधित परिपत्रों पर 21 अगस्त, 2018 को आईसीएसआई आईआईपी द्वारा वेबिनार का पहला आयोजन किया गया था, जिसे लगभग 2000 प्रतिभागियों ने देखा। विभिन्न परिपत्रों और आईपी–विज–ए–वीज सीओसी की भूमिका पर किया दूसरे वेबिनार का आयोजन तीन आईपीए ने संयुक्त रूप से 14 सितंबर, 2018 को किया था, जिसे लगभग 12,000 प्रतिभागियों ने देखा। तीसरा वेबिनार आईसीएआई के आईआईआईपी द्वारा 18 अक्टूबर, 2018 को नियमों में कुछ संशोधनों के लिए आयोजित किया गया, जिसे लगभग 12,000 व्यावसायिकों ने देखा। वेबिनार का चौथा सत्र तीन आईपीए द्वारा आईपीए और सीओसी, और जीआईपी के उत्तरदायित्व चार्टर से संबंधित प्रश्नों पर प्रतिक्रिया देने के लिए 25 मार्च, 2019 को आयोजित किया गया। पांचवें वेबिनार का आयोजन आईसीएसआई आईआईपी द्वारा 12 जनवरी, 2019 को आईबीसी के अधीन न्यायिक/विनियामक व्याख्याओं' पर किया गया।

आईआरपी का आरपी से प्रतिस्थापन

संहिता की धारा 22(2) में प्रावधान है कि सीओसी अपनी पहली बैठक में एफसी के 66 प्रतिशत से कम नहीं मतों के बहुमत से वोट देकर या तो आईआरपी को आरपी के रूप में नियुक्त करने या आरपी के रूप में कार्य करने के लिए एक और आईपी द्वारा आईआरपी में प्रतिस्थापित करने का संकल्प ले सकती है। संहिता की धारा 22(4) के अधीन, एए अपनी पुष्टि के लिए आईबीबीआई को संहिता की धारा 22(3)(ख) के अधीन सीओसी द्वारा प्रस्तावित आरपी के नाम को अग्रेषित करेगा और इस तरह की पुष्टि के बाद ऐसी नियुक्ति करेगा। हालांकि, इस तरह के संदर्भ में समय बचाने के लिए, आईबीबीआई के साथ रजिस्ट्रीकृत सभी आईपी का डेटाबेस, इस बात का खुलासा करते हुए कि उनके विरुद्ध लंबित अनुशासनात्मक कार्यवाही, यदि कोई हो, एए के साथ साझा किया गया है। जबकि डेटाबेस वर्तमान में एए के विभिन्न बेंचों द्वारा उपयोग किया जा रहा है, कुछ मामलों में, आईबीबीआई एए से संदर्भ प्राप्त करता है और तुरंत एए को जवाब देता है। 31 मार्च, 2019 तक, कुल 1850 आईआरपी को आरपी के रूप में नियुक्त किया गया है, जैसा कि सारणी–26 में दिखाया गया है।

सारणी 26: 31 मार्च, 2019 तक आरपी के साथ आईआरपी का प्रतिस्थापन

द्वारा आरम्भ की गई सीआईआरपी	सीआईआरपी की संख्या	
	जहां आरपी नियुक्त किया गया है	जहां आरपी, आईआरपी से भिन्न है
कारपोरेट आवेदक	202	85
परिचालन लेनदार	855	286
वित्तीय लेनदार	793	198
कुल	**1850**	**569**

आईआरपी और परिसमापक की सिफारिश करने के लिए दिशानिर्देश

संहिता की धारा 16(3)(क) के अधीन आईपी की सिफारिश के लिए बोर्ड को सूचित करने के लिए एए की आवश्यकता होती है जो आईआरपी के रूप में कार्य कर सकता है, यदि ओसी ने सीआईआरपी के लिए आवेदन किया है और आईआरपी का प्रस्ताव नहीं किया है। बोर्ड, एए से संदर्भ की प्राप्ति के दस दिनों के भीतर, एए को आईपी के नाम की सिफारिश करने के लिए संहिता की धारा 16(4) के अधीन आवश्यक है, जिसके खिलाफ कोई अनुशासनात्मक कार्यवाही लंबित नहीं है। संहिता की धारा 34(4) के अधीन आरपी को बदलने के लिए एए की आवश्यकता होती है, यदि (क) धारा 30 के अधीन आरपी द्वारा प्रस्तुत समाधान योजना धारा 30 की उपधारा (2) में उल्लिखित आवश्यकताओं को पूरा करने में विफलता को अस्वीकार किया गया; या (ख) बोर्ड लिखित रूप में दर्ज किए जाने के कारणों के साथ एए को आरपी के प्रतिस्थापन की सिफारिश करता है। एए बोर्ड को निर्देश दे सकता है कि वह परिसमापक के रूप में नियुक्त किए जाने वाले दूसरे आईपी के नाम का प्रस्ताव करे। धारा 34(6) के अधीन बोर्ड के लिए आवश्यक है कि वह एए द्वारा जारी किए गए निर्देश के दस दिनों के भीतर अन्य आईपी के नाम का प्रस्ताव करे। बोर्ड आईआरपी या परिसमापक, जैसा कि मामला हो, के रूप में कार्य करने के लिए आईपी के नाम की सिफारिश करने के लिए एए से संदर्भ प्राप्त करता था। एए से संदर्भ प्राप्त होने पर नाम की पहचान और सिफारिश में कुछ समय लगा। संहिता के अधीन समयबद्ध प्रक्रियाओं के हित में, प्रक्रिया की निष्पक्षता और पारदर्शिता बनाए रखते हुए, बोर्ड ने आईआरपी या परिसमापक, जैसा कि मामला हो, के रूप में नियुक्ति के लिए एए को आईपी का पैनल उपलब्ध कराने का निर्णय लिया।

तदनुसार, आईबीबीआई ने 15 दिसंबर, 2017 को 'अंतरिम समाधान वृत्तिक और परिसमापक (सिफारिश) दिशानिर्देश, 2017' जारी किया। दिशानिर्देश यह प्रदान करते हैं कि बोर्ड आईआरपी और परिसमापक के रूप में नियुक्ति के लिए आईपी का आम पैनल तैयार करेगा और उसे ए.ए.के साथ साझा करेगा। पैनल के पास आईपी के रजिस्ट्रीकृत कार्यालय के आधार पर आईपी की पीठ–वार सूची होगी। इसमें छह महीने की वैधता होगी और हर छह महीने में नया पैनल पहले वाले पैनल की जगह ले ले लेगा, ए.ए. सीआईआरपी या परिसमापन प्रक्रिया, जैसा भी मामला हो, के लिए आईआरपी या परिसमापक, जैसा कि मामला हो, की नियुक्ति के लिए पैनल में से कोई भी नाम ले सकता है। दिशानिर्देश उस प्रक्रिया को पूरा करते हैं जो आईबीबीआई पैनल की तैयारी के लिए अनुसरण करेगी। उपरोक्त दिशानिर्देशों के अनुसार, आईबीबीआई ने जनवरी–जून, 2018 के दौरान आईआरपी या परिसमापक के रूप में नियुक्ति के लिए 807 आईपी का एक पैनल तैयार किया और एए के साथ साझा किया। इसी तरह, इसने 31 मई, 2018 को अंतरिम समाधान वृत्तिक और परिसमापक (सिफारिश) दिशानिर्देश, 2018 जारी किया और जुलाई–दिसंबर, 2018 के दौरान आईआरपी या परिसमापक के रूप में नियुक्ति के लिए 986 आईपी का पैनल तैयार किया और एए के साथ साझा किया। इसके अलावा, इसने 30 नवंबर, 2018 को 'अंतरिम समाधान वृत्तिक और परिसमापक (सिफारिश) (दूसरा) दिशानिर्देश, 2018' जारी किया और जनवरी–जून, 2019 के दौरान आईआरपी या परिसमापक के रूप में नियुक्ति के लिए 850 आईपी का पैनल तैयार किया और उसे एए के साथ साझा किया।

प्रशासक के रूप में नियुक्ति

आईबीबीआई ने 'सेबी (प्रशासक की नियुक्ति और निवेशकों को राशि की वापसी की प्रक्रिया) विनियमन, 2018 के अधीन 26 मार्च, 2019 को प्रशासकों के रूप में आईपी की नियुक्ति के लिए प्रशासकों का पैनल तैयार करने के लिए दिशानिर्देश जारी किए। पैनल छह महीने के लिए वैध होता है और हर छह महीने में नया पैनल पहले वाले की जगह ले लेता है।

सूचना उपयोगिताएँ

संहिता में वित्तीय सूचनाओं को संग्रहीत करने के लिए आईयू की परिकल्पना की गई है जो व्यतिक्रम को स्थापित करने में मदद करती है और साथ ही दावों को शीघ्रता से सत्यापित करने में मदद करती है और जिससे संहिता के अधीन प्रक्रियाओं को समयबद्ध तरीके से पूरा करने की सुविधा मिलती है। आईबीबीआई ने 25 सितंबर, 2017 को आईयू के रूप में राष्ट्रीय ई–गवर्नेंस सर्विसेज लिमिटेड (एनईएसएल) को रजिस्ट्रीकृत किया। एनईएसएल को एसबीआई, केनरा बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा और अन्य द्वारा बढ़ावा दिया गया है। रजिस्ट्रीकृत उपयोगकर्ताओं का विवरण और एनईएसएल के पास 31 मार्च, 2019 को उपलब्ध जानकारी सारणी –27 में दी गई है।

तकनीकी समिति

विनियमन आईबीबीआई को सूचना उपयोगिताओं द्वारा मुख्य सेवाओं और अन्य सेवाओं के प्रदर्शन के लिए, दिशानिर्देशों के माध्यम से तकनीकी मानक निर्धारित

सारणी 27: एनईएसएल के पास जानकारी का विवरण

(यथा लिखित को छोड़कर संख्या)

तिमाही के अंत में	एनईएसएल के साथ समझौते वाले लेनदार		सूचना देने वाले लेनदार		देनदार जिनकी सूचना लेनदारों द्वारा प्रस्तुत की गई है		ऋण अभिलेख सवार द्वारा		प्रयोक्ता रजिस्ट्रीकरण (देनदार)		देनदारों द्वारा अधिप्रमाणित ऋण रिकॉर्ड		शेष ऋण की राशि (करोड रू. में)	
	एफसी	ओसी	एफसी	ओसी	एफसी	ओसी	एफसी	ओसी	एफसी	ओसी	एफसी	ओसी	एफसी	ओसी
जून, 2018	66	उप. नहीं	21	105	69184	52	191247	105	1024	10	1364	05	उप. नहीं	उप. नहीं
सितं, 2018	85	उप. नहीं	40	144	836302	135	1222737	207	5111	10	6079	32	2016708	530
दिसं, 2018	108	उप. नहीं	68	140	980724	202	1438390	280	10247	44	10065	35	2732805	1094
मार्च, 2019	173	उप. नहीं	114	169	1266445	230	1955230	316	15085	63	13762	37	4114988	16224

करने के लिए सक्षम बनाते हैं। तकनीकी मानक आईयू द्वारा संग्रहीत वित्तीय जानकारी की विश्वसनीयता, गोपनीयता और सुरक्षा सुनिश्चित करते हैं। तदनुसार, बोर्ड ने 4 मई, 2017 को एक तकनीकी समिति का गठन किया। इसकी सिफारिशों के आधार पर, बोर्ड ने 13 दिसंबर, 2017 को तकनीकी मानक निर्धारित किए। ये मानक सेवा शर्तों; प्रयोक्ताओं का रजिस्ट्रीकरण; प्रत्येक रिकॉर्ड के लिए अद्वितीय पहचानकर्ता और प्रत्येक प्रयोक्ता; सूचना का प्रस्तुतीकरण; व्यक्तियों की पहचान और सत्यापन; डाटा विश्वसनीयता; तृतीय पक्ष को सूचना सुलभ कराने के लिए स्वीकृति ढांचा; तंत्र की सुरक्षा; सूचना की सुरक्षा; जोखिम प्रबंधन ढांचा; सूचना का परिरक्षण; और सूचना का शुद्धिकरण से संबंधित हैं। 31 मार्च, 2019 की स्थिति के अनुसार, समिति की संरचना निम्नानुसार है:

(क) डॉ. आर बी बर्मन, अध्यक्ष, राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग, अध्यक्ष के रूप में
(ख) डॉ. नंद लाल सारदा, एमेरिटस फेलो, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, मुंबई
(ग) डॉ. पुलक घोष, प्रोफेसर, भारतीय प्रबंधन संस्थान, बंगलुरू, और
(घ) श्री. वी. जी. कन्नन, मुख्य कार्यकारी, भारतीय बैंक एसोसिएशन।

रजिस्ट्रीकृत मूल्यांकक संगठन

रजिस्ट्रीकृत मूल्यांकक संगठन रजिस्ट्रीकृत मूल्यांककों के लिए प्रमुख नियामक हैं। वे रजिस्ट्रीकृत मूल्यांकक के व्यावसाय के विकास और विनियमन के लिए जिम्मेदार हैं। 31 मार्च, 2019 के अंत में, 11 एंटिटियों को रजिस्ट्रीकृत मूल्यांकक संगठन के रूप में मान्यता दी गई। परिसंपत्ति वर्गों, भूमि और भवन, संयंत्र और मशीनरी और प्रतिभूति या वित्तीय परिसंपत्तियों में से एक एक लेते हुए 9 आरवीओ हैं। व्यक्ति जो 'उपयुक्त और उचित' मानदंड को पूरा करता है और आरवीओ के साथ मूल्यवान सदस्य के रूप में नामांकित है और उसके पास आवश्यक योग्यता और अनुभव है और उसने संबंधित परिसंपत्ति वर्ग की मूल्यांकन परीक्षा उत्तीर्ण की है, वह मूल्यांकनकर्ता के रूप में रजिस्ट्रीकृत हो सकता है। केवल आरवी कंपनी अधिनियम, 2013 और संहिता के अधीन आवश्यक मूल्यांकन करने के लिए अधिकृत हैं। 31 मार्च, 2019 की स्थिति के अनुसार आरवीओ, आरवीओ–वार विवरण सारणी 28 में दिया गया है। 31 मार्च, 2019 तक आरवी का रजिस्ट्रीकरण, तिमाही–वार, सारणी 29 में दिया गया है।

सारणी 28: 31 मार्च, 2019 को रजिस्ट्रीकृत मूल्यांकक

(संख्या)

रजिस्ट्रीकृत मूल्यांकक संगठन	परिसंपत्ति वर्ग			कुल
	भूमि और भवन	संयंत्र और मशीनरी	प्रतिभूतियां अथवा वित्तीय आस्तियां	
सम्पदा प्रबंधक और मूल्यांकक संस्थान	32	0	1	33
आईओवी रजिस्ट्रीकृत मूल्यांकक प्रतिष्ठान	499	66	15	580
आईसीएसआई रजिस्ट्रीकृत मूल्यांकक संगठन	0	0	28	28
आईसीएआई रजिस्ट्रीकृत मूल्यांकक संगठन	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	178	178
भारतीय मूल्यांकक संस्थान	39	8	4	51
आईसीएमएआई रजिस्ट्रीकृत मूल्यांकक संगठन	5	6	58	69
पीवीएआई मूल्यांकन वृत्तिक संगठन	108	17	0	125
सीवीएसआरटीए रजिस्ट्रीकृत मूल्यांकक संगठन	98	24	उपलब्ध नहीं	122
प्रमाणित मूल्यांकक और विश्लेषक परिसंघ*	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	0	0
सीईवी एकीकृत मूल्यांकक प्रतिष्ठान*	0	0	उपलब्ध नहीं	0
दिव्या ज्योति प्रतिष्ठान*	0	0	0	0
कुल	**781**	**121**	**284**	**1186**

** दिसंबर, 2018 मे मान्यता प्रदान की गई।*

सारणी 29: 31 मार्च, 2019 को आरवी का रजिस्ट्रीकरण

(संख्या)

तिमाही	भूमि और भवन	संयंत्र और मशीनरी	प्रतिभूतियां अथवा वित्तीय आस्तियां	कुल
अप्रैल– जून, 2018	1	2	0	3
जुला.– सित.,2018	38	13	21	72
अक्टू.–दिस., 2018	280	43	118	441
जन.–मार्च, 2019	462	63	145	670
कुल	**781**	**121**	**284**	**1186**

31 मार्च, 2019 की स्थिति के अनुसार रजिस्ट्रीकृत आरवी में से 345 आरवी (जो कुल रजिस्ट्रीकृत आरवी का 29 प्रतिशत बैठता है) महानगरों से हैं जबकि 841 आरवी (जो रजिस्ट्रीकृत कुल आरवी का 71 प्रतिशत है) गैर–मेट्रो स्थानों (सारणी 30) से आते हैं। । 31 मार्च, 2019 की स्थिति के अनुसार आरवी का भौगोलिक वितरण आकृति 3 में प्रस्तुत है।

सारणी 30: 31 मार्च, 2019 को क्षेत्रवार आरवी

(संख्या)

शहर/ क्षेत्र	भूमि व भवन	संयंत्र व मशीनरी	प्रतिभूतियां अथवा वित्तीय आस्तियां	कुल
नई दिल्ली	23	16	42	81
शेष उत्तरी क्षेत्र	80	15	39	134
मुंबई	47	21	58	126
शेष पश्चिमी क्षेत्र	211	28	28	267
चेन्नई	74	10	34	118
शेष दक्षिणी क्षेत्र	335	27	67	429
कोलकाता	3	3	14	20
शेष पूर्वी क्षेत्र	8	1	2	11
कुल	**781**	**121**	**284**	**1186**

आकृति 3: 31 मार्च, 2019 को आरवी का भौगोलिक वितरण। [25]

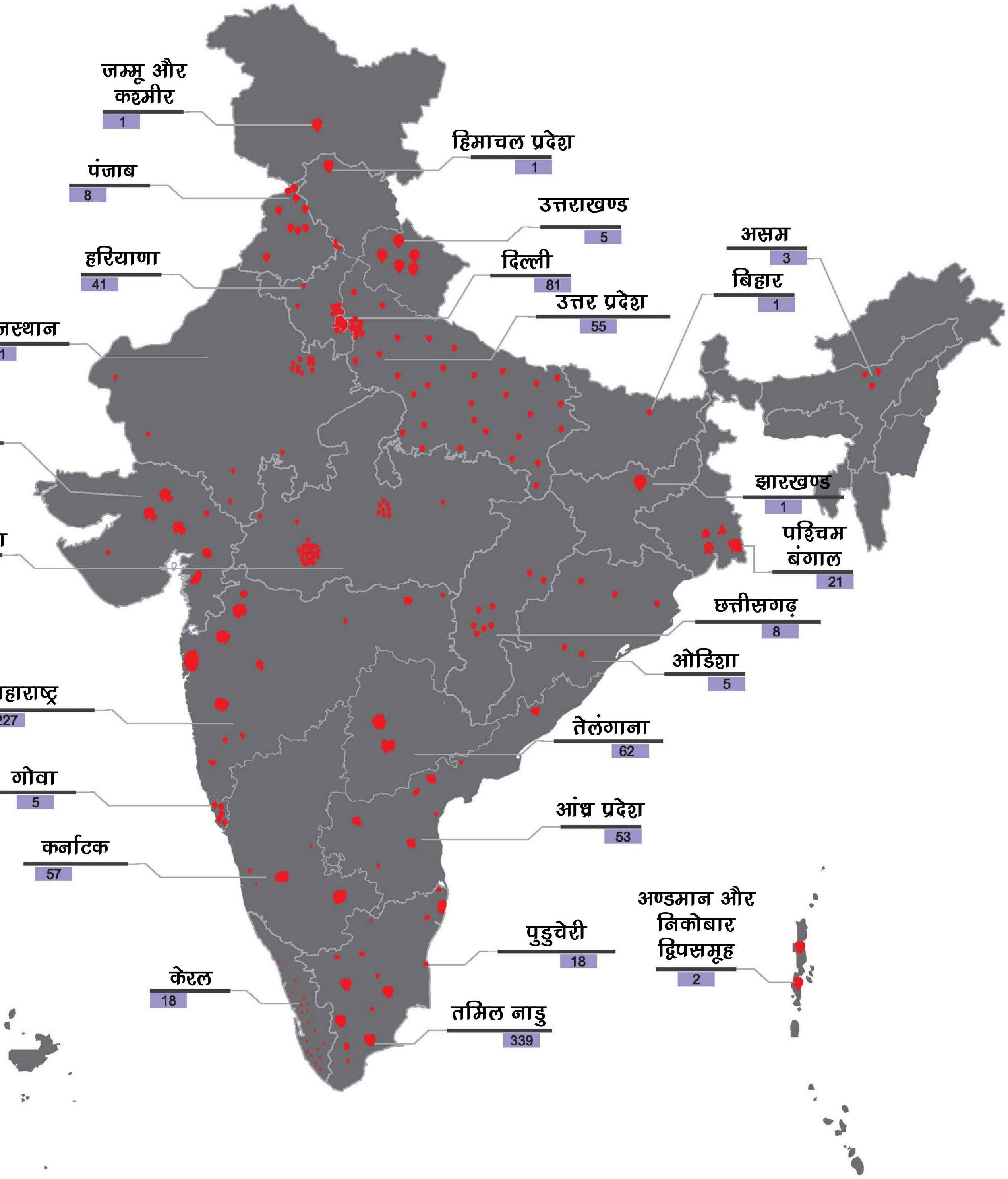

[25] 31 मार्च, 2019 को भारत का मानचित्र।

31 मार्च, 2019 की स्थिति के अनुसार पर परिसंपत्ति वर्गों में आरवी की औसत आयु 49 वर्ष थी। यह भूमि और भवन के लिए 50 वर्ष, संयंत्र और मशीनरी के लिए 55 वर्ष और प्रतिभूति या वित्तीय परिसंपत्तियों के लिए 45 वर्ष (सारणी 31) है।

सारणी 31: 31 मार्च, 2019 को आरवी की आयु रूपरेखा।

(संख्या)

आयु समूह (वर्षों में)	भूमि व भवन	संयंत्र व मशीनरी	प्रतिभूतियां अथवा वित्तीय आस्तियां	कुल
≤ 30	23	1	12	36
> 30 ≤ 40	101	14	101	216
> 40 ≤ 50	234	31	89	354
> 50 ≤ 60	351	37	61	449
> 60 ≤ 70	64	28	21	113
> 70 ≤ 80	7	9	0	16
> 80	1	1	0	2
कुल	**781**	**121**	**284**	**1186**

राष्ट्रीय मूल्यांकन संगोष्ठी

आईबीबीआई और सीवीएसआरटीए ने संयुक्त रूप से अहमदाबाद में 23 फरवरी, 2019 को एक 'राष्ट्रीय मूल्यांकन संगोष्ठी' का आयोजन किया। मूल्यांकन वृत्तिकों और विशेषज्ञों ने कंपनी अधिनियम, 2013 और संहिता के अधीन आवश्यक मूल्यांकन करने में पेश आ रहे मुद्दों पर गहराई से चर्चा की। मूल्यांकन वृत्तिकों के लिए उभरते हुए नियामक ढाँचे से संबंधित अनेक मामलों के साथ–साथ मूल्यांकन शिक्षा और व्यवसाय और मूल्यांकन मानकों का मार्ग प्रशस्त करने संबंधी मामले पर भी चर्चा की गई।

परिवाद और शिकायतें विनियमन

आईबीबीआई (परिवाद और शिकायत निपटान प्रक्रिया) विनियमन, 2017 हितधारक को शिकायत दर्ज करने या सेवा प्रदाता के विरुद्ध परिवाद दर्ज करने में सक्षम बनाता है। इसके अतिरिक्त, परिवाद और शिकायतें केंद्रीकृत लोक शिकायत निवारण और निगरानी प्रणाली (सीपीजीआरएएमएस), प्रधान मंत्री कार्यालय, एमसीए और अन्य अधिकारियों से प्राप्त होती हैं। 31 मार्च, 2019 तक प्राप्त शिकायतों और परिवादों की संख्या और निपटान का विवरण सारणी 32 में प्रस्तुत है।

सारणी 32: 31 मार्च, 2019 तक शिकायतों और परिवादों की प्राप्ति और निपटान

(संख्या)

अवधि	प्राप्त शिकायतें और परिवाद						कुल		
	विनियमन के अधीन		सीपीजीआरएएम/पीएमओ/एमसीए/अन्य प्राधिकरणों के माध्यम से		विनियमन के अधीन		प्राप्त	निपटाई गई	जांच के अधीन
	प्राप्त	निपटाई गई	प्राप्त	निपटाई गई	प्राप्त	निपटाई गई			
2017–18	18	0	6	0	22	2	46	2	44
2018–19	111	51	333	290	693	380	1137	721	416
कुल	**129**	**51**	**339**	**290**	**715**	**382**	**1183**	**723**	**460**

सीमित दिवाला परीक्षा

अन्य आवश्यकताओं को पूरा करने के अध्यधीन, एक व्यक्ति आईपी के रूप में रजिस्ट्रीकरण के लिए योग्य है यदि उसने अन्य आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए आईपीए विषय के साथ नामांकन के लिए आवेदन करने की तारीख के 12 माह के भीतर परीक्षा उत्तीर्ण कर ली है। आईबीबीआई परीक्षा के पाठ्यक्रम, प्रारूप आदि को प्रकाशित करता है और बाजार की गतिशीलता के अनुरूप इसे प्रासंगिक बनाए रखने के लिए लगातार इसकी समीक्षा करता है। इसने 31 दिसंबर, 2016 को परीक्षा शुरू की। परीक्षा का दूसरा, तीसरा और चौथा चरण, प्रत्येक संशोधित पाठ्यक्रम और प्रश्न बैंक के साथ, क्रमशः 1 जुलाई, 2017, 1 जनवरी, 2018 और 1 नवंबर, 2018 को शुरू हुआ। परीक्षा वस्तुनिष्ठ बहुविकल्पीय प्रश्नों के साथ ऑनलाइन (कंप्यूटर आधारित वातावरण में) आयोजित की जाती है। यह देश भर के कई स्थानों से उपलब्ध है। 31 मार्च 2019 तक, 3603 प्रयासों में उम्मीदवार सफल रहे हैं। उनमें से 356 पूर्वी क्षेत्र से हैं, 1331 उत्तर क्षेत्र से हैं, 1071 पश्चिम क्षेत्र से हैं और 846 दक्षिण क्षेत्र से हैं। जोन–वार सफल उम्मीदवारों की संख्या सारणी 33 में प्रस्तुत है।

31 मार्च, 2019 तक कुल 9762 उम्मीदवारों ने 25667 नामांकन किए। इन 9762 उम्मीदवारों में से, 8232 उम्मीदवार परीक्षा में उपस्थित हुए और कुल 19496 प्रयास किए, जिसमें से 3603 प्रयास (19 प्रतिशत प्रयास या 44 प्रतिशत उम्मीदवार) सफल रहे। परीक्षा में उम्मीदवारों का प्रदर्शन सारणी 33 में संक्षेप में दिया गया है।

सारणी 33: 31 मार्च, 2019 तक क्षेत्र–वार सीमित दिवाला परीक्षा

चरण	जोन में प्रयासों की संख्या(कुछ अभ्यर्थियों ने एक से अधिक प्रयास किये)					जोन में सफल प्रयासों की संख्या				
	पूर्व	उत्तर	पश्चिम	दक्षिण	भारत	पूर्व	उत्तर	पश्चिम	दक्षिण	भारत
पहला चरण (दिस. 2016– जून, 2017)	758	1952	1581	1038	5329	160	434	391	216	1202
दूसरा चरण (जुला, 2017 – दिस., 2017)	528	2204	1699	1806	6237	86	401	316	309	1112
तीसरा चरण (जन. 2018– अक्तू. 2018)	557	2338	1778	1671	6344	86	389	286	252	1011
चौथा चरण (नव. 2018– मार्च, 2019)	129	600	434	423	1586	24	107	78	69	278
कुल	**1972**	**7094**	**5492**	**4938**	**19496**	**356**	**1331**	**1071**	**846**	**3603**

मूल्यांकन परीक्षा

आईबीबीआई, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 247 के अधीन ''प्राधिकरण'' होने के नाते, सभी तीन परिसंपत्ति वर्गों, अर्थात् (क) भूमि और भवन, (ख) संयंत्र और मशीनरी, और (ग) प्रतिभूतियां या वित्तीय आस्तियां, के लिए मूल्यांकन परीक्षाओं के पाठ्यक्रम, प्रारूप और आवृत्ति का प्रकाशन करता है। इसने 31 मार्च, 2018 को तीन परिसंपत्ति वर्गों के लिए मूल्यांकन परीक्षाओं की शुरुआत की। इसने 1 अप्रैल, 2019 से परीक्षाओं के पाठ्यक्रम को संशोधित किया। ये परीक्षाएँ ऑनलाइन आयोजित की जाती हैं और देशभर के कई स्थानों से उपलब्ध हैं।

अध्ययन सामग्री

निर्दिष्ट योग्यता और अनुभव रखने वाले व्यक्ति को आईबीबीआई द्वारा आयोजित परीक्षा उत्तीर्ण करने की आवश्यकता होती है। हालांकि कुछ विश्वविद्यालय मूल्यांकन में विशेष पाठ्यक्रमों की पेशकश करते हैं, आईबीबीआई ने मूल्यांकन परीक्षाओं के पाठ्यक्रम के अनुसार दो परिसंपत्ति वर्गों (क) भूमि और भवन के लिए 1420 पृष्ठों और (ख) संयंत्र और मशीनरी के लिए 1951 पृष्ठों की सीवीएसआरटीए द्वारा तैयार की गई बहुत विस्तृत, विश्व स्तरीय अध्ययन सामग्री उपलब्ध कराई है। सीवीएसआरटीए ने दो परिसंपत्ति वर्गों के लिए स्वैच्छिक सामग्री तैयार की और उन्हें उपयोगकर्ताओं द्वारा मुफ्त डाउनलोड के लिए आईबीबीआई की वेबसाइट पर उपलब्ध कराया गया। अध्ययन सामग्री का विश्व स्तर पर उपयोग किया जाता है और यह सामग्री विश्व स्तर पर कुछ मूल्यवान वृत्तिक संगठनों की वेबसाइटों पर उपलब्ध है।

भूमि और भवन

31 मार्च 2019 तक, कुल 2573 उम्मीदवारों ने 11353 नामांकन किए। 2573 उम्मीदवारों में से 2522 उम्मीदवार परीक्षा के लिए उपस्थित हुए और 51 उम्मीदवार परीक्षा के लिए उपस्थित नहीं हुए। 2522 उम्मीदवारों ने कुल 9469 प्रयास किए, जिनमें से 1748 प्रयास सफल रहे। परीक्षा में उम्मीदवारों के प्रदर्शन को सारणी 34 में संक्षेप में प्रस्तुत किया गया है।

सारणी 34: परिसंपत्ति वर्ग भूमि और भवन में क्षेत्र-वार मूल्यांकन परीक्षा

तिमाही	जोन में प्रयासों की संख्या (कुछ अभ्यर्थियों ने एकाधिक प्रयास किए)					जोन में सफल प्रयासों की संख्या				
	पूर्व	उत्तर	पश्चिम	दक्षिण	भारत	पूर्व	उत्तर	पश्चिम	दक्षिण	भारत
अप्रैल–जून, 2018	9	37	6	12	64	3	6	1	0	10
जुला.–सित., 2018	95	380	790	1662	2927	9	66	176	*220	471
अक्तू.–दिस., 2018	31	299	915	2491	3736	8	63	221	458	750
जन.–मार्च, 2019	136	446	771	1389	2742	26	96	170	225	517
कुल	**271**	**1162**	**2482**	**5554**	**9469**	**46**	**231**	**568**	**903**	**1748**

**एक अभ्यर्थी ने दो बार परीक्षा उत्तीर्ण की*

संयंत्र और मशीनरी

31 मार्च 2019 तक कुल 501 उम्मीदवारों ने 1936 नामांकन किए। 501 उम्मीदवारों में से, 492 उम्मीदवार परीक्षा के लिए उपस्थित हुए और 9 उम्मीदवार परीक्षा के लिए उपस्थित नहीं हुए। इन 492 उम्मीदवारों ने कुल 1665 प्रयास किए, जिनमें से 324 प्रयास सफल रहे। परीक्षा में उम्मीदवारों के प्रदर्शन को सारणी 35 में संक्षेपित किया गया है।

सारणी 35: संयंत्र और मशीनरी में क्षेत्र-वार मूल्यांकन परीक्षा

तिमाही	जोन में प्रयासों की संख्या (कुछ अभ्यर्थियों ने एकाधिक प्रयास किए)					जोन में सफल प्रयासों की संख्या				
	पूर्व	उत्तर	पश्चिम	दक्षिण	भारत	पूर्व	उत्तर	पश्चिम	दक्षिण	भारत
अप्रैल–जून, 2018	0	23	0	0	23	0	5	0	0	5
जुला.–सित., 2018	16	53	156	188	413	6	11	40	27	84
अक्तू.–दिस., 2018	36	81	151	307	575	4	19	34	43	100
जन.–मार्च, 2019	43	110	257	244	654	6	26	62	41	135
कुल	**95**	**267**	**564**	**739**	**1665**	**16**	**61**	**136**	**111**	**324**

प्रतिभूति या वित्तीय परिसंपत्तियाँ

31 मार्च 2019 तक, कुल 1527 उम्मीदवारों ने 5266 नामांकन किए। 1527 उम्मीदवारों में से, 1456 उम्मीदवार परीक्षा के लिए उपस्थित हुए और 71 उम्मीदवार परीक्षा के लिए उपस्थित नहीं हुए। इन 1456 उम्मीदवारों ने कुल 4496 प्रयास किए, जिनमें से 707 प्रयास सफल रहे। परीक्षा में उम्मीदवारों के प्रदर्शन को सारणी 36 में संक्षेपित किया गया है।

सारणी 36: प्रतिभूति या वित्तीय परिसम्पतियों में क्षेत्र-वार मूल्यांकन परीक्षा

तिमाही	जोन में प्रयासों की संख्या (कुछ अभ्यर्थियों ने एकाधिक प्रयास किए)					जोन में सफल प्रयासों की संख्या				
	पूर्व	उत्तर	पश्चिम	दक्षिण	भारत	पूर्व	उत्तर	पश्चिम	दक्षिण	भारत
अप्रैल–जून, 2018	7	60	12	15	94	0	8	1	1	10
जुला.–सित., 2018	66	409	320	231	1026	5	54	55	20	134
अक्तू.–दिस., 2018	82	179	183	565	1009	9	26	34	67	136
जन.–मार्च, 2019	295	404	683	985	2367	44	71	135	177	427
कुल	**450**	**1052**	**1198**	**1796**	**4496**	**58**	**159**	**225**	**265**	**707**

परिपत्र

बोर्ड समय–समय पर आईपी, आईपीए और आईयू की निगरानी के लिए परिपत्र जारी करता है ताकि इसके निगरानी कार्य किए जा सकें, संहिता और विनियमों के उपबंधों को लागू करने में सुविधा हो या विनियमों के कुछ पहलुओं को स्पष्ट या उनकी व्याख्या की जा सके। समीक्षाधीन अवधि में बोर्ड द्वारा जारी किए गए कुछ महत्वपूर्ण परिपत्र सारणी 37 में सूचीबद्ध हैं।

सारणी 37: बोर्ड द्वारा 2018–19 में जारी किए गए परिपत्र

दिनांक	विशय -सामग्री
19.04.18	*आईपीए के लिए वार्षिक अनुपालन प्रमाणपत्र* विनियमनों के साथ पठित संहिता और इसके अधीन जारी दिशानिर्देशों, परिपत्रों, और निदेशों द्वारा आईपीए पर अनेक कर्तव्य, जिम्मेदारियां और दायित्व डाले हैं यह सहिंता बोर्ड के लिए आईपीए के प्रदर्शन की निगरानी को भी अनिवार्य बनाती है। आईपीएएस की संस्थागत भूमिका को ध्यान में रखते हुए, और उनके प्रदर्शन की निगरानी और वैधानिक आवश्यकताओं के अनुपालन की सुविधा के लिए और पारदर्शिता और जवाबदेही के हित में, आईबीबीआई ने, आईपीएएस के परामर्श से, वार्षिक अनुपालन प्रमाण पत्र का प्रारूप तैयार करके जारी किया। यह प्रमाणपत्र आईपीए द्वारा बोर्ड को प्रस्तुत किया जाना है और हर वित्तीय वर्ष के समाप्त होने के 45 दिनों के भीतर इसकी वेबसाइट पर प्रदर्शित किया जाना है।
23.04.18	*आईपी के लिए पूर्व–रजिस्ट्रीकरण शैक्षिक पाठ्यक्रम* विनियमनों के संदर्भ में, एक व्यक्ति अन्य आवश्यकताओं को पूरा करने के अध्यधीन, आईपी के रूप में रजिस्ट्रीकरण का पात्र है, यदि उसने व्यावसायिक सदस्य के रूप में अपने नामांकन के बाद बोर्ड द्वारा यथा–आवश्यक पूर्व–रजिस्ट्रीकरण शैक्षिक पाठ्यक्रम किसी आईपीए से पूरा कर लिया है। आईपीए के परामर्श से, आईबीबीआई ने पूर्व–रजिस्ट्रीकरण शैक्षिक पाठ्यक्रम का विवरण निर्दिष्ट किया। यह पाठ्यक्रम आईपीएएस द्वारा 50 घंटे से कम समय तक या तो कक्षा–कक्ष सत्रों में या एमओओसी के वातावरण में आयोजित किया जाएगा जो प्रतिभागियों को व्यावहारिक उदाहरणों के साथ लगभग वास्तविक वातावरण में स्वयं कार्य करने का अवसर प्रदान करता है।
23.04.18	*अनुशासनात्मक कार्यवाही का प्रारम्भ* संहिता में अभिकल्पना है कि अगर आईपी के विरुद्ध कोई अनुशासनात्मक कार्यवाही लंबित नहीं है तो उसे आईआरपी, आरपी, परिसमापक या एक शोधन अक्षमता ट्रस्टी के रूप में नियुक्त किया जा सकता है। हालांकि, संहिता 'अनुशासनात्मक कार्यवाही' को परिभाषित नहीं करती है। आईबीबीआई ने स्पष्ट किया कि (i) आईपी के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही को उस समय से लंबित माना जाता है, जब तक कि उसे आईबी द्वारा डीसी के द्वारा उसके निपटान तक कारण बताओ नोटिस जारी कर दिया गया हो; और (ii) ऐसा आईपी जिसे कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है, वह आईआरपी,आरपी, परिसमापक या संहिता के अधीन शोधन अक्षमता ट्रस्टी के रूप में किसी भी नए कार्य को स्वीकार नहीं करेगा।
12.06.18	*सीआईआरपी के लिए शुल्क और अन्य व्यय* आईबीबीआई ने निर्देश दिया कि आईपी यह सुनिश्चित करेगा कि उसे देय शुल्क, आईपीई को देय शुल्क और आरवी और अन्य व्यावसायिकों को देय शुल्क, सीआईआरपी के दौरान उसके द्वारा किए गए अन्य खर्च (क) उचित है; (ख) सीआईआरपी के लिए सीधे संबंधित और आवश्यक; (ग) एक हाथ की दूरी के आधार पर आईपी द्वारा निर्धारित; (घ) सीओसी द्वारा विधिवत अनुमोदित, जहां भी आवश्यक हो; और बैंकिंग चैनल के माध्यम से संदत्त हो। यह स्पष्ट किया गया कि आईआरपीसी में: (क) सीआईआरपी से सीधे संबंधित कोई शुल्क या अन्य व्यय नहीं; (ख) सीओसी द्वारा अनुमोदित राशि से परे कोई शुल्क या अन्य व्यय, जहां इस तरह की मंजूरी की आवश्यकता होती है; (ग) सीआईआरपी के शुरू होने से पहले या सीआईआरपी के पूरा होने के बाद लिया गया कोई भी शुल्क या अन्य व्यय; (घ) सीआईआरपी के संबंध में एक लेनदार, दावेदार, आरए, प्रोमोटर या सीडी के निदेशक मंडल के सदस्य द्वारा किया गया कोई भी व्यय; (ड) सीआईआरपी के दौरान लागू कानूनों के अनुपालन के लिए सीडी पर लगाया गया कोई भी जुर्माना; (च) सीओसी के सदस्य या सीओसी द्वारा नियुक्त व्यावसायिक द्वारा किए गए कोई भी खर्च; (छ) सीओसी के सदस्य की यात्रा और ठहरने पर होने वाला कोई भी व्यय; और (ज) सीओसी द्वारा सीधे किए गए कोई भी व्यय शामिल होंगे। इसने आईपी को निदेश दिया कि वह सीआईआरपी के लिए उस आईपीए को दिए गए शुल्क और अन्य खर्चों का खुलासा करे, जिसका वह सदस्य हैं और आईपीए इसके बदले में प्रकटीकरण की प्राप्ति के तीन कार्य दिवसों के भीतर अपनी वेबसाइट पर इस तरह के खुलासे का प्रदर्शन करेगा और प्रकटीकरण की निगरानी करेगा और अगले महीने के सातवें दिन तक अपने आईपी द्वारा आईबीबीआई को गैर–अनुपालन का मासिक सारांश प्रस्तुत करेगा।
6.07.18	*आईपीई का पैनल बनाना* आईबीबीआई ने पाया कि कुछ बाजार प्रतिभागी आईपीई को पैनल पर लेने की मांग कर रहे थे और कुछ आईपीई बाजार सहभागियों के साथ पैनल पर लिए जाने की मांग कर रहे थे। इसे देखते हुए, आईबीबीआई ने आईपीई को निदेश दिया कि उसे पैनल में शामिल होने या बाजार प्रतिभागी के किसी भी पैनल के साथ पैनल में शामिल होने से बचना चाहिए और यह भी स्पष्ट किया कि: (क) आईपीई केवल उन भागीदारों या निदेशकों को आईपी के लिए समर्थन सेवाएँ प्रदान कर सकता है, जो उसके साझीदार अथवा निदेशक हैं; और (ख) आईबीबीआई के साथ आईपी के रूप में रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति के अलावा कोई भी व्यक्ति आईपी के रूप में सेवाएं प्रदान नहीं कर सकता है। आईपीई को न तो आईपीए के सदस्य के रूप में नामांकित किया जाता है और न ही आईबीबीआई के साथ आईपी के रूप में रजिस्ट्रीकृत किया जाता है।
10.08.18	*सीओसी की बैठक के लिए सूचना* सीओसी के सदस्यों के रूप में एफसी कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियों का निर्वहन करते हैं, जिसमें संहिता के अधीन समाधान योजनाओं को आमंत्रित करना, प्राप्त करना, उन पर विचार करके इन्हें अनुमोदित करना शामिल है। उनके आचरण का सीडी के सतत व्यापार और इसके परिणामस्वरूप अर्थव्यवस्था पर गंभीर प्रभाव पड़ता है। कुछ मामलों में एए की चिंताओं को ध्यान में रखते हुए, आईबीबीआई ने निर्देश दिया कि आईआरपी/आरपी से अपेक्षा की जायेगी कि वह सीओसी की बैठक के प्रत्येक नोटिस और एफसी को संबोधित किसी भी सम्प्रेषण के मामले में, सीओसी में या सीओसी की किसी भी बैठक में ऐसे व्यक्तियों को प्रतिनिधित्व करने के लिए तैनात करे जो सक्षम हैं और एफसी से किसी भी आंतरिक अनुमोदन के अभाव में किसी निर्णय को टाले बिना और मौके पर ही निर्णय लेने के लिए अधिकृत है।
14.09.18	*सीओसी में मतदान* आईबीबीआई ने स्पष्ट किया कि: (क) सीआईआरपी विनियमों के साथ पठित संहिता में दावों के संग्रह और सत्यापन के तरीके की व्यवस्था है; (ख) आईआरपी एफसी सहित सीओसी का गठन करती है, जिनके दावों को सदस्यों के रूप में स्वीकार किया गया है; (ग) सीओसी में सदस्य की मतदान शक्ति वित्तीय ऋण के संबंध में स्वीकृत दावे की मात्रा पर आधारित होती है; (घ) ऐसे एफसी, जिसका दावा स्वीकार नहीं किया गया है, को उसके दावे को स्वीकार करने पर सीओसी में सदस्य के रूप में शामिल किया जाता है; (ड) सीओसी के गठन के बाद सदस्य के रूप में सीओसी में एफसी को शामिल करने से ऐसे समावेशन से पहले सीओसी द्वारा लिए गए किसी भी निर्णय की वैधता प्रभावित नहीं होती है; और (च) सीओसी सदस्यों के मतदान प्रतिशत के निर्दिष्ट प्रतिशत द्वारा मामलों को तय करती हैं इसलिए, ऐसा व्यक्ति, जो सीओसी का सदस्य नहीं है, उसे ऐसे व्यक्ति के रूप में मान्यता नहीं दी जाती है जिसने समाधान योजना के विरुद्ध मतदान किया है या मतदान का बहिष्कार किया है।
17.10.18	*संहिता के अधीन मूल्यांकन* आईबीबीआई ने स्पष्ट किया कि संहिता या उसके अधीन बनाए गए किसी भी विनियमन के अधीन आवश्यक प्रत्येक मूल्यांकन आरवी, अर्थात, मूल्य नियमों के अधीन आईबीबीआई के साथ रजिस्ट्रीकृत मूल्य निर्धारणकर्ता द्वारा संचालित किया जाएगा। उसने यह निर्देश दिया कि 1 फरवरी, 2019 से, कोई भी आईपी, संहिता अथवा इसके अधीन बनाए गए किसी भी विनियमन के अधीन आरवी के अलावा, किसी व्यक्ति को किसी प्रकार का मूल्यांकन करने के लिए नियुक्त नहीं करेगा।

बोर्ड के आदेश

आईपीए के साथ नामांकित व्यक्ति को दिवाला वृत्तिक विनियमों के अनुसार दिवाला वृत्तिकों के कार्यकलाप चलाने के लिए रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र प्रदान करने के लिए बोर्ड को आवेदन करना आवश्यक है। रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र के लिए आवेदन पर विचार करने पर, बोर्ड प्रथम दृष्टया यह राय बना सकता है कि दिवाला वृत्तिक विनियमों के अनुसार रजिस्ट्रीकरण नहीं किया जाना चाहिए। बोर्ड, प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के संबंध में, आवेदक को यह समझाने का अवसर देता है कि आवेदन क्यों स्वीकार किया जाना चाहिए। यदि आवेदक द्वारा प्रस्तुत स्पष्टीकरण के बाद भी बोर्ड संतुष्ट नहीं है, तो वह एक उचित आदेश द्वारा आवेदन को निरस्त कर देता है। इसने 2017–18 में तीन आवेदनों को निरस्त कर दिया था (सारणी 38)। कुल तीन आवेदनों को दिवाला वृत्तिकों के रूप में रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदक के 'फिट और उचित' व्यक्ति नहीं होने के आधार पर निरस्त कर दिया गया था।

दिवाला वृत्तिक विनियमनों के विनियमन 4 (झ) के अनुसार, कोई भी व्यक्ति दिवाला वृत्तिक के रूप में रजिस्ट्रीकृत होने के लिए पात्र नहीं होगा यदि वह "फिट और उचित" व्यक्ति नहीं है। यह निर्धारित करने के लिए कि क्या कोई व्यक्ति नियमों के अधीन "फिट और उचित" है, बोर्ड किसी भी विचार को ध्यान में रख सकता है जो उपयुक्त हो, और यह निम्न मानदंडों तक सीमित नहीं हैं: (i) अखंडता, प्रतिष्ठा और चरित्र; (ii) आक्षेप और संयम आदेशों की अनुपस्थिति, और (iii) वित्तीय शोधन क्षमता और निवल मूल्य सहित सक्षमता।

मूल्यांकन नियमों में सदृष प्रावधान हैं। आईबीबीआई ने 2018–19 में आरवी के रूप में पंजीकरण के लिए एक आवेदन अस्वीकृत कर दिया। (सारणी 38)

सारणी 38: आईपी और आरवी के रूप में रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन की अस्वीकृति

वर्ष	आईबीबीआई द्वारा अस्वीकृत आवेदनों की संख्या	
	आईपी के रूप में रजिस्ट्रीकरण हेतु	आरवी के रूप में रजिस्ट्रीकरण हेतु
2016–17	2	शून्य
2017–18	6	शून्य
2018–19	3	1

2018–19 में, बोर्ड ने 40 आईपीई की मान्यता रद्द कर दी, क्योंकि वे पात्रता मानदंडों को पूरा करने में विफल रहे। (सारणी 39)

सारणी 39: 2018–19 में जिन आईपीई की मान्यता रद्द की गई

क्र. सं.	मान्यता रद्द करने की तारीख	आईपीई जिनकी मान्यता रद्द की गई
1	20.06.18	अवसंत रेजोल्यूशन प्रोफेशनल प्राइवेट लिमिटेड
2	27.06.18	ज्ञानश्री इंसोल्वेंसी प्रोफेशनल एलएलपी
3	29.06.18	एचएसजी टर्नअराउंड प्रोफेशनल प्राइवेट लिमिटेड
4	25.09.18	बीटीजी आईपी सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड .
5	03.08.18	डायनेमिक इंसोल्वेंसी एंड बैंकरप्सी सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड
6	26.09.18	ट्रीफेन्ट्स इंसोल्वेंसी एडवाइजर्स प्राइवेट लिमिटेड
7	28.09.18	ईवाई रिस्टरक्चरिंग एलएलपी
8	16.10.18	वैश्य इंसोल्वेंसी प्रोफेशनल एलएलपी
9	19.11.18	टर्नअराउंड इंसोल्वेंसी प्रोफेशनल एलएलपी
10	19.11.18	केडिया एंड केडिया एसोसिएट्स
11	19.11.18	बीआरएस इंसोल्वेंसी प्रोफेशनल एलएलपी
12	19.11.18	एसआरआई रिजॉल्यूशन एंड इंसोल्वेंसी एडवाइजरी एलएलपी
13	19.11.18	ए मित्तल मैनेजमेंट कंसल्टेंट्स (ओपीसी) प्रा. लिमिटेड
14	19.11.18	क्यूबीओआईडी एडवाइजर्स (इन्सोल्वंसी एंड बन्क्रप्ट्सी) एलएलपी
15	19.11.18	स्मार्ट इंसोल्वेंसी प्रोफेशनल एलएलपी
16	19.11.18	एलीट दिवाला समाधान प्राइवेट लिमिटेड
17	20.11.18	ए2जेड दिवाला सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड
18	20.11.18	की दिवाला एंड बन्क्रप्ट्सी एडवाइजर्स एलएलपी
19	20.11.18	स्विफ्ट इंसोल्वेंसी प्रोफेशनल एलएलपी
20	20.11.18	केआरवी इंसोल्वेंसी प्रोफेशनल एलएलपी
21	20.11.18	साउदर्न इंसोल्वेंसी प्रोफेशनल एलएलपी
22	20.11.18	लेक्सप्रो इंसोल्वेंसी सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड
23	20.11.18	एटीसीएस इंसोल्वेंसी प्रोफेशनल प्राइवेट लिमिटेड
24	20.11.18	एपेक्स इंसोल्वेंसी प्रोफेशनल एलएलपी
25	20.11.18	केपीएडी दिवाला समाधान वृत्तिक एलएलपी,
26	20.11.18	लेक्सलोक इंसोल्वेंसी प्रोफेशनल लिमिटेड
27	20.11.18	इनोवेटिव रीस्ट्रक्चरिंग एंड इंसोल्वेंसी प्रोफेशनल एलएलपी
28	17.01.19	एवी इंसोल्वेंसी प्रोफेशनल प्राइवेट लिमिटेड
29	17.01.19	एप्रिस इंसोल्वेंसी प्रोफेशनल एलएलपी
30	17.01.19	लीवरेज टर्नअराउंड एंड समाधान प्राइवेट लिमिटेड
31	17.01.19	इंटेग्रो इंसोल्वेंसी प्रोफेशनल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड
32	17.01.19	ईजीलाज इंसोल्वेंसी प्रोफेशनल प्राइवेट लिमिटेड
33	17.01.19	मैजिस्टिक रेजोल्यूशन वृत्तिक एलएलपी
34	17.01.19	चार्टर्ड इंसोल्वेंसी रिजॉल्यूशन वृत्तिक प्राइवेट लिमिटेड
35	17.01.19	कदमावाला इंसोल्वेंसी प्रोफेशनल प्राइवेट लिमिटेड
36	17.01.19	बोलस्टर ज्यूरिस आईबीपी प्राइवेट लिमिटेड
37	17.01.19	एएएल इंसोल्वेंसी प्रोफेशनल प्राइवेट लिमिटेड
38	17.01.19	मेष कारपोरेट कंसल्टेंट्स एलएलपी
39	17.01.19	मैनरोम परामर्श एलएलपी
40	17.01.19	मिंट इंसोल्वेंसी प्रोफेशनल एलएलपी

अर्ध–न्यायिक कार्य

कानून के शासन के लिए आवश्यक है कि व्यावसायिकों के वांछित आचरण को प्रेरित करने के लिए, नियामक को कानून, नियम, विनियमन या दायित्व का पालन या अनुपालन सुनिश्चित करना चाहिए, अगर यह स्वेच्छा से नहीं किया जाता है। प्रवर्तन का एक प्रमुख अवयव व्यावसायिकों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही है। कानून के निष्पक्ष और वस्तुनिष्ठ प्रवर्तन के हित में, तथ्य–खोज प्रक्रिया के निष्कर्षों के आधार पर, अनुशासनात्मक कार्यवाही कारण बताओ नोटिस (एस सी एन) जारी करने के साथ शुरू होती है। एस सी एन में नोटिसदाता द्वारा किए गए कथित उल्लंघन का विवरण होता है और नियामक द्वारा किए जाने वाले उपाय अथवा निदेशों का उल्लेख होता है जो वह प्रतिक्रिया देने के लिए जारी करता है या मंशा रखता है ताकि आरोपों को स्थापित किया जा सके। यह कार्यवाही प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के हित में एक यथोचित आदेश द्वारा स्वयं की रक्षा करने और एस सी एन को निपटाने के लिए नोटिस देने वाले को सुनवाई का उचित और प्रभावी अवसर प्रदान करती है। संहिता में डीसी को एस सी एन का निपटान करने और मौद्रिक दंड लगाने या रजिस्ट्रीकरण निलंबित करने या रद्द करने, जैसी भी आवश्यकता हो, का उपबंध है। डीसी ने 2018–19 के दौरान 11 कार्यवाहियां पूरी कीं और आदेश जारी किए। इन कार्यवाहियों का विवरण सारणी 40 में प्रस्तुत किया गया है।

सारणी 40: 2018–19 में जिन अनुशासनात्मक कार्यवाहियों को बंद किया गया

क्रम संख्या	आदेश की तारीख	आईपी का नाम	लगाई गई शास्ति
1	13.04.18	श्री धैवत अंजारिया	इलेक्ट्रोस्टील स्टील्स लिमिटेड के सीआईआरपी में आईआरपी और आरपी के रूप में देय कुल शुल्क के दसवें भाग के बराबर जुर्माना।
2	21.05.18	श्री एक्स	रजिस्ट्रीकरण रद्द हालांकि, उच्च न्यायालय के निर्देशों के अधीन आदेश तक पहुंच को अवरुद्ध किया गया।
3	03.05.18	सुश्री भावना संजय रूइया	रजिस्ट्रीकरण एक वर्ष की अवधि के लिए निलंबित।
4	23.08.18	सुश्री मुकेश मोहन	रजिस्ट्रीकरण को रद्द कर दिया गया और आईपी के रूप में नए रजिस्ट्रीकरण की मांग करने या दस वर्ष की अवधि के लिए संहिता के अधीन कोई भी सेवाएं प्रदान करने से वंचित किया गया।
5	23.08.18	श्री दिनकर टी. वेंकट सुब्रामनियन	एक लाख रुपये की शास्ति।
6	06.09.18	श्री कपिल गोयल	रजिस्ट्रीकरण तीन महीने की अवधि के लिए निलंबित कर दिया गया है और निर्देशों के अनुपालन तक कोई भी नया कार्यभार लेने से वंचित किया गया है।
7	15.10.18	श्री संदीप कुमार गुप्ता	आईआरपी के रूप में और भारत के स्टीवर्ट एंड लॉयड्स लिमिटेड के सीआईआरपी में देय कुल शुल्क का एक सौ प्रतिशत के बराबर जुर्माना और प्री–रजिस्ट्रेशन शैक्षिक पाठ्यक्रम करने का निर्देश दिया।
8	12.11.18	श्री मार्टिन एस. के. गोला	रजिस्ट्रीकरण को रद्द कर दिया गया और आईपी के रूप में नए रजिस्ट्रीकरण की मांग करने या दस वर्ष के लिए संहिता के अधीन कोई भी सेवाएं प्रदान करने से वंचित किया गया।
9	07.01.19	श्री वासुदेव अग्रवाल	उपादान कमोडिटीज प्राइवेट लिमिटेड की सीआईआरपी में आईआरपी एवं आरपी के रूप में देय फीस के एक सौ प्रतिशत के बराबर जुर्माना।
10	28.01.19	श्री संदीप कुमार केजरीवाल	आईआरपी के रूप में देय कुल शुल्क का एक प्रतिशत के बराबर जुर्माना और उपादान कमोडिटीज प्राइवेट लिमिटेड और माँ तारा इंडस्ट्रीअल कोम्प्लेक्स प्राइवेट लिमिटेड और पूर्व–रजिस्ट्रीकरण शैक्षिक पाठ्यक्रम करने का निर्देश दिया।
11	21.02.19	सुश्री भावना संजय रूइया	रजिस्ट्रीकरण को रद्द कर दिया गया और आईपी के रूप में नए रजिस्ट्रीकरण की मांग करने या दस वर्ष के लिए संहिता के अधीन कोई भी सेवाएं प्रदान करने से वंचित किया गया।

ङ | परिणामों का विश्लेषण

इस भाग में 2018–19 के दौरान संहिता के अधीन कारपोरेट दिवाला कार्यवाहियों के अंतिम निष्कर्षों पर आधारित परिणाम प्रस्तुत हैं। इस भाग में आरपी द्वारा प्रदान किया गया डाटा प्रयोग किया गया है। इसमें दिवाला कार्यवाहियों से उत्पन्न अन्य परिणामों पर विचार नहीं किया गया है। इन्हें इस रिपोर्ट के अन्य अध्यायों में रखा गया है। इसके अतिरिक्त, उभरते न्यायशास्त्र का सार भी प्रस्तुत किया गया है।

कारपोरेट प्रक्रियाएँ

2017–18 में दो प्रमुख घटनाक्रमों ने दिवाला शासन के प्रक्षेपवक्र को बदल दिया। ये हैं: (क) 23 नवंबर, 2017 से प्रभावी, दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता (संशोधन) अध्यादेश, 2017, जिसने कुछ व्यक्तियों को समाधान योजना प्रस्तुत करने से रोक दिया, जो अपने पूर्ववर्ती गुणों के कारण संहिता के अधीन प्रक्रिया की विश्वसनीयता पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकते हैं: (ख) 12 फरवरी 2017 का आरबीआई परिपत्र, जिसने संकटग्रस्त आस्तियों के समाधान के लिए सामंजस्यपूर्ण और सरलीकृत जेनेरिक ढांचे के साथ मौजूदा दिशानिर्देशों को प्रतिस्थापित किया।

6 जून, 2018 से प्रभावी दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता (संशोधन) अध्यादेश, 2018 ने संहिता के उद्देश्यों को और बढ़ावा दिया। 2018–19 में शीर्ष न्यायालय की कई घोषणाओं ने संहिता के अधीन प्रक्रियाओं को और पुख्ता किया, जिसमें संहिता के कई उपबंधों ने संवैधानिक मस्टर को पारित कर लिया।

दिवाला समाधान

1 दिसंबर, 2016 से सीआईआरपी के प्रावधानों के लागू होने के बाद से, 1891 सीआईआरपी मार्च, 2019 के अंत तक शुरू कर दी गई, जैसा कि सारणी 41 में प्रस्तुत किया गया है। इनमें से, 211 अपील या समीक्षा पर बंद कर दी गई है या उनका निपटारा किया गया है; 88 वापस ले ली गई हैं; 396 परिसमापन में समाप्त हो गई हैं और 101 में समाधान योजनाओं को मंजूरी दे दी गई है। सीआईआरपी में सीडीएस का महीने के अनुसार प्रवेश आकृति 4 में प्रस्तुत किया गया है।

सारणी 41: 31 मार्च, 2019 तक कारपोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया

(संख्या)

तिमाही	तिमाही के आरंभ में सीआईआरपी	स्वीकृत	द्वारा बंद किए गए				तिमाही के अंत में सीआईआरपी
			अपील/समीक्षा/समाधान किए गए	धारा 12ए के अधीन वापस लिए गए	समाधान योजना का अनुमोदन	परिसमापन का आरंभ	
जन. – मार्च, 2017	0	37	1	0	0	0	36
अप्रैल – जून, 2017	36	130	8	0	0	0	158
जुला. – सित., 2017	158	235	18	0	2	8	365
अक्तू – दिस., 2017	365	144	40	0	7	24	438
जन. – मार्च, 2018	438	196	23	0	11	59	541
अप्रैल – जून 2018	541	249	22	1	14	53	702
जुला. – सित., 2018	702	242	33	27	29	86	769
अक्तू. – दिस, 2018	769	276	13	38	18	82	894
जन. – मार्च, 2019	894	382	53	22	20	86	1095
कुल	**उप. नहीं**	**1891**	**211**	**88**	**101**	**396**	**1095**

नोट: ये 1891 सीआईआरपी 1870 सीडीएस से संबंधित है.

आकृति 4: सीडी की सीआईआरपी में माहवार स्वीकृति

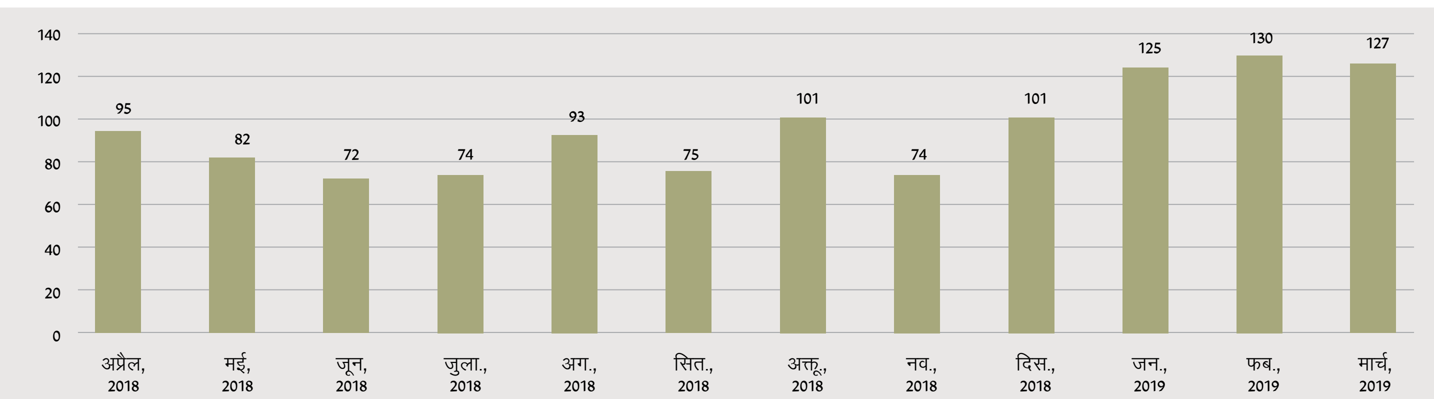

सारणी 42: 31 मार्च, 2019 तक सीआईआरपी की पीठ वार स्वीकृति और समापन

क्र. सं.	एनसीएलटी की पीठ की अवस्थिति	सीआईआरपी की संख्या		
			बंद #	जारी
1	अहमदाबाद	126	52	74
2	इलाहाबाद	49	19	30
3	बंगलुरु	62	27	35
4	चंडीगढ़	107	55	52
5	चेन्नई	281	152	129
6	कटक	01	00	01
7	गुवाहाटी	08	03	05
8	हैदराबाद	122	39	83
9	जयपुर	17	05	12
10	कोलकाता	188	111	77
11	मुंबई	486	172	314
12	प्रधान पीठ और नई दिल्ली पीठ	444	161	283
कुल		1858	796	1095

 # धारा 12 ए के अधीन अपील/समीक्षा/समाधान होने पर बंद की गई 31 मार्च, 2019 तक समाधान योजना का अनुमोदन और परिसमापन का आरम्भ,

31 मार्च, 2019 को स्वीकार किए गए सीआईआरपी का वितरण, एए की पीठों के अधिकार क्षेत्र के अनुसार सारणी 42 में इंगित किया गया है। मुंबई पीठ द्वारा अधिकतम 486 सीआईआरपी को स्वीकृत किया गया है, जिसके बाद 444 नई दिल्ली पीठ और 281 चेन्नई पीठ को शामिल किया गया है।

हितधारकों, जिन्होंने समाधान प्रक्रिया शुरू की, का वितरण सारणी 43 में प्रस्तुत है। ओसी ने 46.64 प्रतिशत सीआईआरपी की शुरुआत की है, जिसके बाद,एफसी द्वारा लगभग 42.67 प्रतिशत और शेष सीडी द्वारा शुरू की गई हैं। प्रारंभ में, सीडी प्रमुख उपयोगकर्ता थे, क्योंकि उनका मानना था कि सीआईआरपी लेनदारों के लिए आंशिक लाभ का उत्पादन करेगी, जबकि नियंत्रण और प्रबंधन अपरिवर्तित रहेगा। यह धारणा धारा 29क के साथ बदल गई, जिसे नवंबर, 2017 में पेश किया गया था। सीआईआरपी का विश्वसनीय खतरे कि सीडी का नियंत्रण और प्रबंधन मौजूदा प्रवर्तकों और प्रबंधकों से शायद हमेशा के लिए, अंतरित हो सकता है, ने सीडी को सीआईआरपी के लिए आवेदन दाखिल करने से रोक दिया। इस संशोधन के पश्चात सीडी द्वारा आवेदनों की संख्या में तेजी से कमी हुई। बैंकिंग नियमन (संशोधन) अध्यादेश, 2017 के बाद एफसी द्वारा आवेदनों की संख्या में वृद्धि हुई, जिसने मई, 2017 में आरबीआई को सशक्त किया कि वह सीडी द्वारा व्यतिक्रम के मामले में बैंकों को सीआईआरपी के लिए आवेदन दाखिल करने का निदेश दे। फरवरी, 2018 में इसे और बढ़ावा मिला जब आरबीआई ने संकटग्रस्त आस्तियों के समाधान के लिए एक सामंजस्यपूर्ण और सरलीकृत जेनेरिक ढांचे के साथ संकटग्रस्त आस्तियों के समाधान पर सभी मौजूदा निर्देशों को प्रतिस्थापित किया। सीआईआरपी को ट्रिगर करने वाले हितधारकों के आधार पर सीआईआरपी का वितरण आकृति 5 में प्रस्तुत किया गया है।

आकृति 5: ओसी, एफसी और सीडीएस द्वारा सीआईआरपी का आरम्भ

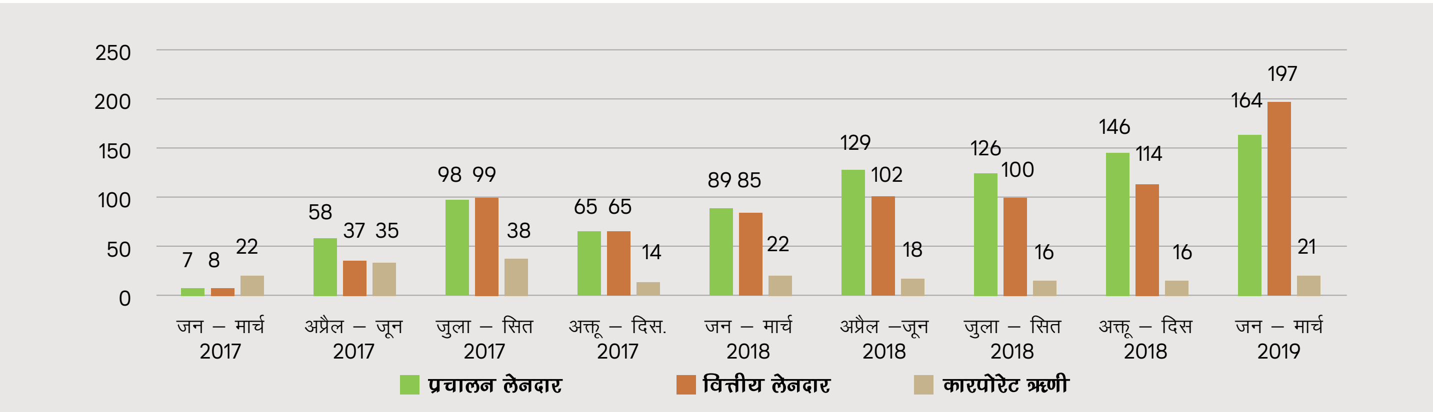

सारणी 43: कारपोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया की शुरूआत

तिमाही	द्वारा शुरू किए गए सीआईआरपी			
	प्रचालक लेनदार	वित्तीय लेनदार	कारपोरेट देनदार	कुल
जन– मार्च, 2017	7	8	22	37
अप्रैल –जून, 2017	58	37	35	130
जुला –सित, 2017	98	99	38	235
अक्तू–दिस., 2017	65	65	14	144
जन– मार्च, 2018	89	85	22	196
अप्रैल –जून 2018	129	102	18	249
जुला –सित, 2018	126	100	16	242
अक्तू–दिस, 2018	146	114	16	276
जन– मार्च, 2019	164	197	21	382
कुल	882	807	202	1891

सीआईआरपी में दर्ज सीडी का क्षेत्रवार वितरण सारणी 44 में प्रस्तुत है। विनिर्माण क्षेत्र में सीआईआरपी की सबसे बड़ी संख्या में शुरुआत की गई है, दूसरा सबसे बड़ा क्षेत्र अचल संपत्ति, किरायेदारी और व्यावसायिक गतिविधियां और तीसरा सबसे बड़ा क्षेत्र निर्माण और इसके पश्चात थोक और खुदरा व्यापार क्षेत्र का स्थान आता है। सीआईआरपी की स्थिति सारणी 45 में प्रस्तुत है।

मार्च, 2019 तक, संहिता की धारा 12ए के अधीन कुल 88 सीआईआरपी को वापस ले लिया गया है। इन सीआईआरपी में वापसी के दावों और कारणों का वितरण सारणी 46 में प्रस्तुत है।

31 मार्च, 2019 तक, 101 सीडी को समाधान योजनाओं के माध्यम से बचाया गया है। उन पर लेनदारों के 2,29,351 करोड़ रुपये का कर्ज था। हालांकि, उनके पास उगाही जाने वाली संपत्ति का वास्तविक मूल्य केवल 54,367 करोड़ रूपये था, जब वे आईबीसी प्रक्रिया में गए। आईबीसी मौजूदा परिसंपत्तियों के मूल्य को अधिकतम करता है, उन परिसंपत्तियों के मूल्य को नहीं जो अस्तित्व में नहीं हैं। आईबीसी

सारणी 44: 31 मार्च, 2019 तक सीआईआरपी का क्षेत्र वार वितरण

क्षेत्र	सीआईआरपी की सं.		
	बंद	जारी	कुल
विनिर्माण	**357**	**429**	**786**
भोजन, पेय और तम्बाकू उत्पाद	35	60	95
रसायन और रसायन उत्पाद	32	44	76
विद्युतीय मशीनरी और उपस्कर	27	43	70
विनिर्मित धातु उत्पाद	24	26	50
मशीनरी और उपकरण	42	44	86
वस्त्र, चमडा और वस्त्र उत्पाद	59	69	128
लकड़ी, रबड़, प्लास्टिक और कागज उत्पाद	35	47	82
मूल धातु	76	68	144
अन्य	27	28	55
अचल संपत्ति, किरायेदारी और व्यावसायिक कार्यकलाप	**144**	**221**	**365**
अचल संपत्ति कार्यकलाप	36	44	80
कंप्यूटर और सबद्ध कार्यकलाप	23	22	45
अनुसंधान और विकास	3	0	3
अन्य व्यावसायिक कार्यकलाप	83	154	237
निर्माण	**69**	**137**	**206**
थोक व्यापार और फुटकर व्यापार	**87**	**97**	**184**
होटल और रेस्तरां	**21**	**31**	**52**
विद्युत् और अन्य	**13**	**35**	**48**
परिवहन, भंडारण और संचार	**21**	**29**	**50**
अन्य	**84**	**116**	**200**
कुल	**796**	**1095**	**1891**

सारणी 45: 31 मार्च, 2019 को सीआईआरपी की स्थिति

सीआईआरपी की स्थिति	सीआईआरपी की संख्या
स्वीकृत	1891
अपील/समीक्षा/समाधान पर समाप्त	211
धारा 12क के अधीन वापसी द्वारा बंद	88
समाधान द्वारा बंद	101
परिसमापन द्वारा बंद	396
जारी सीआईआरपी	1095
> 270 दिवस	326
> 180 दिवस ≤ 270 दिवस	181
> 90 दिवस ≤ 180 दिवस	237
≤ 90 दिवस	351

नोट 1. लंबित दिवसों की संख्या स्वीकृति की तारीख से है।
2. लंबित मामलों की संख्या में अधिकरण द्वारा निष्कासित समय शामिल है।

सारणी 46: दावों का वितरण और सीआईआरपी की वापसी के कारण

स्वीकृत दावों की संख्या* (राशि करोड़ रूपये में)	सीआईआरपी की संख्या
≤ 01	34
> 01 ≤ 10	21
> 10 ≤ 50	13
> 50 ≤ 100	6
> 100 ≤ 1000	4
> 1000	2
वापसी के कारण **	
आवेदक के साथ पूर्ण समाधान	25
लेनदारों के साथ पूर्ण समाधान	5
भविष्य में समाधान के लिए समझौता	5
लेनदारों के साथ अन्य समाधान	31
कारपोरेट देनदारों की तलाश नहीं हो सकी	2
कारपोरेट देनदार जिन्हें रजिस्टर से हटा दिया गया	1
उच्च लागत के कारण सीआईआरपी नहीं कर रहे आवेदक	2
अन्य	14

**8 सीआईआरपी में डाटा प्रतीक्षित*
***3 सीआईआरपी में डाटा प्रतीक्षित*

के अधीन, लेनदारों ने 1,20,730 करोड़ रुपये की वसूली की, जो इन सीडी के उगाही योग्य मूल्य का लगभग 222.06 प्रतिशत है। वसूली या परिसमापन के किसी अन्य विकल्प से पुनर्प्राप्ति/परिसमापन की लागत को घटाकर अधिक से अधिक 100 रुपये की वसूली हो पाती, जबकि लेनदारों ने आईबीसी के अधीन 222 रुपए की वसूली की। 122 रूपये की अतिरिक्त वसूली आईबीसी की ओर से एक बोनस है। वसूली योग्य मूल्य के 222 प्रतिशत की वसूली के बावजूद, एफसी को अपने दावों की तुलना में 46.25 प्रतिशत का लाभ प्राप्त हुआ। यह केवल उस समय तक मूल्य क्षरण की सीमा को दर्शाता है जब सीडी ने आईबीसी प्रक्रिया में प्रवेश किया था। फिर भी, अन्य विकल्पों की तुलना में, बैंक, भारतीय रिजर्व बैंक के आंकड़ों के अनुसार, आईबीसी के माध्यम से बहुत बेहतर वसूली कर रहे है। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि आईबीसी के अधीन बचाए गए 101 सीडी में 34 ऐसे सीडी शामिल हैं, जो कार्यशील नहीं थे या बीआइएफआर में थीं। फिर भी, आईबीसी के कारण वे बच पाने में सफल रहे।

संहिता के कार्यान्वयन के शुरुआती दिनों में इसके अधीन इस तरह की प्राप्ति अपेक्षाओं के अनुरूप है। सीआईआरपी अच्छे परिणाम देता है जब इसे व्यतिक्रम के शुरुआती दिनों में शुरू किया जाता है और शीघ्रता से निष्कर्ष निकाला जाता है। यदि यह बहुत देर से शुरू किया जाता है, जैसा कि इन मामलों में से कई में हुआ था, दशकों की बीमारी के बाद, सीडी केवल इसके परिसमापन मूल्य के लायक है, जो समय के साथ आगे भी घटता जाता है। जब ऐसा नहीं किया जाता है, तो सीआईआरपी या तो परिसमापन या मामूली वसूली की प्राप्ति करता है। कुछ आगामी वर्षों में उम्मीद है कि सीडी सीमा राशि के व्यतिक्रम के शुरुआती उदाहरण पर समाधान के लिए आएंगे, अर्थात, जब उनकी हालत अच्छी होती है और इसलिए सीआईआरपी का परिणाम तब बेहतर होगा।

सारणी 47: सीआईआरपी जिनका समापन समाधान योजना में हुआ, 2018–19

(राशि करोड़ रुपये में)

तिमाही	सीडीएस की सं.	एफसी के स्वीकृत दावों की सं.	परिसमापन मूल्य	एफसी द्वारा वसूली योग्य राशि	एफसी द्वारा उगाही के परिणम के रूप में	
					स्वीकृत दावें	परिसमापन मूल्य
जन– मार्च, 2017	0	0	0	0	0	0
अप्रैल –जून, 2017	0	0	0	0	0	0
जुला –सित, 2017	2	1021.90	25.32	75.30	7.36	297.39
अक्तू–दिस., 2017	7	2985.92	701.85	1178.59	39.47	167.92
जन– मार्च, 2018	11	4256.07	1349.18	2945.34	69.20	218.31
अप्रैल –जून 2018	14	77419.00	18155.95	43065.45	55.63	237.20
जुला –सित , 2018	29	27094.50	7741.73	9105.32	33.52	117.60
अक्तू–दिस, 2018	18	10671.82	3487.07	8056.53	75.49	231.04
जन– मार्च, 2019	20	92349.76	22905.43	51564.34	55.84	225.12
कुल	**101**	**215798.97**	**54366.52**	**115990.87**	**53.75**	**213.35**

कारपोरेट परिसमापन

सीआईआरपी या तो समाधान योजना के साथ या सीडी के परिसमापन के लिए आदेश जारी होने के साथ समाप्त हो सकता है। संहिता के अधीन, समाधान योजना को मंजूरी देने या परिसमापन के लिए जाने का निर्णय सीओसी के पास निहित होता है, जिसमें मतदान सदस्यों के रूप में एफसी शामिल होते हैं। सीओसी के वाणिज्यिक निर्णय आम तौर पर एए द्वारा किसी भी विश्लेषण, मूल्यांकन या न्यायिक समीक्षा के लिए खुले नहीं होते हैं। मार्च, 2019 तक, कुल 396 सीआईआरपी में परिसमापन के लिए आदेश दिए थे। हितधारकों का वितरण, जिन्होंने इन सीआईआरपी को उत्प्रेरित किया, जो समाधान योजना और परिसमापन आदेशों में समाप्त हो गया, सारणी 48 में प्रस्तुत है।

सारणी 48: 31 मार्च, 2019 तक समाधान योजनाओं और परिसमापन हेतु आदेश में समाप्त होने वाले सीआईआरपी

(राशि करोड़ रुपये में)

द्वारा आरंभ किये गए सीआईआरपी	समाधान योजना के परिणाम				परिसमापन के लिए परिणाम आदेश			
	सीआईआरपी की सं.	परिसमापन मूल्य	स्वीकृत दावों की राशि	स्वीकृत दावों के प्रतिशत के रूप में मूल्य का परिसमापन	सीआईआरपी की सं.	परिसमापन मूल्य	स्वीकृत दावों की राशि	स्वीकृत दावों के प्रतिशत के रूप में मूल्य का परिसमापन
प्रचालन लेनदार	26	1459.26	5270.68	27.69	161	6210.34	62137.86	9.99
वित्तीय लेनदार	54	51670.70	219464.03	23.54	147	7647.60	182576.02	4.18
कारपोरेट ऋणी	21	1236.56	4616.76	26.78	88	4334.42	39565.22	10.95
कुल	**101**	**54366.52**	**229351.47**	**23.70**	**396**	**18192.37**	**284279.10**	**6.39**

यह देखा गया है कि सीआईआरपी की लगभग 49.75 प्रतिशत, जो बंद कर दी गईं थीं, परिसमापन में समाप्त हुईं और इनकी तुलना में 12.69 प्रतिशत परिसमापन में समाप्त हुईं। हालांकि, यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि परिसमापन (396 में से 293) में समाप्त होने वाली सीआईआरपी की 73.98 प्रतिशत पहले बीआईएफआर और अथवा क्रियाहीन (सारणी 49) थीं। सीआईआरपी में प्रवेश करने से पहले ही इन सीडी में से अधिकांश का आर्थिक मूल्य समाप्त हो चुका था।

31 मार्च, 2019 की स्थिति के अनुसार परिसमापन प्रक्रिया की स्थिति सारणी 50 में प्रस्तुत है।

सारणी 49: परिसमापन में समाप्त होने वाले सीआईआरपी का वितरण

सीआईआरपी के आरम्भ में कारपोरेट देनदार की स्थिति	द्वारा आरंभ की सीआईआरपी			
	वित्तीय लेनदार	कार्यशील लेनदार	कारपोरेट देनदार	कुल
या तो बीआइएफआर में अथवा निष्क्रिय अथवा दोनों	100	123	70	293
समाधान मूल्य ≤ परिसमापन मूल्य	118	144	68	330
समाधान मूल्य > परिसमापन मूल्य	29	17	20	66

टिप्पणी: 1. 32 सीआईआरपी थे जिनमें सीडीएस बीआइएफआर में थे अथवा निष्क्रिय थे किंतु इनका समाधान मूल्य परिसमापन मूल्य से अधिक था।
2. जहां परिसमापन मूल्य की गणना नहीं की गई, इसे '0' माना गया है.

सारणी 50: 31 मार्च, 2019 तक परिसमापन प्रक्रिया की स्थिति

परिसमापन की स्थिति	संख्या
आरम्भ की गई	396*
अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत की गई	18
विघटन द्वारा बंद की गई	7
जारी प्रक्रियाएं	378
> एक वर्ष ≤ दो वर्ष	85
> 270 दिवस ≤ एक वर्ष	49
> 180 दिवस ≤ 270 दिवस	79
> 90 दिवस ≤ 180 दिवस	79
≤ 90 दिवस	86

** यह 2 मामलों को शामिल करता है जहां एनसीएलएटी द्वारा परिसमापन आदेश को अलग रखा गया है।*

मार्च, 2019 तक 7 परिसमापन प्रक्रियाएं बंद की गइ। इनका विवरण सारणी 51 में प्रस्तुत है।

सारणी 51: विघटन द्वारा बंद किए गए परिसमापनों का विवरण

(राशि करोड़ रुपये में)

सीडी का नाम	परिसमापन के आदेश की तारीख	स्वीकृत दावों की राशि	परिसमापन मूल्य	बिक्री आय	हितधारकों को वितरित राशि	विघटन के आदेश की तारीख
अभ्यान ट्रेडिंग लिमिटेड	17.11.17	11.14	0.85	0.85	0.71	23.03.18
डीडीएस स्टील रोलिंग मिल्स प्राइवेट लिमिटेड*	18.07.18	119.24	0	उप. नहीं	0	18.07.18
एसडीएस स्टील्स प्राइवेट लिमिटेड*	30.07.18	237.28	0	उप. नहीं	0	30.07.18
जील ग्लोबल प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड	07.05.18	1.28		उप. नहीं	0	31.12.18
देव आशीर्वाद ट्रेडर्स प्राइवेट लिमिटेड	26.10.18	5.81	0	उप. नहीं	0	08.02.19
घोटारिंगा मिनरल्स लिमिटेड	31.08.18	4662.89	0	उप. नहीं	0	22.02.19
माँ तारा इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स प्राइवेट लिमिटेड	16.03.18	0.03	0	उप. नहीं	0	04.03.19

'0' का अर्थ दो दशमलव से कम राशि है।
उप. नही – का अर्थ है न कि वसूली योग्य / बिक्री योग्य या परिसमापन के लिए कोई संपत्ति नहीं बची।
** प्रत्यक्ष विघटन ; सीआईआरपी अवधि से संबंधित दावे।*

सारणी 52: बंद परिसमापनों में वसूली

(राशि करोड़ रुपये में)

धारा के अधीन हितधारक	दावों की संख्या	स्वीकृत दावों की राशि	परिसमापन मूल्य	वसूली गई राशि	वितरित राशि
18 परिसमापन जिसमें अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत की गई					
53 (1) (क)			12.35	12.09	0.89
53 (1) (ख)	33	5233			10
53 (1) (ग)	6	0.2			0.1
53 (1) (घ)	8	17			0.7
53 (1) (ड)	4	87			0.4
53 (1) (च)	11	11			0
53 (1) (छ)	0	0			0
53 (1) (ज)	0	0			0
कुल(क)	**62**	**5348.2**			**12.09**

बारह बड़े खाते

बैंकों द्वारा 12 बड़े खातों के समाधान आरबीआई द्वारा निर्देशित किए गए थे। साथ में उनके पास 3,220 करोड़ रुपये के परिसमापन मूल्य के रूप में 45 लाख करोड़ रुपये बकाया का दावा था। इनमें से 6 सीडी के संबंध में समाधान योजना को मंजूरी दी गई है और दो सीडी के संबंध में परिसमापन के आदेश पारित किए गए हैं। 12 बड़े खातों की स्थिति सारणी 53 में प्रस्तुत की गई है।

सारणी 53:12 बड़े खातों की स्थिति

(राशि करोड़ रुपये में)

कारपोरेट क्षेत्र का नाम	समाधान के अधीन निपटाए गए वित्तीय लेनदारों के दावे			परिसमापन मूल्य के प्रतिशत के रूप में सभी दावाकर्ताओं द्वारा वसूली	सफल समाधान आवेदक
	स्वीकृत वसूली	वसूली गई राशि	दावों के प्रतिशत के रूप में वसूली		
इलेक्ट्रोस्टील स्टील्स लिमिटेड	13175	5320	40.38	183.45	वेदांता लिमि.
भूषण स्टील लि.	56022	35571	63.50	252.88	बामनीपाल स्टील लि.
मोनेट इस्पात एंड एनर्जी लि.	11015	2892	26.26	123.35	जेएसडब्ल्यू और एआईओएन इंवेस्टमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड का कंसोर्टियम
एस्सार स्टील इंडिया लि.	49473	41018	82.91	266.65	आर्सेलर मित्तल इंडिया प्रा. लिमिटेड
आलोक इंडस्ट्रीज लिमिटेड	29523	5052	17.11	113.96	रिलायंस इन्डस्ट्रीज लिमिटेड., जेएम फाइन्सिअल एस्सेट्स रिकंस्ट्रकशन कंपनी लिमिटेड जेएमएफएआरसी – मार्च 2018 – ट्रस्ट
ज्योति स्ट्रक्चर्स लि.	7365	3691	50.12	387.44	श्री शरद सांघी के नेतृत्व में एचएनआई का समूह
भूषण पावर एंड स्टील लि.	सीआईआरपी के अधीन				
एमटेक ऑटो लिमिटेड	सीआईआरपी अनुशंसित				
एरा इंफ्रा इंजीनियरिंग लि.	सीआईआरपी के अधीन				
जेपी इंफ्राटेक लि.	सीआईआरपी के अधीन				
लैंको इंफ्राटेक लि.	परिसमापनाधीन				
एबीजी शिपयार्ड लि.	परिसमापनाधीन				

स्वैच्छिक परिसमापन

एक कारपोरेट व्यक्ति स्वैच्छिक परिसमापन की कार्यवाही शुरू कर सकता है यदि अधिकांश निदेशक या कारपोरेट व्यक्ति के नामित भागीदार इस आशय की घोषणा करते हैं कि (i) कारपोरेट व्यक्ति के पास कोई ऋण नहीं है या वह अपने ऋण का भुगतान प्रस्तावित परिसमापन के अधीन बेची जाने वाली परिसंपत्तियों की आय से पूर्ण रूप से कर सकेगा, (ii) कारपोरेट व्यक्ति को किसी व्यक्ति को धोखा देने के लिए परिसमाप्त नहीं किया जा रहा है। पहला स्वैच्छिक परिसमापन 7 अप्रैल, 2017 को शुरू किया गया था। 413 कॉरपोरेट्स ने 31 मार्च, 2019 तक स्वैच्छिक परिसमापन कार्यवाही शुरू की थी, जिसका विवरण सारणी 54 में दिया गया है।

सारणी 54: 31 मार्च, 2019 तक स्वैच्छिक परिसमापन का प्रारम्भ

तिमाही	परिसमापनों की शुरूआत	परिसमापन आरम्भ किए गए	अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत	अंत में परिसमापनों की स्थिति
अप्रैल – जून, 2017	0	13	0	13
जुला –सित, 2017	13	41	0	54
अक्तू–दिस., 2017	54	58	4	108
जन– मार्च, 2018	108	72	7	173
अप्रैल –जून 2018	173	38	16	195
जुला –सित , 2018	195	61	16	240
अक्तू–दिस, 2018	240	38	29	249
जन– मार्च, 2019	249	92	34	307
कुल	**उपलब्ध नहीं**	**413**	**106**	**307**

इनमें से अधिकांश कारपोरेट व्यक्ति छोटी एंटिटी हैं। उनमें से 276 ने 1 करोड़ रुपये से कम की इक्विटी पूंजी का भुगतान किया है। उनमें से केवल 43 ने पूंजीगत पूंजी का भुगतान किया है, जो कि 5 करोड़ रुपये से अधिक है। उनके पास कुल मिलाकर 2721 करोड़ रुपये की कुल पूँजी है। विवरण सारणी 55 में प्रस्तुत किया गया है।

सारणी 55: 413 परिसमापनों का ब्यौरा

(राशि करोड़ रुपये में)

का विवरण	परिसमापनों की संख्या	प्रदत्त पूंजी	परिसंपत्तिया	बकाया ऋण	लेनदारों को संदत्त राशि	अधिशेष
परिसमापन जिनके लिए अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत की गई	106	260	308	4	4	207
जारी परिसमापन	307	2461	3741	*	–	–
कुल परिसमापन	413	2721	4049	*	–	–

** जारी परिसमापनों के लिए बकाया राशि उपलब्ध नहीं है।*

इन 413 कारपोरेट व्यक्तियों की देनदारियों और परिसंपत्तियों का वितरण क्रमश: सारणी 56 और 57 में प्रस्तुत किया जाता है। उनमें से 376 की देनदारी 1 करोड़ रुपये से कम है। उनमें से 276 ने 1 करोड़ रुपये से कम की इक्विटी पूंजी का भुगतान किया है। उनमें से 43 की संदत्त पूंजी 5 करोड़ रुपये से अधिक है।

सारणी 56: स्वैच्छिक परिसमापनों के अधीन कंपनियों की देनदारियों का वितरण

क्रम संख्या	देयताएं (राशि करोड़ रुपये में)	कंपनियों की संख्या
1	≤ 1	376
2	> 1 ≤ 2	9
3	> 2 ≤ 3	8
4	> 3 ≤ 5	10
5	> 5	10
कुल		413

सारणी 57: स्वैच्छिक परिसमापनों के अधीन कंपनियों की परिसंपत्तियों का वितरण

क्रम संख्या	देयताएं (राशि करोड़ रुपये में)	कंपनियों की संख्या
1	≤ 1	241
2	> 1 ≤ 2	47
3	> 2 ≤ 3	36
4	> 3 ≤ 5	35
5	> 5	54
कुल		413

413 कारपोरेट व्यक्तियों में से जिन्होंने स्वैच्छिक परिसमापन कार्यवाही शुरू की है, 89 विनिर्माण क्षेत्र से संबंधित हैं, 173 अचल संपत्ति, किरायेदारी और व्यावसायिक कार्यकलाप और 27 परिवहन क्षेत्र (सारणी 58) से संबंधित हैं। इन स्वैच्छिक परिसमापनों के आरंभ के कारण सारणी 59 में प्रस्तुत हैं।

सारणी 58: स्वैच्छिक परिसमापनों का क्षेत्रवार वितरण

क्षेत्र	संख्या
विनिर्माण	89
भोजन, पेय और तम्बाकू उत्पाद	5
रसायन और रसायन उत्पाद	11
विद्युतीय मशीनरी और उपस्कर	5
विनिर्मित धातु उत्पाद	4
मशीनरी और उपकरण	24
वस्त्र, चमडा और वस्त्र उत्पाद	13
लकड़ी, रबड़, प्लास्टिक और कागज उत्पाद	4
मूल धातु	4
अन्य	19
अचल संपत्ति, किरायेदारी और व्यावसायिक कार्यकलाप	173
अचल संपत्ति कार्यकलाप	11
कंप्यूटर और सबद्ध कार्यकलाप	51
अनुसंधान और विकास	2
मशीनरी और उपस्करों को बिना ओपरेटर और व्यक्तिगत तथा घरेलु सामान के किराये पर देना	2
अन्य व्यावसायिक कार्यकलाप	107
निर्माण	15
थोक व्यापार और फुटकर व्यापार	21
होटल और रेस्तरां	4
विद्युत् और अन्य	6
परिवहन, भंडारण और संचार	27
अन्य	78
कुल	413

सारणी 59: स्वैच्छिक परिसमापन के कारण

क्र. सं.	स्वैच्छिक परिसमापन के कारण	कारपोरेट व्यक्तियों की सं.
1	व्यावसायिक संकार्य नही चला रहे थे	242
2	वाणिज्यिक रूप से अव्यवहार्य	63
3	घाटे में चल रहे थे	12
4	कोई राजस्व प्राप्ति नहीं	18
5	कार्यों के प्रबंधन में प्रवर्तक असमर्थ	10
6	उद्देश्य पूरा हो गया	5
7	अनुबंध समाप्त	5
8	विवध	58
कुल		413

31 मार्च 2019 तक 106 स्वैच्छिक परिसमापनों के संबंध में अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है। 42 परिसमापन बंद हो गए हैं। जारी 307 स्वैच्छिक परिसमापन प्रक्रियाओं में से, 93 प्रक्रियायें 90 दिनों से कम पुरानी हैं, 94 प्रक्रियाएं 360 दिन की अवधि पार कर चुकी हैं (सारणी 60)।

सारणी 60: स्वैच्छिक परिसमापन का चरण।

परिसमापन की स्थिति	परिसमापन की संख्या
आरम्भ की गई	413
अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत की गई	106
विघटन द्वारा बंद की गई	42
जारी प्रक्रियाएं	307
> एक वर्ष ≤ दो वर्ष	94
> 270 दिवस ≤ एक वर्ष	36
> 180 दिवस ≤ 270 दिवस	49
> 90 दिवस ≤ 180 दिवस	35
≤ 90 दिवस	93

उभरता हुआ न्यायशास्त्र

आर्थिक विधान आम तौर पर कंकालीय संरचना होता है। न्यायिक घोषणाएँ इसमें मांस और रक्त प्रदान करती हैं और ग्रे क्षेत्रों का समाधान करती हैं। एक प्रमुख आर्थिक विधान को स्थापित करने के लिए कई दशकों तक और कई बार कई दशक लग जाते हैं और हितधारकों के लिए पूरी स्पष्टता, निश्चितता और पूर्वानुमेयता आने में समय लगता है। संहिता के कार्यान्वयन में एए अर्थात अपीलीय प्राधिकरण और न्यायपालिका सबसे आगे रही हैं। उन्होंने कई वैचारिक और विवादास्पद मुद्दों को तेजी से निपटाया और कई ऐतिहासिक आदेश दिए, जिनसे स्पष्टता आयी कि क्या अनुमेय है और क्या नहीं है, और भविष्य के लिए प्रक्रिया को सुव्यवस्थित किया।

संवैधानिक वैधता

उच्चतम न्यायालय ने स्विस रिबन प्राइवेट लिमिटेड और अन्य बनाम भारत संघ और अन्य मामले में बड़े पैमाने पर संहिता के कई उपबंधों की जांच की।[26] इसने माना कि न्यायपालिका को आर्थिक कानून की संवैधानिक वैधता की जांच करते समय संयम बरतना चाहिए क्योंकि *"जटिल आर्थिक मामलों में प्रत्येक निर्णय*

[26] 2018 की सिविल अपील सं. 99 और अन्य याचिकाएं।

आवश्यक रूप से अनुभवजन्य होता है और यह प्रयोग पर आधारित होता है या जिसे परीक्षण और त्रुटि विधि कहा जा सकता है और इसलिए, इसकी वैधता का परीक्षण किसी भी कठोर पूर्व विचार पर या किसी भी स्ट्रेटजैकेट फॉर्मूले से नहीं किया जा सकता है।'' इस पृष्ठभूमि में, इसने इसके समक्ष चुनौती दी गई संहिता के सभी उपबंधों की संवैधानिक वैधता को बरकरार रखा।

कोर्ट के सामने बड़ी संख्या में चुनौतियां उन उपबंधों के विरुद्ध थीं, जिनके अनुसार एफसी और ओसी अलग–अलग माने जाते हैं। सबसे पहले, उच्चतम न्यायालय ने कहाः *''वित्तीय ऋण ब्याज, यदि कोई हो, के साथ ऋण है, जो पैसे के समय मूल्य के विचार के विपरीत है। इसके अलावा यह ऐसा धन हो सकता है जो धारा 5(8) या अन्यथा में निर्दिष्ट किसी भी विधि से उधार लिया गया हो अथवा अर्जित किया गया हो, क्योंकि धारा 5(8) में इसकी समावेशी परिभाषा दी गई है। दूसरी ओर, 'ऑपरेशनल ऋण' में माल या सेवाओं के उपबंध के लिए दावा शामिल होगा, जिसमें रोजगार भी शामिल है, या किसी कानून के अधीन देय देयताओं के भुगतान के संबंध में ऋण और सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकारी को देय धन शामिल होगा।''* यह बीएलआरसी की अंतिम रिपोर्ट, दि दिवाला एंड बैंकरप्सी बिल, 2015 के खंड 8 और आईएलसी की रिपोर्ट में मोटे तौर पर एफसी और ओसी के बीच के अंतर को निर्धारित किया गया है, *"अधिकांश वित्तीय लेनदार, विशेष रूप से बैंक और वित्तीय संस्थाएं, प्रत्याभूतित लेनदार हैं, जबकि अधिकांश प्रचालन लेनदार अप्रत्याभूतित हैं, माल और सेवाओं के लिए भुगतान और साथ ही श्रमिकों को भुगतान को गिरवी दस्तावेजों और इसी तरह के दस्तावेजों से प्रत्याभूत नहीं किया जा रहा है।"* यह एफसी और ओसी के साथ दर्ज किए गए समझौतों की प्रकृति के बीच प्रतिष्ठित है, जहां पूर्व में आम तौर पर कार्यशील पूंजी या सावधि ऋण के लिए उधार दिया जाता है और इसमें बाद की तुलना में अधिक मात्रा में धन शामिल होता है, जहां समझौता ज्यादातर माल और सेवाओं की आपूर्ति से संबंधित होता है। इसलिए, दोनों के बीच का अंतर तर्कसंगत सांठ–गांठ के साथ समझदारीपूर्ण भिन्नता पर आधारित है, जिसे संहिता द्वारा प्राप्त करने का प्रयोजन रखा गया है। दूसरे, उच्चतम न्यायालय ने इस बात पर प्रकाश डाला कि एफसी और ओसी के बीच सबसे महत्वपूर्ण अंतर यह है कि *"वित्तीय लेनदार शुरुआत से ही कारपोरेट देनदार की व्यवहार्यता का आकलन करने में शामिल हैं। वे वित्तीय तनाव होने पर कारपोरेट ऋणदाता के व्यवसाय के पुनर्गठन के साथ–साथ ऋण के पुनर्गठन में संलग्न हो सकते हैं, जो कि परिचालन लेनदार नहीं कर सकते हैं और नहीं कर सकते हैं।"* यह विधायी और मामले के कानून के विकास पर निर्भर करता था, जो ओसी को निष्पक्ष और न्यायसंगत उपचार की गारंटी देता था, यह सुनिश्चित करने के लिए कि केवल एफसी को सीओसी के हिस्से के रूप में मतदान का अधिकार देने वाले उपबंध मान्य हैं। तीसरा, न्यायालय ने विश्लेषण किया कि क्या ओआईआर और एफसी द्वारा सीआईआरपी को उत्प्रेरित करने की प्रक्रिया में अंतर मनमाना था। यह माना जाता है कि चूंकि एफसी को यह साबित करना है कि ठोस दस्तावेज के आधार पर "व्यतिक्रम" है, या एक आईयू में जानकारी जो आसानी से पुष्टि योग्य है, यह उचित था कि उन्हें सीडी के लिए मांग नोटिस देने की आवश्यकता नहीं थी। यह सीडी के लिए मांग नोटिस देने के लिए ओसी पर लगाई गई अनिवार्यता के विपरीत है, जो केवल ''देयता के भुगतान के अधिकार का दावा करता है जो देय हो सकता है। अंत में, संहिता की धारा 53 की वैधता को इस आधार पर चुनौती दी गई कि यह ओसी के प्रति भेदभावपूर्ण है। न्यायालय ने माना कि दो प्रकार के ऋणों के सापेक्ष महत्व को देखते हुए, विशेष रूप से अर्थव्यवस्था में पूंजी की उपलब्धता को बढ़ावा देने के लिए वित्तीय ऋणों के पुनर्भुगतान के महत्व को, वैध ब्याज की धारा 53 द्वारा संरक्षित किया जा रहा है। इस प्रकार, ओसी के विरुद्ध भेदभाव नहीं किया गया है या अनुच्छेद 14 को या तो बराबरी की जमीन पर असमान रूप से या जानबूझ कर मनमानीपूर्ण ढंग से आरोपित नहीं किया गया है।

धारा 29क की वैधता के विरुद्ध कई चुनौतियां भी उठाई गईं। इस खंड की वैधता को इस आधार पर चुनौती दी गई थी कि पहले, इसके पास पूर्वव्यापी आवेदन था। न्यायालय ने माना कि चूंकि आरए को समाधान प्रक्रिया में इस तरह के विचार के लिए एक निहित अधिकार नहीं है, इसलिए अनुभाग को पूर्वव्यापी नहीं माना जा सकता है। दूसरे, यह तर्क दिया गया था कि धारा 29क(ग) उन प्रवर्तकों के साथ समानता के रूप में असमानता रखती है, जिन्होंने उन लोगों के साथ बराबरी का व्यवहार नहीं किया जो उनके साथ थे। न्यायालय ने कहा कि धारा 29क का उद्देश्य अपराधियों के अलावा अन्य व्यक्तियों या उन लोगों पर लागू करना था जो कुरूप थे, और यह धारा के विधायी उद्देश्य से उचित था। तीसरा, यह तर्क दिया गया था कि धारा 29क के अधीन अयोग्य घोषित किए गए व्यक्तियों पर रोक लगाने से सीडी की किसी भी संपत्ति को परिसमापन में खरीदने से सीडी की संपत्ति के मूल्य को अधिकतम करने के उद्देश्य के विपरीत होगा। इस विवाद को इस आधार पर निरस्त कर दिया गया था कि विधायी उद्देश्य परिसमापन के मामले में भी लागू रहेगा। चौथा, यह तर्क दिया गया कि आवेदन करने की अयोग्यता के लिए धारा 29क में निर्धारित एक वर्ष की अवधि मनमानी और बिना आधार के थी। न्यायालय ने कहा कि यह विधायी नीति थी कि ऐसा व्यक्ति जो एक वर्ष की अनुग्रह अवधि से परे अपने स्वयं के ऋण का भुगतान करने में असमर्थ रहता है, वह आरए बनने के लिए पात्र होने के लिए अयोग्य है, और *'इस नीति में कोई त्रुटी नहीं पाई जा सकती है।' न ही एक वर्ष की अवधि में त्रुटी पाई जा सकती है, क्योंकि यह आरबीआई द्वारा तय किया गया नीतिगत मामला है और इसे इसके मास्टर परिपत्र में दर्शाया गया है, क्योंकि इस अवधि के दौरान, एनपीए को घटिया संपत्ति के रूप में वर्गीकृत किया गया है।* पाँचवें, यह तर्क दिया गया कि धारा 29क में अयोग्य घोषित किए गए व्यक्तियों के संबंधियों को अयोग्य ठहराना है। न्यायालय ने कहा कि *''परिभाषा भाग में निहित अभिव्यक्ति "संबंधित पक्ष" और "संबंधी" को स्पष्टीकरण–I में विहित व्यक्तियों की श्रेणियों के साथ समाज को पढ़ना चाहिए और इसलिए पढ़ा जाता है, इसमें केवल वे लोग शामिल होंगे, जो प्रस्ताव आवेदक की व्यावसायिक गतिविधि के साथ जुड़े हुए हैं।* अंत में, यह तर्क दिया गया कि धारा 29क से एमएसएमई की छूट मनमाना है। न्यायालय ने कहा कि *"यह तब तक मनमाना नहीं है जब तक कि धारा 29क(ग) और 29क(ज) में निर्धारित पात्रता मानदंड से ऐसे उद्योगों को बाहर करने का औचित्य नहीं है, क्योंकि ऐसे उद्योगों को अर्हता मानदंड से बाहर करने से अन्य समाधान आवेदक आगे नहीं आयेंगे, जिससे अनिवार्य रूप से समाधान नहीं होगा, बल्कि परिसमापन की ओर बढ़ेगा।"*

न्यायालय ने धारा 12क की वैधता की भी जांच की, जिसे चुनौती दी गई कि यह अनुच्छेद 14 का उल्लंघन है, क्योंकि मोटे तौर पर धारा 12क के अधीन याचिका वापस लेने के लिए सीओसी के नब्बे प्रतिशत की मंजूरी की आवश्यकता होती है। न्यायालय ने जोर देकर कहा कि दिवाला कार्यवाही एक संपर्क है, न कि पक्षों के बीच विघटन। परिणामस्वरूप, और जैसा कि आईएलसी की रिपोर्ट में भी बताया गया है *"सभी वित्तीय लेनदारों को इस तरह की वापसी की अनुमति देने के लिए अपने प्रमुखों को एक साथ रखना होगा, आमतौर पर, सभी लेनदारों के लिए एक सर्वव्यापी समझौता, जिसे आदर्श रूप में दर्ज किया जाएगा। यह बताता है कि नब्बे फीसदी, जो सभी वित्तीय लेनदारों के लिए है, को व्यक्तिगत निकासी या निपटान के लिए अपनी मंजूरी देनी होगी।''* इसके अलावा, यदि सीओसी मनमाने

ढंग से निकासी के लिए आवेदन को निरस्त कर देता है, तो उनका निर्णय एए या अपीलीय प्राधिकरण द्वारा अलग रखा जा सकता है। इसे देखते हुए न्यालालय ने इस उपबंध की वैधता को बरकरार रखा।

न्यायालय के सामने बड़ी संख्या में चुनौतियां उन उपबंधों के विरुद्ध थीं, जिनके अनुसार एफसी और ओसी अलग–अलग माने जाते हैं। सबसे पहले, उच्चतम न्यायालय ने कहाः *'वित्तीय ऋण ब्याज, यदि कोई हो, के साथ ऋण है, जो पैसे के समय मूल्य के विचार के विपरीत है। इसके अलावा यह ऐसा धन हो सकता है जो धारा 5(8) या अन्यथा में निर्दिष्ट किसी भी विधि से उधार लिया गया हो अथवा अर्जित किया गया हो, क्योंकि धारा 5(8) में इसकी समावेशी परिभाषा दी गई है। दूसरी ओर, 'ऑपरेशनल ऋण' में माल या सेवाओं के उपबंध के लिए दावा शामिल होगा, जिसमें रोजगार भी शामिल है, या किसी कानून के अधीन देय देयताओं के भुगतान के संबंध में ऋण और सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकारी को देय धन शामिल होगा।'* यह बीएलआरसी की अंतिम रिपोर्ट, दि दिवाला एंड बैंकरप्टसी बिल, 2015 के खंड 8 और आईएलसी की रिपोर्ट में मोटे तौर पर एफसी और ओसी के बीच के अंतर को निर्धारित किया गया है, *'अधिकांश वित्तीय लेनदार, विशेष रूप से बैंक और वित्तीय संस्थाएं, प्रत्याभूतित लेनदार हैं, जबकि अधिकांश प्रचालन लेनदार अप्रत्याभूतित हैं, माल और सेवाओं के लिए भुगतान और साथ ही श्रमिकों को भुगतान को गिरवी दस्तावेजों और इसी तरह के दास्तावेजों से प्रत्याभूत नहीं किया जा रहा है।'* यह एफसी और ओसी के साथ दर्ज किए गए समझौतों की प्रकृति के बीच प्रतिष्ठित है, जहां पूर्व में आम तौर पर कार्यशील पूंजी या सावधि ऋण के लिए उधार दिया जाता है और इसमें बाद की तुलना में अधिक मात्रा में धन शामिल होता है, जहां समझौता ज्यादातर माल और सेवाओं की आपूर्ति से संबंधित होता है। इसलिए, दोनों के बीच का अंतर तर्कसंगत सांठ–गांठ के साथ समझदारीपूर्ण भिन्नता पर आधारित है, जिसे संहिता द्वारा प्राप्त करने का प्रयोजन रखा गया है। दूसरे, उच्चतम न्यायालय ने इस बात पर प्रकाश डाला कि एफसी और ओसी के बीच सबसे महत्वपूर्ण अंतर यह है कि *"वित्तीय लेनदार शुरुआत से ही कारपोरेट देनदार की व्यवहार्यता का आकलन करने में शामिल हैं। वे वित्तीय तनाव होने पर कारपोरेट ऋणदाता के व्यवसाय के पुनर्गठन के साथ–साथ ऋण के पुनर्गठन में संलग्न हो सकते हैं, जो कि परिचालन लेनदार नहीं कर सकते हैं और नहीं कर सकते हैं।'* यह विधायी और मामले के कानून के विकास पर निर्भर करता था, जो ओसी को निष्पक्ष और न्यायसंगत उपचार की गारंटी देता था, यह सुनिश्चित करने के लिए कि केवल एफसी को सीओसी के हिस्से के रूप में मतदान का अधिकार देने वाले उपबंध मान्य हैं। तीसरा, कोर्ट ने विश्लेषण किया कि क्या ओआईआर और एफसी द्वारा सीआईआरपी को उत्प्रेरित करने की प्रक्रिया में अंतर मनमाना था। यह माना जाता है कि चूंकि एफसी को यह साबित करना है कि ठोस दस्तावेज के आधार पर "व्यतिक्रम" है, या एक आईयू में जानकारी जो आसानी से पुष्टि योग्य है, यह उचित था कि उन्हें सीडी के लिए मांग नोटिस देने की आवश्यकता नहीं थी। यह सीडी के लिए मांग नोटिस देने के लिए ओसी पर लगाई गई अनिवार्यता के विपरीत है, जो केवल देयता के भुगतान के अधिकार का दावा करता है जो देय हो सकता है।' अंत में, संहिता की धारा 53 की वैधता को इस आधार पर चुनौती दी गई कि यह ओसी के प्रति भेदभावपूर्ण है। न्यायालय ने माना कि दो प्रकार के ऋणों के सापेक्ष महत्व को देखते हुए, विशेष रूप से अर्थव्यवस्था में पूंजी की उपलब्धता को बढ़ावा देने के लिए वित्तीय ऋणों के पुनर्भुगतान के महत्व को, वैध ब्याज की धारा 53 द्वारा संरक्षित किया जा रहा है। इस प्रकार, ओसी के विरुद्ध भेदभाव नहीं किया गया है या अनुच्छेद 14 को या तो बराबरी की जमीन पर असमान रूप से या जानबूझ कर मनमानीपूर्ण ढंग से आरोपित नहीं किया गया है।

धारा 29क की वैधता के विरुद्ध कई चुनौतियां भी उठाई गईं। इस खंड की वैधता को इस आधार पर चुनौती दी गई थी कि पहले, इसके पास पूर्वव्यापी आवेदन था। न्यायालय ने माना कि चूंकि आरए को समाधान प्रक्रिया में इस तरह के विचार के लिए एक निहित अधिकार नहीं है, इसलिए अनुभाग को पूर्वव्यापी नहीं माना जा सकता है। दूसरे, यह तर्क दिया गया था कि धारा 29क(ग) उन प्रवर्तकों के साथ समानता के रूप में असमानता रखती है, जिन्होंने उन लोगों के साथ बराबरी का व्यवहार नहीं किया जो उनके साथ थे। न्यायालय ने कहा कि धारा 29क का उद्देश्य अपराधियों के अलावा अन्य व्यक्तियों या उन लोगों पर लागू करना था जो कुरूप थे, और यह धारा के विधायी उद्देश्य से उचित था। तीसरा, यह तर्क दिया गया था कि धारा 29 क के अधीन अयोग्य घोषित किए गए व्यक्तियों पर रोक लगाने से सीडी की किसी भी संपत्ति को परिसमापन में खरीदने से सीडी की संपत्ति के मूल्य को अधिकतम करने के उद्देश्य के विपरीत होगा। इस विवाद को इस आधार पर निरस्त कर दिया गया था कि विधायी उद्देश्य परिसमापन के मामले में भी लागू रहेगा। चौथा, यह तर्क दिया गया कि आवेदन करने की अयोग्यता के लिए धारा 29क में निर्धारित एक वर्ष की अवधि मनमानी और बिना आधार के थी। न्यायालय ने कहा कि यह विधायी नीति थी कि ऐसा व्यक्ति जो एक वर्ष की अनुग्रह अवधि से परे अपने स्वयं के ऋण का भुगतान करने में असमर्थ रहता है, वह आरए बनने के लिए पात्र होने के लिए अयोग्य है, और *''इस नीति में कोई त्रुटी नहीं पाई जा सकती है।''* न ही एक वर्ष की अवधि में त्रुटी पाई जा सकती है, क्योंकि यह आरबीआई द्वारा तय किया गया नीतिगत मामला है और इसे इसके मास्टर परिपत्र में दर्शाया गया है, क्योंकि इस अवधि के दौरान, एनपीए को घटिया संपत्ति के रूप में वर्गीकृत किया गया है। ''पाँचवें, यह तर्क दिया गया कि धारा 29क में अयोग्य घोषित किए गए व्यक्तियों के संबंधियों को अयोग्य ठहराना है। न्यायालय ने कहा कि परिभाषा भाग में निहित अभिव्यक्ति 'संबंधित पक्ष' और "संबंधी" को स्पष्टीकरण–I में विहित व्यक्तियों की श्रेणियों के साथ समाज को पढ़ना चाहिए और इसलिए पढ़ा जाता है, इसमें केवल वे लोग शामिल होंगे, जो प्रस्ताव आवेदक की व्यावसायिक गतिविधि के साथ जुड़े हुए हैं।'' अंत में, यह तर्क दिया गया कि धारा 29क से एमएसएमई को छूट मनमानी है। न्यायालय ने कहा कि यह तब तक मनमानी नहीं है जब तक कि धारा 29क(ग) और 29क(ज) में निर्धारित पात्रता मानदंड से ऐसे उद्योगों को बाहर करने का औचित्य नहीं है, क्योंकि ऐसे उद्योगों को अर्हता मानदंड से बाहर करने से अन्य समाधान आवेदक आगे नहीं आयेंगे, जिससे अनिवार्य रूप से समाधान नहीं होगा, बल्कि परिसमापन की ओर बढेगा।

न्यायालय ने धारा 12क की वैधता की भी जांच की, जिसे चुनौती दी गई कि यह अनुच्छेद 14 का उल्लंघन है, क्योंकि मोटे तौर पर धारा 12क के अधीन याचिका वापस लेने के लिए सीओसी के नब्बे प्रतिशत की मंजूरी की आवश्यकता होती है। न्यायालय ने जोर देकर कहा कि दिवाला कार्यवाही एक संपर्क है न कि पक्षों के बीच विघटन। परिणामस्वरूप, और जैसा कि आईएलसी की रिपोर्ट में भी बताया गया है *"सभी वित्तीय लेनदारों को इस तरह की वापसी की अनुमति देने के लिए अपने प्रमुखों को एक साथ रखना होगा, आमतौर पर, सभी लेनदारों के लिए एक सर्वव्यापी समझौता, जिसे आदर्श रूप में दर्ज किया जाएगा। यह बताता है कि नब्बे फीसदी, जो सभी वित्तीय लेनदारों के लिए है, को व्यक्तिगत निकासी या निपटान के लिए अपनी मंजूरी देनी होगी।''* इसके अलावा, यदि सीओसी मनमाने ढंग से निकासी के लिए आवेदन को निरस्त कर देता है, तो उनका निर्णय एए

या अपीलीय प्राधिकरण द्वारा अलग रखा जा सकता है। इसे देखते हुए न्यायालय ने इस उपबंध की वैधता को बरकरार रखा।

यह बताया गया कि निजी आईयू में संग्रहीत जानकारी व्यतिक्रम का निर्णायक प्रमाण नहीं होना चाहिए, और यह कि ये आईयू उचित मानदंडों द्वारा नियंत्रित नहीं हैं। न्यायालय ने भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (सूचना उपयोगिताएँ) विनियमन, 2017 को ध्यान में रखा और कहा कि *"उपरोक्त विनियमन यह भी स्पष्ट करते हैं कि इस तरह की उपयोगिता के रजिस्ट्रीकरण की कठोर अपेक्षाओं के अलावा, व्यतिक्रम की पल–पल की जानकारी प्राप्त होती है। यह जानकारी ऋण के लिए सभी दलों और निश्चितताओं को सूचित की जाए। इसके अलावा, उपयोगिता यह है कि सूचना का प्रमाणीकरण और सत्यापन की प्रक्रिया त्वरित रूप से शुरू की जाए, जिसमें उस ऋण प्राप्तकर्ता से प्रमाणीकरण और सत्यापन शामिल होगा, जिसने व्यतिक्रम किया है। यह मामला इस तथ्य के साथ युग्मित होने के नाते कि इस तरह का साक्ष्य, जैसा कि सुविज्ञ अटॉर्नी जनरल द्वारा स्वीकार किया गया है, व्यतिक्रम का केवल प्रथम–दृष्टया साक्ष्य है, जो कारपोरेट देनदार द्वारा खंडन योग्य है, यह स्पष्ट करता है कि इस आधार पर चुनौती भी असफल होनी चाहिए।"*

यह भी तर्क दिया गया कि गैर–न्यायिक प्राधिकरण यानी आरपी को न्यायनिर्णयन अधिकार देकर, न्याय करने और न्याय तक पहुंच के बुनियादी पहलुओं का उल्लंघन होगा। इस विवाद को न्यायालय ने इस आधार पर भी निरस्त कर दिया कि *''समाधान वृत्तिक वास्तव में समाधान प्रक्रिया का सूत्रधार है, जिसके प्रशासनिक कार्य लेनदारों की समिति और न्यायनिर्णयन द्वारा देखरेख किए जाते हैं।''*

उच्चतम न्यायालय ने माना कि संहिता में निहित प्रयोग, इसके प्रावधानों की व्यापकता को देखते हुए और न ही तथाकथित असमानताओं द्वारा, जिन्हें याचिकाकर्ताओं द्वारा इंगित किया गया है, संवैधानिक मस्टर को पारित करता है। यह देखा गया कि संहिता के लागू होने से, व्यतिक्रम का अवसर समाप्त हो गया है।

धारा 29क की प्रयोज्यता

धारा 29क को संहिता में अंतःस्थापित किया गया था क्योंकि *''चिंताएं उठाई गई थीं कि जो लोग अपने कदाचार के साथ कंपनियों के व्यतिक्रम में योगदान करते हैं या अन्यथा अवांछनीय हैं, इस स्थिति का दुरुपयोग निषेध या प्रतिबंध प्रक्रिया में भाग लेने या प्रतिबंध की कमी के कारण कारपोरेट देनदार का नियंत्रण हासिल या पुनः प्राप्त कर सकते हैं। यह संहिता में निर्धारित प्रक्रियाओं को कमजोर कर सकता है क्योंकि लेन–देन की कीमत पर बेईमान व्यक्ति को पुरस्कृत किया जा सकता है। इसके अलावा, यह जांचने के लिए कि अवांछनीय व्यक्ति, जिन्होंने इस तरह के उपबंधों के अभाव में अपनी समाधान योजनाएं प्रस्तुत की हो सकती हैं, लेनदारों की समिति पर यह उत्तरदायित्व आ सकता है कि अतिदेय राशि चुकाने और पात्र बनने के लिए एक उचित अवधि दी जाए।"* [27] यह कई मामलों में विवाद की जड़ बन रहा है।

न्यूमेटल लिमिटेड बनाम बनाम सतीश कुमार गुप्ता (आरपी) और अन्य [28] के मामले में, एए के समक्ष धारा 29क का उल्लेख आया जिसमें यह ठहराया गया है कि जब कोई व्यक्ति धारा 29क के अधीन अयोग्य है तो उसे सीओसी द्वारा अनुमति दी जाएगी, 29क की धारा के अनुसार, अतिदेय राशि का भुगतान करने के लिए ऐसी अवधि तीस दिनों से अधिक नहीं होगी। यह भी आगे कहा गया है कि आरपी को अपात्र घोषित करने से पहले आरए को अवसर प्रदान करने के उद्देश्य से संहिता की धारा 30(4) के साथ पठित धारा 29क(ग) के उपबंध का पालन करना चाहिए।

हालांकि, *विग एसोसिएट्स प्राइवेट लिमिटेड* [29] में, एए द्वारा निर्धारित किया गया है कि सांविधिक व्याख्या के सामान्य सिद्धांत के रूप में, ऐसा संशोधन, जो किसी व्यक्ति के कानूनी अधिकारों को प्रभावित करता है, स्वरूप में अनिवार्यतः पूर्वव्यापी होना चाहिए, जब तक कि कानून द्वारा इसे स्पष्ट या आवश्यक निहितार्थ में पश्च–भावी नहीं माना जाता है, संशोधन, जिसमें धारा 29क जोड़ा गया है, का अनुप्रयोग स्वरूप में पूर्वव्यापी था, जो इस अध्यादेश के रूप में लागू होने की तारीख 23 नवंबर 2017 से प्रभावी हुआ। यह माना गया कि यह शुरू या लंबित कार्यवाही पर लागू नहीं होगा, जो उनके स्वभाव से निरंतरकारी हैं और उन्हें रोका या परिवर्तित नहीं किया जा सकता है। यह माना गया *''...... एक बार इस मामले में या इसी प्रकृति के मामलों में, सीआईआरपी शुरू किया गया और समाधान वृत्तिक ने एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट आमंत्रित किया है, जिसके परिणामस्वरूप समाधान योजना को समाधान आवेदक द्वारा प्रस्तुत किए जाने की तारीख को, लागू उपबंधों के अनुसार स्वीकार किया गया. ...तथ्यात्मक स्थिति यह है कि याचिका को 24 अगस्त 2017 को एनसीएलटी मुंबई के एक आदेश द्वारा स्वीकार किया गया था, क्योंकि इसके विरुद्ध अध्यादेश 23 नवंबर 2017 को सुनाया गया था। लागू की गई समाधान योजना, उचित न्यायनिर्णयन के लिए पात्र है।''*

चित्रा शर्मा और अन्य बनाम भारत संघ और अन्य [30] मामले में उच्चतम न्यायालय ने आरए की पात्रता के प्रश्न से निपटने के लिए, अन्य बातों के साथ–साथ निर्णय दिया कि धारा 29क का प्राथमिक उद्देश्य यह सुनिश्चित करना था कि सीडी के दिवाला होने के लिए जिम्मेदार व्यक्ति पिछले दरवाजे से प्रवेश के माध्यम से सीआईआरपी में भाग न लें। इसमें नोट किया गया कि धारा 29क के खंड (ग) और (छ), जेआईएल की होल्डिंग कंपनी, जयप्रकाश एसोसिएट्स लिमिटेड (जेएएल) को समाधान प्रक्रिया में भाग लेने से निष्कासित करते हैं, क्योंकि यह संहिता के अनुशासन के लिए गंभीर पूर्वाग्रह पैदा करेगी और संविधि के आरंभिक उपबंधों को शून्य कर देगी।

आर्सेलर मित्तल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड बनाम सतीश कुमार गुप्ता और अन्य [31] मामले में आगे स्पष्टता प्रदान की गई थी। जिसमें उच्चतम न्यायालय ने कहा कि धारा 29क निहित व्यक्तियों की कानूनी स्थिति के विपरीत वास्तविक तथ्य है। यह उपबंध "विशिष्ट अभिज्ञानकारी उपबंध'' है ताकि कोई व्यक्ति उन लोगों को देख सके जो वास्तव में संयुक्त रूप से या तारतम्य में 'नियंत्रण' में हैं। धारा 29क की उद्देश्यपूर्ण और प्रासंगिक व्याख्या वास्तविक व्यक्तियों या संस्थाओं का पता लगाने के लिए आवश्यक है जो समाधान योजना प्रस्तुत करने के लिए संयुक्त रूप से या तारतम्य में कार्य कर रहे हैं। जब आरए द्वारा समाधान योजना प्रस्तुत की जाती है, तो अपात्रता को भी संलग्न किया जाता है।

स्विस रिबन प्राइवेट लिमिटेड और अन्य बनाम भारत संघ और अन्य [32] मामले में उच्चतम न्यायालय के समक्ष धारा 29क की वैधता को भी चुनौती दी गई थी। धारा 29क की वैधता को चुनौती दी गई थी। यह तर्क दिया गया था कि धारा 29क का पूर्वव्यापी आवेदन समाधान प्रक्रिया में भाग लेने के साथ–साथ परिसमापन प्रक्रिया में भाग लेने के लिए पूर्ववर्ती प्रवर्तकों के निहित अधिकारों का पूर्वाग्रह करता है। न्यायालय ने कहा कि *"यह कानून मात्र इसलिए पूर्वव्यापी नहीं है क्योंकि यह मौजूदा अधिकारों को प्रभावित करता है; न ही यह केवल इसलिए पूर्वव्यापी है क्योंकि इसकी कार्रवाई की अपेक्षाओं का एक भाग इसके पारित होने का पूर्ववर्ती है।''* धारा 35(1)(च) का परंतुक, जो परिसमापन में धारा 29क के समानांतर उपबंध

[27] दिवाला और षोधन अक्षमता संहिता (संशोधन) अधिनियम, 2017 के साथ संलग्न आपत्तियों व कारणों का विवरण।

[28] सीपी(आईबी) नं. 40/7/एनसीएलटी/एएचएम/2017 में आईए नं. 98, 110–112 और 121/एनएलसीटी/एएचएम/2018

[29] सीपी(आईबी) नं. 1214/आईएण्डबीसी/एनसीएलटी/एमएएच/2017 में 2018 का एम.ए. सं. 435.

[30] अन्य रिट याचिकाओं और एसएलपी के साथ रिट याचिका (सिविल) सं– 744/2017–

[31] अन्य सिविल अपीलों के साथ 2018 की सिविल अपील सं. 9402–9405.

[32] अन्य रिट याचिकाओं के साथ 2018 की रिट याचिका (सिविल) सं– 99

है, को चुनौती देने के संबंध में, न्यायालय ने कहा कि *"इस निर्णय में पहले जो औचित्य प्रदान किया गया है, वह इस परंतुक पर भी लागू होगा। परिसमापन में कारपोरेट देनदार की अचल और चल संपत्ति के लिए बोली लगाने के लिए कारपोरेट देनदार के पूर्ववर्ती प्रवर्तक को कोई निहित अधिकार नहीं है। इसके अलावा, उन लोगों की श्रेणियों को देखते हुए, जो धारा 29क के अधीन अपात्र हैं, जिनमें ऐसे व्यक्ति शामिल हैं, जो कदाचारी हैं या ऐसे व्यक्ति जो किसी तरह से कानून की गिरफ्त में आ गए हैं, और ऐसे व्यक्ति जो अनुग्रह अवधि के भीतर अपने ऋण का भुगतान करने में असमर्थ हैं, को इस परंतुक द्वारा कारपोरेट देनदार की परिसंपत्तियों को खरीदने से रोक दिया गया है, जिनके ऋण या तो वसीयत में नहीं हैं या भुगतान करने में असमर्थ हैं। विधायी उद्देश्य जो धारा 29क की अनुमति देता है, वह धारा को तब तक लागू करना जारी रखता है जब तक यह न केवल समाधान आवेदकों पर लागू होता है, बल्कि परिसमापन के लिए भी होता है।"* याचिकाकर्ताओं ने यह भी तर्क दिया कि ऐसा व्यक्ति, जो अन्यथा आरए होने के लिए योग्य है, को केवल इस आधार पर आरए बनने से अयोग्य नहीं ठहराया जा सकता है कि वह अयोग्य व्यक्ति का रिश्तेदार है। न्यायालय ने कहा कि *"हमारा विचार है कि जो व्यक्ति संयुक्त रूप से या दूसरों के साथ मिलकर काम करते हैं, वे समाधान आवेदक की व्यावसायिक गतिविधि से जुड़े होते हैं। इसी तरह, धारा 5(24क) में उल्लिखित सभी श्रेणियों से पता चलता है कि ऐसे व्यक्तियों को धारा 29क(जे) के अर्थ के भीतर समाधान आवेदक के साथ "जुड़ा" होना चाहिए। यह मामला होने के नाते, उन व्यक्तियों की उक्त श्रेणियां जिनका सामूहिक रूप से शीर्षक 'रिश्तेदार' के अधीन उल्लेख किया गया है, को स्पष्ट रूप से समाधान आवेदक की व्यावसायिक गतिविधि के साथ संबंध होना चाहिए। इस प्रकार, संबंधित पक्षों के लिए धारा 29क की प्रयोज्यता प्रतिबंधित कर दी गई।"*

इस प्रकार, यह माना गया कि धारा 29क एक न्यायसंगत विधायी नीति विकल्प पर आधारित है कि जो व्यक्ति अपने स्वयं के ऋण का भुगतान करने में असमर्थ है, वह आरए होने के लिए अयोग्य है। समाधान योजना प्रस्तुत करने के लिए आरए की पात्रता स्थापित करने के लिए, यह योजना प्रस्तुत करने के समय पर ही निर्धारित किया जाना चाहिए। इसके अलावा, यह धारा 29क के अधीन अयोग्य व्यक्तियों के उन संबंधित पक्षों पर लागू होता है जो अपात्र व्यक्ति की व्यावसायिक गतिविधि से जुड़े होते हैं।

संहिता का अधिभावी प्रभाव

उच्चतम न्यायालय ने *मैसर्स इन्नोवेंटिव इंडस्ट्रीज लिमिटेड बनाम आईसीआईसीआई बैंक और अन्य* [33] मामले में संहिता की धारा 238 में अन्यथा खंड पर विचार किया और महाराष्ट्र राहत उपक्रम (विशेष उपबंध) अधिनियम, 1958 सहिंता के आलोक में असंगत हो गया चूँकि संहिता जैसा समेकित और संशोधन कारी अधिनियम *"अपने आप में परिपूर्ण सहिंता है और इसके अधीन निपटाए जाने वाले मामलों के लिए कारगर है"* और *"वर्तमान मामले में यह स्पष्ट है, इसलिए कि जब तक महाराष्ट्र अधिनियम को किनारे नहीं किया जाता, संसदीय अधिनियमन में बाधा आएगी और ऐसे बाधक होगा कि संहिता में उल्लिखित समाधान प्रक्रिया के साथ आगे बढ़ना संभव नहीं होगा।"* इसने आगे कहा *"यह स्पष्ट है कि संसदीय अधिनियमन के बाद के अप्रतिबंधित खंड भी महाराष्ट्र अधिनियम की धारा 4 में निहित सीमित गैर–रुकावटी खंड पर हावी रहेंगे।"*

इसी तरह का एक मुद्दा *लियो एडिबल्स एंड फैट्स लिमिटेड बनाम कर वसूली अधिकारी (केन्द्रीय), आयकर विभाग, हैदराबाद और अन्य* [34] मामले में उच्च न्यायालय (एचसी) के विचार के लिए आया, जहां यह माना गया कि यदि कोई निर्धारिती कंपनी संहिता के अधीन परिसमापन में है, तो आयकर विभाग उक्त कंपनी से कर के बकाया की निकासी के संबंध में प्राथमिकता का दावा नहीं कर सकता है। उच्च न्यायालय ने आगे स्पष्ट किया कि आयकर विभाग केवल प्राथमिकता का दावा नहीं कर सकता है क्योंकि अनुलग्नक का आदेश संहिता के अधीन परिसमापन कार्यवाही शुरू करने से पहले था। यह माना गया कि आयकर अधिनियम की धारा 220 और 222 आवश्यक रूप से धारा 238 के द्वारा, संहिता के अधिभावी प्रभाव के अध्यधीन होगी।

उच्चतम न्यायालय ने *प्रधान आयकर आयुक्त बनाम मोनेट इस्पात एंड एनर्जी लिमिटेड*[35] मामले में स्पष्ट किया कि संहिता की धारा 238 के मद्देनजर संहिता के उपबंध आयकर अधिनियम सहित किसी भी अन्य अधिनियमन में निहित किसी भी चीज को ओवरराइड करेंगे। इसके अलावा, *के. किशन बनाम मैसर्स विजय निर्माण कंपनी प्रा. लिमिटेड* [36] मामले में उच्चतम न्यायालय ने यह माना कि धारा 238 उस मामले में लागू होगी जिसमें संहिता और मध्यस्थता अधिनियम के बीच असंगतता होगी।

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 434 और संहिता के प्रावधानों के बीच असंगति के मुद्दे पर *जयपुर मेटल्स एंड इलेक्ट्रिकल्स एम्प्लॉइज ऑर्गनाइजेशन बनाम जयपुर मेटल्स एंड इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड और अन्य* [37] में उच्चतम न्यायालय ने कहा कि उत्तरार्द्ध प्रबल होना चाहिए। यह विचार किया गया कि एनसीएलटी एक सुरक्षित एफसी द्वारा स्थापित एक स्वतंत्र कार्यवाही के लिए संहिता की धारा 238 को लागू करने में बिल्कुल सही था, और उच्च न्यायालय के समक्ष लंबित कंपनी याचिका को संहिता की धारा 238 के मद्देनजर आगे नहीं बढ़ाया जा सकता है।

सीआईआरपी के लिए समय-सीमा

संहिता को दिए गए लंबे शीर्षक में कहा गया है कि यह कारपोरेट व्यक्तियों, साझेदारी फर्मों और व्यक्तियों के पुनर्गठन और दिवाला समाधान के लिए एक अधिनियम है, जो ऐसे व्यक्तियों की संपत्ति के मूल्य के इष्टतमीकरण के लिए समयबद्ध तरीके से कार्य करती है। संहिता सीआईआरपी की विभिन्न कार्यकलाप के लिए समयसीमा निर्धारित करती है। यह कई बार न्यायालयों के विचार पर आया। *इनोवेटिव इंडस्ट्रीज लिमिटेड बनाम आईसीआईसीआई बैंक और अन्य* [38] मामले में उच्चतम न्यायालय ने तर्क दिया: *"गति दो कारणों से शोधन अक्षमता संहिता के कार्यकरण का सार है। सबसे पहले, जबकि शमन अवधि 'किसी संगठन को बचाए रखने में मदद कर सकती है ,स्वामित्व और नियंत्रण की पूरी स्पष्टता के बिना, महत्वपूर्ण निर्णय नहीं किए जा सकते हैं। प्रभावी नेतृत्व के बिना, फर्म अतिसार में विफल हो जाएगी। विलंब जितना लंबा होगा, यह होने की संभावना अधिक होगी कि परिसमापन एकमात्र उत्तर होगा। दूसरा, परिसमापन मूल्य समय के साथ नीचे चला जाता है क्योंकि कई संपत्तियां मूल्यह्रास की उच्च आर्थिक दर से ग्रस्त हो जाती हैं। लेनदारों के दृष्टिकोण से, अच्छी वसूली को आम तौर पर प्राप्त किया जा सकता है यदि फर्म को चालु हालत में बेचा जाता है। इसलिए, जब विलंब तरलीकरण को प्रेरित करता है, तो मूल्य विनाश होता है। इसके अलावा, परिसमापन में भी, विलम्ब होने पर बोध कम होता है। इसलिए, देरी मूल्य विनाश का कारण बनती है। इस प्रकार, एक उच्च वसूली दर प्राप्त करना मुख्य रूप से देरी के स्रोतों की पहचान करना और उनका मुकाबला करना है।"*

क्विन लॉजिस्टिक्स इंडिया प्रा. लिमिटेड बनाम मैक सॉफ्ट टेक प्रा. लिमि. और अन्य [39] मामले में, हालांकि, अपीलीय प्राधिकरण ने टिप्पणी की कि एए/अपीलीय अधिकरण के लिए, तथ्य और परिस्थितियों के औचित्य को सही ठहराते हुए, 270

[33] 2017 की सिविल अपील सं. 8337–8338
[34] 2019 की रिट याचिका सं. 8560
[35] अन्य एसएलपी (सिविल) के साथ ,एसएलपी (सिविल) सं– 6483/2018 के लिए यचिकाएं।
[36] 2017 की सिविल अपील सं. 21824–21825
[37] 2018 की सिविल अपील सं. 12023
[38] 2017 की सिविल अपील सं. 8337–8338.
[39] 2018 की कंपनी अपील (एटी) (दिवाला) सं. 185

दिनों की कुल अवधि की गणना के उद्देश्य से निश्चित अवधि को निष्कासित करने का विकल्प अप्रत्याशित परिस्तिथियों को छोड़ कर हमेशा खुला रहता है। यह 270 दिनों की कुल अवधि की गणना के लिए हस्तक्षेप की अवधि को छोड़कर, निम्नलिखित अच्छे आधार और अप्रत्याशित परिस्थितियों को सूचीबद्ध करता है: – (क) यदि सीआईआरपी कानून की न्यायालय, एए, अधिकरण या उच्चतम न्यायालय; (ख) यदि सीआईआरपी के दौरान कोई आरपी एक या अन्य कारण से काम नहीं कर रहा है, जैसे निष्कासन; (ग) प्रवेश/अधिस्थगन के आदेश की तारीख के बीच की अवधि और वास्तविक तिथि जिस पर आरपी सीआईआरपी को पूरा करने के लिए प्रभार लेता है; (घ) एक मामले की सुनवाई पर, यदि एए, अपीलीय अधिकरण, या उच्चतम न्यायालय ने आदेश सुरक्षित रखा और अंत में पारित आदेश आरपी को सीआईआरपी को पूरा करने में सक्षम बनाता है; (ङ) यदि सीआईआरपी को अपीलीय अधिकरण द्वारा अलग रखा गया है या अपीलीय अधिकरण के आदेश को उच्चतम न्यायालय द्वारा उलट दिया गया है और सीआईआरपी को बहाल कर दिया गया है; और (च) कोई अन्य परिस्थितियाँ जो निश्चित अवधि के बहिष्कार को उचित ठहराती हैं।

आर्सेलर मित्तल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड बनाम सतीश कुमार गुप्ता और अन्य [40] में उच्चतम न्यायालय ने स्पष्ट रूप से कहा कि सीआईआरपी को पूरा करने की पूरी समयावधि कड़ाई स्वरूप में अनिवार्य है और इसे बढ़ाया नहीं जा सकता। यह संहिता के प्राथमिक उद्देश्य पर निर्भर करता था, जो एक सीडी के लिए समय पर समाधान प्रक्रिया को सुनिश्चित करना है, और यह सुनिश्चित करने के लिए वैधानिक व्याख्या के सिद्धांत हैं कि धारा 12 की शाब्दिक भाषा समय सीमा का कड़ाई से पालन करती है। संहिता में प्रदान की गई बाहरी समय–सीमा के इस पालन को सक्षम करने के लिए, न्यायालय ने यह भी कहा कि दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (कारपोरेट व्यक्तियों के लिए दिवाला समाधान) विनियमन, 2016 के विनियमन 40क में प्रदान की गई मॉडल समयावधि का पालन, जहा तक संभव हो, किया जाना चाहिए। इसी मामले में, न्यायालय ने विशेष रूप से इस मुद्दे से निपटाया कि क्या मुकदमेबाजी में लगने वाले समय को संहिता में प्रदान की गई बाहरी समय सीमा से बाहर रखा जा सकता है या नहीं और कहा कि ऐसा किया जा सकता है। *"इस संविधि का उचित और संतुलित निर्माण इसलिए यह परिणाम देगा कि जहाँ प्रस्ताव योजना को अपीलीय प्राधिकरण द्वारा बरकरार रखा जाता है, या तो इसके पहले अपील की अनुमति देने या निरस्त करने के तरीके से, मुकदमे में लगने वाले समय की अवधि को बाहर रखा जाना चाहिए। यह कहना आवश्यक नहीं है कि निर्णय लेने में एनसीएलटी और एनसीएलएटी की भूमिका कितनी कठिन होगी। केवल इतना कहना है कि एनसीएलटी, या एनसीएलएटी, या इस न्यायालय की स्थिति में 270 दिनों की अवधि से अधिक की अर्जी पर निर्णय लेने के लिए, कानूनी कार्यवाही में निर्णय लेने में लगने वाले समय को संभवतः बाहर नहीं रखा जा सकता है, अन्यथा एक अच्छी समाधान योजना को समाप्त करना पड़ सकता है, जिसके परिणामस्वरूप कारपोरेट का अवसान हो सकता है, और परिणामस्वरूप, कर्मचारियों और श्रमिकों का विस्थापन हो सकता है।"* इसमें कहा गया है कि एक्टस क्यूरि नीमिनम ग्रावबिट – न्यालालय के कृत्य से किसी आदमी को नुकसान नहीं होगा – यह न्यायशास्त्र में निहित एक कहावत है। इसलिए, अधिकरण द्वारा शून्य समय निर्धारित नहीं किया जाना चाहिए जिसके भीतर सीआईआरपी को पूरा किया जाए।

हालांकि, वैधानिक बाहरी समय सीमा को बढ़ाया नहीं जा सकता है, यह सीओसी द्वारा निर्धारित प्रक्रियाओं के लिए आंतरिक समयसीमा पर लागू नहीं होता है, जब तक कि वे वैधानिक बाहरी समय सीमा के भीतर नहीं होते हैं। *टाटा स्टील लिमिटेड बनाम लिबर्टी हाउस ग्रुप प्रा. लिमिटेड और अन्य*[41] मामले में 'प्रक्रिया दस्तावेज' के खंड को देखते हुए, अपीलीय अधिकरण ने कहा कि सीओसी के पास किसी भी समय समाधान प्रक्रिया को अपडेट करने, संशोधन करने, पूरक करने, जोड़ने, विलंब, रोकने या रद्द करने का विवेक है और *'समाधान वृत्तिक लेनदारों की समिति' के परामर्श से व्यावसायिक कंपनी के लिए सर्वश्रेष्ठसमाधान योजना प्राप्त करने के लिए समीचीन होने पर अपने विवेक पर समयसीमा का विस्तार कर सकते हैं। इसलिए, सभी पात्र समाधान आवेदकों को अपने वित्तीय प्रस्तावों को संशोधित करने 'के लिए अधिक अवसर प्रदान करना, यहां तक कि अधिक अवसर देना, कानून में स्वीकार्य है। हालांकि, ऐसी सभी प्रक्रिया समय सीमा के भीतर पूरी होनी चाहिए।"*

इस प्रकार, न्यायिक व्याख्या ने समय–सीमा का समर्थन किया है और इस उद्देश्य को बढ़ावा दिया है कि इस समय के विभिन्न हिस्सों का पालन किया जाए और धारा 12 में दी गई बाहरी समय–सीमा को बढ़ाया नहीं जा सकता है। हालाँकि, निश्चित समय अवधि को दिवाला समाधान प्रक्रिया के लिए कुल समय अवधि की गणना से बाहर रखा जा सकता है, जिसमें मुकदमेबाजी में लिया गया समय भी शामिल है।

गारंटीदाता की देनदारी

अनुबंध विधि के अधीन, गारंटीदाता की देनदारी मुख्य देनदार के साथ सह–व्यापक होती है। दूसरे शब्दों में, एक प्रमुख देनदार की देनदारी और एक जमानत की देनदारी अलग और सह–व्यापक देयताएं हैं। जमानत के विरुद्ध उपाय करने से पहले लेनदार प्रमुख देनदार के विरुद्ध अपने उपाय को समाप्त करने के लिए बाध्य नहीं है। तदनुसार, पहले उदाहरण में गारंटीदाता या प्रमुख देनदार के विरुद्ध या दोनों के विरुद्ध आगे बढ़ना संभव है। यदि गारंटी गारंटर के विरुद्ध दावा सफल होता है, तो गारंटर फिर लेनदार के जूते में कदम रखता है और प्रमुख देनदार के विरुद्ध आगे बढ़ सकता है, जिसे पूछताछ के रूप में जाना जाता है। संहिता की धारा 60(2) यह प्रदान करती है कि *"जहां एक कारपोरेट देनदार समाधान प्रक्रिया या एक कारपोरेट देनदार की परिसमापन कार्यवाही राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण के समक्ष लंबित है, ऐसा आवेदन जो दिवाला समाधान या परिसमापन या कारपोरेट गारंटर या व्यक्तिगत शोधन अक्षमता से संबंधित है, गारंटर, जैसा भी मामला हो, ऐसे कारपोरेट देनदार को राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण के समक्ष दायर किया जाएगा।"* इसे देखते हुए, विधायी स्पष्टता है कि सीडी और गारंटर के संबंध में समवर्ती दिवाला कार्यवाही को बनाए रखा जा सकता है।

संजीव श्रिया बनाम भारतीय स्टेट बैंक और अन्य [42] मामले में इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने विचार किया कि क्या गारंटीदाता के विरुद्ध ऋण वसूली कानून के अधीन कार्यवाही शुरू की जा सकती है, जबकि सीआईआरपी सीडी के विरुद्ध चल रही है। इस मामले में, एसबीआई ने सीडी के पीजी के विरुद्ध कार्यवाही शुरू की और वह सीडी की सीआईआरपी में भाग ले रहा था। हालांकि, उनकी देनदारियों में कमी नहीं आई थी। इस संदर्भ में, न्यायालय ने कहा कि *"पूरी कार्यवाही अभी भी तरल अवस्था में है और कार्यवाही के एक ही कारण के लिए, दो भागों में विभाजन की कार्यवाही डीआरटी के साथ–साथ एनसीएलटी के समक्ष एक साथ नहीं चल सकती हैं।"*

जबकि, बम्बई उच्च न्यायालय ने *मेसर्स सिकोम इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंस लिमिटेड बनाम राजेश कुमार ड्रोलिया और अन्य* [43] मामले में अलग दृष्टिकोण लिया और कहा: *"धारा 14 पूरी तरह से स्पष्ट है। धारा 14 को पढ़ने पर, यह स्पष्ट है कि*

[40] अन्य सिविल अपीलों के साथ 2018 की सिविल अपील सं– 9402–9405

[41] 2018 की कंपनी अपील (एटी) (दिवाला) सं. 198

[42] 2017 की रिट– सिविल सं. –30033 से जुडी 2017 की रिट–सिविल सं. 30285.

[43] 2010 के वाणिज्यिक मुकदमा सं. 44 में 2010 के निर्णय सं. 221 के लिए समन।

इसमें उल्लिखित लाभ और देनदारियां केवल कारपोरेट देनदार और कारपोरेट देनदार के लिए ही हैं। जहां तक लंबित मुकदमों या कार्यवाही को प्रतिबंधित करने या जारी रखने का प्रश्न है, यह केवल दिवाला में कारपोरेट देनदार के विरुद्ध लागू होता है, किसी तीसरे पक्ष जैसे गारंटर के रूप में, कोई व्यक्ति या कारपोरेट गारंटर पर लागू नहीं होता ... संहिता से बिल्कुल स्पष्ट है कि गारंटर (व्यक्तिगत गारंटीदाता या कारपोरेट गारंटर हो) के लिए, कोई स्वचालित सुरक्षा नहीं है। यह केवल तभी होता है जब दिवाला समाधान या तो गारंटीदाता द्वारा या उसके विरुद्ध शुरू किया गया हो (व्यक्तिगत गारंटीदाता या कारपोरेट गारंटीदाता), तब ही स्थगन का लाभ गारंटर को आईबीसी, 2016 के अन्य उपबंधों के पाठ्यक्रम के विषय में उपलब्ध होगा।''

जबकि, *एनसीएलएटी ने भारतीय स्टेट बैंक बनाम रामकृष्णन और अन्य*[44] और *भारतीय स्टेट बैंक बनाम डी. एस. राजेंद्र कुमार*[45] मामले में, विभिन्न मंचों में इस तरह की कार्यवाही के अनुरक्षण संबंधी प्रश्नों पर विचार किया। उन्होंने कहा कि संहिता की धारा 14 के अधीन ऋणों की वसूली या ऋण की वसूली पर कार्यवाही की शुरुआत पर अधिस्थगन का लाभ गारंटर के साथ–साथ सीडी को भी दिया जाएगा।

आईएलसी ने एनसीएलएटी के फैसलों पर गौर किया और इलाहाबाद एचसी ने अपनी चिंता व्यक्त की कि इन फैसलों ने सीडीआरआईआरपी के सीडीआर से गुजरने पर निश्चितता की देनदारियों को रोक दिया। इसने विचार व्यक्त किया कि यह *''गारंटी के अनुबंध के उल्लंघन का कारण बन सकता है, और जिस उद्देश्य के लिए उन्हें दर्ज किया गया है वह उस उद्देश्य को पूरा नहीं करता है''।* रहने और उनकी संपत्ति की रक्षा इसे देखते हुए, उन्होंने संहिता के एक स्पष्ट संशोधन की शुरुआत करने की वकालत की, जिसमें संहिता की धारा 14 के अधीन गारंटियों को स्थगन के दायरे से बाहर रखा गया। परिणामस्वरूप, संहिता की धारा 14 गारंटियों को रोक देने के लिए संशोधित की गई थी।

एक अन्य प्रश्न, जिस पर न्यायालयों द्वारा विचार किया गया कि क्या मुख्य ऋणी के विरुद्ध कार्यवाही किए बिना एक सीजी के विरुद्ध संहिता के अधीन आगे बढ़ना संभव है। *फेरो एलॉयज कार्पोरेषन लिमिटेड बनाम ग्रामीण विद्युतीकरण कार्पोरेषन लिमिटेड*[46] मामले में, एनसीएलएटी ने देखा कि संहिता एफसी को गारंटर के विरुद्ध सीआईआरपी शुरू करने से रोकता है, क्योंकि एक गारंटर संहिता की धारा 3(8) के अधीन प्रदान की गई सीडी की परिभाषा में गारंटर शामिल है। यह देखा गया कि भारतीय अनुबंध अधिनियम, 1872 के उपबंध संहिता में समान व्यवस्था वाले किसी भी एक्सप्रेस उपबंध के अभाव में, गारंटीकर्ता योग्य एफसी के आंतरिक रूप से जुड़े अधिकार, दायित्वों और देनदारियों को नियंत्रित करेंगे। यह माना गया कि मुख्य उधारकर्ता के विरुद्ध सीआईआरपी शुरू करने से पहले सीजी के विरुद्ध सीआईआरपी शुरू करना आवश्यक नहीं है। मुख्य उधारकर्ता के विरुद्ध सीआईआरपी की शुरुआत किए बिना, यह हमेशा एफसी के लिए धारा 7 के अधीन सीआईआरपी शुरू करने के लिए एफसी के लिए खुला होता है, क्योंकि लेनदार भी एफसी योग्य है।

एनसीएलएटी ने *डॉ. विष्णु कुमार अगरवाल बनाम पीरामल एंटरप्राइज लिमिटेड,*[47] मामले में विचार किया कि अगर सीआईआरपी सीजी के विरुद्ध शुरू की जा सकती है, भले ही मुख्य उधारकर्ता कोई कारपोरेट व्यक्ति या सीडी क्यों न हो। यह माना जाता है कि एफसी के लिए यह आवश्यक नहीं है कि वह मुख्य उधारकर्ता के विरुद्ध सीजी शुरू करने से पहले सीजीआर के विरुद्ध पहल करे, क्योंकि लेनदार भी योग्य एफसी है। इस प्रकार, भले ही प्रमुख उधारकर्ता एक कारपोरेट व्यक्ति नहीं है और धारा 7 के अधीन इसके विरुद्ध कोई आवेदन दायर नहीं किया जा सकता है, एफसी को धारा 7 के अधीन सीजी के विरुद्ध आवेदन दायर करने की स्वतंत्रता है। उसी मामले में, एनसीएलएटी ने माना कि अगर सीआईआरपी को एक ही ऋण और व्यतिक्रम के लिए एक साथ दो सीजी के विरुद्ध शुरू किया जा सकता है। एनसीएलएटी ने माना कि मुख्य उधारकर्ता के साथ–साथ सीजी या दोनों गारंटियों के विरुद्ध धारा 7 के अधीन एक साथ दो आवेदन दाखिल करने के लिए संहिता में कोई रोक नहीं है। हालांकि, एक बार एफसी द्वारा दायर धारा 7 के अधीन दावे के आवेदन के एक ही सेट के लिए सीडी (प्रमुख उधारकर्ता या सीजी) के विरुद्ध स्वीकृत कराया जाता है, उसी एफसी द्वारा दावे और व्यतिक्रम के लिए दूसरे एफसी द्वारा दूसरा आवेदन अन्य सीडी (सीजी या प्रमुख उधारकर्ता) के विरुद्ध आरम्भ नहीं किया जा सकता है ।

एक और मुद्दा जो गारंटरों के संबंध में उत्पन्न हुआ है वह सीडी के विरुद्ध अधीनस्थता का उनका अधिकार है जो सीआईआरपी से गुजर चुका है। गारंटीदाताओं ने दलील दी है कि चूंकि उनके पास ऋणी के विरुद्ध अधीनता का अधिकार है, इसलिए समाधान योजनाएं जो उन्हें गारंटीकृत ऋणों के भुगतान के लिए प्रदान नहीं करती हैं, भेदभावपूर्ण होंगी। हालाँकि, इस विवाद को एनसीएलएटी ने *ललित मिश्रा एंड अन्य बनाम शारेन बाईओ मेडिसिन लिमिटेड और अन्य* [48] में निरस्त कर दिया था। पीजी शेयरधारक या प्रवर्तक थे और योजना जो उनके लिए गारंटी के आधार पर भुगतान का प्रावधान नहीं करती, वह भेदभावपूर्ण नहीं होगी और संहिता सीडी के लेनदारों को उनका खर्च और दिवाला प्रक्रियाओं को कम करके उन्हें बचाने के लिए प्रवर्तकों को खुद को पुरस्कृत करने से रोककर उनकी रक्षा करेगी।

प्रचालक ऋण के रूप में सांविधिक बकाया

धारा 5 (21) के अनुसार, 'प्रचालन ऋण' का अर्थ है कि किसी भी विधि के अधीन उत्पन्न होने वाले बकाये के भुगतान के संबंध में माल और सेवाओं के प्रावधान के संबंध में दावा, जो किसी भी विधि के अधीन आने वाले समय में देय हो और केन्द्रीय सरकार, कोई राज्य सरकार या कोई स्थानीय प्राधिकरण को देय हो। *अक्षय झुनझुनवाला बनाम कारपोरेट कार्य मंत्रालय और अन्य* [49] संगठनों के माध्यम से भारत संघ मामले में कलकत्ता उच्च न्यायालय ने माना कि शब्द ''परिचालन ऋण'' में संविधि द्वारा किए गए आरोप के अनुसरण में प्राप्य धन के बारे में सांविधिक प्राधिकरण का दावा भी शामिल होगा।'

परिसमापन के मामले में इस पहलू पर तेलंगाना और आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय ने *लियो एडिबल्स एंड फैट्स लिमिटेड बनाम कर वसूली अधिकारी (केंद्रीय) आयकर विभाग, हैदराबाद और अन्य* [50] के मामले में विचार किया। यह स्वीकार किया कि कुर्की का आदेश पारित करने से संलग्न संपत्ति में संपत्ति के अधिकार का निर्माण नहीं होता है। परिणामस्वरूप, *''संहिता के प्रावधानों के अधीन निर्धारिती कंपनी के परिसमापन के संदर्भ में, आयकर विभाग, सुरक्षित लेनदार नहीं होने के नाते, संहिता की धारा 53 के अनुसार परिसमापन परिसंपत्तियों के वितरण के लिए आवश्यक रूप से सहारा लेना चाहिए। धारा 53(1) केंद्र सरकार और राज्य सरकार के कारण इस तरह के वितरण और किसी भी राशि के लिए प्राथमिकता का आदेश प्रदान करता है, जिसमें भारत के समेकित निधि और राज्य के समेकित निधि के संबंध में प्राप्त होने वाली राशि भी शामिल है। परिसमापन शुरू होने की तारीख से पहले या पूरे दो साल की अवधि का कोई भी हिस्सा खंड (ई) के अधीन प्राथमिकता के क्रम में पांचवें स्थान पर आता है ... इसलिए यह स्पष्ट है कि भारत और राज्यों के समेकित कोष का आदान होने के नाते कर बकाया है, यह स्पष्ट*

[44] 2017 की कंपनी अपील (एटी) (दिवाला) सं. 213.

[45] 2018 के कंपनी अपील (एटी) (दिवाला)सं. 87, 88, 89, 90 और 91.

[46] 2017 की कंपनी अपील (एटी) (दिवाला)सं. 92, 93 और 148

[47] 2018 की कंपनी अपील (एटी) (दिवाला) 346 और 347.

[48] 2018 की कंपनी अपील (एटी) (दिवाला) सं. 164.

[49] 2017 की रिट याचिका संख्या 672.

[50] 2018 की रिट याचिका सं. 8560.

रूप से संहिता की धारा 53(1)(ई) के दायरे में आते हैं। यदि विधायिका ने अपने ज्ञान में, इस तरह के बकायों को प्राथमिकता के क्रम में पांचवां स्थान दिया है, तो यह इस न्यायालय के लिए या उस अंतर्निहित तर्क को खंडित करने के लिए नहीं है।' इसलिए, यहां तक कि जहां वैधानिक प्राधिकरण संपत्तियों की कुर्की के आदेश पारित करते हैं, उनका बकाया प्रतिभूतित ऋण नहीं होगा, और धारा 53 (1)(ई) के दायरे में आएगा। इस प्रकार, वैधानिक बकाया परिचालन ऋण हैं, और ओसी वैधानिक लेनदार हैं।

एनसीएलएटी ने इस मुद्दे पर *प्रधान आयकर महानिदेशक (प्रशासन और टीपीएस) बनाम मैसर्स सिनर्जीज डोराय ऑटोमोटिव लिमिटेड और अन्य* [51] मामले में विचार किया। एनसीएलएटी ने विचार किया कि क्या आयकर, मूल्य वर्धित कर या अन्य वैधानिक देयताएं, जैसे नगरपालिका कर, उत्पाद शुल्क, आदि परिचालन ऋण के अर्थ में आते हैं और क्या केंद्र सरकार, राज्य सरकार या वैधानिक दावा वाले विधि प्राधिकरण, ओसी के अर्थ के भीतर आते हैं। अधिकरण ने माना कि सामान्य पाठ्यक्रम में परिचालन ऋण का मतलब सीडी के संचालन के दौरान उत्पन्न होने वाला ऋण है। केवल जब सीडी चालू है और एक चिंता का विषय है, वैधानिक दायित्व, जैसे आयकर का भुगतान, मूल्य वर्धित कर इत्यादि। आयकर के रूप में, मूल्य वर्धित कर और मौजूदा कानून से उत्पन्न अन्य वैधानिक देयताएँ उत्पन्न होती हैं, जब सीडी चालू होती है, ऐसे वैधानिक बकायों का सीडी के संचालन के साथ सीधा संबंध होता है। इसलिए, सभी वैधानिक बकाया, जिनमें आयकर, मूल्य वर्धित कर आदि शामिल हैं, परिचालन ऋण के अर्थ में आते हैं। परिणामस्वरूप, केंद्र सरकार के आयकर विभाग और राज्य सरकारों के बिक्री कर विभाग (स्थानीय) और स्थानीय प्राधिकरण, जो मौजूदा कानूनों से उत्पन्न बकाया के हकदार हैं, ओसी माने जाते हैं।

समाधान वृत्तिक की भूमिका

आर्सेलर मित्तल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड बनाम सतीश कुमार गुप्ता और अन्य [52] मामले में उच्चतम न्यायालय ने आरपी की भूमिका पर विचार किया। उसने टिप्पणी की कि आरपी के लिए यह जांच करना आवश्यक है कि विभिन्न आवेदकों द्वारा प्रस्तुत समाधान योजना सीओसी को प्रस्तुत किए जाने से पहले सभी प्रकार से पूर्ण है। उसे कोई निर्णय लेने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन केवल कि, इससे पहले कि समाधान योजनाएं सीओसी, जो इसे अनुमोदित करते है, के समक्ष रखी जाएं, यह सुनिश्चित कर लिया जाए कि प्रस्तुत योजनाएं सभी प्रकार से पूरी हैं। तथ्य यह है कि आरपी इस बात की पुष्टि करने के लिए है कि एक समाधान योजना संहिता की धारा 29क सहित समय–समय पर लागू होने वाले कानून के किसी भी उपबंध का उल्लंघन नहीं करती है, इसका मतलब केवल यह है कि उसे सीओसी को अपनी प्राथमिक राय देनी है कि कानून का उल्लंघन किया गया है या नहीं। धारा 30 (2) (ई) आरपी को यह 'निर्णय' लेने की सशक्त प्रदान नहीं करती है कि समाधान योजना कानून के उपबंधों का उल्लंघन करती है या नहीं करती है। भले ही आरपी को सीओसी के समक्ष प्रस्ताव योजना प्रस्तुत करने के कारण देना आवश्यक नहीं है, फिर भी यह दस्तावेजों की उपयुक्तता पर निर्भर होगा यदि वह विचाराधीन प्रत्येक समाधान योजनाओं के संबंध में उसके द्वारा विधिवत रूप से तैयार करके संलग्न रिपोर्ट प्रस्तुत करता है और संक्षेप में बताता है कि यह कानून के अनुरूप है या नहीं।

स्विस रिबन प्राइवेट लिमिटेड और अन्य बनाम भारत संघ और अन्य [53] मामले में आरपी की भूमिका को और स्पष्ट किया गया। उच्चतम न्यायालय ने माना कि आरपी के पास कोई न्यायनिर्णयन शक्तियां नहीं हैं। उसके पास अर्ध–न्यायिक शक्तियों के बजाय प्रशासनिक शक्तियां हैं। वह वास्तव में समाधान प्रक्रिया का सूत्रधार हैं, जिनके प्रशासनिक कार्यों की देखरेख सीओसी और एए द्वारा की जाती है।

सीओसी की सर्वोच्चता

आर्सेलर मित्तल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड बनाम सतीश कुमार गुप्ता और अन्य[54] मामले में उच्चतम न्यायालय ने माना कि यह सीओसी है जो धारा 30 के वैधानिक मापदंडों को देखते हुए समाधान योजना को मंजूरी देगी या अस्वीकृत करेगी।

के. शशिधर बनाम इंडियन ओवरसीज बैंक और अन्य[55] मामले में उच्चतम न्यायालय ने कहा कि धारा 30(4) में 'हो सकता है' शब्द समाधान योजना को मंजूरी देने या अस्वीकार करने के लिए सीओसी के विवेकाधीन है। समाधान योजना को मंजूरी देने या अस्वीकार करने के लिए, एफसी के डोमेन के भीतर मामलों पर राय व्यक्त करने के लिए आरपी की आवश्यकता नहीं होती है। समाधान योजना पर मतदान के दौरान वित्तिय लेनदारों द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से व्यावसायिक ज्ञान के अभ्यास के तरीके को आईबीबीआई धारा 196 के अधीन विनियमित नहीं कर सकता है। एफसी को भंग करके योजना की अस्वीकृति की जांच करने के लिए सीओसी के वाणिज्यिक निर्णय का मूल्यांकन करने के लिए एए का कोई अधिकार क्षेत्र नहीं है। यदि समाधान योजना को सीओसी द्वारा अनुमोदित किया जाता है, तो आरपी के लिए इसे एए को प्रस्तुत करना अनिवार्य है। यदि योजना एफसी के 25 प्रतिशत से कम वोटिंग शेयरों से कम नहीं है, तो आरपी को धारा 30 (6) से एए के अधीन इसे जमा करने की कोई बाध्यता नहीं है। विधायी मंशा यह है कि अल्पसंख्यक असंतोष एफसी की राय को बनाए रखा जाए। योजना प्राप्त होने पर, एए को स्वयं को संतुष्ट करना आवश्यक है कि सीओसी द्वारा अनुमोदित योजना धारा 30(2) में निर्दिष्ट आवश्यकताओं को पूरा करती है। 'अस्वीकृत' समाधान योजना प्राप्त होने पर, एए को कुछ और करने की आवश्यकता नहीं है; लेकिन वह धारा 33(1) के अधीन परिसमापन प्रक्रिया शुरू करने के लिए बाध्य है। उसने टिप्पणी की: *"विधायिका ने न्यायनिर्णयन प्राधिकरण (एनसीएलटी) को असंतुष्ट वित्तीय लेनदारों द्वारा समाधान योजना की अस्वीकृति के औचित्य की जांच करने के लिए सीओसी के वाणिज्यिक निर्णय का विश्लेषण या मूल्यांकन करने का अधिकार प्रदान नहीं किया है।'* आगे कहा: *"इसके अलावा, दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता द्वारा निर्धारित समयसीमा के भीतर उल्लिखित प्रक्रियाओं को पूरा करने के लिए सीओसी के व्यावसायिक ज्ञान को बिना किसी न्यायिक हस्तक्षेप के सर्वोपरि दर्जा दिया गया है। ....। विधायिका ने, सचेत रूप से, व्यक्तिगत वित्तीय लेनदारों के 'वाणिज्यिक ज्ञान' को या आसन्न प्राधिकारी के समक्ष उनके सामूहिक निर्णय को चुनौती देने के लिए कोई आधार प्रदान नहीं किया है। इसे गैर–न्यायसंगत बनाया गया है।"*

[51] सीए (एटी) (दिवाला) सं. 205/2017 और अन्य अपील।

[52] 2018 की सिविल अपील सं. 9402 – 9405 और अन्य अपील।

[53] 2018 की सिविल अपील सं. 99 और अन्य अपील।

[54] 2018 की सिविल अपील सं. 9402 – 9405 और अन्य अपील।

[55] 2018 की सिविल अपील सं. 10673 और अन्य अपील।

च | संहिता का प्रभाव

संहिता के उद्देश्यों के संदर्भ में इसका प्रभाव सबसे अधिक देखा जाता है। संहिता का लंबा शीर्षक इसके उद्देश्यों को बताता है। एनसीएलएटी ने संहिता के उद्देश्यों के क्रमबद्ध [56] चित्रित किया: *''दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता''* का उद्देश्य समाधान करना है। समाधान का उद्देश्य *'कारपोरेट ऋणदाता'* की परिसंपत्तियों के मूल्य को अधिकतम करना है और इस तरह से सभी लेनदारों के लिए है। यह *'हितधारक' या 'हितधारकों का एक समूह' जैसे लेनदारों के लिए और उद्यमशीलता को बढ़ावा देने, ऋण की उपलब्धता और हितों को संतुलित करने के लिए मूल्य का इष्टतमीकरण नहीं है। पहला आदेश उद्देश्य 'समाधान' है। दूसरा आदेश उद्देश्य 'कारपोरेट देनदार' की 'संपत्ति के मूल्य का इष्टतमीकरण' है और तीसरा आदेश उद्देश्य 'उद्यमशीलता को बढ़ावा देना, ऋण की उपलब्धता और हितों को संतुलित करना है।' उद्देश्य का यह आदेश पावन है।"* 'इन उद्देश्यों के संदर्भ में संहिता का प्रदर्शन अंततः देश की अर्थव्यवस्था के समग्र विकास में दिखाई देगा। बीएलआरसी ने तदनुसार अनुमान लगाया: *"हम आशा करते हैं कि इस रिपोर्ट के कार्यान्वयन से भारत में सकल देशीय उत्पाद विकास में वृद्धि होगी और यह आधुनिक क्रेडिट बाजार और विशेष रूप से कारपोरेट बॉन्ड बाजार के उद्भव को बढ़ावा देगा। सकल देशीय उत्पाद वृद्धि में तेजी तब आएगी, जब नई फर्मों के लिए अधिक ऋण उपलब्ध होगा, जिनमें मूर्त पूंजी की कमी है। जबकि कई अन्य चीजों के लिए वित्त और फर्मों की ध्वनि प्रणाली को प्राप्त करने की आवश्यकता होती है, यह उस एडीफिस का एक महत्वपूर्ण निर्माण खंड है।"*

अंग्रेजी दिवाला कानून का सबसे उल्लेखनीय विश्लेषण, कॉर्क रिपोर्ट में किया गया है, जिस में ऋण को *''आधुनिक औद्योगिक अर्थव्यवस्था की जीवनरेखा''* के रूप में मान्यता दी गई। दिवाला का निर्णायक कार्य लेनदारों को दिवाला होने वाले उद्यमों से अपने संसाधनों को भुनाने का अवसर प्रदान करना है, ताकि वे अधिक लाभदायक रास्ते उधार दे सकें। ऋण समाधान और दिवाला के लिए एक व्यवस्थित दृष्टिकोण निवेश के माहौल को मजबूत करता है और आर्थिक विकास को आगे बढ़ाता है।

संहिता के प्रभाव का निरीक्षण या विश्लेषण करने के कई तरीके हैं। ऐसा करने का एक तरीका आईएमएफ पद्धति [57] द्वारा निर्देशित तीन 'ई' के लेंस के माध्यम से है, अर्थात, प्रभावशीलता, दक्षता और प्रभावकारिता। इसका विवरण निम्नानुसार है।

संहिता की प्रभावशीलता

दिवाला तंत्र की प्रभावशीलता उस हद तक मापी जाती है जिससे वह अपने इच्छित उद्देश्यों को प्राप्त करता है। हालांकि उद्देश्यों की उपलब्धियों के संदर्भ में समीक्षाधीन अवधि के लिए संहिता की प्रभावशीलता का आकलन करना जल्दबाजी होगी, लेकिन इन उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए जिस तरह से संहिता की परिकल्पना की गई है, वह प्रारंभिक संकेत के रूप में कार्य कर सकता है।

परिसंपत्तियों के मूल्य का इष्टतमीकरण

संहिता हर समय इष्टतम क्षमता से नीचे संसाधनों के उपयोग को रोककर संसाधनों का इष्टतम उपयोग सुनिश्चित करता है, समाधान योजना के माध्यम से फर्म के भीतर संसाधनों का कुशल उपयोग सुनिश्चित करता है या किसी अविभाज्य फर्म को बंद करने के माध्यम से अप्रयुक्त या कम–उपयोग किए गए संसाधनों को जारी करना और इस प्रकार इसके मूल्य को अधिकतम करना। यह पुनरुद्धार और प्रक्रिया के शीघ्र समापन के लिए प्रक्रिया की शुरुआती दीक्षा को सक्षम करके मूल्य के ह्रास को रोकता है।

उद्यमशीलता को बढ़ावा देना

सुदृढ़ दिवाला तंत्र उद्यामीयता को प्रोत्साहित करता है, जिसका अनुमान स्व–रोजगार की संभावना और नई फर्मों [58] के प्रवेश की दर से है। उद्यमी नवाचार और जोखिम उठाने की अपनी क्षमता के माध्यम से अर्थव्यवस्था में परिवर्तन के लिए उत्प्रेरक के रूप में कार्य करते हैं। जैसे–जैसे अर्थव्यवस्थाएँ 'ज्ञान–चालित' बनती जा रही हैं, दुनिया भर के नीति–निर्माताओं ने उत्साह के साथ 'उद्यमिता नीति' के विचार को अपनाया है। ऐसा तंत्र जिसके द्वारा सरकारों ने ऐसी नीतियों को लागू करने की मांग की है, शोधन अक्षमता कानून [59] के माध्यम से हुई है। भारत सरकार के प्रमुख पहल *'स्टार्ट–अप इंडिया'* के अधीन, 31 मार्च, 2019 के अनुसार, 499 जिलों में 17,390 स्टार्ट–अप को 29 राज्यों और 6 संघ राज्य क्षेत्र प्रदेशों में कार्यक्रम के अधीन मान्यता दी गई है। 1,77,116 नौकरियों का रोजगार डेटा 15,478 स्टार्ट–अप द्वारा प्रति स्टार्ट–अप में 11 कर्मचारियों की औसत संख्या के साथ बताया गया है। स्टार्ट–अप इंडिया हब में कुल 3,16,936 रजिस्ट्रीकृत उपयोगकर्ता[60] देखे गए हैं। यह इस सुविधा का प्रतिबिम्ब है, जिसमें आईबीसी के अधीन प्रदान किया गया अपेक्षाकृत सरल निकास तंत्र शामिल है।

पिछले तंत्र में, उद्यमियों या स्टार्ट–अप के लिए, लेन–देन की बकाया राशि को पूरा करने में पर्याप्त देरी के लिए व्यवसाय की आवश्यकता को पूरा करने के लिए कई अनुमोदन की आवश्यकता होती थी। संहिता, समाधान का समयबद्ध तंत्र प्रदान करती है जहां ऐसी स्टार्ट–अप फर्म जो विफल रहती है, 90 दिनों के भीतर फास्ट–ट्रैक आधार पर बंद की जा सकती है। इस प्रकार, लेनदार हितों की रक्षा की जाती है और पूंजी को कुशल व्यवसायों के लिए पुनः प्राप्त किया जाता है। इसके अलावा, संहिता ईमानदार उद्यमी को स्वेच्छा से कार्यवाही शुरू करने की अनुमति देता है और यदि उसके इरादों और प्रयासों के बावजूद उसका उद्यम विफल हो जाता है, तो वह क्रमिक रूप से बाहर निकल सकता है। इस प्रकार, विफलता की संभावना उद्यमी को व्यवसाय शुरू करने या नए विचार को लागू करने से नहीं रोकती है। सीआईआरपी के माध्यम से व्यवहार्य व्यवसायों को बचाने और परिसमापन के माध्यम से गैर–व्यवहार्य लोगों को बंद करके, संहिता उद्यमियों को विफलता से मुक्त करता है। यह उसे वास्तविक व्यवसाय विफलताओं से निर्बाध रूप से व्यापार में उतरने और आसानी से बाहर निकलने में सक्षम बनाता है।

[56] बिनानी इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड बनाम बैंक ऑफ बरोडा, सीए (एटी) सं 82, 123, 188, 216 और 234 (2018)।

[57] जोस गैरिडो एट अल (2019), द यूज ऑफ डेटा इन एसेसमेंट एंड डिजाइनिंग इन्सॉल्वेंसी सिस्टम्स, आईएमएफ वर्किंग पेपर नंबर 19/27, फरवरी।

[58] सेउंग–ह्यून लेआ, यासुहिरो यमकवाब, माइक डब्ल्यू. पेंगा, जे बी बार्नीक. (2011), ''हाउ डू बैंकरप्टसी लॉज अफेक्ट एंटरप्रीनियरषिप डवलपमेंट अराउंड दी वर्ल्ड?'', जर्नल ऑफ बिजनेस वेंचरिंग, वॉल्यूम 26, अंक 5, सितंबर, पृष्ठ 505–520

[59] जॉन आर्मर और डगलस कमिंग (2008), ''बैंकरप्टसी लॉ एण्ड एंटरप्रीनियरषिप'', अमेरीकन लॉ एण्ड इकोनॉमिक्स रिव्यू, वॉल्यूम– 10, नंबर 2 (फाल 2008), पृष्ठ 303–350

[60] औद्योगिक नीति और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार की वार्षिक रिपोर्ट 2018–19

ऋण की उपलब्धता

समाधान और परिसमापन के लिए उपबंध के माध्यम से, संहिता व्यतिक्रम की घटनाओं को कम करती है, और लेनदारों को फर्म के पुनरुद्धार या परिसमापन द्वारा परिसंपत्तियों की बिक्री के माध्यम से अपना बकाया वसूलने में सक्षम बनाती है। यह लेनदारों को परियोजनाओं के लिए कम लागत पर ऋण का विस्तार करने के लिए और ऋण की उपलब्धता में वृद्धि करने हेतु प्रतिभूतित और अप्रतिभूतित, बैंक और गैर–बैंक, वित्तीय और परिचालन, विदेशी और घरेलू जैसे प्रोत्साहन देती है।

सारणी 61 से पता चलता है कि 2018–19 में सकल बैंक ऋण 12.2 प्रतिशत की दर से बढ़ा है, जबकि 2017–18 में 8.2 प्रतिशत था और इसमें से अधिकांश वृद्धि गैर–खाद्य ऋण में हुई है। औद्योगिक क्षेत्र में क्रेडिट में पर्याप्त वृद्धि हुई है जो मार्च, 2018 के अंत में 27 लाख करोड़ रुपये थी जो मार्च 2019 के अंत तक से बढ़ कर 29 लाख करोड़ रुपये हो गई।

सारणी 61: प्रमुख क्षेत्रों द्वारा सकल बैंक क्रेडिट की तैनाती

क्र. सं.	क्षेत्र	.. की स्थिति के अनुसार क्रेडिट बिलियन रूपए मे			प्रतिशत में भिन्नता	
		31 मार्च, 2017	30 मार्च , 2018	29 मार्च, 2019	30 मार्च, 2018/ 31 मार्च, 2017	29 मार्च, 2019/ 30 मार्च, 2018
I	**सकल बैंक क्रेडिट (II+III)**	71455	77303	86749	8.2	12.2
II	**खाद्य पदार्थ क्रेडिट**	511	419	415	-18.0	-0.9
III	**गैर खाद्य पदार्थ क्रेडिट(1 से 4)**	70945	76884	86334	8.4	12.3
1	कृषि और सबंद्ध कार्यकलाप	9924	10302	11113	3.8	7.9
2	उद्योग (सूक्ष्म और लघु, माध्यम और बड़े	26798	26993	28858	0.7	6.9
3	सेवाएं	18022	20505	24156	13.8	17.8
4	व्यक्तिगत ऋण	16200	19085	22207	17.8	16.4
IV	**प्राथमिक सेक्टर**	24356	25532	27390	4.8	7.3

स्रोतः आरबीआई डाटा बेस

संहिता की क्षमता

दक्षता उस सीमा तक की माप है, जिसमें दिवाला प्रणाली संसाधनों के न्यूनतम उपयोग के साथ अपने उद्देश्यों को प्राप्त करता है। यह इनपुट और आउटपुट के बीच संबंध को मापता है। वास्तव में, कुशल प्रणाली अधिकतम वसूली और न्यूनतम लागत के साथ वित्तीय संकट के त्वरित समाधान में तब्दील हो जाएगी। कुशल दिवाला ढांचा गैर–व्यवहार्य व्यवसायों के परिसमापन को बढ़ावा देता है, अधिक उत्पादक उपयोगों के लिए परिसंपत्तियों का पुनर्वितरण और व्यवहार्य व्यवसायों का पुनर्वास करता है। दिवाला शासन की दक्षता की जांच करने के उपायों में से एक यह है कि इस तरह की प्रक्रिया में शामिल लेनदारों और समय और लागत के लिए उत्पन्न होने वाली वसूली दरों को देखें।

समाधान समय

सीडी की आस्तियों के मूल्य को संरक्षित करने के लिए दिवाला समाधान को आगे बढ़ाने का समय सार है। संहिता के अधीन सीआईआरपी के पूरा होने के लिए 180 दिनों का समय है। यह योग्य मामलों में एए द्वारा दी जाने वाली 90 दिनों की अवधि को एक–बार के विस्तार की अनुमति देती है। समाधान के लिए समय कम करने के लिए, संहिता आईयू के प्रतिस्पर्धी उद्योग की परिकल्पना करती है जो हमेशा सभी फर्मों के बारे में जानकारी की एक सारणी रखेगी, इस प्रकार देरी के स्रोत के रूप में पूर्ण और निर्विवाद जानकारी की कमी को संबोधित करती है। यह पूरे देश में फैले एए की कई पीठों की परिकल्पना करती है। एए को निरंतर आधार पर मजबूत किया जा रहा है। दिवाला सेवा व्यावसायिक होती जा रही है। परिणामस्वरूप, सीआईआरपी के पूरा होने की समय–सीमा कम हो गई है। 31 मार्च, 2019 तक 796 सीआईआरपी समाप्त हो गए। उनमें से 101 समाधान योजनाओं में समाप्त हुईं। उन्होंने पूर्णता के लिए 332 दिन लिए और शेष 396 परिसमापन आदेश, जो (एए द्वारा निष्कासित किए गये समय को अलग किए बिना) औसतन 284 दिन में लिए गए ।

समाधान लागत

दिवाला समाधान प्रक्रिया लागत, जिसमें दिवाला प्रैक्टिशनर और अन्य व्यावसायिकों की फीस शामिल है, और सीओसी की बैठकों, सार्वजनिक घोषणाओं, फाइलिंग और मुकदमों आदि से संबंधित खर्च, आईबीसी शासन के अधीन उल्लेखनीय रूप से कम किए गए हैं क्योंकि इसके विपरीत विश्व बैंक की ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट में बताए गए पहले के शासनों में दिवाला के लिए नियामक ढांचे के अधीन लागत कंपनी के संपत्ति मूल्य का 9 प्रतिशत से अधिक है।

वसूली दर

भारत में एक कारपोरेट या व्यक्तिगत समाधान प्रक्रिया से वसूली दर, जैसा कि बीएलआरसी द्वारा रिपोर्ट किया गया था, दुनिया में सबसे कम कीमत के साथ, उधारदाताओं ने शुद्ध वर्तमान मूल्य के आधार पर ऋण के मूल्य का केवल 20 प्रतिशत वसूल किया। दिवाला समाधान प्रक्रिया में समय की देरी को संहिता के अधीन संबोधित किया जा रहा है, वसूली दर में वृद्धि देखी जा रही है। सारणी 47 का भाग ई इंगित करता है कि 31 मार्च, 2019 के अनुसार, कुल 101 सीआईआरपी में समाधान किया गया। इन सीआईआरपी में, एफसी को 1,15,990.87 करोड़ रुपये की वसूली हुई, जबकि कुल परिसमापन मूल्य 54,366.52 करोड़ रुपये था। इस प्रकार, उन्हें 213 प्रतिशत परिसमापन मूल्य की वसूली हुई, जबकि उनके दावों की तुलना में उनके द्वारा वसूली की दर 53 प्रतिशत थी। यदि ये सीआईआरपी परिसमापन में समाप्त हो जाते हैं, तो एफसी को सबसे अधिक परिसमापन मूल्य अर्थात उनके दावों का 25.19 प्रतिशत प्राप्त होता है।

संहिता की प्रभावकारिता

प्रभावकारिता उस सीमा तक की माप है जिसमें कानूनी, आर्थिक और वित्तीय प्रणालियों जैसी उच्च–स्तरीय प्रणाली के साथ दिवाला प्रणाली (उप–प्रणाली) का संबंध या योगदान मौजूद है। प्रभावकारिता सभी हितधारकों और सामान्य रूप से अर्थव्यवस्था के लिए दिवाला होने वाले मूल्य के संरक्षण और इष्टतमीकरण के उद्देश्य को सुनिश्चित करेगी। संहिता की प्रभावकारिता का मूल्यांकन हितधारकों पर और अर्थव्यवस्था में सामान्य रूप से संहिता के सकारात्मक स्पिल–ओवर प्रभावों के आधार पर किया जा सकता है। संहिता के कुछ प्रमुख परिणाम, इसकी प्रभावकारिता का प्रतिबिंब, इस प्रकार हैं।

क्रेडिट बाजार पर प्रभाव

अध्ययन बताते हैं कि लेनदारों के अधिकारों के प्रभावी सुधार, क्रेडिट की अपेक्षाकृत कम लागत, क्रेडिट तक पहुंच में सुधार, लेनदार की वसूली में सुधार और नौकरी संरक्षण[61] को मजबूत करने से जुड़े हैं। यदि दिवाला कार्यवाही के अंत में लेनदार अपने अधिकांश निवेशों की वसूली कर सकते हैं, तो वे फर्मों में पुनर्निवेश जारी रख सकते हैं और कंपनियों की क्रेडिट तक पहुंच में सुधार कर सकते हैं। इसी तरह, यदि कोई शोधन अक्षमता शासन दावों की पूर्ण प्राथमिकता का सम्मान करता है, तो सुरक्षित लेनदार उधार दे सकते हैं और शोधन अक्षमता प्रणाली में विश्वास बनाए रखा जाता है।[62]

कारपोरेट बॉन्ड मार्केट सहित डीप कैपिटल मार्केट, निवेशकों को लंबी अवधि के लिए निवेश करने में सक्षम बनाते हैं, बुनियादी ढांचे जैसी परियोजनाओं के लिए वित्तपोषण के महत्वपूर्ण स्रोत प्रदान करते हैं। जून, 2019 के लिए आरबीआई की वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट के अनुसार, 2018–19 के दौरान, बांड बाजार में 25 सार्वजनिक मुद्दों के माध्यम से 66.8 बिलियन रुपये उधार लिए गए, जो पिछले पांच वर्षों में सबसे अधिक है। एसोचैम और क्रिसिल[63] के अध्ययन में कहा गया है कि भारत का कारपोरेट बॉन्ड बाजार, जो देश की सकल देशीय उत्पाद में 17 प्रतिशत का योगदान देता है और एएए रेटेड बॉन्ड में अत्यधिक केंद्रित है, के बदलने की उम्मीद है क्योंकि संहिता से एक समयबद्ध तरीके[64] में संकटग्रस्त आस्तियों के सफल समाधान लाये जाने की आशा है। परिणाम की अपेक्षाकृत अधिक निश्चितता और अपेक्षाओं के कारण संहिता की वजह से तेजी से कम होने की स्थिति में घरेलू और विदेशी निवेशकों की दिलचस्पी कम समय में बढ़ेगी, रिपोर्ट में दावा किया गया है। आरबीआई ने बैंकों में व्यक्तिगत/सामूहिक जोखिमों को सीमित करने के लिए मानदंडों को लागू किया है, बड़े कारपोरेट उधारकर्ताओं को वित्तपोषण आवश्यकताओं के लिए बांड बाजारों तक पहुंचने के लिए प्रोत्साहित किया है। अध्ययन में कहा गया है कि संहिता के साथ, यह भारतीय बॉन्ड बाजार को बढ़ावा देगा।

एनपीए का समाधान

संहिता का प्राथमिक ध्यान समाधान पर केन्द्रित है। वसूली केवल आकस्मिक है। फिर भी, संहिता दो तरह से बैंकिंग प्रणाली के एनपीए को संबोधित करने का वादा करती है। सबसे पहले, प्रवर्तक, जो सफल आरए के लिए कंपनी में नियंत्रण के हित को खोना नहीं चाहते हैं, ऋण को साफ कर देंगे या लेनदार की संतुष्टि के लिए इसका निपटान करेंगे। दूसरा, अगर प्रवर्तकों ने भुगतान नहीं किया, तो लेनदारों को सफल आरए के कारण वसूली की प्राप्ति होगी। एनपीए के कुछ बड़े मामलों, जैसे कि भूषण स्टील, इलेक्ट्रोस्टील स्टील्स, आलोक इंडस्ट्रीज, ज्योति स्ट्रक्चर्स लिमिटेड और मोनपेपिटस्पैट एंड एनर्जी लिमिटेड को 93,544 करोड़ रुपये की राशि की वसूली हुई। मार्च, 2019 तक, कारपोरेट दिवाला के 101 मामलों को आईबीसी ढांचे के अधीन 1,15,990.87 करोड़ रुपये के आदेश के एफसी के लिए वसूली राशि की प्राप्ति हुई।

भारत में बैंकिंग की प्रवृत्ति और प्रगति पर आरबीआई की रिपोर्ट 2018–19 बताती है कि सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (एससीबी) का सकल एनपीए (जीएनपीए) अनुपात 2018–19 में लगातार सात वर्षों तक बढ़ने के बाद घटे हुए ऋणों के रूप में घट गया। सभी एससीबी के लिए सकल अग्रिम के प्रतिशत के रूप में जीएनपीए 2017–18 में 11.2 प्रतिशत से घटकर 2018–19 में 9.1 प्रतिशत हो गया। रिपोर्ट में मान्यता है कि बट्टे खाते में डाले जाने वाली रकम का एक हिस्सा ऋण की मियाद बढ़ने के कारण था, आईबीसी से वसूली प्रयासों को बढ़ावा मिला।

रिपोर्ट आगे बताती है कि 2018–19 के दौरान संकटग्रस्त आस्तियों की वसूली में सुधार आईबीसी के अधीन प्रस्तावों द्वारा किया गया, जिसमें कुल वसूली गई राशि का आधे से अधिक योगदान था। हालांकि, प्रमुख समाधान मैकेनिज्म (लोक न्यायालयों को छोड़कर) की वसूली दर 2018–19 में विशेष रूप से एसएआरएफएईएसआई तंत्र के माध्यम से कम हो गई। विभिन्न तंत्रों के अंतर्गत वसूली के लिए संदर्भित मामलों की मात्रा में 27 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि हुई और वर्ष के दौरान मूल्य में तीन गुना वृद्धि हुई। सारणी 62 में वर्ष 2017–18 और 2018–19 के लिए आईबीसी की तुलना में अन्य विधानों के अधीन वसूली दिखाई गई है।

सारणी 62: विभिन्न चैनलों के माध्यम से वसूले गए अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के एनपीए

(राशि करोड़ रूपये में)

वसूली चैनल	2017-18				2018-19 (पी)			
	भेजे गए मामलों की संख्या	विहित राशि	वसूली गई राशि'	कालम (3) के प्रतिशत के रूप में कालम (4)	भेजे गए मामलों की संख्या	विहित राशि	वसूली गई राशि*	कालम (7) के प्रतिशत के रूप में कालम (8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
लोक न्यायालय	33,17,897	45,728	1,811	4.0	40,80,947	53,506	2,816	5.3
डीआरटी	29,345	1,33,095	7,235	5.4	52,175	3,06,499	10,574	3.5
एसएआरएफएईएसआई अधिनियम	91,330	81,879	26,380	32.2	2,48,312	2,89,073	41,876	14.5
आईबीसी	704@	9,929	4,926	49.6	1,135@	1,66,600	70,819	42.5
कुल	**34,39,276**	**2,70,631**	**40,352**	**14.9**	**43,82,569**	**8,15,678**	**1,26,085**	**15.5**

नोटः 1. पीः अनंतिम.

*2. : *संबंधित वर्ष के दौरान वह राशि सदर्भित है जो संबंधित वर्ष के दौरान और पूर्ववर्ती वर्ष के दौरान भेजे गए मामलों से संदर्भित हो सकते हैं.*

3. @:एनसीएलटी द्वारा स्वीकृत मामले

4. 2017-18 और 2018-19 के लिए आईबीसी संबंधी आंकड़े आईबीबीआई न्युजलेटर से त्रैमासिक संख्याओं को जोड़कर परिगणित किए गए हैं.

स्रोतः ऑफसाईट रिटर्न्स, आरबीआई और आईबीबीआई.

[61] नीरा, जूलियन (2017), "बैंकरप्टसी एण्ड कॉस–कन्ट्री डिफरेंसेस इन प्रोडक्टिविटि", जर्नल ऑफ इकोनॉमिक बिहेवियर एण्ड आर्गेनाइजेषन; क्लेसेन्स, स्टिजन और लिओरा क्लैपर। 2003, "बैंकरप्टसी अराउंड दी वर्ल्डः एक्सप्लेनेषन्स ऑफ इट्स रिलेटिव यूज", पॉलिसी रिसर्च वर्किंग पेपर 2865, विश्व बैंक, वाशिंगटन, डीसी।

[62] आर्मर, जॉन, एंटोनिया मेनेजेस, महेश उत्तमचंदानी और क्रिस्टन वान ज्वेइटन (2009), "हाउ केडिटर राइट्स अफेक्ट डेब्ट फाइनेंस" इन डाहन, संस्करण 2015. रिसर्च हैंडबुक ऑन सेक्यूर्ड फाईनेंसिंग इन कमर्षियल ट्रांजेक्षन्स। एल्गार पब्लिषिंग; डिजनकोव, शिमोन। 2009, "बैंकरप्टसी रेजिम्स ड्यूरिंग फाईनेंषियल डिस्ट्रेस", विश्व बैंक, वाशिंगटन, डीसी।

[63] क्रिसिल और एसोचैम की रिपोर्ट (2019), "स्ट्रेंगथनिंग दी कोड", मई।

[64] बर्गर एंड वॉर्नीक द्वारा अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के लिए 2006 के एक अध्ययन के अनुसार, बेहतर एनफोर्स्ड लेनदार अधिकारों वाले देशों के पास बड़े घरेलू बाजारों को जोडते हैं।

व्यवहार परिवर्तन

संहिता ने ऋणदाता(ओं) और उधारकर्ता(ओं), और प्रवर्तक(कों) और लेनदार(रों) के बीच की गतिशीलता में एक सांस्कृतिक बदलाव लाया है। अर्थव्यवस्था के लिए सबसे बड़ा लाभ यह हुआ है कि आईबीसी के खतरे से प्रबंधकों और उधारदाताओं के व्यवहार में बदलाव आया है। संहिता ने ऋणों के पुनर्भुगतान के तरीके को प्रभावित किया है और व्यतिक्रम करने वाली फर्मों के प्रवर्तकों और प्रबंधन द्वारा इलाज किया जाता है। संकटों के पहले संकेतों पर, फर्म अब जानबूझकर अपने केएमपी को कठिनाइयों से रोकने के लिए प्रोत्साहित कर रही हैं। बोर्ड द्वारा बनाए गए कड़े नियमन से और बैंकों के पास नुकसान को कवर करने के लिए अधिक धनराशि आरक्षित करने के लिए या एनपीए में रखे गए धन, कारपोरेट और प्रवर्तक ऋण भुगतान सुनिश्चित करने के लिए सभी प्रयास किए जा रहे हैं।

कंपनियों के नकदी प्रवाह में निरंतरता तेजी से कारपोरेट के प्रमुख निर्धारक के रूप में पहचानी जा रही है, और प्रवर्तकों/निदेशकों को अधिक पूंजी के लिए बाध्य किया जा रहा है, ताकि व्यवसाय के लिए उनकी प्रतिबद्धता का मजबूत प्रदर्शन सुनिश्चित किया जा सके। जबकि अभी के लिए शेष राशि उधारदाताओं के पक्ष में है, प्रवर्तक तेजी से बैंकों के लिए अपने ऋण को कम करने के लिए काम कर रहे हैं, और कारपोरेट बॉन्ड मार्केट जैसे विदेशी स्रोतों से या विदेशी उधारों के माध्यम से पूंजी जुटा रहे हैं।

इस प्रकार, संहिता के अधीन विकसित विधायी और न्यायनिर्णयन ढांचे के साथ, एक चिह्नित दार्शनिक बदलाव देखा जा रहा है, जो कारपोरेट संकट की पूर्व पोस्ट प्रतिक्रिया से अलग हटकर, केएमपी एक्स एंटे द्वारा कारपोरेट दिवाला के खतरों के प्रबंधन की दिशा में जा रहा है।

संहिता के अधीन सीआईआरपी आरंभ होने का विश्वसनीय खतरा कि सीडी का नियंत्रण और प्रबंधन संभवतः हमेशा के लिए, मौजूदा प्रवर्तकों और प्रबंधकों से दूर जा सकता है, उन्हें दक्षता के इष्टतम स्तर से नीचे संचालन करने से रोकता है और व्यतिक्रम से बचने के लिए उन्हें सर्वोत्तम प्रयास करने के लिए प्रेरित करता है। इसके अलावा, यह देनदार को लेनदार के साथ व्यतिक्रम को अधिमानतः संहिता के बाहर शीघ्रातिशीघ्र निपटाने के लिए प्रोत्साहित करता है। ऐसे हजारों उदाहरण हैं जहां देनदारों ने स्वेच्छा से अपने ऋणों का निपटान किया है या आवेदन दाखिल होने से पहले एए के साथ सीआईआरपी के लिए आवेदन दाखिल करने पर तुरंत समाधान कर लिया है। आवेदन दाखिल करने के बाद भी समाधान होते हैं। इस प्रकार संहिता से महत्वपूर्ण व्यवहार परिवर्तन (बॉक्स 7) आया है और इस तरह देनदार–लेनदार संबंध को फिर से परिभाषित किया है। संहिता में जगह के साथ, व्यतिक्रमकर्ता की सुलभता समाप्त हो गई है।[65] ऋण की चुकौती अब कोई विकल्प नहीं रह गया है; यह एक दायित्व है।

दूसरी ओर, लेनदार सीडी द्वारा किये गए व्यतिक्रम के परिणामों को जानता है, अगर दिवाला कार्यवाही शुरू नहीं होती है या दिवाला का समाधान नहीं होता है। यह व्यतिक्रम की घटनाओं को कम करने के लिए अधिक जिम्मेदार (गुणात्मक) ऋण देने का सहारा लेने के लिए प्रेरित होता है। इसके अलावा, यद्यपि लेनदार के पास संहिता के अधीन कार्यवाही शुरू करने का अधिकार होता है जैसे ही सीमा राशि का व्यतिक्रम होता है, यह पहले उपलब्ध अवसर पर ऐसा करने के लिए बाध्य नहीं है, यदि इसके लिए इसके कारण हैं। हालाँकि, यह कार्यवाही शुरू करने को अनिश्चित काल तक आगे बढ़ने की पहल को स्थगित कर व्यतिक्रम को लगातार बढ़ते रहने नहीं दे सकता है। इसे स्वयं को कम से कम यह समझाने की आवश्यकता है कि इसने व्यतिक्रम के मामले में, दिवाला कार्यवाही क्यों नहीं शुरू की, और इसे भूल–चूक का परिणाम भुगतना पड़ता है। परिणामस्वरूप, बहुत अधिक मूल्य के व्यतिक्रम की संभावना न्यूनतम है।

बॉक्स 7: नज सिद्धांत और संहिता

'नज सिद्धांत'[66] में संकेत दिया गया है कि मानव व्यवहार बिना किसी जोर–जबरदस्ती के प्रभावित किया जा सकता है। निजी और सरकारी संस्थानों के लिए उनकी पसंद की स्वतंत्रता का अतिक्रमण किए बिना व्यक्तियों के व्यवहार को प्रभावित करना संभव और वैध है। व्यावहारिक विज्ञान इस प्रकार संबंध में मार्गदर्शन करता है जिससे नाजुक नीतिगत परिवर्तन के माध्यम से लोगों को 'नजिंग' करके वांछित परिवर्तन लाया जा सकता है, जो उन्हें अपने स्वयं के हित में निर्णय लेने के लिए प्रोत्साहित करता है।

आर्थिक सर्वेक्षण 2018–19 के अध्याय 2 में यह बताया गया है कि समाज के लक्षित वर्गों की भलाई के लिए सरकार की प्रमुख पहलों के माध्यम से व्यवहारगत परिवर्तन किस प्रकार लाया गया है, जो व्यवहार विज्ञान के सिद्धांतों को लागू करता है। ये सिद्धांत, कई मायनों में, आर्थिक कानूनों पर भी लागू होते हैं, जिनमें से एक प्रमुख उदाहरण संहिता है, जो शामिल आर्थिक एजेंटों के सामाजिक इष्टतम व्यवहार को प्रोत्साहित करती है। निम्न सारणी में, यह देखने के लिए प्रत्येक व्यवहारगत सिद्धांत संहिता की संरचना संबंधित हैं, कि यह कानून उनका उपयोग किस प्रकार कर रहा है, व्यक्तियों के संज्ञानात्मक पूर्वाग्रहों का लाभ उठाया गया है और हितधारक(ों) को संहिता के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए 'नज' (प्रेरित) किया गया है।

व्यवहारगत सिद्धांत	संहिता का सामान्य अनुप्रयोग
पूर्व निर्धारित नियमों का लाभ लेना *सही पूर्व निर्धारण चुनना; पूर्वनिर्धारित विकल्प से अधिकतम कल्याण होना चाहिए।*	संहिता का पहला उद्देश्य, संकटग्रस्त सीडी को अपने स्वयं के प्रबंधन से और परिसमापन से समाप्त होने से बचाकर उसका पुनरुद्धार और निरंतरता है। संहिता के तहत पूर्व निर्धारित समाधान प्रक्रिया है, जहां हितधारक अपने आप पहले चरण में समाधान योजना का 'विकल्प लेते' हैं। यदि समाधान योजना की कोई संभावना नहीं है तो परिसमापन किया जाता है। संहिता में आर्थिक एजेंटों को पूर्व निर्धारित विकल्प प्रदान कर एक व्यक्तियों के 'पूर्वाग्रह को आश्रय प्रदान कर' 'पूर्व निर्धारित नियमों का लाभ' लिया जाता है जिससे पूर्व निर्धारित विकल्प से उनका और पूर्ण समाज का अधिकतम कल्याण हो।
चुनना आसान बनाएं *विकल्पों की संख्या कम रखें और समझने में आसान विकल्प रखें; चयन की तार्किक और प्रशासनिक बाधाओं को कम करें।*	संहिता में समाधान की एक रैखिक, सामूहिक प्रक्रिया स्थापित की गई है, जिसके परिणाम ऋणी, लेनदार और अन्य सभी हितधारकों के लिए बाध्यकारी होते हैं, जिससे सीडी की दिवाला का समाधान करने के लिए यह 'गो–टू' विकल्प हो जाता है। यह हितधारकों को दो–तरफा समाधान प्रदान करने के रूप में सुविधाजनक विकल्प प्रदान करता है। सबसे पहले, इससे उन्हें समाधान का स्वतः विकल्प मिलता है और साथ ही, यह उन्हें निकासी तंत्र प्रदान करके बाहर निकलने का विकल्प प्रदान करता है। संहिता कुछ परिस्थितियों में स्वैच्छिक परिसमापन का विकल्प भी प्रदान करती है।

[65] स्विस रिबन प्रा. लिमिटेड और अन्य बनाम भारत संघ और अन्य। (2019) 4 एससी 17.

[66] थेलर, रिचर्ड और सनस्टीन, सी. (2009), "नजः इम्प्रूविंग डिसिजन्स अबाउट हेल्थ, वेल्थ एण्ड हैप्पीनेस", येल यूनिवर्सिटी प्रेस

सामाजिक मानदंड पर जोर देना *अच्छे व्यवहार में वृद्धि करने; ऐसे प्रभावों पर फोकस करना जो लोगों से संबंधित हों।*	संहिता में व्यावसायिक विफलता को बाजार की अर्थव्यवस्था के कामकाज के सामान्य और वैध हिस्से के रूप में देखा जाता है। इसके अलावा, एकल दिवाला के मामले में, संहिता में इसका समाधान करने के लिए एक सुव्यवस्थित और तीव्र तंत्र प्रदान करने का प्रयास किया गया है। यह कुछ व्यक्तियों को समाधान योजना प्रस्तुत करने से भी रोकता है, जो अपने पूर्वजों के कारण संहिता के तहत प्रक्रियाओं की विश्वसनीयता पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकते हैं। इसलिए, संहिता में दिवाला और शोधन अक्षमता के संबंध में नए और स्वीकार्य सामाजिक मानदंडों को बनाने और उन पर जोर देने के प्रयास से विफलता पूर्वाग्रह का समाधान करने का प्रयास किया गया है।
परिणामों को प्रकट करना *अच्छे व्यवहार के प्राप्त लाभों को प्रकट करना।*	पिछले दो वर्षों में संहिता के माप्य वांछित परिणाम सामने आए हैं और कई सीआईआरपी समाधान दे रहे हैं जिसमें सीडी के परिसमापन मूल्य की तुलना में एफसी द्वारा प्राप्ति लगभग 190 प्रतिशत रही है। इन परिणामों के प्रसार ने संहिता को अधिक विश्वसनीयता प्रदान की है और अधिक हितधारकों को इसका उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित किया है।
बार–बार सुदृढ़ीकरण *लोगों को पिछले अच्छे व्यवहार की याद दिलाना; वांछित व्यवहार के लिए पूर्व–प्रतिबद्धता प्रकट करें, और यदि संभव हो, तो प्रतिबद्धता के अनुसार तत्काल कार्रवाई को सक्षम करें।*	बार–बार 'वांछनीय परिणामों का सुदृढ़ीकरण' करने 'की आवश्यकता है। सरकार और आईबीबीआई देश में दिवाला और शोधन अक्षमता शासन के लिए नए कानूनी ढांचे के संदर्भ में विभिन्न हितधारकों के साथ नियमित रूप से कार्यरत हैं, जिससे उन्हें प्रक्रियाओं के विवरण के बारे में पता चले। विभिन्न संचार चैनलों के माध्यम से इसके सकारात्मक परिणामों के बारे में बताया जा रहा है, इसलिए इसकी खूबियों को पुष्ट किया जा रहा है।
हानि वंचन का लाभ उठाना *इस पूर्वकथन के साथ अच्छे व्यवहार को पुरस्कृत करने हेतु प्रोत्साहन डिजाईन करना कि यदि यदि व्यवहार उम्मीदों से मेल नहीं खाएगा, तो बाद में इन्हें वापस लिया जा सकता है।*	संहिता में, इसकी प्रक्रिया डिजाइन के माध्यम से, जो एक सीडीआईआर शुरू होने के तुरंत बाद प्रायोजकों से सीडी के अधिकार ले लेता है, ने उन्हें चूक से बचने के लिए प्रेरित किया है, उन्हें चूक से दूर रहने के लिए प्रेरित किया है। इस प्रकार, संहिता इस अर्थ में निवारक साबित हुई है कि केवल यह संकेत देकर वास्तविक क्षति से बचा जाता है कि अनुपालन न करने के परिणाम भारी हो सकते हैं, और यह कि अच्छे क्रेडिट व्यवहार को पुरस्कृत किया जाएगा।
संदेशों को मानसिक मॉडल के अनुरूप बनाना *लोगों को अंगूठे के नए नियमों की ओर जाने के लिए प्रशिक्षित करें।*	फैसले लेने में मदद करने के लिए लोगों द्वारा अक्सर अंगूठे के सरल नियम जैसे अनुभव आधारित या मानसिक शॉर्टकट का उपयोग किया जाता है। संहिता के अधिकारक्षेत्र की वृद्धि और समाज में देनदारों और लेनदारों के लिए एक समस्या के समाधानकर्ता के रूप में संहिता के विकास को देखते हुए, यह उम्मीद की जाती है कि दिवाला का समाधान करने के लिए संहिता के प्रावधानों का सहारा लेना अब बिल्कुल आम बात बन जाएगी।

संहिता का आश्रय लेना स्वैच्छिक है। जहां कोई संहिता के पक्ष में अपने स्वैच्छिक विकल्पों का प्रयोग करता है, इसका परिणाम अन्य सभी हितधारकों के लिए अनिवार्य है। इसलिए, यह दिवाला प्रक्रिया का एक पक्ष है न कि राज्य जो अन्य सभी संबंधितों पर परिणाम थोंपता है। इसे सबसे शक्तिशाली 'नज' के रूप में देखा जा सकता है, जिसके लिए सभी हितधारकों को अपने सर्वोत्तम व्यवहार का प्रदर्शन करने की आवश्यकता होती है, सबसे पहले दिवाला में तेजी से रोकथाम कें लिए, यह सुनिश्चित करने के लिए कि सभी हितधारकों के हितों का ध्यान रखा जा रहा है।

कारपोरेट शासन

कई न्यायाधिकारों में कारपोरेट शासन के लिए संहिता होते हैं। भारत के पास भी सु–संहिताबद्ध कारपोरेट शासन मानदंड हैं और यह लगातार उनके स्तर को बढाता जा रहा है। कंपनी अधिनियम, 2013 और सेबी के नियम इस दिशा में महत्वपूर्ण मील के पत्थर के रूप में कार्य करते हैं। ये मानक आम तौर पर उस कंपनी पर लागू होते हैं, जिसे शेयरधारकों द्वारा प्रबंधित किया जाता है, जिसका प्रतिनिधित्व निदेशक मंडल द्वारा शासन व्यावसायिकों की सहायता से किया जाता है। संहिता संकटग्रस्त कंपनियों के लिए मानदंड निर्धारित करती है। कंपनियों की विफलता और बचाव में विफल रहने वाली कंपनियों को बचाने के लिए मानदंड, दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता, 2016 कारपोरेट प्रशासन को देश में नई ऊंचाइयों पर ले गई (बॉक्स 8)।

बॉक्स 8ः आईबीसीः कारपोरेट प्रशासन के लिए संहिता

कंपनी का मूल मन्त्र यह है कि उसे जीवित रहना है, मूल्य उत्पन्न करना है और हितधारकों के बीच समान रूप से मूल्य साझा करना है। जो ढांचा किसी कंपनी को ऐसा करने में सक्षम बनाता है, वह है कारपोरेट शासन। इस अर्थ में, आईबीसी कारपोरेट शासन के लिए 'संहिता' के रूप में कार्य करती है। इसका पहला क्रमागत उद्देश्य संकट में कंपनी को बचाना है। दूसरा क्रमागत उद्देश्य कंपनी की संपत्ति का अधिकतम मूल्य है और तीसरा क्रमागत उद्देश्य हितधारकों के हितों को संतुलित करना है। उद्देश्यों का यह क्रम पवित्र है।[67] यह आश्चर्य की बात नहीं है कि ओसीईडी कारपोरेट प्रशासन ढांचे के पूरक के लिए एक प्रभावी और कुशल दिवाला ढांचे की वकालत करे।

[67] बिनानी इंडस्ट्रीज लिमिटेड बनाम बैंक ऑफ बड़ौदा और अन्य सीए(एटी) सं. 82,123,188,216 और 234 –2018

जीवन को बचाना

संहिता में कंपनी के जीवन को संकट से बचाने के लिए कई प्रावधान हैं। यह अपने प्रवर्तकों/प्रबंधन से कंपनी के हितों को अलग करता है और प्राथमिक फोकस के साथ कंपनी के पुनरुद्धार और प्रबंधन को अपने स्वयं के प्रबंधन से बचाने और परिसमापन[68] से अवसान को सुनिश्चित करने के लिए इसे अलग करता है। यदि कोई आरए है, जो चिंता के विषय के रूप में फर्म को जारी रख सकता है, तो हर संभव प्रयास करना होगा और देखना होगा कि यह संभव है।[69] यह लाभकारी कानून है जो कंपनी को अपने पैरों पर खड़ा करता है, लेनदारों के लिए केवल वसूली कानून नहीं है।[70] यह एक प्रतिस्पर्धी, पारदर्शी बाजार प्रक्रिया प्रदान करती है, जो उस व्यक्ति की पहचान करती है, जिसे कंपनी को बचाने के लिए सबसे अच्छा रखा गया है और समाधान योजना का चयन करती है, जो परिस्थितियों में सबसे अधिक टिकाऊ है। यह सक्षम और विश्वसनीय व्यक्तियों से कंपनी के निरंतर जीवन को सुनिश्चित करने के लिए केवल व्यवहार्य और व्यवहार्य समाधान योजनाओं पर विचार करती है।

संहिता कंपनी को बचाने के लिए, सीओसी द्वारा प्रस्तुत लेनदारों को अधिकार देती है, जब वह अपने जीवन के लिए गंभीर खतरे का अनुभव करती है। इस प्रयोजन के लिए, सीओसी किसी भी या सभी हितधारकों के लिए किसी भी राशि के हेयर कट (मार्जिन) ले जा सकती है। यह पहले के तंत्रों के विपरीत बाजार से सबसे अच्छा समाधान चाहती है, जिसने लेनदारों को केवल मौजूदा प्रवर्तकों से एक समाधान खोजने की अनुमति दी। इसके अलावा, यह कंपनी को बचाने वाले किसी भी उपाय के लिए समाधान योजना प्रदान कर सकती है। यह प्रबंधन, प्रौद्योगिकी, या उत्पादय संपत्ति, व्यवसाय या उपक्रमों का अधिग्रहण या निपटान; संगठन, व्यवसाय मॉडल, स्वामित्व या बैलेंस शीट का पुनर्गठन; टर्न–अराउंड, बाय–आउट, विलय, समामेलन, अधिग्रहण या अधिग्रहण की कार्यनीतियाँ; और इसी तरह के पोर्टफोलियो में बदलाव ला सकती है।

मूल्य का इष्टतमीकरण करना

संहिता सुरक्षा उपायों और कंपनी के मूल्य और फलस्वरूप, इसके सभी हितधारकों के लिए मूल्य को बढ़ाती है। यह मूल्य को संरक्षित करने के लिए शीघ्रातिशीघ्र समाधान प्रक्रिया शुरू करने में सक्षम बनाती है। यह मूल्य में गिरावट को रोकने के लिए समयबद्ध तरीके से समाधान को अनिवार्य करती है। यह वसूली की परिकल्पना नहीं करती है, जो पहले–सह–प्रथम–सेवा के आधार पर लेनदारों के मूल्य को अधिकतम करती है। यह परिसमापन की अनुमति नहीं देती है, जो हितधारकों के लिए मूल्य को अधिकतम करती है जो जलप्रपात में उच्च रैंक करते हैं, जबकि कंसर्न के मूल्य को नष्ट करते हैं। परिसमापन प्रक्रिया कंपनी को पुनर्जीवित करने के लिए समाधान प्रक्रिया की विफलता पर ही शुरू होती है।

संहिता जारी कंसर्न सरप्लस को रोकने के लिए जारी कंसर्न के रूप में समाधान की सुविधा देता है। यह दिवाला प्रैक्टिशनर को कंपनी को जारी कंसर्न बनाने में सहायता करती है, आवश्यक सेवाओं की आपूर्ति को निलंबित या समाप्त करने, लाइसेंस, परमिट और अनुदान को जारी रखने के लिए अधिदेशित करती है; व्यक्तिगत दावों पर अमल को रोकती है, कंपनी चलाने के लिए अंतरिम वित्त जुटाने में सक्षम बनाती है, पूर्व प्रबंधन के अधीन कंपनी के कुकर्मों से आरए को परिरक्षित करती है, आदि। यह समाधान योजना के माध्यम से कंपनी को बड़ी प्रतिस्पर्धाओं के लिए दुनिया को सर्वोत्तम मूल्य देने के लिए बाजार तंत्र प्रदान करती है। यह हमेशा अपनी क्षमता से नीचे संसाधनों के उपयोग को रोककर और समाधान योजना के माध्यम से फर्म के भीतर संसाधनों के कुशल उपयोग को सुनिश्चित करके संसाधनों का इष्टतम उपयोग सुनिश्चित करती है। यह परिसमापन प्रक्रिया शुरू होने के बाद भी कंपनी या उसके व्यवसाय की बिक्री के माध्यम से कंपनी को छोटे टुकड़ों में बेचने की बजाय, मूल्य को अधिकतम करने का प्रयास करती है।

जहां पूर्ववर्ती दो वर्षों में संबंधित पक्षों और एक वर्ष के दौरान अन्यों के साथ अवांछनीय लेन–देन (अधिमानी लेन–देन, अघोषित लेन–देन, जबरन लेन–देन और धोखाधड़ी के लेनदेन) के कारण मूल्य में कमी हो गई है, वहां संहिता ऐसे मूल्य को उसी स्थिति में लाने में सक्षम बनाती है। यहां तक कि पूर्ण परिश्रम सहित किए गए कार्य की विफलता के कारण घटे हुए मूल्य की पुनर्प्राप्ति भी अनिवार्य है। यह एक गोधूलि क्षेत्र है जो उस समय शुरू होता है जब कोई निदेशक जानता था या जानना चाहिए था कि समाधान प्रक्रिया के शुरू होने तक बचने की कोई उचित संभावना नहीं है। कंपनी समाधान प्रक्रिया में प्रवेश करती है। इस अवधि के दौरान, निदेशक की अतिरिक्त जिम्मेदारी होती है कि वह लेनदारों को संभावित नुकसान को कम करने के लिए परिश्रम करे और वह इस तरह के नुकसान को कम करने के लिए उत्तरदायी है। इस प्रकार दिवाला के दौरान कंपनी को निदेशकों और प्रवर्तकों से नुकसान को बचाने के लिए मजबूत प्रतिरोधक की आवश्यकता है।

हितों का संतुलन साधना

किसी कंपनी के प्रत्यक्ष हितधारकों के दो मुख्य समूह हैं– शेयरधारक और लेनदार। यदि ऋण का भुगतान कर दिया जाता है, तो शेयरधारकों के पास कंपनी का पूर्ण नियंत्रण होता है। जब कंपनी ऋण का भुगतान करने में विफल रहती है, तो संहिता दिवाला होने के समाधान के लिए कंपनी का नियंत्रण लेनदारों को सौंप देती है। एक कंपनी पर शेयरधारकों और लेनदारों के अधिकारों और शक्तियों को संतुलित करते हुए, संहिता 'देनदार–स्वामित्व में' के स्थान पर 'लेनदार–नियंत्रण में' मॉडल को लाती है।

सीओसी कंपनी के भाग्य का फैसला करती है। हालांकि, यह सुनिश्चित करने के लिए जांच और संतुलन है कि समाधान प्रक्रिया विभिन्न हितधारकों के लिए उचित और समान परिणाम देती है। संहिता में ओसी को और असंतुष्ट एफसी को एक निश्चित न्यूनतम राशि का भुगतान करने के दौरान, एफसी की तुलना में ओसी को प्राथमिकता देते हुए किस प्रकार समाधान योजना में हितधारकों आदि के हितों का ख्याल रखा गया है, के बारे में विवरण दिया गया है। अंतिम विवेकशीलता सीओसी के पास है कि लेनदारों के प्रत्येक वर्ग या उपवर्ग को क्या और कैसे भुगतान करना है, लेकिन इसके निर्णय में यह तथ्य प्रतिबिंबित होना चाहिए कि उसने सीडी की संपत्ति के मूल्य को अधिकतम करने और इस तथ्य को ध्यान में रखा है कि इसमें सभी हितधारकों[71] के हितों को संतुलित किया गया है।

अग्रसक्रिय शासन

संहिता किसी कंपनी के संकट में आने से पहले ही उसके संचालन में योगदान देती है। विश्वसनीय खतरा यह है कि यदि कोई कंपनी व्यतिक्रम करती है, और फलस्वरूप यह समाधान प्रक्रिया में आ जाती है, तो पूरी संभावना है कि वह वर्तमान प्रवर्तकों/प्रबंधन के हाथों से हमेशा के लिए दूर हो जाएगी। सबसे पहले, क्योंकि प्रवर्तक समाधान योजना प्रस्तुत करने के लिए पात्र नहीं हो सकते हैं। दूसरा, भले ही पात्र हों, वे सबसे अधिक प्रतिस्पर्धी योजना प्रस्तुत नहीं कर सकते। यह समाधान से पहले अपनी क्षमता से नीचे संसाधनों के उपयोग को रोकती है, विफलता और व्यतिक्रम की घटनाओं को कम करता है। लंबे समय में, संहिता का सबसे अच्छा उपयोग यह होगा कि इसका बिल्कुल भी उपयोग न हो। यह अंतिम कारपोरेट प्रशासन होगा।

[68] स्विस रिबन्स प्रा. लिमिटेड और अन्य बनाम भारत संघ और अन्य (2019) 4 एसएससी 17.

[69] आर्सेलर मित्तल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड बनाम सतीश कुमार गुप्ता और अन्य (2019) 2 एससीसी 1.

[70] स्विस रिबन्स प्रा. लिमिटेड और अन्य बनाम भारत संघ और अन्य (2019) 4 एसएससी 17.

[71] एस्सार स्टील इंडिया लिमिटेड लेनदारों की समिति बनाम सतीश कुमार गुप्ता और अन्य. 2019 का सीए नंबर 8766–67

आगे बढ़ना

अच्छी तरह से संचालित कंपनी समाज के सम्मान और हितधारकों से प्रीमियम की मांग करती है। इसके संकटग्रस्त होने की संभावना नहीं है, और, संकट की दुर्लभ स्थिति में, इसे बहुत अधिक मूल्य के नुकसान के बिना जल्दी से हल किया जा सकता है। यह महत्वपूर्ण है क्योंकि संहिता ने संकट की स्थिति में, वसूली की संभावना से ध्यान हटाने की संभावना पर ध्यान केंद्रित किया है। कंपनी आवश्यकता उत्पन्न होने पर हर समय अपने आप को समाधान–योग्य रखना पसंद करती है और बाजार ऐसी कंपनी से व्यवहार करना पसंद करता है जो समाधान योग्य हो। समाधान–योग्य कंपनी गैर समाधान–योग्य कंपनियों की तुलना में ऋण की कम लागत[72] के माध्यम से प्रतिस्पर्धी लाभ प्राप्त करती है। यदि किसी कंपनी का मूल्य अनौपचारिक, ऑफ–रिकॉर्ड व्यवस्था या प्रवर्तकों या उनके परिवार के सदस्यों के बीच व्यक्तिगत संबंधों में निहित है, तो संभावित आरएएस को कंपनी का समाधान करने, मूल्य का पता लगाने और उनका दोहन करने में मुश्किल हो सकती है। कंपनी ऐसा मूल्य रखना पसंद करती है, जो कि आरए को दिखाई देने योग्य और आसानी से हस्तांतरणीय हो। इसी प्रकार, यदि कोई कंपनी समाधान प्रक्रिया के त्वरित निष्कर्ष को सक्षम करने के लिए अद्यतन आईएम तैयार रखती है, यदि प्रक्रिया आरम्भ हो जाती है। किसी कंपनी को हर समय समाधान योग्य बनाए रखने के लिए प्रोत्साहित करने से, संहिता कंपनी के लाभ के साथ–साथ बड़े पैमाने पर समाज के लिए 'जीवन इच्छाशक्ति' की तैयारी को बढ़ावा देती है।

वैश्विक पुनर्सरचना समीक्षा पुरस्कार

भारत ने वर्ष 2018 के लिए 'सबसे बेहतर क्षेत्राधिकार' के लिए प्रतिष्ठित संहिता वैश्विक पुनर्संरचना समीक्षा (जीआरआर) पुरस्कार जीता। यह पुरस्कार उस क्षेत्राधिकार को मान्यता देता है जिसने पिछले वर्ष की तुलना में अपने पुनर्गठन और दिवाला शासन में सुधार किया। इस पुरस्कार के लिए चुने गए अन्य न्यायालयों में यूरोपीय संघ और स्विट्ज़रलैंड शामिल थे। विजेता का चयन एक कठोर वैश्विक नामांकन प्रक्रिया के आधार पर किया जाता है। सिंगापुर ने 2017 में मोस्ट इम्प्रूव्ड ज्यूरिसडिक्सन श्रेणी में पुरस्कार जीता। यह पुरस्कार श्री बेंजामिन क्लार्क, सीनियर रिपोर्टर, जीआरआर द्वारा दिवाला शासन के तीन मुख्य घटक, अर्थात, एए, एमसीए और आईबीबीआई को 20 जुलाई, 2018 को दिल्ली में आयोजित एक समारोह में दिए गए।

सुश्री क्रियाकी कराडेलिस, संपादक, जीआरआर ने इस अवसर पर टिप्पणी की: *"सबसे बेहतर अधिकार क्षेत्र के लिए पुरस्कार बेहद अच्छी तरह से योग्य है। जैसा कि आप जानते हैं, भारत पिछले साल सिंगापुर से खिताब जीतने से चूक गया था, लेकिन 2016 के दिवाला और शोधन अक्षमता विधि के रूप में नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल के नए नेटवर्क में परीक्षण करना शुरू कर दिया गया है, जिसके परिणामस्वरूप कई महत्वपूर्ण, पूर्व–स्थापित निर्णय लिए गए हैं, लगा कि इस क्षेत्र में भारत की प्रगति का जश्न मनाने का सही समय है।"*

नई दिल्ली में 20 जुलाई, 2018 को जीआरआर पुरस्कार समारोह

निष्कर्ष

संक्षेप में संहिता से एक प्रभावी, कुशल और प्रभावोत्पादक दिवाला शासन की शुरुआत हुई है। ग्रीन शूट एनपीए से वसूली के रूप में और लेनदारों और देनदारों के बीच व्यवहार परिवर्तन से हरियाली दिखाई देने लगी है। उद्यमी समयबद्ध, सुव्यवस्थित निकास तंत्र की उपलब्धता को देखते हुए अधिक जोखिम उठा सकता है। आगे बढ़ते हुए, जैसा कि कानूनी ढांचे को और सुव्यवस्थित किया जा रहा है, आगे सकारात्मक परिणाम सामने आने की संभावना है।

[72] डॉ. अजय शाह, दी नेक्स्ट लेवल ऑफ क्रेडिट एनालिसिस, बिजनेस स्टैंडर्ड, 8 जनवरी 2018.

छ बोर्ड का कार्य–निष्पादन

संहिता का एक प्रमुख नवाचार संस्थागत बुनियादी ढांचे के चार स्तंभ[73] हैं, जिसमें एक नियामक, आईबीबीआई शामिल है। आईबीबीआई एक अद्वितीय नियामक है, जो दिवाला व्यवसाय के साथ–साथ दिवाला प्रक्रियाओं को नियंत्रित करता है। इसमें आईपी, आईपीए, आईपीई और आईयू पर विनियामक निरीक्षण है। यह संहिता के अधीन विभिन्न प्रक्रियाओं के लिए नियम तैयार करता है और उनका प्रशासन करता है, अर्थात्, कारपोरेट दिवाला समाधान, कारपोरेट परिसमापन, नई शुरुआत, व्यष्टिक दिवाला समाधान और संहिता के अधीन व्यक्तिगत दिवाला और शोधन अक्षमता। इसके पास संहिता के उद्देश्यों को आगे बढ़ाने के लिए आईपी, आईपीएएस, और आईयू और अन्य संस्थानों के कामकाज और प्रथाओं को विनियमित करने और उनके विकास को बढ़ावा देने की जिम्मेदारी है। यह प्रत्येक दिवाला और शोधन अक्षमता प्रक्रिया के बारे में प्रासंगिक डेटा और सूचनाओं को एकत्र, व्यवस्थित और प्रसारित करता है और दिवाला और शोधन अक्षमता के क्षेत्र में अनुसंधान और अध्ययनों को संचालित करके बढ़ावा देता है। यह देश में मूल्यांककों के व्यवसाय के नियमन और विकास के लिए कंपनी (रजिस्ट्रीकृत मूल्यांकक और मूल्यांकन नियम), 2017 के अधीन 'प्राधिकरण' है।

अद्वितीय नियामक

पारंपरिक राजकीय वस्तुओं की बाजारों के शासन में कुछ सीमाएँ हैं। बाजार अर्थव्यवस्था की गतिशील प्रकृति के कारण उत्पन्न होने वाले मुद्दों को प्रभावी ढंग से संबोधित करने के लिए और राज्य के हस्तक्षेपों की विश्वसनीयता प्रदान करने के लिए, रुचि समूहों के विशेषज्ञता के प्रभाव के साथ बनाया गया है, सरकारें नियामकों की स्थापना कर रही हैं और उन्हें कार्य की आवश्यकताओं के अनुरूप संसाधन, आवश्यक शक्तियों, विशेषज्ञता से लैस कर रही हैं। । सरकार के साथ शासन को साझा करने के लिए नियामकों का उदय वास्तविकता है। नियामकों के माध्यम से शासन हाल के दशकों में सबसे महत्वपूर्ण संस्थागत सुधारों में से एक है।

1990 के दशक में आर्थिक सुधारों के बाद से भारत में कई नियामक स्थापित किए गए हैं। चूंकि नियामक शासन की जगह में अपनी विश्वसनीयता और स्वीकार्यता स्थापित करते हैं, हितधारक और अन्य संस्थान आसपास के नियामकों के साथ रहना सीख रहे हैं।

सरकार की प्राथमिकता और फोकस के साथ, आईबीबीआई ने 1 अक्तूबर, 2016 को अपनी स्थापना के बाद से, पारिस्थितिकी तंत्र के तत्वों के निर्माण में हितधारकों के साथ मिलकर काम किया है और पारिस्थितिकी तंत्र के तत्वों के बीच पुल का कार्य कर रहा है। बोर्ड कुछ विशिष्ट नियामक सुविधाओं और चुनौतियों के साथ अद्वितीय नियामक है (बॉक्स 9)। आईपीए, आरवीओ, व्यापार और उद्योग निकायों, शिक्षाविदों और विश्वविद्यालयों और व्यावसायिकों की मदद करने के साथ, यह बहुत आवश्यक संस्थागत क्षमता का निर्माण कर रहा है। दिवाला सुधार का समर्थन करने के लिए नियामक ढांचे को प्रदान करते हुए अभूतपूर्व गति से सुधार को लागू करें। यह गतिशील और सक्रिय नियामक के रूप में खुद को सक्षम करता है जो वित्तीय संकट में व्यक्तियों के लिए बेहतर और न्यायसंगत परिणामों की सुविधा के लिए उत्तरदायी और अनुकूल नियामक ढांचा प्रदान करता है। यह महत्वपूर्ण है कि बोर्ड अपने डीएनए को समझता है, और हितधारक उसकी विशिष्टता को पहचानते हैं।

चार उद्देश्य

विश्वसनीयता 'संगठन' को 'संस्थान' से अलग करती है। महान संगठन विश्वसनीयता अर्जित करने की आकांक्षा रखते हैं और इस प्रक्रिया में संस्थान बन जाते हैं। संस्थागत समानता में इसे "वैधता" कहा जाता है जो संस्थान जैविक ब्रांड इक्विटी[74] के रूप में प्राप्त करते हैं। विश्वसनीयता बनाने में कई वर्ष और दशक लग जाते हैं। चार महत्वपूर्ण उद्देश्य आईबीबीआई को अपने संस्थान में परिवर्तित होने के लिए प्रेरित कर रहे हैं, ताकि वह आगे बढ़े और अपनी प्राथमिकताओं को साकार कर सके। यह, समय के साथ अपने कार्यों और प्रक्रियाओं की योजना, वितरण, निगरानी और सुधार को आकार दे रहा है। इसका ब्यौरा नीचे विस्तृत हैं।

आत्मविश्वास को बढ़ावा देना

हितधारकों के साथ संबंधों पर भरोसा विश्वसनीय संगठन की नींव है। इसके लिए, आईबीबीआई अपने प्रत्येक हितधारक के साथ कई तरीकों से जुड़ रहा है और पारदर्शिता, स्थिरता और निष्पक्षता के साथ उभरती स्थितियों का जवाब दे रहा है।

(क) यह मानते हुए कि संहिता पूर्ववर्ती दिवाला और शोधन अक्षमता शासन से उदाहरण दर्शाने वाला परिवर्तन है और यह अपने आप में पूरी संहिता है और इसमें निपटाए गए मामलों से पूर्ण है[75], हितधारकों के साथ जुड़कर उन्हें जागरूक करना महत्वपूर्ण है। नए शासन के प्रावधान और संहिता के अधीन, आवश्यकता के मामले में उसका उपयोग करने के तरीके प्रयोग करके प्रक्रियाओं को मजबूत और सुव्यवस्थित करने के लिए उनसे आदान की मांग करें । रिपोर्ट की धारा ग.3 में विस्तृत रूप से, आईबीबीआई बड़े पैमाने पर और विभिन्न स्वरूपों में हितधारकों, सम्मेलनों, सेमिनारों, गोलमेज सम्मलेन, कार्यशालाओं, और वेबिनार और विभिन्न क्षमताओं, अर्थात संकाय, पैनलिस्ट, स्पीकर, गेस्ट ऑफ ऑनर और मुख्य अतिथि के साथ व्यापक रूप से और आकर्षक रूप से जुड़ा हुआ है। अपनी जिम्मेदारियों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए, आईबीबीआई का प्रयास है कि दिवाला और शोधन अक्षमता के क्षेत्र में आईपी और अन्य सेवा प्रदाताओं की क्षमता का निर्माण किया जाए, क्योंकि यह नया कानून है। एक और परिकल्पित परिणामों के वितरण को सक्षम बनाने के लिए सही ढंग से समझने और व्याख्या करने की आवश्यकता है। यह कई क्षमता निर्माण, वकालत और जागरूकता कार्यक्रमों का

[73] वित्त मंत्रालय, प्रेस रिलीज, 11 मई, 2016
[74] विलियमसन, ओलिवर ई. (1996), "द मेकेनिज्म ऑफ गवर्नेंस", ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस, न्यूयॉर्क।
[75] मेसर्स इनोवेटिव इंडस्ट्रीज लिमिटेड बनाम आईसीआईसीआई बैंक और अन्य (2018) 1 एससीसी 407

बॉक्स 9: आईबीबीआईः अद्वितीय नियामक

अधिकांश दिवाला क्षेत्राधिकार में नियमन के पदानुक्रम में दो परतें होती हैं, अर्थात, सरकार और सदस्यता संगठन। उदाहरण के लिए, यूके में इन्सोल्वेंसी प्रैक्टिशनर्स को अधिकृत और विनियमित करने के उद्देश्य से व्यापार, ऊर्जा और औद्योगिक कार्यनीति विभाग और ऊर्जा और औद्योगिक कार्यनीति मंत्री द्वारा मान्यता प्राप्त पांच व्यावसायिक निकायों (आरपीबी) के लिए दिवाला सर्विस है। भारतीय न्यायाधिकार में पदानुक्रम में तीन स्तर हैं, अर्थात् सरकार, आईबीबीआई और आईपीए, जो आरपीबी के बराबर हैं। किसी भी दिवाला क्षेत्राधिकार में शायद आईबीबीआई की तरह कोई एजेंसी नहीं है।

भारतीय नियामक क्षेत्र में आईबीबीआई जैसी एजेंसी शायद नहीं है। बाजार नियामक की स्थापना कई विधानों का प्राथमिक उद्देश्य है जैसे भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992, भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934, भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1999, आदि। जैसा कि सेबी अधिनियम के लंबे शीर्षक में कहा गया है, यह प्रतिभूतियों में निवेशकों के हितों की रक्षा के लिए और सेबी के प्रतिभूति बाजार के विकास को बढ़ावा देने और विनियमित करने के लिए सेबी की स्थापना के लिए एक अधिनियम है। जिम्मेदारियों दायरे में सेबी अपने उद्देश्यों को आगे बढ़ाने के लिए उपयुक्त कई उपाय शामिल हैं। संहिता, हालांकि, कारपोरेट व्यक्तियों और व्यष्टिकों के लिए दिवाला समाधान प्रक्रियाओं का प्रावधान करती है। यह ऐसा पारिस्थितिकी तंत्र भी प्रदान करती है, जिसमें संहिता के कार्यान्वयन के लिए एए, आईबीबीआई, आईपी और आईयू शामिल हैं। संहिता के उद्देश्यों में से एक आईबीबीआई की स्थापना है। संहिता के कुछ अध्यायों में आईबीबीआई को उसके विशिष्ट कार्यों की सूची प्रदान की गई है। इस प्रकार, आईबीबीआई की दिवाला और शोधन अक्षमता व्यवस्था में विशिष्ट भूमिका है, जबकि सेबी प्रतिभूति बाजार के हर पहलू के लिए विशेष रूप से जिम्मेदार है।

कंपनी सचिव अधिनियम, 1980 कंपनी सचिवों के व्यवसाय के नियमन और विकास के लिए प्रावधान करता है और इस उद्देश्य के लिए भारतीय कंपनी सचिव संस्थान (आईसीएसआई) की स्थापना करता है। जबकि आईसीएसआई व्यवसाय को विकसित और नियंत्रित करता है, यह कंपनी अधिनियम, 2013 या अन्य प्रासंगिक विधानों के अधीन लेनदेन के लिए कंपनी सचिवों द्वारा पालन किए जाने वाले नियमों को निर्दिष्ट नहीं करता है। आईबीबीआई, आईपी का विकास और विनियमन करता है। यह संहिता के अधीन लेनदेन के लिए आईपी द्वारा पालन किए जाने वाले नियमों को भी निर्दिष्ट करता है। इसके अलावा, जबकि आईसीएसआई कंपनी सचिवों के व्यवसाय के लिए विशेष रूप से जिम्मेदार है, आईबीबीआई आईपीएएस के साथ मिलकर, दिवाला व्यवसाय से संबंधित जिम्मेदारी का निर्वहन करता है।

सेबी और कई अन्य नियामक बाजारों का विकास और विनियमन करते हैं। हालांकि, वे उन व्यवसायों को विकसित और विनियमित नहीं करते हैं, जो अपने अधिकार क्षेत्र में सेवाएं प्रदान करते हैं। आईसीएसआई और अन्य समान नियामक व्यवसायों को विकसित और विनियमित करते हैं, लेकिन उन बाजारों का विकास और विनियमन नहीं करते हैं जहां व्यावसायिक सेवा करते हैं। आईबीबीआई, आईपी के व्यवसाय को विकसित और नियंत्रित करता है और उस बाजार का विकास और नियमन भी करता है जहां आईपी सेवाएं प्रदान करते हैं। यह संहिता के उद्देश्यों को आगे बढ़ाने और आईपी, आईपीएएस, और आईयू और अन्य संस्थानों के कामकाज और प्रथाओं को विकसित और विनियमित करने के लिए जिम्मेदारी है। यह दिवाला स्पेस में सेवा प्रदाताओं का विनियामक निरीक्षण करता है, और संहिता के अधीन प्रक्रियाओं, अर्थात, सीआईआरपी, कारपोरेट परिसमापन, व्यक्तिगत दिवाला समाधान और व्यक्तिगत दिवाला और शोधन अक्षमता के लिए नियम लिखता है। इसे देश में मूल्यों के व्यवसाय के नियमन और विकास के लिए मानदंड नियमों के अधीन 'प्राधिकरण' के रूप में नामित किया गया है।

हर दूसरे नियामक की तरह, आईबीबीआई के पास अर्ध–विधायी जिम्मेदारियां हैं। यह आईबीबीआई का प्रयास रहा है कि विनियमन बनाने की प्रक्रिया में हितधारकों के साथ प्रभावी रूप से संलग्न हो। यह हितधारकों के साथ कई गोलमेज सम्मलेन में मसौदा नियमों पर चर्चा करता है, मुद्दों को संबोधित करने के लिए उक्त विनियमों की उपयुक्तता के बारे में चर्चा करता है। यह प्रत्येक मसौदा विनियमन और उप–विनियमन पर, इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म के माध्यम से जनता की टिप्पणियों को प्राप्त करता है। यह मसौदा नियमों पर संबंधित एसी की सलाह भी प्राप्त करता है। आईबीबीआई द्वारा बनाए गए नियमों को आम तौर पर न्यायिक सम्मान प्रदान किया गया है और एए, एनसीएलएटी और एससी द्वारा उपयोगी पाया गया है। ऐसे उदाहरण भी हैं जहां आईबीबीआई द्वारा बनाए गए नियमों ने मस्टर को पारित नहीं किया। एए ने सीआईआरपी विनियमों के विनियमन 36क[76] को संहिता की धारा 240(1) के अनुरूप न होने के कारण संपार्श्विक कार्यवाही में, और आईबीबीआई को नोटिस दिए बिना निरस्त कर दिया।

प्रत्येक नियामक के पास कुछ कार्यकारी जिम्मेदारियां होती हैं। यह नियमों को लागू करता है। यह प्रासंगिक बाजार सहभागियों के संबंध में ऐसा करता है। उदाहरण के लिए, सेबी कंपनी, निदेशक मंडल, शेयरधारकों, निवेशकों, मर्चेंट बैंकरों, लेखापरीक्षकों, आईपी आदि पर इनसाइडर ट्रेडिंग नियमों को लागू करता है, हालांकि, आईबीबीआई सीडीआर, प्रमोटरों, लेनदारों, आरएएस आदि पर सीआईआरपी विनियमन लागू नहीं करता है। हालाँकि, यह आईपी, आईपीए और आईयू से संबंधित नियमों को लागू करता है। कुछ सेवा प्रदाता शायद आईबीबीआई के साथ अपने जुड़ाव को पूरी तरह से नहीं समझते हैं। ऐसे उदाहरण हैं जहां सेवा प्रदाताओं ने आईबीबीआई दिवाला प्रैक्टिशनर्स एलएलपी[77] या 'ibbivaluers.com'[78] नाम की वेबसाइटों के नाम से संगठन बनाए हैं, जिन्हें आईबीबीआई के नोटिस पर बंद कर दिया गया है।

आईबीबीआई के पास कुछ अर्ध–न्यायिक जिम्मेदारियां हैं। इसमें अपने मार्ग से भटकने वाले व्यवहार के मामले में आईपी को अनुशासित करना शामिल है। हालांकि, ऐसे उदाहरण हैं जहां हितधारकों ने आईपी के विरुद्ध एफआईआर दर्ज की है या आईपी को अनुशासित करने का प्रयास किया है। आईपी पर जुर्माना लगाने[79] या आईबीबीआई को अनुशासनात्मक कार्रवाई करने से रोकने या आईबीबीआई द्वारा शुरू की गई अनुशासनात्मक कार्यवाही को रोकने के भी आदेश हैं।[80] एए ने स्पष्ट किया है:[81] *"अगर, दिवाला वृत्तिक के विरुद्ध कोई शिकायत है तो आईबीबीआई के गठन के लिए सक्षम अनुशासनात्मक समिति और संहिता की धारा 220 के प्रावधान के अनुसार जांच प्राधिकरण से एक ही जांच की जाती है। अगर, जांच के बाद 'आईबीबीआई' पाता है कि दिवाला समाधान वृत्तिक के विरुद्ध आपराधिक मामला बनाया गया है, तो 'आईबीबीआई' को उसके द्वारा किए गए अपराधों के संबंध में शिकायत दर्ज करनी होगी। यह उपर्युक्त वस्तु के साथ है कि आईआरपी द्वारा सद्भाव में की गई कार्रवाई को संरक्षण संहिता की धारा 233 द्वारा मान्य किया गया है। 'आईबीबीआई' द्वारा शिकायत दर्ज करने के अभाव में अपराधों के मुकदमे पर भी पूरी तरह से रोक है, जैसा कि संहिता की धारा 236(1)(2) को देखने से स्पष्ट है।"*

[76] भारतीय स्टेट बैंक बनाम सुकाम पावर सिस्टम्स लिमिटेड, सी. पी. नंबर (आईबी) – 540 (पीबी)/ 2017
[77] आईबीबीआई आदेश संख्या आईबीबीआई/डीसी/09/2018 दिनांक 6 सितंबर, 2018.
[78] आईबीबीआई आदेश संख्या आईबीबीआई/डीसी/16/2020 दिनांक 8 जनवरी, 2020.
[79] अपना साइंटिफिक सप्लायर्स प्रा. लि. /811/आईबी/2018 में सीपी एमए/154/2019.
[80] पंजाब नेशनल बैंक बनाम राणा ग्लोबल लिमिटेड (आईबी) –196 (एनडी) 2018
[81] मैसर्स अलकेमिस्ट एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड बनाम मेसर्स होटल गौड़वन प्रा.लि. लि. खसिविल ए. सं. 16929–2017.

आयोजन और भागीदारी करता है, जिनका विवरण इस रिपोर्ट के भाग ग की सारणी 13 में प्रदान किया गया है। उच्च शिक्षा के छात्रों के बीच दिवाला और शोधन अक्षमता शासन के बारे में जागरूकता पैदा करने के अपने प्रयास में, यह शिक्षण संस्थानों के माध्यम से निबंध प्रतियोगिताओं का आयोजन करता है और कानून, अर्थशास्त्र और व्यावसायिक पाठ्यक्रमों के छात्रों को इंटर्न के रूप में प्रशिक्षित करता है।

(ख) बोर्ड ने हितधारकों, देनदारों, लेनदारों, दावेदारों, आरएएस, सेवा प्रदाताओं, या किसी अन्य व्यक्ति के पास दिवाला समाधान, परिसमापन, स्वैच्छिक परिसमापन या दिवाला और शोधन अक्षमता प्रक्रिया में रुचि रखने वालों की शिकायतों और परिवादों से निपटने के लिए संहिता के नियमों को अधिसूचित किया है। इनसे उद्देश्यपूर्ण, पारदर्शी और समयबद्ध तरीके से निपटा जा रहा है। भाग घ में सारणी 32 में 2018–19 में शिकायतों और शिकायतों की प्राप्ति और निपटान के बारे में बताया गया है। आईपीएएस, उसके सदस्यों या आईयू के विरुद्ध किसी भी शिकायत के प्राप्त होने पर, या बोर्ड के पास यह मानने के लिए उचित आधार हैं कि किसी भी आईपीए, आईपी या आईयू ने संहिता या नियमों या नियमों के किसी भी उपबंध का उल्लंघन किया है, बोर्ड निरीक्षण करता है, जहाँ भी आवश्यक हो, शीघ्रता से निरीक्षण रिपोर्ट देता है। निरीक्षण रिपोर्ट या रिकॉर्ड पर उपलब्ध सामग्री की जांच के आधार पर, बोर्ड अभियुक्त के विशिष्ट आचरण और कानून के विशिष्ट प्रावधान के उल्लंघन का विवरण देते हुए अभियुक्त को एससीएन जारी कर सकता है। प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का पालन करने के बाद, डीसी शीघ्रातिशीघ्र एससीएन का निपटान करता है।

(ग) आईबीबीआई उसी के लिए आवेदन प्राप्त होने पर आईपी, आईपीए, आईयूएस, आरवी, और आरवीओ को रजिस्ट्रीकृत करता है। यह अनुप्रयोगों के प्रसंस्करण के लिए एक अच्छी तरह से स्थापित प्रक्रिया है। पात्रता आवश्यकताओं को पूरा करने वाले केवल 'उपयुक्त और उचित' व्यक्ति बोर्ड द्वारा रजिस्ट्रीकृत हैं। जहां बोर्ड प्रथम राय बनाता है कि रजिस्ट्रीकरण के आवेदन को अस्वीकार किया जाना है, यह उक्त विचार को उसके कारण के साथ बताता है। आवेदक को यह समझाने का अवसर दिया जाता है कि वह रजिस्ट्रीकृत होने के योग्य कैसे है। डब्ल्यूटीएम उसे सुनता है और या तो रजिस्ट्रीकरण की अनुमति देता है या रजिस्ट्रीकरण के आवेदन को अस्वीकार करता है। वह केवल तर्क के आधार पर आवेदन निरस्त कर देता है। आईबीबीआई ने 2018–19 के दौरान विभिन्न आदेश जारी किए हैं:

क्रम सं.	आदेश का प्रकार	प्राधिकरण	के दौरान जारी आदेश	
			2017-18	2018-19
1	आईपी के रूप में रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन रद्द करना	बोर्ड	06	03
2	आरवी के रूप में रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन रद्द करना	बोर्ड	उप. नहीं	01
3	कारण बताओ नोटिस का निपटान	अनुशासनात्मक समिति	शून्य	11
4	के.लो.सू.अधि. के आदेशों के विरुद्ध अपील	प्रथम अपीलीय प्राधिकारी	05	29

(घ) आईपीए और आरवीओ दिवाला व्यवसाय और मूल्यांकन व्यवसाय को विकसित करने और विनियमित करने के लिए जिम्मेदार हैं। आईबीबीआई हर महीने की 7 तारीख को तीन आईपीएएस, 11 आरवीओ और एक आईयू के एमडी/सीईओ से उनके शासन और संचालन से उत्पन्न मुद्दों पर चर्चा करने, दिवाला और मूल्यांकन प्रैक्टिस और दिवाला और परिसमापन कार्यवाही के सामूहिक समाधान पर पहुंचने और उभरती समस्याओं से निपटने के लिए अभ्यास के लिए सर्वोत्तम विकास करने का अवसर मिलता है। ।

(ड.) आईबीबीआई अपनी वेबसाइट और त्रैमासिक समाचार पत्र के माध्यम से संहिता के अधीन प्रक्रियाओं के परिणामों को साझा करता है। यह सीआईआरपी, कारपोरेट परिसमापन प्रक्रिया, स्वैच्छिक परिसमापन प्रक्रिया, सेवा प्रदाताओं, परीक्षाओं और पक्ष समर्थन और जागरूकता कार्यक्रमों के संबंध में डेटा एकत्र करता है और उपलब्ध कराता है। इसके अलावा, मानक जवाबदेही व्यवस्था में विनियमों, वार्षिक खातों और वार्षिक रिपोर्ट को संसद के समक्ष रखना भी शामिल है। आईबीबीआई अपने नियमों, वार्षिक खातों और वार्षिक रिपोर्टों को प्रस्तुत करता रहा है जो पारदर्शिता को बढ़ावा देता है और व्यापक श्रोताओं द्वारा अपने काम की जांच करने में सक्षम बनाता है।

उत्तरदायी विनियमन

विनियमन विशुद्ध आशीष नहीं है। न ही हर बाजार की विफलता के लिए विनियमन है। विनियमन बनाना 'एक आकार–सभी फिट' दृष्टिकोण नहीं है। उचित विनियमन के लिए विभिन्न कार्यनीतियों और दृष्टिकोणों की आवश्यकता होती है जो अलग–अलग बाजार की विफलताओं को बिना या नगण्य अनपेक्षित परिणामों को संबोधित करते हैं। परिचालन वातावरण और बाजार की विफलताएं समय के साथ बदलती रहती हैं और नियामकों को इस तरह के बदलावों का आकलन करने और बदलती जरूरतों को पूरा करने के लिए नियमों को संशोधित करने की लचीली और निरंतर क्षमता की आवश्यकता होती है। उत्तरदायी नियामक प्रतिभागियों की स्वतंत्रता को प्रतिबंधित किए बिना, बाजार की बदलती जरूरतों के साथ, नियमों को डिजाइन और संशोधित करता है। बोर्ड ने यह सुनिश्चित करने के लिए विनियमन बनाने की प्रक्रिया को मानकीकृत किया है कि विनियमन प्रभावी होने के साथ–साथ उत्तरदायी भी हैं, न कि अत्यधिक कठोर हों। इसे ध्यान में रखते हुए, इसने आईबीबीआई (विनियमन जारी करने हेतु तंत्र) विनियमन, 2018 को लागू किया है जो विनियमन बनाने और जनता से परामर्श करने की प्रक्रिया को नियंत्रित करता है।

आईबीबीआई के पास किसी भी हितधारक को किसी भी नए विनियमन की तलाश करने या मौजूदा नियमों में से किसी में भी किसी बदलाव की अनुमति देने के लिए स्थायी व्यवस्था है। यह प्रत्येक हितधारक को एक नियामक बनाता है। आईबीबीआई ने सार्वजनिक डोमेन में प्रस्तावित नियमन के मसौदे के साथ चर्चा पत्रों को भी रखा है। यह प्रत्येक हितधारक को नियमन में भागीदार बनाता है। आईबीबीआई के संचालन प्रभाग के विचारों के साथ हितधारकों से प्राप्त सभी टिप्पणियों और सुझावों को एक निर्णय के लिए आईबीबीआई के जीबी के समक्ष रखा जाता है। जीबी के एजेंडा नोट भी हितधारकों के लिए वेबसाइट पर आईबीबीआई द्वारा किए गए परामर्श प्रक्रिया के विवरण और अंतिम निर्णय के आधार के लिए रखे गए हैं। यह विनियमन तैयार करते समय, नियामक और हितधारकों और हितधारकों के मध्य सूचनाओं के बहु–दिशात्मक प्रवाह की सुविधा प्रदान करता है। इसके अलावा, विभिन्न हितधारकों तक पहुंचने और मसौदा नियमों पर अपनी प्रतिक्रिया प्राप्त करने के लिए, आईबीबीआई स्वयं या उद्योग/संस्थानों/संगठनों के साथ मिलकर, नियमों को अंतिम रूप देने से पहले विभिन्न शहरों में गोलमेज सम्मलेनों का आयोजन करता है। यह इस तरह के गोलमेज सम्मलेन का आयोजन भी करता है ताकि नियमों का इरादा हितधारकों के लिए

बनाया जा सके और नियमों के कार्यान्वयन को सुविधाजनक बनाया जा सके। समीक्षाधीन अवधि में आयोजित इस तरह के गोलमेज सम्मेलन की एक सूची, भाग ग की सारणी 16 में सूचीबद्ध की गई है।

आईबीबीआई, 31 मार्च, 2019 से निम्नलिखित विनियमों का प्रयोग कर रहा है

क्रम संख्या	विनियमन
1	दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (आदर्श उप–नियम और दिवाला वृत्तिक अभिकरण शासी बोर्ड) विनियमन, 2016
2	दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (दिवाला वृत्तिक अभिकरण) विनियमन, 2016
3	दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (दिवाला वृत्तिक) विनियमन, 2016
4	दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (कारपोरेट व्यक्तियों के लिए दिवाला समाधान प्रक्रिया) विनियमन, 2016
5	दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (परिसमापन प्रक्रिया) विनियमन, 2016
6	दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (अनुसंधान एसोसिएट्स और परामर्शदाता की नियुक्ति) विनियमन, 2017
7	दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (कारपोरेट व्यक्तियों के लिए दिवाला समाधान प्रक्रिया) (दूसरा संशोधन) विनियमन, 2017
8	दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (शासी बोर्ड बैठकों के लिए प्रक्रिया) विनियमन, 2017
9	दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (स्वैच्छिक परिसमापन प्रक्रिया) विनियमन, 2017
10	दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (सूचना उपयोगिताएं) विनियमन, 2017
11	दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (निरीक्षण और अन्वेषण) विनियमन, 2017
12	दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (कारपोरेट व्यक्तियों के लिए फास्ट ट्रैक दिवाला समाधान प्रक्रिया) विनियमन, 2017
13	दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड(कर्मचारी सेवाएं) विनियमन, 2017
14	दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (शिकायत और शिकायत हैंडलिंग प्रक्रिया) विनियमन, 2017
15	आईबीबीआई (विनिमान जारी करने के लिए ढांचा) विनियमन, 2018

हालांकि सभी प्रक्रियाओं और बाजार मध्यस्थों के लिए विनियमों की रूपरेखा लागू है, जहां भी मौजूदा कानूनी स्थिति पर कोई स्पष्टीकरण आवश्यक है, बोर्ड परिपत्रों के माध्यम से समान प्रदान करता रहा है। यह आईबीबीआई का प्रयास रहा है कि वह अपने जनादेश को वितरित करे और उभरती जरूरतों को पूरा करने के लिए नवीन और सामयिक समाधानों के साथ आए। उदाहरण के लिए, जहां एक वर्ग में लेनदारों के मामले में पार्टियों के बीच ब्याज की दर पर सहमति नहीं हुई है, आईबीबीआई ने निर्दिष्ट किया कि ऐसे लेनदार का मतदान हिस्सा वित्तीय ऋण के अनुपात में होगा जिसमें आठ प्रतिशत वार्षिक की दर से ब्याज शामिल है।

दिवाला सेवाओं का व्यावसायीकरण

बाजार अर्थव्यवस्था की सेवा करने में व्यावसायिकों का प्रभाव वर्षों से बढ़ रहा है। बाजारों की बढ़ती जटिलता को देखते हुए, काफी हद तक व्यावसायिकता राष्ट्रों की प्रतिस्पर्धा में बढ़त और समृद्धि की निरंतरता को निर्धारित करती है। इसलिए, यह अपेक्षित है कि व्यवसायों को सही लोकाचार और क्षमता के साथ विकसित किया जाए, जहां व्यवसाय के सदस्यों को उनकी सेवाओं के लिए जिम्मेदार ठहराया जाए, जबकि उन्हें सम्मानित प्रतिष्ठा प्राप्त है। भारत ने हाल ही में दो व्यवसायों के जन्म को देखा है, अर्थात् दिवाला व्यवसाय और मूल्यांकन व्यवसाय, जिन्होंने दिवाला सेवाओं को काफी हद तक व्यावसायिक बना दिया है (भाग ग में देखें)।

बोर्ड का एक प्रमुख कार्य संहिता के उद्देश्यों को आगे बढ़ाने के लिए आईपी, आईपीए, आईयू और अन्य संस्थानों के कामकाज और प्रथाओं के विकास को बढ़ावा देना है। यह 31 मई, 2019 की स्थिति के अनुसार, निम्नलिखित सेवा प्रदाताओं को सेवा प्रदान कर रहा है:

क्रम संख्या	सेवा प्रदाता	31 मार्च को संख्या	
		2018	2019
1	दिवाला वृत्तिक	1812	2456
2	दिवाला वृत्तिक एंटिटी	75	48
3	दिवाला वृत्तिक अभिकरण	03	03
4	सूचना उपयोगिताएं	01	01
5	रजिस्ट्रीकृत मूल्यांकक संगठन	03	11
6	रजिस्ट्रीकृत मूल्यांकक	धून्य	1186

** 977 व्यक्तियों को छोड़ कर जिनका रजिस्ट्रीकरण 30 जून, 2017 तक समाप्त हो गया.*

आईबीबीआई, 31 मार्च, 2019 की स्थिति के अनुसार निम्नलिखित परीक्षाएं ऑनलाइन आयोजित करता है:

क्रम संख्या	परीक्षा
1	सीमित दिवाला परीक्षा
2	मूल्यांकन परीक्षा (भूमि और भवन)
3	मूल्यांकन परीक्षा (संयंत्र और मशीनरी)
4	मूल्यांकन परीक्षा (प्रतिभूति अथवा वित्तीय परिसम्पत्तियां)

आईबीबीआई ने आईपी विनियमों में यह संशोधन किया कि यह सुनिश्चित करने के लिए कि कोई व्यक्ति रजिस्ट्रीकरण के लिए पात्र होगा यदि उसने जीआईपी (बॉक्स 10) को अन्य आवश्यकताओं को पूरा करने के अधीन सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है, जैसाकि आईबीबीआई द्वारा अनुमोदित किया जा सकता है। इसने आईपी विनियमों के प्रावधानों के अधीन जीआईपी के लिए संरचना, सामग्री और वितरण तंत्र की सिफारिश करने के लिए एक डब्ल्यूजी का गठन किया। डब्ल्यूजी ने दिसंबर, 2018 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। गवर्निंग बोर्ड की रिपोर्ट और अनुमोदन की सिफारिशों के आधार पर, आईआईआईसीए को जीआईपी शुरू करने की अनुमति दी गई थी। जीआईपी का पहला बैच 1 जुलाई, 2019 को 40 छात्रों के बैच के साथ शुरू होने वाला है।

निर्णय लेने में पारदर्शिता

पारदर्शिता से प्रणाली में हितधारकों का विश्वास बढ़ता है। नियामक के आंतरिक कामकाज में पारदर्शिता का अर्थ है कि प्रलेखन का मजबूत मानक इसके आंतरिक कामकाज और निर्णय लेने के तरीके के बारे में बनाए रखा गया है। चूंकि नियामक राज्य की भूमिका निभाता है, ऐसे प्रलेखन को विस्तार के स्तर पर बनाए रखा जाना चाहिए जो नियामक द्वारा लिए गए निर्णयों के स्वतंत्र मूल्यांकन का समर्थन करने के लिए पर्याप्त है।

आंतरिक प्रक्रियाओं में पारदर्शिता के हित में, आईबीबीआई नियमित रूप से विनियमों, प्रक्रियाओं के परिणामों को प्रकाशित करता रहा है, नियमों के लिए परामर्श के दौरान हितधारकों से प्राप्त टिप्पणियों का सारांश, वार्षिक रिपोर्ट, वार्षिक लेखा आदेश विनियमित संस्थाओं के संबंध में पारित किए गए, जीबी की बैठकों के मिनट, बोर्ड की सलाहकार समितियों की सिफारिशें, डब्ल्यूजी की रिपोर्ट, बाहरी लेखापरीक्षा रिपोर्ट, डीसी के आदेश, आरटीआई अधिनियम, 2005 आदि के

बॉक्स 10: ग्रेजुएट दिवाला कार्यक्रम

दिवाला व्यवसाय को और विकसित करने के लिए, आईबीबीआई लगातार उच्चतम गुणवत्ता और मानकों के आईपी के कैडर का उत्पादन करने के लिए उद्योग के साथ दो साल के पूर्णकालिक पाठ्यक्रम, अर्थात् जीआईपी प्रदान करने के लिए उद्योग के साथ मिलकर कार्य कर रहा है। यह शीर्ष गुणवत्ता वाले आईपी का उत्पादन करने के लिए वैश्विक मानक के स्नातक कार्यक्रम के रूप में जीआईपी की कल्पना करता है जो विश्व स्तरीय सेवाओं को आरपी, परिसमापक या अन्य क्षमताओं में एक स्तर पर वितरित कर सकता है जो बाजार और सामान्य रूप से नियामक और विशेष रूप से उनके उपभोक्ताओं की अपेक्षाओं को पूरा करता है। जीआईपी दुनिया में अपनी तरह का पहला कार्यक्रम होगा। इसकी सामग्री और डिजाइन न केवल उन लोगों के लिए इष्टतम उपयोगिता की सेवा करनी चाहिए जो भारत में और विदेशी न्यायालयों में मूल्य श्रृंखला में अन्य भूमिकाएं लेने की इच्छा रखने वालों के लिए, बल्कि कैरियर के रूप में दिवाला व्यवसाय को लेने की इच्छा रखते हैं। स्नातक करने वाले छात्र इन–हाउस काउंसलर के रूप में काम कर सकते हैं या हितधारकों के साथ सलाहकार के रूप में कार्य कर सकते हैं जो दिवाला और परिसमापन कार्यवाही के साथ या टर्नअराउंड उद्योग से जुड़े होते हैं। कुछ शिक्षाविद या शोधकर्ता बनने या मीडिया हाउस में काम करने के लिए भी चुनाव कर सकते हैं। वे जहां भी काम कर सकते हैं, उन्हें दिवाला प्रणाली में मूल्य जोड़ने में सक्षम होना चाहिए। यह विदेशी छात्रों के लिए एक आकर्षक कार्यक्रम होना चाहिए, जो भारत या अन्य न्यायालयों में कैरियर के अवसरों की तलाश करना चाहते हैं।

उम्मीदवार जो कंपनी सचिव, चार्टर्ड अकाउंटेंट, कॉस्ट अकाउंटेंट, या कानून, या इलेक्ट्रॉनिक्स में प्रौद्योगिकी या स्नातक या अर्थशास्त्र, वित्त, वाणिज्य, प्रबंधन या प्रमुख 50 प्रतिशत अंक के साथ दिवाला के साथ स्नातकोत्तर में स्नातक के रूप में बुनियादी व्यावसायिक पाठ्यक्रम पूरा कर चुके हैं, जीआईपी में प्रवेश के लिए पात्र हैं। नामांकन की अधिकतम आयु–सीमा 28 वर्ष है। यह युवा व्यावसायिकों, जिनमें प्रतिभा होगी, लेकिन अनुभव की कमी होगी के लिए, जीआईपी को कैरियर विकल्प के रूप में लेने का अवसर प्रदान करेगा। ऐसा छात्र जो कार्यक्रम को सफलतापूर्वक पूरा करता है, उसे प्रमाण पत्र से सम्मानित किया जाएगा ,जो दर्शाएगा कि संस्थान द्वारा आईबीबीआई के अनुमोदन के साथ जीआईपी आयोजित किया गया है। कार्यक्रम को उद्योग पहल के रूप में प्रसारित किया जाएगा जिसमें व्यवसायियों द्वारा प्रसारित किए जा रहे कक्षा घटक के कम से कम आधे हिस्से की आवश्यकता होती है।

जीआईपी की परिकल्पना 12 महीने की गहन आवासीय कक्षा घटक और 12 महीने के अभ्यास के अत्याधुनिक भाग में हाथों पर इंटर्नशिप घटक से युक्त 24 महीने के कार्यक्रम के रूप में की गई है। इंटर्नशिप कार्यक्रम का महत्वपूर्ण पहलू होगा जहां छात्र को दिवाला होने के कई पहलुओं से अवगत कराया जाएगा और दिवाला और शोधन अक्षमता संबंधी कार्यकलाप को कई एजेंसियों, जैसे कानूनी फर्मों, बैंकों/वित्तीय संस्थानों, आईबीबीआई, एनसीएलटी, एनसीएलएटी से प्रशिक्षित किया जाएगा।

दिवाला व्यवसाय में कई हितधारकों की सेवा के लिए कई कौशल की आवश्यकता होती है। जबकि जीआईपी छात्र व्यापक रूप से दिवाला और टर्नअराउंड संबंधित नीतियों, कानूनों और नियमों के पूरे स्पेक्ट्रम के बारे में जानेंगे, इस कार्यक्रम का उद्देश्य छात्रों के बीच अपेक्षित सॉफ्ट स्किल्स जैसे कि इंटरपर्सनल और कम्यूनिकेशन स्किल्स, पीपल मैनेजमेंट, एंटरप्रेन्योरशिप, कमिटमेंट और इमोशनल क्वैश्चन को बढ़ाना भी होगा।। व्यवसाय का एक बहुत महत्वपूर्ण पहलू आईपी की गहरी जड़ें नैतिकता, अखंडता और अन्य गुणों की आवश्यकता है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य छात्रों में इन सद्गुणों को विकसित करना होगा। यह माना जाता है कि जीआईपी इसकी विशिष्टता, सामग्री की उच्च गुणवत्ता और वितरण के बल पर पहचान और सम्मान प्राप्त करेगा।

अधीन प्रथम अपीलीय प्राधिकारी (एफएए) के आदेश, अपनी वेबसाइट पर अपलोड करेगा। यह अपने सभी निर्णयों को कारणों सहित अभिलेखित करता है। उदाहरण के लिए, आईबीबीआई द्वारा कारण बताओ नोटिस, प्रस्तावित कार्रवाई के आधार और सूचना के आधार पर सूचना जारी की गई है।

निष्कर्ष

स्पष्ट रूप से रखी गई दृष्टि, उद्देश्य और प्रयोजनों के साथ, आईबीबीआई अपने हितधारकों की अपेक्षाओं पर खरा उतरने का ईमानदार प्रयास कर रहा है। हालांकि, यह ध्यान में रखना है कि आईबीबीआई एक नया नियामक है, फिर भी सभी हितधारकों के लिए सर्वोत्तम परिणाम प्राप्त करने के लिए सीखने और लगातार आत्मनिरीक्षण करने वाला है। कमियों से इंकार नहीं किया जा सकता है। बाजार के प्रतिभागियों, हितधारकों और विशेषज्ञों और पाठ्यक्रम सुधार के साथ आंतरिक रूप से नियमित रूप से विचार–विमर्श करके, इन कमियों को कम करने का प्रयास करता है। इसे इसके अनुसरण में सभी संबंधितों से समर्थन और सहयोग प्राप्त होता रहा है। एमसीए , सीबीडीटी, आरबीआई, सेबी, सीसीआइ, एनसीएलटी, एनसीएलएटी, अन्य संहिता के अधीन प्रक्रियाओं को सुविधाजनक बनाते रहे हैं।

आईबीबीआई दुनिया भर से सर्वोत्तम प्रथाओं को लाने और स्थानीय संदर्भों के अनुरूप परिवर्तनों के साथ भारतीय संदर्भ में उन्हें लागू करने के उद्देश्य से दिवाला और शोधन अक्षमता के क्षेत्र में वैश्विक सोच का पालन कर रहा है। जैसा कि भाग ट में विस्तृत है, आईबीबीआई ने ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया में अध्ययन यात्राएं शुरू की हैं ताकि वहां दिवाला होने की घटनाओं में अंतर्दृष्टि प्राप्त की जा सके और उनसे सीखों को वापस लाया जा सके। अपनी सोच में भविष्यवादी होने के नाते, आईबीबीआई निकट भविष्य में ऐसे व्यावसायिकों की बढ़ती मांग की परिकल्पना, दिवाला और दिवाला और शोधन अक्षमता के लिए आईपी के प्रमुख व्यवसाय को विकसित करने की कोशिश कर रहा है।

ज | शासी बोर्ड का कार्य-निष्पादन

बोर्ड क्रमिक उत्तराधिकार के साथ बॉडी कॉरपोरेट है। यह संपत्ति को धारण करता है और इसका निपटान करता है, अनुबंधों और मुकदमों में प्रवेश करता है और अपने नाम पर मुकदमा दायर करता है। जीबी बोर्ड को कार्यनीतिक दिशा प्रदान करता है और अपने उद्देश्यों को स्थापित करता है, और प्रबंधन को नियंत्रित और मॉनिटर करता है, अपने प्रदर्शन की समीक्षा करता है और इसे उद्देश्यों को पूरा न किये जाने पर अपनी जिम्मेदारी लेता है। जबकि संहिता बोर्ड के कर्तव्यों और कार्यों को निर्दिष्ट करता है, संहिता आईबीबीआई (शासी बोर्ड बैठकों के लिए प्रक्रिया) विनियमन, 2017 (बोर्ड विनियमन) के साथ पठित जीबी के व्यवसाय और उक्त व्यवसाय के लेन–देन करने के तरीके निर्दिष्ट करता है। जीबी के व्यवसाय में विनियमों, वार्षिक खातों, वार्षिक बजट, वार्षिक रिपोर्ट, शक्तियों का प्रत्यावर्तन का अनुमोदन, आदि शामिल हैं।

आईबीबीआई के पास अर्ध–विधायी, कार्यकारी और अर्ध–न्यायिक जिम्मेदारियां हैं। अर्ध–विधायी कार्य जीबी का अनन्य डोमेन है। अर्ध–न्यायिक कार्य डब्ल्यूटीएम (एस) युक्त डीसी का अनन्य डोमेन है। कार्यकारी बोर्ड के विभिन्न पदाधिकारियों द्वारा कार्यों का प्रत्यायोजन आईबीबीआई (शक्तियों और कार्यों का प्रत्यायोजन) आदेश, 2017 के अनुसार किया जाता है। बोर्ड विनियमन बोर्ड के सदस्यों के लिए एक आचरण चार्टर निर्दिष्ट करते हैं। चार्टर का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि जीबी इस तरीके से आचरण करे कि वह अपने अधिदेश को पूरा करने की क्षमता से समझौता न करे या अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करने के लिए सदस्य(यों) की क्षमता पर जनता का विश्वास कम न हो।

जीबी की 2018–19 के दौरान चार बैठकें हुई। इन बैठकों में बोर्ड के सदस्यों की उपस्थिति का विवरण सारणी–63 में प्रस्तुत किया गया है।

सारणी 63: बोर्ड की बैठकों में उपस्थिति

नाम	पद	2018–19 में बैठकों की सं.	
		पदासीन होने के दौरान आयोजित	में भाग लिया
डॉ एम. एस. साहू	अध्यक्ष	4	4
सुश्री सुमन सक्सेना	पूर्णकालिक सदस्य	2	0
डॉ नवरंग सैनी	पूर्णकालिक सदस्य	4	4
डॉ (एमएस) मुकुलिता विजयवर्गीय	पूर्णकालिक सदस्य	4	4
श्री ज्ञानेश्वर कुमार सिंह	पदेन सदस्य	4	4
श्री जी. एस. यादव	पदेन सदस्य	1	1
श्री उन्नीकृष्णन ए.	पदेन सदस्य	4	4
डॉ शशांक सक्सेना	पदेन सदस्य	3	3
डॉ राजीव मणि	पदेन सदस्य	1	1

जीबी की स्वीकृति के साथ, आईबीबीआई ने 2018–19 के दौरान एक नए विनियमन को अधिसूचित किया। इसने वर्ष के दौरान नौ संशोधन विनियमों को भी अधिसूचित किया, जो कि दिवाला सुधारों के कार्यान्वयन से उत्पन्न होने वाली चुनौतियों और मुद्दों को दूर करने के लिए मौजूदा विनियमों में संशोधन करता है। इन विनियमों में से अधिकांश हितधारकों के साथ ऑनलाइन, गोलमेज सम्मेलन में और एसी के साथ परामर्श करने के बाद बनाए गए थे। जीबी ने सेवा प्रदाताओं (आईपी, आईपीए, आईपीई, आईयू, आरवी, और आरवीओ), सीमित दिवाला परीक्षा, मूल्यांकन परीक्षाओं, सीआईआरपी, परिसमापन प्रक्रिया और स्वैच्छिक परिसमापन के क्षेत्रों में बोर्ड की कार्यकलाप और प्रदर्शन की समीक्षा की। इसने 2016–17 और 2017–18 के लिए बोर्ड के वार्षिक लेखा और वार्षिक रिपोर्ट को मंजूरी दी। इसने आईपी के लिए निरीक्षण नीति और नियमावली, परीक्षा के लिए मैनुअल, बजट और आईबीबीआई की निवेश नीति, आंतरिक लेखा परीक्षकों की नियुक्ति, आईबीबीआई की अवसंरचना आवश्यकताओं आदि पर भी विचार किया।

निष्पादन का मूल्यांकन

अच्छी तरह से काम करने वाले जीबी संगठन और हितधारकों और बड़े पैमाने पर समाज के बीच पुल का निर्माण करती है और संगठन के लिए आगे की कार्यनीति बनाती है। अच्छी तरह से प्रतिनिधित्व वाली जीबी संकुचित दृष्टि से बचने और संगठन के हितधारकों और उद्देश्यों की आवश्यकताओं के साथ स्थायी निर्णय लेने के लिए शीर्ष प्रबंधन को प्रेरित करता है। प्रासंगिक विशेषज्ञता के साथ जीबी चुनौतियों और अंतरालों की पहचान करने में मदद करता है ताकि पाठ्यक्रम में सुधार किया जा सके, इसकी पूरी क्षमता को साकार किया जा सके और यह हमेशा विकसित बाजार के माहौल में प्रासंगिक बना रहे। जीबी की प्रभावशीलता और दक्षता संगठन की प्रभावशीलता और दक्षता में बदल जाती है। यह जीबी के सदस्यों को संगठन के उद्देश्यों के लिए प्रतिबद्ध, सतर्क, जिज्ञासु और सक्रिय बनने का आह्वान करता है।

हाल के दिनों में, अनेक जीबी ने अपने जवाबदेह कर्तव्यों के हिस्से के रूप में अपने स्वयं के प्रदर्शन के मूल्यांकन के महत्व को पहचाना है। जीबी के प्रदर्शन का मूल्यांकन मोटे तौर पर तीन आयामों पर किया जा सकता है, जैसे:

(क) बोर्ड संरचना और गुणवत्ता, जो बोर्ड सदस्यों की विशेषज्ञता और अनुभव, निर्धारित उद्देश्यों को प्राप्त करने की कार्यनीति, इसकी बैठकों में बहस और चर्चा की गुणवत्ता और हितधारकों के साथ इसके जुड़ाव जैसे पहलुओं को कवर करती है।

(ख) बोर्ड की बैठकें और प्रक्रियाएं, जो नियमित रूप से और बोर्ड बैठकों की आवृत्ति, कार्यवृत्त की सटीकता, कार्यनीतिक और महत्वपूर्ण मामलों पर खर्च की गई राशि और बोर्ड बैठकों से उत्पन्न होने वाले कार्यों का पालन करने जैसे पहलुओं को कवर करती हैं।

(ग) बोर्ड के कार्य और विकास, जो लेखांकन और वित्तीय रिपोर्टिंग की अखंडता, पारदर्शिता और सुशासन को बढ़ावा देने और शीर्ष प्रबंधन के साथ संचार के खुले चैनलों जैसे पहलुओं को शामिल करते हैं।

अपने स्वयं के प्रदर्शन का मूल्यांकन करने के लिए, आईबीबीआई के जीबी ने एक स्व–मूल्यांकन प्रश्नावली तैयार की जिसमें ऊपर दिए गए आयाम और पैरामीटर शामिल हैं। सदस्यों में से प्रत्येक ने 1 से 5 के पैमाने पर प्रश्नावली का जवाब दिया। प्रतिक्रियाओं को सारणीबद्ध किया गया था और प्रत्येक आयाम के संबंध में समग्र रेटिंग आ गई थी। सारणी 64 में प्रश्नावली के बारे में सदस्यों की प्रतिक्रियाओं के आधार पर जीबी के प्रदर्शन को संक्षेप में दिया गया है।

सारणी 64: 2018–19 में शासी बोर्ड का निष्पादन

आयाम	मापदंड	अंक	रेटिंग
बोर्ड का सघटन और गुणवत्ता	बोर्ड के पास संगठन के सर्वोत्तम हितों को पूरा करने के लिए समुचित विशेषज्ञता और अनुभव है.	32	उत्कृष्ट
	संगठन कार्यनीतिक योजना या औसत दर्जे के लक्ष्यों और प्राथमिकताओं के एक समूह के साथ संचालित होता है।	33	उत्कृष्ट
	बोर्ड के सभी सदस्यों को संगठन के दृष्टिकोण, मिशन, इसकी कार्यनीतिक दिशा और इसके उद्देश्यों को पूरा करने के लिए आवश्यक वित्तीय और मानव संसाधनों की स्पष्ट समझ है।	33	उत्कृष्ट
	बोर्ड ने अपने प्रत्येक प्रमुख हितधारकों के साथ संगठन के संबंध आईपी की पहचान और समीक्षा की है और उनके साथ संचार का उपयुक्त स्तर है।	30	संतोषजनक
	बोर्ड के पास रिपोर्टिंग आवश्यकताओं सहित परिभाषित सन्दर्भ शर्तों के साथ पर्याप्त संख्या में समितियाँ हैं जिनकी आवश्यकता हो सकती है।	30	संतोषजनक
	बोर्ड की बैठकों में स्वस्थ और जांच पर चर्चा के साथ उच्च गुणवत्ता वाली बहस को प्रोत्साहित किया जाता है।	35	उत्कृष्ट
	बोर्ड अपने उद्देश्यों को निर्धारित करता है और वार्षिक आधार पर उनके खिलाफ अपने प्रदर्शन को मापता है।	32	उत्कृष्ट
	बोर्ड अधिकारियों को निर्देश देता है कि कैसे नीतियों को निर्धारित,संदर्भित या संशोधित करके लक्ष्यों को प्राप्त किया जाए।	31	संतोषजनक
	औसत खंडवार अंक	256/280 (91 प्रतिशत)	उत्कृष्ट
आयाम	**मापदंड**	**अंक**	**रेटिंग**
बोर्ड की बैठकें और प्रक्रियाएं	बोर्ड पर्याप्त नियमितता से बैठकें करता है और बैठकों की आवृत्ति बोर्ड के लिए अपने कर्तव्यों को ठीक से करने के लिए पर्याप्त है।	35	उत्कृष्ट
	बोर्ड की बैठक का एजेंडा और संबंधित पृष्ठभूमि के कागजात संक्षिप्त हैं और मामले पर निर्णय लेने के लिए उचित गुणवत्ता और विवरण की जानकारी प्रदान करते हैं।	33	उत्कृष्ट
	बैठक के बारे में सभी जानकारी सदस्यों को समयबद्ध तरीके से प्रसारित की जाती है।	33	उत्कृष्ट
	बोर्ड की बैठकों से उत्पन्न होने वाली क्रियाओं का पालन और बाद की बोर्ड बैठकों में समीक्षा की जाती है।	35	उत्कृष्ट
	बोर्ड की बैठकों के मिनट स्पष्ट, सटीक, सुसंगत और पूर्ण और समयबद्ध तरीके से स्वीकृत हैं।	35	उत्कृष्ट
	बोर्ड की बैठकों में बोर्ड के सदस्यों द्वारा उपस्थिति और भागीदारी की पर्याप्तता।	32	उत्कृष्ट
	कार्यनीतिक और सामान्य मुद्दों पर विचार-विमर्श के लिए समय की मात्रा पर्याप्त है।	32	उत्कृष्ट
	प्रक्रिया यह सुनिश्चित करने के लिए होती है कि बोर्ड को बैठकों के बीच सभी सामग्री मामलों पर पूरी तरह से सूचित किया जाए (उपयुक्त बाहरी जानकारी, जैसे, सामग्री विनियामक परिवर्तन)।	31	संतोषजनक
	औसत खंडवार अंक	266/280 (95 प्रतिशत)	उत्कृष्ट
आयाम	**मापदंड**	**अंक**	**रेटिंग**
बोर्ड के कार्य और विकास	बोर्ड संगठन के लेखांकन और वित्तीय सिस्टम की अखंडता सुनिश्चित करता है।	33	उत्कृष्ट
	संगठन की स्वतंत्र लेखापरीक्षा की प्रक्रिया की अखंडता बनाए रखी जाती है।	35	उत्कृष्ट
	बोर्ड का शीर्ष प्रबंधन व अन्य के साथ खुला संवाद है एवं इन्हे अच्छी तरह से जानकारी दी जाती है।	32	उत्कृष्ट
	बोर्ड अपने शासन में पारदर्शिता और सर्वोत्तम प्रथाओं को बढ़ावा देते हुए प्रभावी निर्णयों और उनके कार्यान्वयन को सक्षम करने के लिए घटनाओं पर सकारात्मक और रचनात्मक रूप से प्रतिक्रिया करता है।	33	उत्कृष्ट
	बोर्ड के सदस्य हितधारकों के सर्वोत्तम हितों में निष्पक्ष और सहयोग से निर्णय लेते हैं और ऐसे निर्णयों के लिए सामूहिक रूप से जिम्मेदार महसूस करते हैं।	34	उत्कृष्ट
	बोर्ड के सदस्य आईबीबीआई के एक महत्वपूर्ण कार्य को ध्यान में रखते हुए निर्णय लेते हैं। संहिता के उद्देश्यों को आगे बढ़ाने में सेवा प्रदाताओं का विनियमन, संवर्धन और विकास।	35	उत्कृष्ट
	औसत खंडवार अंक	202/210 (96 प्रतिशत)	उत्कृष्ट
	कुल योग	724/770 (94 प्रतिशत)	

जीबी ने 2018–19 में सभी तीन व्यापक आयामों में अत्यधिक प्रदर्शन किया है। इसने अपनी प्रभावशीलता और दक्षता का आकलन करने के लिए आयाम के भीतर पहचाने जाने वाले लगभग सभी मापदंडों में अच्छा प्रदर्शन किया। प्रदर्शन पारदर्शिता के सिद्धांतों, संचालन के कुशल निरीक्षण और निर्धारित उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए कार्यनीतिक योजना में बहुत मजबूत दिखाई दिया। इसके अलावा, यह देखा गया है कि बोर्ड की बैठकों ने स्वस्थ और जांच संबंधी चर्चा के साथ उच्च गुणवत्ता वाली बहस को प्रोत्साहित किया। जीबी ने बोर्ड बैठकों की चर्चाओं और निर्णयों से उत्पन्न क्रियाओं पर भी सक्रिय रूप से पालन किया

और बाद की बैठकों में उनकी समीक्षा की। यह विशेष रूप से उभरते हुए विकास और घटनाओं के लिए ग्रहणशील था और अपने शासन में सर्वोत्तम प्रथाओं को बढ़ावा देते हुए प्रभावी निर्णयों और उनके कार्यान्वयन को सक्षम करने के लिए सकारात्मक और रचनात्मक रूप से जवाब दिया। जीबी के प्रदर्शन के आकलन ने उसी समय कुछ मापदंडों की पहचान करने में मदद की है जिसमें बोर्ड के प्रदर्शन को और मजबूत किया जा सकता है। कुल मिलाकर, जीबी अपनी कार्यकलाप को दिशा देने वाले विजन और सिद्धांतों के लिए एक मजबूत प्रतिबद्धता का प्रदर्शन करते हुए, अपने अधिदेश देश को अच्छी तरह से पूरा कर रहा है।

आगामी रास्ता

दिवाला और शोधन अक्षमता शासन के कार्यान्वयन का समर्थन करने के लिए अनुकूल और मजबूत पारिस्थितिकी तंत्र को बढ़ावा देने के उद्देश्य से, जैसा कि संहिता के अधीन अनिवार्य है, आईबीबीआई ने अपनी स्थापना के बाद से कई कदम उठाए हैं। अब तक की गई प्रगति को मजबूत करते हुए नए डोमेन में आगे बढ़ने का समय है। अगले वर्ष में जीबी का एजेंडा निम्नलिखित हो सकता है।

व्यक्तिगत गारंटीदाता

संहिता लागू होने के बाद के दो वर्षों में, कारपोरेट दिवाला समाधान से संबंधित प्रावधानों, जिसमें फास्ट ट्रैक समाधान, कॉरपोरेट परिसमापन और सीडी के स्वैच्छिक परिसमापन शामिल हैं, का संचालन किया गया है। हालाँकि, ऐसे अवसर आते हैं जब सीडी किसी अन्य कारपोरेट व्यक्ति द्वारा गारंटी ले कर ऋण लेती है, जो कि सीजी टू सीडी, या व्यक्ति, यानी सीडी के लिए पीजी है। ऋण चुकाने में चूक होने पर लेनदार मुख्य उधारकर्ता या गारंटर होने के नाते सीडी के विरुद्ध उपाय कर सकता है। संहिता की धारा 14 को 6 जून, 2018 को प्रभावी अध्यादेश द्वारा संशोधित किया गया था, जो गारंटर के विरुद्ध उपाय करने के लिए लेनदार को सक्षम बनाने के लिए अधिस्थगन के दायरे से सीडी की गारंटी के अनुबंध में जमानत को बाहर करता है। सीडी के लिए सीजी और सीडी के लिए सीजी के दिवाला समाधान सीडी के दिवाला समाधान के पूरक हैं। इसलिए, कारपोरेट दिवाला समाधान को पूरक बनाने के लिए पीजी (बॉक्स 11) के दिवाला समाधान को शुरू करना वांछनीय है, जो पहले से ही सीडी और उसके सीजी के दिवाला समाधान को सक्षम बनाता है और पीजी और सीजी को एक ही स्तर के कार्य स्थल में ले आता है।

भारतीय अनुबंध अधिनियम, 1872 की धारा 128 यह सुनिश्चित करती है कि जमानत का दायित्व मुख्य देनदार के साथ सह–व्यापक है, जब तक कि यह अनुबंध द्वारा अन्यथा प्रदान नहीं किया जाता है। जब गारंटी को लागू किया जाता है और गारंटर लेनदार को चुकाने के लिए चूक करता है, तो मुख्य देनदार और गारंटर दोनों संयुक्त रूप से और भुगतान के लिए गंभीर रूप से उत्तरदायी होते हैं। लेनदार के पास किसी भी क्रम में दोनों या दोनों के विरुद्ध आगे बढ़ने का विकल्प होता है। *फेरो अलॉयज कॉर्पोरेशन लिमिटेड बनाम ग्रामीण विद्युतीकरण निगम लिमिटेड*[62] के मामले में, एनसीएलएटी ने माना कि सीजीआर के विरुद्ध सीआईआरपी शुरू करने से पहले मुख्य उधारकर्ता के विरुद्ध सीआईआरपी शुरू करना आवश्यक नहीं है। मुख्य उधारकर्ता के विरुद्ध किसी भी सीआईआरपी की शुरुआत किए बिना, यह सीजी के लिए धारा 7 के अधीन सीआईआरपी शुरू करने के लिए एफसी के लिए खुला है, क्योंकि लेनदार भी लेनदार योग्यता सीजी है। उच्चतम न्यायालय ने अपील पर एनसीएलएटी के पूर्वोक्त आदेश को सही ठहराया।

सीमापार दिवाला

बीएलआरसी ने दिवालिएपन और दिवालियेपन के मुद्दों को विशुद्ध रूप से घरेलू मुद्दे के रूप में हल करने का प्रयास किया, जबकि यह स्वीकार करते हुए कि अगला सीमा पार से मुद्दों को संबोधित करने में निहित है। संसदीय संयुक्त समिति, जिसने दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता बिल की जांच की, ने अप्रैल, 2016 में अपनी रिपोर्ट में उल्लेख किया कि वर्तमान समय में कई कारपोरेट लेनदेन और व्यवसायों में एक अंतरराष्ट्रीय और सीमा पार तत्व शामिल हैं, और इसलिए सीमा पार दिवाला को भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। यदि भारत के पास व्यापक और लंबे समय तक चलने वाला दिवालिया कानून है और इसमें शामिल नहीं किया गया है तो एक अधूरी संहिता होगा। समिति के आग्रह पर, धारा 234 और 235 को एक सक्षम तंत्र के रूप में डाला गया था जो एक व्यापक ढांचे को लंबित कर रहा था। ये अनुभाग केंद्र सरकार को संहिता के प्रावधानों को लागू करने के लिए विदेशी देशों के साथ द्विपक्षीय समझौतों में प्रवेश करने में सक्षम बनाते हैं।

कारपोरेट दिवाला से संबंधित प्रावधानों के कार्यान्वयन में काफी प्रगति के साथ, यह अधिक व्यापक, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर स्वीकार्य, सीमा पार से दिवाला शासन के बारे में सोचने का समय है। आईएलसी ने अपनी रिपोर्ट में 16 अक्टूबर, 2018 को प्रस्तुत की, ने इस तथ्य पर विचार करते हुए कि वैश्विक स्तर पर स्वीकृत और अच्छी तरह से मान्यता प्राप्त सीमा पार इन्सोल्वेंसी ढांचे को पेश करने के लिए संहिता में एक अध्याय जोड़ने का प्रस्ताव किया है, इस तथ्य पर विचार करते हुए कि कुछ कारपोरेट एक से अधिक अधिकार क्षेत्र में कारोबार करते हैं और संपत्ति रखते हैं कई न्यायालयों में। फ्रेमवर्क के कार्यान्वयन से सीडी के लिए एक अंतरराष्ट्रीय स्तर पर गठबंधन और व्यापक दिवाला फ्रेमवर्क तैयार होगा, जो एक वैश्विक वातावरण (बॉक्स 12) में आवश्यक है।

वित्तीय सेवा प्रदाताओं का समाधान

संहिता समयबद्ध तरीके से कारपोरेट व्यक्तियों, एलएलपी, साझेदारी फर्मों और व्यक्तियों के पुनर्गठन, दिवाला समाधान और परिसमापन के लिए एक समेकित ढांचा प्रदान करती है। 'कॉरपोरेट व्यक्ति' में कोई भी एफएसपी शामिल नहीं है, अर्थात्, वित्तीय सेवाएं प्रदान करने के व्यवसाय में लगे व्यक्ति और वित्तीय क्षेत्र नियामक द्वारा रजिस्ट्रीकृत या अधिकृत। संहिता की धारा 227, हालांकि, केंद्र सरकार को सूचित करने के लिए सक्षम करती है, वित्तीय क्षेत्र के नियामकों, एफएसपी या एफएसपी की श्रेणियों के साथ दिवाला और परिसमापन कार्यवाही के उद्देश्य से, इस तरह से निर्धारित किया जा सकता है। एफएसपी में तनाव के उदाहरण हैं। सरकार को वित्तीय बाजारों में डिफाल्ट होने वाले वित्तीय बाजारों में आईएल एंड एफएस, एफएसपी का नियंत्रण लेना पड़ा, जो कि अक्टूबर 2018 में वित्तीय बाजारों के प्रसार को गिरफ्तार करने के लिए था। एफएसपी के समाधान के लिए समर्पित ढांचे को लंबित करते हुए, एफएसपी (बॉक्स 13) की दिवाला को हल करने के लिए संहिता का इस्तेमाल अंतरिम में किया जा सकता है।

[62] कंपनी अपील (एटी) (इनसॉल्वेंसी) 2017 का सं. 92, 93 और 148.

बॉक्स 11ः व्यष्टिक गारंटीदाताओं का दिवाला समाधान

अध्यादेश द्वारा संशोधित 23 नवम्बर, 2017 से प्रभावी संहिता, इन उपबंधों के व्यापक प्रभाव के कारण चरणबद्ध तरीके से व्यष्टिक दिवाला के कार्यान्वयन को सक्षम बनाने के लिए व्यष्टिकों को तीन वर्गों में वर्गीकृत करता है, अर्थात्, पीजी, साझेदारी फर्म और प्रोपराइटरशिप फर्म और अन्य व्यष्टिक। अलग–अलग दिवाला से संबंधित संहिता के प्रावधानों को लागू करने के लिए कार्यनीति और दृष्टिकोण की सिफारिश करने के लिए बोर्ड द्वारा गठित डब्ल्यूजी ने विचार रखा कि व्यक्तिगत दिवाला और शोधन अक्षमता का चरणबद्ध कार्यान्वयन की मंशा विधायिका और व्यावहारिक आवश्यकता है।

सीआईआरपी को अनुपूरित करने के लिए, व्यवसाय प्रेमी व्यष्टिकों के छोटे समूह, अर्थात् पीजी के संबंध में व्यष्टिक दिवाला समाधान शुरू करना वांछनीय है। साझेदारी और प्रोप्राइटरशिप फर्मों के दिवाला होने से निपटने वाले संहिता के उपबंधो को दूसरे चरण में लागू किया जा सकता है। तीसरे चरण में, अन्य व्यष्टिकों के दिवालिया होने से निपटने वाले संहिता के प्रावधानों को लागू किया जा सकता है। इसका मतलब यह होगा कि जबकि संहिता पीजी के दिवाला प्रस्ताव पर लागू होगी, जबकि प्रेसीडेंसी टाउन इन्सोवंसी एक्ट, 1909 और प्रोवेंशिअल इन्सोल्वंसी एक्ट, 1920 अंतरिम रूप में अलग–अलग दिवाला पर लागू रहेंगे। पहले के चरणों के कार्यान्वयन से सीखने से बाद के चरणों में स्पष्ट भूमिका बनाने में मदद मिलेगी।

डब्ल्यूजी ने माना कि व्यक्तियों के तीन वर्गों में विशिष्ट विशिष्टताएं और विशेषताएं हैं। व्यावसायिक हित के बिना व्यक्तियों के दिवाला और शोधन अक्षमता में शामिल गतिशीलता, स्थिति और कारक और ऐसे व्यक्ति जिन्होंने सीडी के लिए व्यक्तिगत गारंटी दी है या साझेदारी फर्मों या प्रोपराइटरशिप फर्मों के माध्यम से व्यावसायिक कार्यकलाप को अंजाम दिया है। व्यवसाय के साथ व्यक्तियों को एक तरह से शास्त्रीय आर्थिक आदर्शों के अनुरूप व्यवहार करने की संभावना है, जिस पर व्यावसायिक दिवालिया सिस्टम की स्थापना की जाती है। दूसरी ओर, व्यावसायिक हित के बिना व्यक्तियों के व्यवहार से कुछ अनौपचारिक होने की उम्मीद की जाती है। एक पेपर में, एक आर्थिक–कानूनी परिप्रेक्ष्य[83], लेखक अलग–अलग दिवाला, दोस्तों और परिवार के महत्व और अनौपचारिकता में अनौपचारिक मुद्दों के महत्व पर ध्यान देते हैं। बकाया राशि के निपटान में। डब्ल्यूजी ने यह विचार रखा कि दिवाला होने पर व्यक्तियों को प्रमुख मुद्दों के एक साझा मूल का सामना करना पड़ता है, चाहे व्यावसायिक गतिविधि दिवाला शोधन अक्षमता के संदर्भ का एक हिस्सा है, पीजी और आर्थिक कार्यकलाप को अंजाम देने वाले व्यवसायों वाले व्यक्तियों को आर्थिक विचारों के कारण एक अलग उपचार की आवश्यकता होती है। लेनदारों की संख्या, व्यक्तिगत गारंटी और गारंटरों की संपत्ति, यदि कोई हो, और अन्य प्रासंगिक कारक। इसलिए, व्यक्तियों के तीन वर्गों में से प्रत्येक के लिए अलग नियम और कानून होना आवश्यक है।

हालांकि, यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि पीजी व्यक्ति हैं। संहिता में कारपोरेट्स की तुलना में व्यक्तियों के लिए परोपकारी दिवाला ढांचे की परिकल्पना की गई है। यह कुछ परिसंपत्तियों (काम के उपकरण, बुनियादी फर्नीचर, व्यक्तिगत गहने, जिनकी कीमत आरंभिक सीमा मूल्य तक होती है, और आरंभिक सीमा मूल्य तक के आवास को दिवाला प्रक्रिया से बाहर रखा गया है ताकि व्यक्ति गरीमा से जीवनयापन करता रहे। यह अधिस्थगन के लिए प्रदान करता है, जो किसी भी ऋण के संबंध में किसी भी कानूनी कार्रवाई या कार्यवाही को लंबित रखता है और ऋणी के लेनदारों को किसी भी ऋण के संबंध की कोई कानूनी कार्रवाई या कार्यवाही शुरू करने से रोकता है। इसमें ऐसी स्वचालित प्रक्रिया की परिकल्पना नहीं की गई है जिसके द्वारा दिवाला समाधान प्रक्रिया की विफलता के परिणामत शोधन अक्षमता प्रक्रिया शुरू की जाती है।

इसके अलावा, व्यक्तियों के लिए रूपरेखा प्रेसीडेंसी टाउन दिवाला एक्ट, 1909 और प्रांतीय दिवाला एक्ट, 1920 में प्रदान की गई विधि से काफी भिन्न है। व्यक्ति का निर्वहन समाज में उसके पुनर्वास की कुंजी है। पूर्व के कानूनों के अधीन निर्वहन के आदेश को प्राप्त करना मुश्किल था और अदालत द्वारा विभिन्न आधारों पर, जैसे कि दिवाला और शोधन अक्षमता की प्रक्रिया में इसके दौरान व्यक्ति के आचरण से इनकार किया जा सकता था। संहिता निर्वहन की एक आसान और उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया प्रदान करता है। दिवाला प्रस्ताव के मामले में, पुनर्भुगतान योजना के अनुसार एक निर्वहन प्राप्त किया जाता है और पुनर्भुगतान योजना के पूर्ण कार्यान्वयन से पहले या बाद में हो सकता है। एक बार, देनदार की संपत्ति से लेनदारों को वितरित किए जाने के बाद, दिवाला और शोधन अक्षमता में, निर्वहन प्राप्त किया जा सकता है। हालांकि, अगर यह दिवाला और शोधन अक्षमता शुरू होने के एक साल के भीतर नहीं किया गया है, तो ऋणी को ऐसे वर्ष की समाप्ति पर स्वचालित रूप से छुट्टी दे दी जाएगी।

जहां मुख्य ऋणी ऋण चुकाने में चूक करता है, लेनदार पीजी के बाद अपने ऋण की अदायगी के लिए जाना चुन सकता है। इस प्रकार, एक सीडी और उसके पीजी की दिवाला कार्यवाही एक–दूसरे के साथ निकटता से जुड़ी हुई हैं। इसे पहचानते हुए, संहिता इन कार्यवाही के लिए एक सामान्य मंच प्रदान करता है। यह प्रदान करता है कि जहां एनसीएलटी के समक्ष एक सीडी के दिवाला समाधान या परिसमापन की कार्यवाही लंबित है तो सीजी या उसके पीजी से संबधित दिवाला समाधान, परिसमापन या दिवालियापन का प्रार्थना–पत्र एनसीएलटी में फाईल किया जायेगा। यह आगे प्रदान करता है कि सीजी या उसके पीजी की दिवाला समाधान, परिसमापन या दिवालियापन की कार्यवाही किसी कोर्ट या ट्रिब्यूनल में लंबित है तो वह उस एनसीएलटी को स्थानन्तरित हो जायेगी जो उस सीडी का दिवाला समाधान देख रही है।

बॉक्स 12ः सीमा पार दिवाला

सीमा पार दिवाला के मुद्दे उत्पन्न होते हैं जहां विदेशी लेनदारों के पास दिवालिया होने की कार्यवाही में एक देनदार की संपत्ति पर अधिकार/दावे होते हैं; जहां देनदार के पास कई न्यायालयों में शाखाएं/संपत्ति होती हैं और जहां एक ऋणी इकाई एक या एक से अधिक न्यायालयों में एक साथ दिवालिया कार्यवाही के अधीन है। ये जटिल परिस्थितियों को जन्म देते हैं क्योंकि प्रत्येक राष्ट्र का अपना कानून और संस्थाएं होती हैं जो दिवालिया कार्यवाही को नियंत्रित करती हैं। ऐसे उदाहरणों में, कर्जदारों की संपत्ति और हितधारकों के हितों की रक्षा और अधिकतम करने के लिए, विभिन्न देशों के प्रशासकों/परिसमापक जैसे अदालतों और दिवाला प्राधिकरणों के बीच समन्वय और सहयोग के लिए तंत्र होना आवश्यक है।

सीमा पार दिवाला (आदर्श विधि) पर यूएनसीआईटीआरएएल आदर्श विधि, जिसे विश्व स्तर पर मान्यता प्राप्त है और स्वीकार किया जाता है, मार्गदर्शन के लिए उपलब्ध है। इसे 46 न्यायालयों द्वारा अपनाया गया है। यह घरेलू कार्यवाही की पूर्वता देकर और आदर्श विधि के अधीन राहत से इनकार करने की अनुमति देकर देश की घरेलू दिवाला कानून की पूर्ण मान्यता सुनिश्चित करता है यदि ऐसी राहत देश की सार्वजनिक नीति के विरुद्ध है। यह विदेशी कार्यवाही की मान्यता से संबंधित मुद्दों को संबोधित करता

[83] बिबेक देबरॉय और लवेश भंडारी (2004), स्मॉल स्केल इंडस्ट्री इन इंडिया लार्ज स्केल एक्जिट प्रॉब्लम्स, (एकेडेमिक फाउंडेशन)।

है, एक ही देनदार के विषय में कार्यवाही का समन्वय, विदेशी लेनदारों के अधिकार, विदेशी दिवालिया प्रतिनिधियों के अधिकार और कर्तव्य, और विभिन्न न्यायालयों में अधिकारियों के बीच सहयोग। भारत की विशिष्ट आवश्यकताओं के अनुरूप उपयुक्त संशोधनों के साथ इसे अपनाने के लिए विचार किया जा सकता है।

आदर्श विधि मोटे तौर पर चार मुख्य सिद्वांतों[84] पर आधारित हैः

(क) एक्सेसः आदर्श विधि विदेशी आईपी और विदेशी लेनदारों को घरेलू अदालतों तक सीधी पहुंच की अनुमति देता है और उन पर भाग लेने और एक देनदार के विरुद्ध घरेलू दिवालिया कार्यवाही शुरू करने की क्षमता प्रदान करता है। हालाँकि, विदेशी लेनदारों के लिए प्रत्यक्ष पहुंच की परिकल्पना संहिता के अधीन भी की गई है।

(ख) मान्यताः आदर्श विधि ऐसी मान्यता के आधार पर घरेलू अदालतों द्वारा विदेशी कार्यवाही और उपचार के प्रावधान को मान्यता देता है। यदि विदेशी कार्यवाही या तो मुख्य या गैर–मुख्य कार्यवाही है तो राहत प्रदान की जा सकती है। यदि घरेलू अदालतें यह निर्धारित करती हैं कि विदेशी देश में ऋणी के अपने मुख्य हित (कोमी) के केंद्र हैं, तो इस तरह की विदेशी दिवालिया कार्यवाही को मुख्य कार्यवाही के रूप में मान्यता दी जाती है।

(ग) सहयोगः आदर्श विधि घरेलू और विदेशी अदालतों, और घरेलू और विदेशी आईपी के बीच सहयोग के लिए बुनियादी ढांचे को तैयार करता है। इसके बीच प्रत्यक्ष सहयोग प्रदान करता हैः (क) घरेलू अदालतें और विदेशी दिवाला प्रतिनिधि; (ख) घरेलू अदालतें और विदेशी अदालतें; (ग) विदेशी अदालतें और घरेलू आईपी; और (घ) विदेशी दिवाला प्रतिनिधि और घरेलू आईपी। विशेष रूप से, विदेशी कार्यवाही के लिए भी सहयोग प्रदान किया जा सकता है जिन्हें मुख्य या गैर–मुख्य के रूप में मान्यता नहीं दी गई है।

(घ) समन्वयः आदर्श विधि घरेलू दिवाला कार्यवाही शुरू करने के लिए एक ढांचा प्रदान करता है, जब एक विदेशी दिवाला कार्यवाही पहले से ही शुरू हो गई है या इसके विपरीत। यह अदालतों के बीच सहयोग को प्रोत्साहित करके विभिन्न देशों में दो या अधिक समवर्ती विद्रोह कार्यवाही के समन्वय के लिए भी प्रदान करता है।

आईएलसी द्वारा अनुशंसित के रूप में उत्कीर्ण के साथ मॉडल कानून को अपनाने के मुख्य लाभ निम्नानुसार हैः

(क) विदेशी निवेश में वृद्धिः आदर्श विधि को अपनाने से विदेशी दिवालिया कार्यवाही, घरेलू और विदेशी अदालतों और आईपी के बीच सहयोग और संचार को मान्यता प्रदान करने के लिए अतिरिक्त रास्ते उपलब्ध होंगे। वैश्विक निवेशकों, लेनदारों, सरकारों, विश्व बैंक जैसे अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के साथ–साथ भारत के वित्तीय क्षेत्र में सुधारों की मजबूती के संबंध में बहुराष्ट्रीय निगमों के लिए महत्वपूर्ण सकारात्मक संकेत होगा।

(ख) लचीलापनः आदर्श विधि लचीला है और राष्ट्रीय दिवाला विधियों के बीच अंतर का सम्मान करता है। इसलिए, आदर्श विधि में आवश्यक नक्काशी एक वैश्विक रूप से स्वीकृत ढांचे को अपनाने के दौरान घरेलू दिवाला विधि के साथ स्थिरता बनाए रखना संभव है। उदाहरण के लिए, आदर्श विधि के अधीन अधिस्थगन को संहिता की धारा 14 के अधीन स्थगन के साथ सामंजस्य बनाने के लिए बदल दिया जा सकता है और अन्य देशों में हितधारकों के लिए एक पारस्परिक आवश्यकता को शामिल किया जा सकता है।

(ग) घरेलू हितों की सुरक्षाः यदि इस तरह की कार्रवाई घरेलू सार्वजनिक नीति का विरोध करती है तो आदर्श विधि विदेशी कार्यवाही की मान्यता या किसी अन्य सहायता के प्रावधान से इनकार करता है। इसलिए, यह सार्वजनिक हित की रक्षा के लिए पर्याप्त लचीलापन प्रदान करता है।

(घ) घरेलू कार्यवाहियों की प्राथमिकताः आदर्श विधि घरेलू दिवाला कार्यवाही की पूर्व–प्रत्यक्ष विदेशी कार्यवाही को पूर्वता देता है। उदाहरण के लिए, एक विदेशी कार्यवाही की मान्यता के कारण स्थगन घरेलू दिवालिया कार्यवाही शुरू होने से नहीं रोकेगा।

(ङ.) सहयोग के लिए तंत्रः आदर्श विधि विदेशी न्यायालयों और घरेलू स्तर पर, अदालतों और आईपी के बीच सहयोग और समन्वय के लिए एक मजबूत तंत्र को शामिल करता है। इससे समवर्ती कार्यवाही के तेज और प्रभावी निश्पादन में आसानी होगी।

बॉक्स 13: वित्तीय सेवा प्रदाताओं का समाधान

ध्वनि सूक्ष्म विवेकपूर्ण विनियमन एफएसपी की विफलता की संभावना को कम करता है। हालांकि, सभी विफलता को समाप्त करना न तो संभव है और न ही वांछनीय। चूंकि बड़ी एफएसपी की विफलता ग्राहकों के लिए और अर्थव्यवस्था के लिए अत्यधिक विघटनकारी हो सकती है और एफएसपी की विफलताओं के समाधान के लिए भारत में कोई विशिष्ट कानून नहीं था, एफएसएलआरसी ने एफएसपी के समाधान से निपटने के लिए एक एकीकृत समाधान कॉर्पोरेशन की सिफारिश की[85]।

वित्तीय प्रणाली के प्रणालीगत लिंक के साथ एफएसपी का संकल्प, आम तौर पर वित्तीय स्थिरता बोर्ड के वित्तीय संस्थानों के लिए प्रभावी समाधान व्यवस्था के प्रमुख गुण के अनुसार होता है, जो एक अंतरराष्ट्रीय निकाय है, जो वैश्विक वित्तीय प्रणाली के बारे में सिफारिशों की निगरानी करता है और करता है। अन्य अनुशंसाओं में, मुख्य विशेषताएं यह प्रदान करती हैं कि 'महत्वपूर्ण रूप से महत्वपूर्ण या महत्वपूर्ण' वित्तीय संस्थानों के लिए समाधान रेजिमेंट को समाधान अथॉरिटी द्वारा लीड किया जाना चाहिए और समाधान और रिकवरी प्लानिंग जैसी एक्स–फीचर्स प्रदान करना चाहिए।[86]

इस दशक के मध्य में, दो अलग–अलग प्रकार की फर्मों के समाधान के लिए दो अलग–अलग ढांचे प्रदान करने पर विचार किया गया था, अर्थात् एफएसपी और अन्य फर्मों (वास्तविक क्षेत्र की फर्मों), ने फंडिंग और व्यवसाय की अपनी प्रकृति को देखते हुए। अन्य कंपनियां ज्यादातर इक्विटी और डेट पर भरोसा करती हैं और उनका समाधान मूल्य अधिकतम पर आधारित होता है। हालांकि, कई एफएसपी बड़ी मात्रा में उपभोक्ताओं के पैसे संभालते हैं। उनमें से कुछ व्यवस्थित रूप से महत्वपूर्ण हैं क्योंकि उनकी विफलता से वित्तीय प्रणाली को बाधित करने और अर्थव्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। उनका संकल्प वित्तीय स्थिरता को बढ़ावा देना है। यह बीएलआरसी और वित्तीय

[84] दिवाला कानून समिति की रिपोर्ट, अक्टूबर, 2018.
[85] वित्तीय क्षेत्र विधायी सुधार आयोग की रिपोर्ट, 2013
[86] की एट्रिब्यूटस ऑफ इफेक्टिव रिजॉल्यूशन रेजीम्स फोर फाइनेंषियल इंस्टिट्यूषन्स, फाइनेंषियल स्टेबिलिटी बोर्ड, अक्टूबर 2014.

फर्मों के संकल्प पर समिति[87] द्वारा अपनाए गए पूरक दृष्टिकोणों से स्पष्ट है। बीएलआरसी ने उल्लेख किया: *''संहिता उन संस्थाओं को कवर नहीं करेगा जिनके पास एक वित्तीय रूप से प्रभावी कार्य है, जिसका संकल्प समाधान कॉर्पोरेशन द्वारा भारतीय वित्तीय संहिता के मसौदे में शामिल किया गया है, जो वित्तीय क्षेत्र विधायी सुधार आयोग द्वारा प्रस्तावित है ..''।*

जबकि संहिता संसद के विचाराधीन थी, 2016–17 के अपने बजट भाषण में, वित्त मंत्री ने कहा: "वित्तीय फर्मों में दिवाला और शोधन अक्षमता की स्थितियों के संबंध में एक प्रणालीगत निर्वात मौजूद है। वित्तीय फर्मों के संकल्प पर एक व्यापक संहिता 2016– 17 के दौरान संसद में एक विधेयक के रूप में पेश की जाएगी। दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता 2015 के लागू होने पर यह संहिता हमारी अर्थव्यवस्था के लिए एक व्यापक संकल्प तंत्र प्रदान करेगा। वित्तीय फर्मों के प्रस्ताव पर समिति, जो इस बजट प्रस्ताव के अनुसरण में गठित की गई थी, ने कहा: *''मानक दिवाला और शोधन अक्षमता प्रक्रियाओं को आमतौर पर वित्तीय फर्मों के लिए उपयुक्त नहीं माना जाता है, खासकर उन लोगों के लिए जो उपभोक्ता धन को संभालते हैं और जिन्हें प्रणालीगत महत्व माना जाता है। इसके अलावा, ऐसी प्रक्रियाएं, भले ही वे कुशल हों, वित्तीय फर्म विफलता के उदाहरणों के लिए स्वीकार्य समय से अधिक समय तक खींचती रहती हैं, उपभोक्ता धन और प्रणालीगत स्थिरता के लिए खतरों को बढ़ाती हैं। इसके अलावा, एक लंबी अवधि की प्रक्रिया में जाने वाली वित्तीय फर्म के डर से इन फर्मों पर 'रन' भी हो सकता है, जब वे वास्तव में विफल नहीं हुए हों। इसलिए, एक विशेषज्ञ वैधानिक संस्था के अधीन एक विश्वसनीय संकल्प शासन होना महत्वपूर्ण है जो वित्तीय फर्मों के कुशल, व्यवस्थित और उचित समाधान सुनिश्चित करने में सक्षम है।''*

इस समिति ने यह भी उल्लेख किया: *''केवल कुछ वित्तीय फर्में जो उपभोक्ताओं के पैसे को नहीं संभालती हैं और प्रणालीगत जोखिम को नहीं उठाती हैं, उन्हें दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता के अधीन कवर किया जा सकता है, क्योंकि एक विशेष संकल्प शासन के अधीन कवर करने का औचित्य ऐसी फर्मों पर लागू नहीं होता है।''* तदनुसार, वित्तीय समाधान और जमा बीमा विधेयक, 2017 (एफआरडीआई विधेयक) संसद में पेश किया गया था। इसने एक समाधान निगम की स्थापना का प्रस्ताव किया और एनसीएलटी के एक आदेश के द्वारा एक स्वस्थ वित्तीय फर्म, विलय या समामेलन, परिसमापन के लिए परिसंपत्तियों के हस्तांतरण से संबंधित समाधान की कुछ शक्तियों को निगम को प्रदान करने और प्रस्ताव के कुछ नए तरीकों, जैसे एक पुल सेवा प्रदाता की जमानत और निर्माण के रूप में। इसने निगम को एक एफएसपी के व्यतिक्रम को तेजी से और कुशलता से हल करने और गैर–परिष्कृत उपभोक्ताओं को बचाने के लिए डिजाइन किया है। हालांकि, बिल वापस ले लिया गया था।

फलस्वरूप, भारत में एफएसपी के समाधान के लिए एक विशेष, व्यापक कानूनी ढांचा तैयार करना बाकी है। जब तक एफएसपी के दिवाला समाधान और परिसमापन की कार्यवाही से निपटने के लिए एक व्यापक फ्रेमवर्क (एफआरडीआई बिल के लिए) लागू किया जाता है, तब तक धारा 227 को लागू करना उचित रूप से कुछ एफएसपी में तनाव को दूर कर सकता है। दिवाला समाधान के दृष्टिकोण से, एफएसपी को तीन श्रेणियों में वर्गीकृत किया जा सकता है, अर्थात् (i) एफएसपी जिसमें संहिता के अधीन निर्धारित समाधान और परिसमापन प्रक्रिया लागू हो सकती है जैसा कि यह है; (ii) एफएसपी जो संहिता के अधीन निर्धारित निकाले जाने समाधान और परिसमापन प्रक्रिया उपयुक्त संशोधनों के साथ लागू हो सकते हैं; और (iii) एफएसपी, जिसके लिए संहिता लागू नहीं हो सकती है और इसके बाहर हल करने की आवश्यकता है।

[87] वित्तीय फर्मों के समाधान पर मसौदा संहिता के लिए समिति की रिपोर्ट, 2016.

झ बोर्ड का वित्तीय कार्य-निष्पादन

संहिता में अपेक्षा की गई है कि आईबीबीआई उचित खातों और अन्य प्रासंगिक रिकॉर्ड बनाए रखे और इस तरह के खातों का वार्षिक विवरण तैयार करे, जैसा कि भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक (सीएण्डएजी) के परामर्श से केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित किया जा सकता है। इसके साथ ही यह भी आवश्यक है कि आईबीबीआई के खातों की सीएण्डएजी द्वारा लेखापरीक्षा की जाए।

तदनुसार, केंद्र सरकार ने आईबीबीआई (खातों के वार्षिक विवरण का प्ररूप) नियम, 2018 को अधिसूचित किया है। आईबीबीआई ने इन नियमों के अनुसार, वित्त वर्ष 2018–19 के खातों और बैलेंस शीट के वार्षिक विवरण तैयार किए और लेखा परीक्षा समिति और उसके जीबी द्वारा, अनुमोदन के बाद लेखा परीक्षा के लिए सीएण्डएजी को अग्रेषित किया। सीएण्डएजी ने इन खातों की लेखापरीक्षा की और 8 नवंबर, 2019 को अपनी लेखापरीक्षा रिपोर्ट अग्रेषित की। सारणी–65 और सारणी–66 बोर्ड के वित्तीय प्रदर्शन का सारांश प्रस्तुत करती हैं।

सारणी 65: वित्त वर्ष 2018–19 के लिए आय और व्यय विवरण

(लाख रूपये)

आय	2016–17*	2017–18	2018–19	व्यय (में से)	2016–17*	2017–18	2018–19
सहायता अनुदान–वेतन	275.00	300.00	963.18	सहायता अनुदान–वेतन	66.99	508.01	963.18
सहायता अनुदान–पूंजी	192.86	––	––	सहायता अनुदान–पूंजी	3.09	66.23	––
सहायता अनुदान–सामान्य	203.28	333.00	1107.00	सहायता अनुदान–सामान्य	46.06	490.22	1107.00
आईबीबीआई के लिए एमसीए द्वारा खर्च किये गए	136.47	––	––	आईबीबीआई के लिए एमसीए द्वारा खर्च किये गए	136.47	––	––
आंतरिक राजस्व	89.73	330.41	551.83	आंतरिक राजस्व	––	420.14	212.29
कुल	**897.34**	**963.41**	**2622.01**	**कुल**	**252.61**	**1484.60**	**2282.47**

**2016–17, अक्तूबर, 2016 – मार्च, 2017 की अवधि के लिए हैं।*

सारणी 66: 31 मार्च, 2019 तक दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड की निधि

(लाख रूपये)

षीर्श	अक्तूबर, 2016–मार्च, 2017			2017–18			2018–19		
	अंतर्वाह	बहिर्वाह	शेष	अंतर्वाह	बहिर्वाह	शेष	अंतर्वाह	बहिर्वाह	शेष
1	*2*	*3*	*4 = 2-3*	*5*	*6*	*7 = 4+5+6*	*8*	*9*	*10 = 7+8+9*
सहायता अनुदान–वेतन	275.00	66.99	208.01	300.00	508.01	–	963.18	963.18**	–
सहायता अनुदान–पूंजी	192.86	3.09	189.77	–	66.23	123.54	–	–	123.54
सहायता अनुदान–सामान्य	203.28	46.06	157.22	333.00	490.22	–	1107.00	1107.00''	–
आईबीबीआई के लिए एमसीए द्वारा खर्च किये गए	136.47	136.47	–	–	–	–	–	–	–
आंतरिक राजस्व	89.73	–	89.73	330.41	420.14	–	551.83	212.29**	339.54
कुल	**897.34**	**252.61**	**644.73**	**963.41**	**1484.60**	**123.54**	**2622.01**	**2282.47**	**463.08**

*****सहायता अनुदान (सामान्य) के अधीन 15.37 लाख रूपये की कमी को सहायता अनुदान-वेतन (14.90 लाख रूपये) के अधीन अधिशेष के विरूद्ध निर्धारित किया गया है और शेष को आंतरिक सृजित राजस्व (4,7 लाख रूपये) से वित्त-पोषित किया गया है।***

आईबीबीआई को सरकार से 2018–19 में कुल 2070.18 लाख रुपये का अनुदान प्राप्त हुआ। इसने सेवा प्रदाताओं से 551.83 लाख रुपये का शुल्क अर्जित किया। इसने 2018–19 में कुल 2282.47 लाख रुपये खर्च किए।

नियामक आमतौर पर शुरू में कम दर पर शुल्क लगाना शुरू करता है और समय के साथ इसे उचित स्तर तक बढ़ाता है। यह अपेक्षाकृत कम आधार (शुरुआती वर्षों में लेन–देन की संख्या और मात्रा) पर शुल्क लगाता है जो बाजार का आकार बढ़ने पर बढ़ता जाता है। जबकि आधार के साथ–साथ दर कम है, इसे शुरुआती वर्षों में बड़े पूंजीगत व्यय को उठाना होगा। प्रारंभिक वर्षों में कम आय और उच्च खर्चों की समस्या करने के साथ नियामक आमतौर पर बाह्य योगदान पर निर्भर करता है। आईबीबीआई शुरुआती वर्षों में अनुदान के लिए सरकार पर निर्भर रहा है।

बीएलआरसी जिसने 2015 में संहिता की संकल्पना की, का विश्वास था कि यह एक अच्छी प्रथा है, बोर्ड को अपने विनियमित संस्थाओं से एकत्र की गई फीस से स्वयं को वित्त–पोषित करना चाहिए। हालांकि, दिवाला और शोधन अक्षमता पर केंद्रित विनियमित व्यावसायिकों और संस्थाओं का उद्योग केवल समय के साथ विकसित होगा, जबकि बोर्ड को शुरू से ही अपने पर्यवेक्षी कार्य करने की आवश्यकता है। फलस्वरूप, एक ऐसा समय होगा जिसमें जब बोर्ड को सरकार द्वारा वित्त–पोषित करने की आवश्यकता होगी।

'बिल्डिंग ऑन दि इनसोल्वेंसी एंड बैंकरप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया' के बारे में डब्ल्यूजी ने माना कि आईबीबीआई के विकास के शुरुआती चरण में, सरकार से बजट अनुदान, वित्त–पोषण का मुख्य स्रोत होगा। हालांकि, यह परिकल्पना की गई है कि कुछ वर्षों में, दिवाला और शोधन अक्षमता मध्यस्थता उद्योग का स्वरूप दिखाई देगा। फिर आईबीबीआई सभी आईपी, आईपीए और आईयू पर शुल्क लागू करने में सक्षम होगा जो इसके खर्चों का भुगतान करेंगे।

विनियमों में हाल ही में, बोर्ड को आईपी, आईपीए और आईयू के रजिस्ट्रीकरण पर शुल्क लगाने की अनुमति दी गई थी। आईपी विनियमों को 11 अक्टूबर, 2018 को संशोधित किया गया था, यह प्रदान करने के लिए कि एक आईपी आईबीबीआई को उसके द्वारा प्रदान की गई सेवाओं के लिए 0.25 प्रतिशत की दर से गणना की गई फीस का हर साल 30 अप्रैल को भुगतान करेगा, जो कि वित्तीय वर्ष से पहले या उससे पहले की गई सेवाओं के लिए उसके द्वारा प्रदान की गई है। यह आगे प्रदान किया गया था कि एक आईपी द्वारा शुल्क के भुगतान में किसी भी देरी से शुल्क अवैतनिक की राशि पर 12 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से साधारण ब्याज मिलेगा। इसके अलावा, मान्यता के लिए आवेदन करते समय आईपीई पर शुल्क लगाने से संबंधित उपबंध, कारोबार के अंश के रूप में गणना किये गए शुल्क और कुछ घटना–आधारित शुल्क को भी कहा गया था।

अ | वैधानिक बाध्यताओं का अनुपालन

बोर्ड संविधि का एक सृजन है। इसको संविधि के उपबंधों के साथ–साथ अन्य लागू कानूनों का पालन करने की आवश्यकता है। सारणी–67 में बोर्ड द्वारा अनुपालन का संक्षिप्त विवरण प्रस्तुत है।

सारणी 67: सांविधिक बाध्यताओं के अनुपालन का विवरण

संविधि	अपेक्षित अनुपालन	अनुपालन की स्थिति
दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता, 2016	धारा 16 (2): यदि कोई अनुशासनात्मक कार्यवाही लंबित नहीं है तो आईपी को आईआरपी के रूप में नियुक्त किया जाएगां।	बोर्ड ने आईपी की अनुशासनात्मक स्थिति की जांच करने के लिए एए को ऑनलाइन सुविधा प्रदान की है, जिससे विलंब को समाप्त किया जा सकें हालांकि, बोर्ड ने इस संबंध में 2018–19 में एए से 01 संदर्भ प्राप्त किया और इसका जवाब दिया।
	धारा 16 (4): बोर्ड एए से संदर्भित होने के 10 दिनों के भीतर सिफारिश करेगा, आईपी का नाम जहां दिवाला समाधान प्रक्रिया के लिए आवेदन एक ओसी द्वारा किया गया है और एक आईआरपी के लिए कोई प्रस्ताव नहीं किया गया हैं।	बोर्ड ने दिवाला वृत्तिकों के अंतरिम समाधान वृत्तिक या परिसमापक के रूप में कार्य करने के लिए (अनुशंसा) दिशानिदेश, 2018 और दिवाला वृत्तिकों के अंतरिम समाधान वृत्तिक और परिसमापक के रूप में कार्य करने के लिए (अनुशंसा) (द्वितीय) दिशानिर्देश, 2018' के अधीन क्रमशः जुलाई–दिसंबर, 2018 और जनवरी – जून, 2019 के दौरान आईआरपी के रूप में नियुक्ति के लिए बोर्ड को संदर्भ भेजे बिना एए द्वारा सीधे क्रमशः आईपी के दो पैनल तैयार करके साझा किएं हालांकि, बोर्ड ने इस संबंध में 2018–19 में एए से 06 संदर्भ प्राप्त किए और निर्धारित समय के भीतर उन सभी को जवाब दिया।
	धारा 22 (4): बोर्ड सीओसी द्वारा प्रस्तावित आरपी के नाम की पुष्टि करेगा।	बोर्ड ने आईपी की अनुशासनात्मक स्थिति की जांच करने के लिए एए को ऑनलाइन सुविधा प्रदान की है, जिससे विलंब समाप्त किया जा सकें हालांकि, बोर्ड ने इस संबंध में 2018–19 में एए से 38 संदर्भ प्राप्त किए और उन सभी को जवाब दिया।
	धारा 34 (6): बोर्ड एए द्वारा निर्देश के दस दिनों के भीतर, आईपी का नाम परिसमापक के रूप में नियुक्त किए जाने के लिए प्रस्ताव करेगा।	बोर्ड ने 'दिवाला वृत्तिकों के अंतरिम समाधान वृत्तिक या परिसमापक के रूप में कार्य करने के लिए (अनुशंसा) दिशानिर्देश, 2018' और दिवाला वृत्तिकों के अंतरिम समाधान वृत्तिक और परिसमापक के रूप में कार्य करने के लिए (अनुशंसा) (द्वितीय) दिशानिर्देश, 2018' के अधीन क्रमशः जुलाई–दिसंबर, 2018 और जनवरी – जून, 2019 के दौरान आईआरपी के रूप में नियुक्ति के लिए बोर्ड को संदर्भ भेजे बिना एए द्वारा सीधे क्रमशः आईपी के दो पैनल तैयार करके साझा किएं हालांकि, बोर्ड ने इस संबंध में 2018–19 में एए से 02 संदर्भ प्राप्त किए और निर्धारित समय के भीतर उन सभी को जवाब दिया।
	आईपी विनियमों के साथ पठित धारा 207: आईपी के रूप में रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन को अस्वीकार करने का अवसर प्रदान करने के बाद अस्वीकार किया जा सकता है कि आवेदन को क्यों स्वीकार किया जाना चाहिए।	बोर्ड ने 2018–19 में आईपी के रूप में रजिस्ट्रीकरण के लिए 03 आवेदनों को निरस्त कर दियां यह एक आदेश के माध्यम से, आवेदकों के लिखित और मौखिक प्रस्तुतिकरण पर विचार करने के बाद इन सभी आवेदनों को निरस्त कर दिया।
	आईपी विनियमों के साथ पठित धारा 220: डीसी प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के पालन में उचित आदेश द्वारा एससीएन का निपटान करेगा।	डीसी ने 11 एससीएन का निपटारा 2018–19 के दौरान कियां इसने सभी एससीएन का निस्तारण सुनियोजित आदेश के माध्यम से सुनने का अवसर प्रदान करने के बाद किया।
	धारा 223: बोर्ड उचित खाते बनाएगा और ऐसे खातों का लेखा–जोखा सीएण्डएजी द्वारा किया जाएगा।	बोर्ड ने आईबीबीआई (खातों के वार्षिक विवरण के प्ररूप) नियम, 2018 के अनुसार खाते तैयार किएं सीएण्डएजी ने 2017–18 के लिए बोर्ड के खातों की लेखापरीक्षा की और 29 जनवरी, 2019 को अपने पत्र द्वारा लेखापरीक्षा रिपोर्ट को अग्रेषित कियां इसने 2018–19 के लिए बोर्ड के खातों और 8 नवंबर, 2019 को अपने पत्र की लेखापरीक्षा रिपोर्ट को अग्रेषित किया।
	धारा 230 धारा 240 के साथ पढ़ी गई: विनियमन आईबीबीआई के गवर्निंग बोर्ड द्वारा बनाए जाएंगे।	बोर्ड ने 2018–19 के दौरान 01 विनियमन तैयार किया और 09 विनियमों में संशोधन कियां इन सभी विनियमों को गवर्निंग बोर्ड द्वारा अनुमोदित किया गया था और तुरंत अधिसूचित किया गया था।
	धारा 240: बोर्ड को इस भाग में निर्दिष्ट मामलों पर विनियमन तैयार करने की आवश्यकता है।	31 मार्च 2019 तक, बोर्ड ने निम्नांकित विनियमन बनाए : (क) सेवा प्रदाताओं (आईपी, आईपीई, आईपीए, और आईयू) को विनियमित करने के लिए, 06 विनियमन (ख) प्रक्रियाओं (सीआईआरपी, फास्ट ट्रेक दिवाला समाधान प्रक्रिया और स्वैच्छिक परिसमापन प्रक्रिया) को विनियमित करने के लिए, 04 विनियमन (ग) बोर्ड की आंतरिक कार्यप्रणाली को विनियमित करने के लिए, 04 विनियमन
	धारा 241: संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष विनियमन रखे जाएंगे।	बोर्ड ने 2018–19 के दौरान संसद के समक्ष रखने के लिए सरकार को 13 विनियमन (2017–18 में 07 अधिसूचित और 2018–19 में 06 अधिसूचित) भेजें 2018–19 में अधिसूचित शेष 02 विनियमन 2019–20 में सरकार को भेजे गए।

<table>
<tr>
<td rowspan="3">आयकर अधिनियम, 1961</td>
<td>धारा 139: बोर्ड प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए आयकर रिटर्न दाखिल करेगा।</td>
<td>बोर्ड ने 18 जुलाई, 2019 को वित्तीय वर्ष 2018–19 के लिए आयकर रिटर्न दाखिल किया।</td>
</tr>
<tr>
<td>धारा 200: बोर्ड वेतन, अनुबंध और व्यावसायिक सेवाओं के संबंध में स्रोत (टीडीएस) पर कटौती कर और जमा कर सकता है:
<table>
<tr><th>माह के लिए</th><th>फाइल करने की तारीख</th></tr>
<tr><td>अप्रैल, 2018 – फरवरी, 2019</td><td>महीने के अंत से सात दिनों के भीतरं</td></tr>
<tr><td>मार्च, 2019</td><td>30 अप्रैल, 2019</td></tr>
</table>
</td>
<td>बोर्ड ने टीडीएस काट लिया और हर महीने उसी के अधीन जमा किया:
<table>
<tr><th>माह के लिए</th><th>जमा करने की तारीख</th></tr>
<tr><td>अप्रैल, 2018</td><td>7 मई, 2018</td></tr>
<tr><td>मई, 2018</td><td>7 जून, 2018</td></tr>
<tr><td>जून, 2018</td><td>6 जुलाई, 2018</td></tr>
<tr><td>जुलाई, 2018</td><td>7 अगस्त 2018</td></tr>
<tr><td>अगस्त, 2018</td><td>7 सितंबर, 2018</td></tr>
<tr><td>सितंबर, 2018</td><td>5 अक्टूबर, 2018</td></tr>
<tr><td>अक्टूबर, 2018</td><td>5 नवंबर, 2018</td></tr>
<tr><td>नवंबर, 2018</td><td>5 दिसंबर, 2018</td></tr>
<tr><td>दिसंबर, 2018</td><td>4 जनवरी, 2019</td></tr>
<tr><td>जनवरी, 2019</td><td>6 फरवरी, 2019</td></tr>
<tr><td>फरवरी, 2019</td><td>6 मार्च, 2019</td></tr>
<tr><td>मार्च, 2019</td><td>29–30 अप्रैल, 2019</td></tr>
</table>
</td>
</tr>
<tr>
<td>नियम 31क: बोर्ड निम्नानुसार कर कटौती का तिमाही विवरण पूरा करेगा:
<table>
<tr><th>समाप्त तिमाही के लिए</th><th>देय तारीख</th></tr>
<tr><td>30 जून, 2018</td><td>31 जुलाई, 2018</td></tr>
<tr><td>30 सितम्बर, 2018</td><td>31 अक्तूबर, 2018</td></tr>
<tr><td>31 दिसम्बर, 2018</td><td>31 जनवरी, 2019</td></tr>
<tr><td>31 मार्च, 2019</td><td>31 मई, 2019</td></tr>
</table>
</td>
<td>बोर्ड ने निम्नानुसार कर कटौती का तिमाही विवरण फाइल किया:
<table>
<tr><th>समाप्त तिमाही के लिए</th><th>फाइल करने की तारीख</th></tr>
<tr><td>30 जून, 2018</td><td>30 जुलाई, 2018</td></tr>
<tr><td>30 सितम्बर, 2018</td><td>31 अक्तूबर, 2018</td></tr>
<tr><td>31 दिसम्बर, 2018</td><td>31 जनवरी, 2019</td></tr>
<tr><td>31 मार्च, 2019</td><td>28–31 मई, 2019</td></tr>
</table>
</td>
</tr>
<tr>
<td>केन्द्रीय वस्तुएं और सेवाएं कर अधिनियम, 2017 (जीएसटी)</td>
<td>धारा 37 (1): इसमें हर रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति को कर का भुगतान करने की आवश्यकता होती है जो सफल महीने के दसवें दिन से पहले माल या सेवाओं की बाहरी आपूर्ति का विवरण प्रस्तुत करता हैं हालाँकि, रिटर्न दाखिल करने की नियत तारीखों को निम्नानुसार बढ़ाया गया था:
<table>
<tr><th>माह के लिए</th><th>देय तारीख</th></tr>
<tr><td>अप्रैल, 2018–सितम्बर, 2018</td><td>31 अक्तूबर, 2018</td></tr>
<tr><td>अक्तूबर, 2018– फरवरी, 2019</td><td>अगले माह का 11वां दिन</td></tr>
<tr><td>मार्च, 2019</td><td>13 अप्रैल , 2019</td></tr>
</table>
</td>
<td>बोर्ड ने निम्नानुसार ब्यौरा फाइल किया:
<table>
<tr><th>माह के लिए</th><th>फाइल करने की तारीख</th></tr>
<tr><td>अप्रैल, 2018</td><td>28 मई, 2018</td></tr>
<tr><td>मई, 2018</td><td>8 जून, 2018</td></tr>
<tr><td>जून, 2018</td><td>9 जुलाई,2018</td></tr>
<tr><td>जुलाई, 2018</td><td>9 अगस्त, 2018</td></tr>
<tr><td>अगस्त, 2018</td><td>10 सितंबर, 2018</td></tr>
<tr><td>सितंबर, 2018</td><td>31 अक्टूबर, 2018</td></tr>
<tr><td>अक्टूबर, 2018</td><td>10 नवंबर, 2018</td></tr>
<tr><td>नवंबर, 2018</td><td>11 दिसंबर, 2018</td></tr>
<tr><td>दिसंबर, 2018</td><td>11 जनवरी, 2019</td></tr>
<tr><td>जनवरी, 2019</td><td>11 फरवरी, 2019</td></tr>
<tr><td>फरवरी, 2019</td><td>11 मार्च, 2019</td></tr>
<tr><td>मार्च, 2019</td><td>13 अप्रैल, 2019</td></tr>
</table>
</td>
</tr>
</table>

<table>
<tr>
<td></td>
<td>धारा 38 (2): इसके लिए हर रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति को इलेक्ट्रॉनिक रूप से कर का भुगतान करना होता है जो दसवें दिन के बाद या बाद के महीने के पंद्रहवें दिन या उससे पहले माल या सेवाओं की आवक आपूर्ति का विवरण प्रस्तुत करता हैं हालाँकि, रिटर्न दाखिल करने की नियत तारीखों को निम्नानुसार बढ़ाया गया था।
<table>
<tr><th>माह के लिए</th><th>देय तारीख</th></tr>
<tr><td>अप्रैल, 2018</td><td>22 मई, 2018</td></tr>
<tr><td>मई, 2018</td><td>20 जून, 2018</td></tr>
<tr><td>जून, 2018</td><td>20 जुलाई, 2018</td></tr>
<tr><td>जुलाई, 2018</td><td>24 अग, 2018</td></tr>
<tr><td>अगस्त, 2018 – फरवरी, 2019</td><td>अगले माह का 20वां दिन</td></tr>
<tr><td>मार्च, 2019</td><td>23 अप्रैल, 2019</td></tr>
</table>
</td>
<td>बोर्ड ने निम्नानुसार ब्यौरा फाइल किया।
<table>
<tr><th>माह के लिए</th><th>फाइल करने की तारीख</th></tr>
<tr><td>अप्रैल, 2018</td><td>22 मई, 2018</td></tr>
<tr><td>मई, 2018</td><td>20 जून, 2018</td></tr>
<tr><td>जून, 2018</td><td>20 जुलाई, 2018</td></tr>
<tr><td>जुलाई, 2018</td><td>20 अगस्त 2018</td></tr>
<tr><td>अगस्त, 2018</td><td>20 सितंबर, 2018</td></tr>
<tr><td>सितंबर, 2018</td><td>20 अक्टूबर, 2018</td></tr>
<tr><td>अक्टूबर, 2018</td><td>19 नवंबर, 2018</td></tr>
<tr><td>नवंबर, 2018</td><td>20 दिसंबर, 2018</td></tr>
<tr><td>दिसंबर, 2018</td><td>18 जनवरी, 2019</td></tr>
<tr><td>जनवरी, 2019</td><td>20 फरवरी, 2019</td></tr>
<tr><td>फरवरी, 2019</td><td>22 मई, 2019</td></tr>
<tr><td>मार्च, 2019</td><td>21 अप्रैल, 2019</td></tr>
</table>
</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>धारा 44 (1): ऐसे इलेक्ट्रॉनिक वित्तीय वर्ष की समाप्ति के बाद दिसंबर के ईकतीसवें दिन या उससे पहले हर वित्तीय वर्ष के लिए इलेक्ट्रॉनिक रूप से वार्षिक रिटर्न (जीएसटीआर 9) का भुगतान करने वाले प्रत्येक रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति को इसकी आवश्यकता होती हैं 2018–19 के लिए नियत तारीख को 30 जून, 2020 तक के लिए बढ़ा दिया गया है।</td>
<td>2018–19 के लिए वार्षिक रिटर्न (जीएसटीआर 9) 30 जून, 2020 तक दाखिल किया जाना है।</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>धारा 51(1): इसमें कर योग्य वस्तुओं या सेवाओं के आपूर्तिकर्ताओं को किए गए निर्दिष्ट भुगतान से स्रोत पर कर की कटौती के लिए निर्दिष्ट व्यक्तियों की आवश्यकता होती है।

धारा 39 (3): इसके लिए हर रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति को स्रोत पर कर में कटौती करने की आवश्यकता होती है, इलेक्ट्रॉनिक रूप से उस महीने के लिए रिटर्न प्रस्तुत करना जिसमें कटौती इस तरह के महीने के अंत के बाद दस दिनों के भीतर की गई हो।

ये प्रावधान 1 अक्टूबर, 2018 से प्रभावी किए गए थें अक्टूबर, 2018– मार्च, 2019 के लिए रिटर्न भरने की नियत तारीखों को 31 अगस्त, 2019 तक बढ़ा दिया गया है।</td>
<td>बोर्ड ने हर महीने जीएसटी इकट्ठा किया और जमा किया और मासिक जीएसटीआर1 और जीएसटीआर 3 ख को निम्न के रूप में दर्ज किया।
<table>
<tr><th>माह के लिए</th><th>फाइल करने की तारीख</th></tr>
<tr><td>अक्टूबर, 2018</td><td rowspan="6">10 जून, 2019</td></tr>
<tr><td>नवंबर, 2018</td></tr>
<tr><td>दिसंबर, 2018</td></tr>
<tr><td>जनवरी, 2019</td></tr>
<tr><td>फरवरी, 2019</td></tr>
<tr><td>मार्च, 2019</td></tr>
</table>
</td>
</tr>
<tr>
<td rowspan="3">सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005</td>
<td>धारा 4 (1) (बी): बोर्ड अपनी वेबसाइट पर निर्दिष्ट मामलों पर खुलासा करेगा।</td>
<td>बोर्ड ने आरटीआई अधिनियम, 2005 की धारा 4 (1) (बी) के अनुसार किए गए खुलासे को अद्यतन किया।</td>
</tr>
<tr>
<td>धारा 7 (1): सीपीआईओ आवेदन प्राप्त होने के 30 दिनों के भीतर आवेदकों को जानकारी प्रदान करेगा।</td>
<td>सीपीआइओ ने 234 आवेदकों को जानकारी प्रदान की इसने आरटीआई अधिनियम, 2005 द्वारा निर्धारित समयसीमा के भीतर सभी मामलों में जानकारी प्रदान की।</td>
</tr>
<tr>
<td>धारा 19 (6): एफएए 45 दिनों के भीतर अपील का निपटान करेगा।</td>
<td>एफएए ने निर्धारित समय के भीतर वर्ष के दौरान प्राप्त 29 अपीलों का निस्तारण किया।</td>
</tr>
<tr>
<td>कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013</td>
<td>बोर्ड आंतरिक शिकायत समिति का गठन करेगा।</td>
<td>बोर्ड ने 27 फरवरी, 2019 को समिति का पूनर्गठन किया।</td>
</tr>
<tr>
<td>न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948</td>
<td>एक प्रमुख नियोक्ता के रूप में, बोर्ड को यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि अधिनियम के प्रावधानों का अनुबंध आधार पर लगे जनशक्ति के संबंध में पालन किया जाए।</td>
<td>बोर्ड ने जनशक्ति सेवा प्रदाता द्वारा अनुपालन सुनिश्चित किया है।</td>
</tr>
<tr>
<td rowspan="2">रोजगार संबंधी नियम</td>
<td>कर्मचारियों के लिए भविष्य निधि / पेंशन: बोर्ड कर्मचारियों के भविष्य निधि और पेंशन योगदान को घटाएगा और जमा करेगा।</td>
<td>बोर्ड ने कटौती की:

(क) भविष्य निधि के लिए कर्मचारियों की सदस्यता और प्रतिनियुक्ति पर कर्मचारियों के संबंध में नियोक्ता के योगदान के साथ ही उनके संबंधित नियोक्ताओं को भी भेज दिया।

(ख) ने राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीएस) की ओर अन्य कर्मचारियों की सदस्यता में कटौती की और उन्हें अपने संबंधित एनपीएस खातों में जमा किया।

(ग) बोर्ड ने योगदानकर्ता भविष्य निधि के लिए अध्यक्ष और डब्ल्यूटीएम की सदस्यता में कटौती की और एक आवर्ती जमा खाते में नियोक्ता के योगदान के साथ ही जमा किया।</td>
</tr>
<tr>
<td>भर्ती में आरक्षण</td>
<td>बोर्ड ने आरक्षण पर सरकारी नियमों के अनुसार ग्रेड 'ए' अधिकारियों की भर्ती की।</td>
</tr>
<tr>
<td rowspan="2">सामान्य वित्तीय नियम, 2017</td>
<td>नियम 234: एक अनुदान संस्थान के रूप में, बोर्ड को अनुदान का रजिस्टर बनाए रखने और हर वित्तीये वर्ष में उपयोग प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने की आवश्यकता होती है।</td>
<td>बोर्ड 12 जुलाई, 2019 को 2018–19 के लिए अनुदान का रजिस्टर रखता है और उपयोग प्रमाण पत्र प्रस्तुत करता है।</td>
</tr>
<tr>
<td>नियम 238: वित्तीय वर्ष के समापन के बारह महीनों के भीतर प्राप्त अनुदान के वास्तविक उपयोग के संबंध में बोर्ड को एक उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।</td>
<td>बोर्ड ने 12 जुलाई, 2019 को 2018–19 के लिए उपयोग प्रमाण पत्र एमसीए को प्रस्तुत किया।</td>
</tr>
</table>

ट | संगठनात्मक विषय

उत्तरदायित्व केंद्र

शासी बोर्ड

सुश्री सुमन सक्सेना ने व्यक्तिगत कारणों से 8 अक्टूबर, 2018 को आईबीबीआई के डब्ल्यूटीएम के पद से इस्तीफा दे दिया। सरकार ने 13 मार्च, 2019 को उनके इस्तीफे को अधिसूचना द्वारा स्वीकार कर लिया।

सरकार ने दिनांक 26 फरवरी, 2019 अधिसूचना नोटिफिकेशन, डॉ. राजीव मणि, संयुक्त सचिव और विधि सलाहकार, विधिक कार्य विभाग, विधि और न्याय मंत्रालय को श्री जीएस यादव के स्थान पर पदेन सदस्य के रूप में नियुक्त किया, जो 31 दिसंबर, 2018 को उनकी सेवानिवृत्ति के पश्चात पदेन सदस्य नहीं रहे।

सारणी 68 शासी बोर्ड के सदस्यों का विवरण 31 मार्च, 2019 को प्रस्तुत करती है।

सारणी 68: 31 मार्च, 2019 को आईबीबीआई का शासी बोर्ड

नाम	नियुक्ति के समय पद	के रूप में नियुक्त	किसका प्रतिनिधित्व कर रहे हैं	नियुक्ति की तारीख
डॉ एम. एस. साहू	सदस्य, सीसीआई,	अध्यक्ष	उपलब्ध नहीं	01.10.16
श्री उन्नीकृष्णन ए.	विधि सलाहकार, आरबीआई	पदेन सदस्य	आरबीआई	01.10.16
डॉ नवरंग सैनी	महानिदेशक, एमसीए	पूर्णकालिक सदस्य	उपलब्ध नहीं	31.03.17
डॉ (सुश्री) मुकुलिता विजयवर्गीय	अतिरिक्त सचिव, विधि और न्याय मंत्रालय	पूर्णकालिक सदस्य	उपलब्ध नहीं	13.04.17
डॉ शशांक सक्सेना	सलाहकार, वित्त मंत्रालय	पदेन सदस्य	वित्त मंत्रालय	24.05.17
श्री ज्ञानेश्वर कुमार सिंह	संयुक्त सचिव, एमसीए	पदेन सदस्य	एमसीए	22.02.18
डॉ राजीव मणि	संयुक्त सचिव, विधि और न्याय मंत्रालय	पदेन सदस्य	विधि और न्याय मंत्रालय	26.02.19

लेखा परीक्षा समिति

लेखापरीक्षा समिति वित्तीय रिपोर्टिंग, आंतरिक नियंत्रण प्रणाली, जोखिम प्रबंधन प्रणाली और लेखा परीक्षा कार्यों के क्षेत्रों में जीबी की सहायता करती है। जीबी ने 26 जून, 2018 को निम्न के रूप में लेखापरीक्षा समिति का पुनर्गठन किया:

(क) श्री ज्ञानेश्वर कुमार सिंह अध्यक्ष के रूप में
(ख) श्री उन्नीकृष्णन ए., सदस्य, और
(ग) डब्ल्यूटीएम, बोर्ड के वित्त और लेखा प्रभारी,.

वर्ष 2018–19 में लेखापरीक्षा समिति की तीन बार बैठक हुई। अपनी बैठकों के दौरान, समिति ने 2016–17 और 2017–18 के लिए बोर्ड के आंतरिक लेखा परीक्षक रिपोर्ट, 30 सितंबर, 2018 को समाप्त छमाही के लिए आंतरिक लेखापरीक्षा रिपोर्ट, और 2016–17 और 2017–18 के लिए बोर्ड के वार्षिक खातों पर सी एण्ड एजी की लेखापरीक्षा रिपोर्ट की समीक्षा की। इसने 2016–17 और 2017–18 के लिए बोर्ड के वित्तीय विवरणों और 30 सितंबर, 2018 को समाप्त हुई अवधि के लिए बोर्ड के अर्धवार्षिक वित्तीय विवरण को मंजूरी दे दी।

अनुशासनात्मक समिति

संहिता में धारा 220 (1) के अधीन कारण बताओ नोटिस पर विचार करने और निपटान के लिए पूर्णकालिक युक्त डीसी की परिकल्पना की गई है। 1 फरवरी, 2017 को डीसी का गठन किया गया था और सारणी 69 में इंगित समय के साथ पुनर्गठित किया गया था।

सारणी 69: अनुशासनात्मक समिति का संघटन

गठन की तारीख	संघटन
01.02.17	डॉ एम. एस. साहू, अध्यक्ष
23.08.17	डॉ (सुश्री) मुकुलिता विजयवर्गीय, पूर्णकालिक सदस्य
09.04.18	डॉ एम. एस. साहू, अध्यक्ष/श्रीमती सुमन सक्सेना, डब्ल्यूटीएम, और डॉ (सुश्री) मुकुलिता विजयवर्गीय, पूर्णकालिक सदस्य
17.10.18	डॉ नवरंग सैनी, पूर्णकालिक सदस्य

सलाहकार समितियाँ

नियामक के शुरुआती दिनों में एसी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, जब उसके पास ज्ञान का मजबूत भंडार या नियामक क्षमता नहीं होती है। संहिता की धारा 197 बोर्ड को अपने कार्यों के निर्वहन के लिए एसी का गठन करने और उसी के लिए विनियमन बनाने में सक्षम बनाती है। बोर्ड ने सलाहकार समिति विनियमन, को 30 जनवरी, 2017 को अधिसूचित किया। उक्त विनियमों के अनुसार, आईबीबीआई के पास मार्च, 2019 के अंत में निम्नलिखित एसी थे:

(क) श्री मोहनदास पई (अध्यक्ष, मणिपाल ग्लोबल एजुकेशन) अध्यक्ष सहित सेवा प्रदाताओं के बारे में एसी;
(ख) अध्यक्ष के रूप में श्री उदय कोटक (कार्यकारी उपाध्यक्ष और प्रबंध निदेशक, कोटक महिंद्रा बैंक) सहित कारपोरेट दिवाला और परिसमापन संबंधी एसी; तथा
(ग) न्यायमूर्ति (सेवानिवृत्त) बी.एन. श्रीकृष्ण, अध्यक्ष के रूप में व्यक्तिगत दिवाला और शोधन अक्षमता के बारे में एसी के रूप में।

आंतरिक शिकायत समिति

कार्यस्थल (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 में महिलाओं के यौन उत्पीड़न के उपबंधों के अनुसार, महिला कर्मचारियों के यौन उत्पीड़न की शिकायतों की जांच के लिए बोर्ड ने 1 सितंबर, 2017 को आंतरिक शिकायत समिति का गठन किया। इसने 27 फरवरी, 2019 को समिति को पुनर्गठित किया, जिसमें निम्न शामिल हैं:

(क) डॉ. (सुश्री) मुकुलिता विजयवर्गीय, पूर्णकालिक सदस्य, आईबीबीआई पीठासीन अधिकारी;
(ख) सुश्री बीना जैन, बाह्य विशेषज्ञ;
(ग) डॉ. अनुराधा गुरु, मुख्य महाप्रबंधक, आईबीबीआई सदस्य के रूप में; तथा
(घ) श्री रितेश कावड़िया, कार्यपालक निदेशक, आईबीबीआई सदस्य सचिव के रूप में।

मानव संसाधन

आईबीबीआई दो व्यवसायों अर्थात दिवाला और व्यवसाय का मूल्यांकन व्यवसाय के विकास और निर्माण की क्षमता के लिए जिम्मेदार है। यह दिवाला समाधान के लिए बाजार को व्यावसायिक बनाने के लिए भी जिम्मेदार है। अपनी अनूठी भूमिका को देखते हुए, आईबीबीआई का उद्देश्य सही प्रतिभाओं को आकर्षित करना, उन्हें कार्यों के लिए प्रशिक्षित करना और उन्हें उत्कृष्टता के लिए प्रेरित करना है।

अनुसंधान सहयोगी

आईबीबीआई (अनुसंधान सहयोगी और सलाहकार नियुक्ति) विनियमों, 2017 के अनुसार, बोर्ड अपने कार्यों के निर्वहन में सहायता के लिए लघु अवधि के लिए अनुबंध के आधार पर अनुसंधान सहयोगियों/सलाहकारों को संलग्न करता है। 31 मार्च, 2019 को अनुबंध के आधार पर अर्थशास्त्र/सार्वजनिक नीति, कानून और व्यवसाय प्रबंधन के विषयों के 15 अनुसंधान सहयोगी थे।

कर्मचारियों

आईबीबीआई (कर्मचारी सेवा) विनियमन, 2017 के अनुसार, ओपन प्रतियोगी परीक्षा (लिखित परीक्षा, समूह चर्चा और साक्षात्कार) के माध्यम से, आईबीबीआई ने सितंबर, 2018 में ग्रेड पद 'ए' अधिकारियों के पहले बैच की भर्ती की। ये अधिकारी कानून, अर्थशास्त्र, वाणिज्य, प्रबंधन, कंपनी सचिव, चार्टर्ड अकाउंटेंसी और लागत लेखा जैसे विषयों से तैयार किए गए हैं। उन्होंने आईआईसीए, मानेसर, हरियाणा में एक प्रेरण कार्यक्रम चलाया। प्रेरण के सिद्धांत (व्यावहारिक ज्ञान, व्यावहारिक कौशल और सहभागिता की आवश्यकता) के टीपीआई पर आधारित, इस कार्यक्रम का उद्देश्य संहिता के अधीन विभिन्न प्रक्रियाओं की बारीकियों को उजागर करते हुए दिवाला और शोधन अक्षमता के दायरे में नियामक भूमिका के लिए अधिकारियों को कार्य–जीवन संतुलन तैयार करना है। 2018–19 के दौरान, आईबीबीआई वरिष्ठ स्तर पर अधिकारियों को प्रतिनियुक्ति पर लेता रहा है। सारणी 70 में कर्मचारियों के वास्तविक संख्याबल की तुलना में 31 मार्च, 2019 को अनुमोदित संख्याबल प्रस्तुत किया गया है।

प्रशिक्षु (इंटर्न्स)

आईबीबीआई उन छात्रों को इंटर्नशिप का अवसर प्रदान करता है, जो 16 अगस्त, 2017 को अधिसूचित आईबीबीआई इंटर्नशिप दिशानिर्देशों के अनुसार, दिवाला, परिसमापन, दिवाला और शोधन अक्षमता या किसी अन्य संबंधित क्षेत्र में व्यावसायिक कैरियर बनाने की इच्छा रखते हैं। ऐसा छात्र जो पांच वर्ष या तीन वर्ष का विधि में डिग्री पाठ्यक्रम कर रहा है या अर्थशास्त्र, वाणिज्य, वित्त, प्रबंधन या विधि में पोस्ट–ग्रेजुएशन पाठ्यक्रम कर रहा है और इस तरह के डिग्री कोर्स या पोस्ट–ग्रेजुएशन कोर्स का उपांतिम वर्ष या स्टेज पूरा कर ली है या अर्थशास्त्र, वाणिज्य, वित्त, प्रबंधन या विधि में एम.फिल/पीएचडी पाठ्यक्रम कर रहा है, आईबीबीआई के साथ इन्टर्न (प्रशिक्षु) के रूप में शामिल होने के लिए पात्र है। 2018–19 के दौरान, 25 छात्रों ने आईबीबीआई में इंटर्नशिप की।

सारणी 70: आईबीबीआई के कर्मचारी

पद	31 मार्च, 2018 को वास्तविक संख्याबल	31 मार्च, 2018 को अनुमोदित वास्तविक संख्याबल	वास्तविक संख्याबल	
			31 मार्च, 2019 का	भर्ती की विधि
कार्यकारी निदेशक	03	04	03	प्रतिनियुक्ति और द्वितीय
महाप्रबंधक / मुख्य महाप्रबंधक	03	12	06	प्रतिनियुक्ति
सहायक महाप्रबंधक / उप–महाप्रबंधक	07	12	05	प्रतिनियुक्ति
प्रबंधक/सहायक प्रबंधक	00	24	18	सीधी भर्ती
सहायक अनुभाग अधिकारी	02	10	02	प्रतिनियुक्ति
सहायक	00		00	
कुल	15	62	34	

प्रदायगी डिजाइन

राजभाषा

आईबीबीआई ने वर्ष के दौरान विभिन्न कार्यकलाप का आयोजन किया ताकि हिंदी को भारतीय संघ की राज भाषा के रूप में लोकप्रिय बनाया जा सके और सरकारी कार्यों में इसके उपयोग को बढ़ावा दिया जा सके। इसने हिंदी और अंग्रेजी के सभी नियमों को एक साथ अधिसूचित किया। यह अपने कर्मचारियों को सरकारी काम में हिंदी का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित करता है। इसने 14 सितंबर 2018 को हिंदी दिवस मनाया। कर्मचारियों ने विभिन्न कार्यकलाप जैसे कि कविता, कहानी और गीतों में हिंदी में बड़े उत्साह के साथ भाग लिया और पुरस्कार जीते।

श्रमदान गतिविधि

15 सितंबर से 2 अक्टूबर, 2018 तक मनाए गए 'स्वच्छ भारत सेवा' कार्यक्रम के अधीन माननीय प्रधानमंत्री के स्वच्छ भारत के दृष्टिकोण को साकार करने के लिए जन–आन्दोलन की गति में तेजी लाने के लिए आईबीबीआई ने 28 सितंबर, 2018 को श्रमदान गतिविधि का आयोजन किया।

संगठनात्मक संरचना

जीबी, ने 16 जनवरी, 2017 को आयोजित अपनी बैठक में, एक संगठनात्मक संरचना को मंजूरी दी, जिसमें तीन विंग, अर्थात्, एक अनुसंधान और विनियमन विंग (आरआरडब्ल्यू) की परिकल्पना की गई है, जो अर्ध–विधायी कार्य करता है; कार्यकारी कार्यों के लिए एक प्रशासनिक कानून विंग (एएलडब्ल्यू) को अर्ध–न्यायिक कार्य करने के लिए एक रजिस्ट्रीकरण और निगरानी विंग (आरएमडब्ल्यू)। इन तीन विंगों का नेतृत्व प्रत्येक पूर्णकालिक सदस्य द्वारा किया जाता है ताकि शक्तियों का व्यापक पृथक्करण सुनिश्चित किया जा सके।

शक्तियों का प्रत्यायोजन

संहिता बोर्ड को बोर्ड के किसी भी सदस्य या अधिकारी को अपनी शक्तियों और कार्यों को प्रत्यायोजित में सक्षम बनाती है, नियमों को बनाने की शक्ति को

छोड़कर। आईबीबीआई (शक्तियों और कार्यों का प्रत्यायोजन) आदेश, 2017 उस अधिकारी के स्तर को निर्दिष्ट करता है जिसने किसी मामले को निपटाने के लिए प्राधिकारी को सौंप दिया है। एक अधिकारी को सौंपी गई शक्तियां और कार्य, हालांकि, किसी अधिकारी द्वारा उच्च श्रेणी के लिए या रिपोर्टिंग पदानुक्रम में उसके द्वारा प्रयोग किए जा सकते हैं।

कार्यनीति बैठक

कार्यनीतिक योजना दिशा का भाव प्रदान करती है और संगठन के लिए औसत दर्जे का लक्ष्य निर्धारित करती है। यह साझा दृष्टि बनाने, प्राथमिकताओं को निर्धारित करने, प्राथमिकता क्षेत्रों पर ऊर्जा और संसाधनों को केंद्रित करने और वांछित परिणामों को प्राप्त करने के लिए विशिष्ट कार्यों और उप–क्रियाओं को रेखांकित करने में मदद करती है। पूर्वोक्त उद्देश्यों के साथ, आईबीबीआई की आगामी वर्ष के लिए अपनी कार्यनीति को पूरा करने के लिए वार्षिक कार्यनीति रही है। इसने अपने उद्देश्यों, कार्यनीतियों, विशिष्ट कार्यों और कार्यों को रेखांकित करते हुए 2019–20 के लिए सामरिक कार्य योजना तैयार करने के लिए 22–23 मार्च, 2019 को टीईआरआई रिट्रीट सेंटर, गुरुग्राम में तीसरी कार्यनीति बैठक आयोजित की।

22 मार्च–23 मार्च, 2019 को आयोजित वार्षिक कार्यनीति बैठक

क्षमता निर्माण

आईबीबीआई का लगातार प्रयास है कि वह अपने अधिकारियों की दिवाला समाधान और दिवाला और शोधन अक्षमता के क्षेत्र में क्षमता को बढ़ाया जाए। इस विकसित क्षेत्र में विभिन्न दृष्टिकोण प्राप्त करने के लिए शिक्षाविदों, अन्य नियामकों और प्रमुख सरकारी अधिकारियों के साथ बातचीत करने से हासिल करने के प्रयास में, आईबीबीआई विभिन्न घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय विचार–विमर्श आयोजित करता है।

प्रतिष्ठित व्याख्यान श्रृंखला

आईबीबीआई प्रतिष्ठित व्यक्तियों को अपने विचार साझा करने और आईबीबीआई के अधिकारियों के साथ बातचीत करने के लिए आमंत्रित करता है। सारणी 71 में 2018–19 के दौरान उनके द्वारा दिए गए व्याख्यानों का विवरण प्रस्तुत है।

सारणी 71: 2018–19 के दौरान आयोजित विशिष्ट व्याख्यान

क्रम सं.	तारीख	वक्ता का नाम	पद/संगठन	विषय
1	12.04.18	श्री शार्दुल श्रॉफ	कार्यकारी अध्यक्ष, शार्दुल अमरचंद मंगलदास एंड कंपनी	सीआईआरपीः अभ्यास, उभरती चुनौतियां और न्यायशास्त्र
2	16.04.18	श्री पी. आर. रमेश	अध्यक्ष, डेलॉइट इंडिया	नियामकों के लिए डेटा और प्रौद्योगिकी
3	16.04.18	श्री राशेश शाह	अध्यक्ष, फिक्की	आरए के परिदृश्य से सीआईआरपी
4	12.05.18	श्री पवन कुमार विजय	अध्यक्ष, कारपोरेट व्यावसायिक	मूल्यांकन, मानदंड मानक और मूल्यांकन व्यवसाय
5	28.05.18	श्री अनुराग दास	सलाहकार, ब्लैकस्टोन समूह	इंडिया स्ट्रेस्ड एसेट्स प्लेटफॉर्म
6	11.06.18	डॉ समीर शर्मा	महानिदेशक और सीईओ, आईआईसीए	रेतघड़ी दर्शन
7	11.07.18	प्रो दीपांकर गुप्ता	लेखक और समाजशास्त्री	समाज और दिवाला
8	21.08.18	डॉ शुभाशीष गंगोपाध्याय	रिसर्च डायरेक्टर, इंडिया डेवलपमेंट फाउंडेशन	दिवाला के कानून और अर्थशास्त्र
9	12.11.18	श्री महेश उत्तमचंदानी	वित्तीय समावेश और अवसंरचना के लिए प्रैक्टिस मैनेजर, विश्व बैंक समूह	प्रभावी दिवाला और लेनदार/देनदार नियम और उसके एमएसएमई टास्क फोर्स के काम के लिए विश्व बैंक समूह के सिद्धांत
10	14.11.18	डॉ जी. नारायण राजू	सचिव, विधायी विभाग, विधि और न्याय मंत्रालय	दिवाला कानून और भारत का संविधान
11	19.11.18	डॉ शुभाशीष गंगोपाध्याय	रिसर्च डायरेक्टर, इंडिया डेवलपमेंट फाउंडेशन	आईबीबीआई द्वारा किए गए विनियमों का आर्थिक विश्लेषण
12	22.11.18	श्री सोमशेखर सुंदरसन	कानूनी सलाहकार	नियामक के जींस
13	19.02.19	सुश्री हेलेन एम हिक्स	ग्लोबल वैल्यूएशन लीडर, पीडब्ल्यूसी	व्यावसाय मूल्य
14	19.02.19	श्री ब्रायन मंगल	सीईओ और सह–संस्थापक, अल्वारेज और मार्शल	लेहमैन ब्रदर्स एंड ग्रुप दिवाला
15	05.03.19	श्री एंड्रयू जे आर वोलास्टन	पुनर्गठन अभ्यास के ग्लोबल हेड, ई.वाई	नॉर्टेल पर एक केस स्टडीः सीमा पार एंड ग्रुप दिवाला
16	18.03.19	श्री ग्रेगरी वालेस	डिप्टी ग्लोबल प्रबंध निदेशक, डेलाइट टौचटॉमास्टू लिमिटेड	वित्तीय रिपोर्टिंग और कारपोरेट असफलता
17	22.03.19	डॉ यू. के. चौधरी	वरिष्ठ अधिवक्ता	विनियामक और आईबीसी पारिस्थितिकी तंत्र के समक्ष चुनौतियां
18	23.03.19	श्री सतीश कुमार गुप्ता	समाधान वृत्तिक	एसआर स्टील (इंडिया)लिमिटेड के आरपी के रूप में अनुभव

प्रशिक्षण कार्यक्रम

सारणी 72 में प्रशिक्षण कार्यक्रमों का विवरण प्रस्तुत किया गया है जहां आईबीबीआई अधिकारियों ने दिवाला और शोधन अक्षमता के विकसित क्षेत्र में अपने ज्ञान और कौशल को बढ़ाने के लिए समीक्षाधीन अवधि के दौरान भाग लिया था। अंतर्राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य प्राप्त करने के लिए, कुछ अधिकारियों को विदेश में अध्ययन यात्राओं पर भेजा गया था, जैसा कि सारणी 72 में विस्तृत है। इसके अलावा, अधिकारियों को हितधारकों द्वारा आयोजित कई सेमिनारों/ सम्मेलनों में भाग लेने के लिए नामित किया गया था।

सारणी 72: आईबीबीआई के अधिकारियों के लिए प्रशिक्षण

क्र. सं.	तारीखें	प्रकार	स्थान	प्रशिक्षण प्रदाता	प्रशिक्षण का दायरा	अधिकारियों की सं.
1	25.05.18 – 26.05.18	कार्यशाला	नई दिल्ली	आईबीबीआई, आईएमएफ व आईआईसीए	कारपोरेट दिवाला में उभरती प्रथाएं, अंतर्राष्ट्रीय सर्वश्रेष्ठ अभ्यास और क्रॉस–कंट्री एक्सपीरियंस	10
2	23.06.18	कार्यशाला	नई दिल्ली	आईएफसी व आईबीबीआई	विनियमित एंटिटी की निगरानी और विनियमन	09
3	25.06.18	कार्यशाला	नई दिल्ली	आईएफसी व आईबीबीआई	एमएसएमई दिवाला की चुनौतियां	06
4	03.08.18– 04.08.18	सम्मेलन	नई दिल्ली	आईजीआईडीआर व आईबीबीआई	दिवाला और शोधन अक्षमता सुधर	11
5	08.10.18 –03.11.18	प्रशिक्षण	मानेसर	आईआईसीए	ग्रेड 'क' अधिकारियों के लिए भर्ती प्रशिक्षण (पहला चरण)	18
6	15.10.18 –18.10.18	सम्मेलन	मॉरिशस	आईए आईआर	अंतरराष्ट्रीय दिवाला प्रशतियां और घटनाएं साझा करना	01
7	13.11.18 –14.11.18	सम्मेलन	नई दिल्ली	इन्सोल इंडिया	दो वर्षों का आईबीसी और आगामी मार्ग	08
8	17.11.18	कार्यशाला	नई दिल्ली	आईबीबीआई	अनुशासनात्मक कार्यवाही	21
9	24.11.18	कार्यशाला	नई दिल्ली	आईबीबीआई	विनियमों का आर्थिक विश्लेषण	25
10	29.11.18	सम्मेलन	नई दिल्ली	पहले इण्डिया फाउंडेशन	बजट, 2019–सुधारों का मूल्यांकन और अधूरे कार्य	01
11	03.12.18 – 15.12.18	प्रशिक्षण	मानेसर	आईआईसीए	ग्रेड 'क' अधिकारियों के लिए भर्ती प्रशिक्षण (2सरा चरण)	18
12	18.12.18	सम्मेलन	नई दिल्ली	विधि – आईबीबीआई	आईबीसीः आगामी 2 वर्षों के लिए रोड मैप	23
13	21.12.18	प्रशिक्षण	नई दिल्ली	सीवीआरएसटीए – आईबीबीआई	मूल्यांकन और इसके परिदृश्य	27
14	22.12.18	कार्यशाला	नई दिल्ली	आईबीबीआई	आईपी का निरीक्षण आयोजित करना	21
15	19.01.19	कार्यशाला	नई दिल्ली	आईबीबीआई	प्रतिभूर्ति और वित्तीय आस्तियों का मूल्यांकन	23
16	15.03.19 –16.03.19	गोल मेज	नई दिल्ली	एसआईपीआई व आईबीबीआई	आईबीसीः आगे देखना – वैश्विक सीख स्थानीय अनुप्रयोग	16
17	26.03.19 – 27.03.19	कार्यशाला	नई दिल्ली	सीआईआई एण्ड एफसीओ	आईबीसी 2016ः प्रगति और सीमा पार तथा व्यक्तिक दिवाला के लिए रोड़ मैप तैयार करना	11

आईआईसीए के साथ समझौता ज्ञापन

आईबीबीआई ने 10 अप्रैल, 2018 को आईआईसीए के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए, जिसमें दिवाला और शोधन अक्षमता के क्षेत्र में अनुसंधान और प्रकाशन, ज्ञान की उन्नति, क्षमता निर्माण, जागरूकता और पक्ष समर्थन में सहयोग की परिकल्पना की गई। आईबीए और आईआईसीए के बीच इस समझौता ज्ञापन के उद्देश्यों को आगे बढ़ाने के लिए, जीआईसी की डिलीवरी में आईआईसीए का समर्थन करने के लिए और आमतौर पर पारिस्थितिकी तंत्र की क्षमता का निर्माण करने के लिए, आईबीबीआई के शासी बोर्ड ने तीन वर्ष की अवधि के लिए आईआईसीए में "आईबीबीआई दिवाला पीठ" स्थापित करने की मंजूरी दी है। संहिता के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए एक विचार नेतृत्व का निर्माण करने और नीति, अनुसंधान और हित समर्थन की दिशा में आईआईसीए में इस पीठ के दूरगामी परिणाम होंगे।

संसदीय समिति

डॉ. एम.एस. साहू, अध्यक्ष, वित्तीय सेवा विभाग के सचिव और अन्य अधिकारियों के साथ, 17 अप्रैल, 2018 को भारत में बैंकिंग क्षेत्र – मुद्दे, चुनौतियां और बैंकों/वित्तीय संस्थाओं में एनपीए/वित्तीय आस्तियों पर दबाव सहित भावी राह पर ब्रीफिंग मीटिंग के लिए वित्त पर संसदीय स्थायी समिति के समक्ष उपस्थित हुए।

एमसीए के साथ समझौता ज्ञापन

आईबीबीआई ने 14 सितंबर, 2018 को संहिता के प्रभावी कार्यान्वयन और विभिन्न गतिविधियों को सुविधाजनक बनाने के लिए सूचना और डाटा को साझा करने के लिए सहायता और सहयोग की परिकल्पना करते हुए एमसीए के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। इसमें परिकल्पना की गई है कि सरकार, संहिता के तहत आईबीबीआई द्वारा जिम्मेदारियों के निर्वहन के लिए आईबीबीआई को निरंतर सहायता प्रदान करेगी। इसने 2018–19 के दौरान आईबीबीआई द्वारा की जाने वाली कई गतिविधियों को सूचीबद्ध किया है।

सतर्कता सप्ताह

आईबीबीआई ने 29 अक्टूबर 2018 से 3 नवंबर 2018 तक सतर्कता सप्ताह मनाया। डॉ. एम.एस. साहू, अध्यक्ष ने इस अवसर पर अधिकारियों को शपथ दिलाई। आईबीबीआई को केंद्रीय सतर्कता आयोग से सत्यनिष्ठता प्रमाण पत्र भी मिला।

आईएफसी के साथ सहयोग समझौता

आईबीबीआई ने 6 मार्च, 2019 को विश्व बैंक समूह के एक सदस्य, अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम (आईएफसी) के साथ एक सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किए। इस समझौते में 30 जून, 2021 तक आईएफसी द्वारा निम्न के संबंध में तकनीकी सहायता की परिकल्पना की गई हैः (क) आईपी और आईबीबीआई के अधिकारियों के लिए कार्यशाला व प्रशिक्षण, (ख) आईपी के लिए कार्यशालाओं के लिए प्रशिक्षकों को प्रशिक्षित करना, (ग) राष्ट्रीय दिवाला कार्यक्रम का विकास, और (क) दिवाला और मूल्यांकन परीक्षाएं।

सेबी के साथ समझौता ज्ञापन

आईबीबीआई ने 19 मार्च, 2019 को सेबी के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए, जिसमें (क) सूचना और संसाधनों का साझाकरण, (ख) आवधिक बैठकों में आपसी हित के मामलों पर चर्चा, (ग) कर्मचारियों की क्रॉस–ट्रेनिंग, (घ) आईपी के निर्माण की क्षमता और एफसी, और (ड) एफसी के बीच जागरूकता के स्तर को बढ़ाता है।

सूचना प्रौद्योगिकी

आईबीबीआई अपनी प्रक्रियाओं में दक्षता और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के अत्यधिक महत्व को पहचानता है और इसलिए इसकी स्थापना के बाद से अपनी

सेवाओं के वितरण के लिए सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) का उपयोग करने पर जोर दिया है। इस संबंध में आईबीबीआई द्वारा की गई प्रमुख पहलें निम्नानुसार हैं:

वेबसाइट: आईबीबीआई ने डोमेन www.ibbi.gov.in रजिस्ट्रीकृत किया और नवंबर, 2016 में अपने कार्यकलाप के प्रसार के लिए वेबसाइट शुरू की। सेवा प्रदाताओं, नियामक ढांचे, परीक्षाओं, न्यायालय और न्यायाधिकरण संहिता के अधीन, बोर्ड और डीसी द्वारा पारित आदेश, आदि के बारे में जानकारी का प्रसार करने के लिए वेबसाइट को बढ़ाया गया था। यह हितधारकों को समय पर निर्णय लेने की सुविधा के लिए संहिता के अधीन विभिन्न प्रक्रियाओं का विवरण भी देता है।

ऑनलाइन परीक्षा: अन्य आवश्यकताओं को पूरा करने के अधीन, व्यक्ति आईपी के रूप में रजिस्ट्रीकृत होने के योग्य है यदि उसने परीक्षा उत्तीर्ण की है। आईबीबीआई ने 31 दिसंबर, 2016 से प्रभावी रूप से आईटी सक्षम परीक्षा उपलब्ध कराई है। परीक्षा कई स्थानों से दैनिक आधार पर ऑनलाइन संचालित की जाती है। इसी तरह, एक मूल्यांकक के रूप में रजिस्ट्रीकृत होने के लिए, किसी को संबंधित आस्ति वर्ग की मूल्यांकन परीक्षा उत्तीर्ण करनी होगी। आईबीबीआई ने 31 मार्च, 2018 से तीन परिसंपत्ति वर्गों, अर्थात्, भूमि और भवन, संयंत्र और मशीनरी, प्रतिभूति या वित्तीय परिसंपत्तियों के लिए कंपनी (रजिस्ट्रीकृत मूल्य और मूल्यांकन) नियम, 2017 के अधीन आईटी सक्षम परीक्षा उपलब्ध कराई है। रजिस्ट्रीकरण, भुगतान, नामांकन, प्रश्न पत्र और मूल्यांकन की सम्पूर्ण प्रक्रिया स्वचालित है।

ऑनलाइन रजिस्ट्रीकरण: रजिस्ट्रीकरण की पूरी प्रक्रिया, जिसमें आवेदन प्रस्तुत करना और रजिस्ट्रीकरण शुल्क का भुगतान करना शामिल है, क्योंकि आईपी स्वचालित है। आईबीबीआई ऑनलाइन आवेदन के साथ–साथ संबंधित आईपीए और अनुदान रजिस्ट्रीकरण के माध्यम से आईपी के रूप में रजिस्ट्रीकरण के लिए शुल्क स्वीकार करता है। जैसे ही वह रजिस्ट्रीकृत होता है, रजिस्ट्रीकृत आईपी का विवरण वेबसाइट पर उपलब्ध हो जाता है।

सार्वजनिक परामर्श: यह आईबीबीआई का प्रयास रहा है कि वह विनियमन बनाने के लिए पारदर्शी और परामर्शी प्रक्रिया के माध्यम से हितधारकों को प्रभावी ढंग से संलग्न कर सके। यह अपनी वेबसाइट पर मसौदा नियमों को लागू करता है जो टिप्पणियों और सुझावों को प्राप्त करने और प्रसंस्करण के लिए एक संरचित इलेक्ट्रॉनिक मंच प्रदान करता है। यह मौजूदा नियामक ढांचे पर टिप्पणियों और सुझावों की भरमार के लिए संरचित इलेक्ट्रॉनिक मंच भी प्रदान करता है।

डेटाबेस तक पहुंच: आईपी को आईआरपी, आरपी या परिसमापक के रूप में नियुक्त किया जा सकता है, चाहे आवेदक या सीओसी द्वारा सीआईआरपी के संबंध में प्रस्तावित हो, केवल तभी जब उसके विरुद्ध कोई अनुशासनात्मक कार्यवाही लंबित न हो। यदि अनुशासनात्मक कार्यवाही आईपी के विरुद्ध लंबित है, और एए तक पहुँचने के लिए प्रतिक्रिया के लिए, यदि एए, आईबीबीआई का संदर्भ लेता है, तो यह जानने में काफी समय लगेगा। यह देखते हुए कि समय संहिता का सार है, आईबीबीआई ने एए को आईपी के लाइव डेटाबेस तक पहुंच प्रदान की है जो एए को तुरंत आईपी नियुक्त करने में सक्षम बनाता है और परिणामस्वरूप तेजी से निपटान सुनिश्चित करता है।

नागरिक सेवाएं: आईबीबीआई आरटीआई अधिनियम, 2005 के अधीन ऑनलाइन आवेदन और अपील करता है। यह सीपीजीआरएएमएस में ऑनलाइन प्राप्त होने वाली शिकायतों से भी निपटता है। यह पारदर्शी और जवाबदेह खरीद के लिए सरकारी ई–मार्केटप्लेस का उपयोग करता है।

परिसर

आईबीबीआई 7वीं मंजिल, मयूर भवन, कनॉट प्लेस, नई दिल्ली से संचालित होता रहा। आईबीबीआई की बढ़ती आवश्यकता को देखते हुए, एमसीए ने जीवन विहार, पार्लियामेंट स्ट्रीट, नई दिल्ली के द्वितीय तल को आईबीबीआई को आवंटित किया। आईबीबीआई ने 12 नवंबर, 2018 से इसे अपने कब्जे में ले लिया।

आयकर में छूट

केंद्र सरकार ने निम्नलिखित आय के संबंध में वित्तीय वर्ष 2017–2022 के लिए आयकर से आईबीबी को छूट दी, अर्थात्: – (क) केंद्र सरकार से प्राप्त अनुदान सहायता; (ख) संहिता, के अधीन प्राप्त शुल्क; (ग) संहिता, 2016 के तहत एकत्रित जुर्माना; और (घ) इस आय पर अर्जित ब्याज। हालाँकि, जुर्माना सरकार के पास जमा है। आयकर छूट इन शर्तों के अधीन है कि: (क) आईबीबीआई किसी भी वाणिज्यिक गतिविधि में संलग्न नहीं होगा; (ख) कार्यकलाप और आईबीबीआई की निर्दिष्ट आय की प्रकृति पूरे वित्तीय वर्ष में अपरिवर्तित रहेगी; और (ग) आईबीबीआई आयकर अधिनियम, 1961 के अनुसार आय का रिटर्न दाखिल करेगा।

वार्षिक दिवस समारोह

इसकी स्थापना के उपलक्ष्य में, आईबीबीआई ने एक प्रतिष्ठित विचार नेता द्वारा कानून और अर्थशास्त्र के क्षेत्र में पर्याप्त योगदान देने वाले, दिवाला और शोधन अक्षमता सहित, एक वार्षिक दिवस व्याख्यान की स्थापना की है। माननीय न्यायमूर्ति श्री सुधांशु ज्योति मुखोपाध्याय, अध्यक्ष, एनसीएलएटी ने नेहरू मेमोरियल संग्रहालय और पुस्तकालय सभागार, नई दिल्ली में 'कानून और शासन में उभरते रुझान' पर 1 अक्टूबर, 2018 को आईबीबीआई वार्षिक दिवस व्याख्यान दिया। व्याख्यान में एनसीएलएटी के न्यायिक और तकनीकी सदस्यों की उपस्थिति देखी गई। अध्यक्ष, एनसीएलटी अध्यक्ष और नियामक निकायों के सदस्य; सरकार के वरिष्ठ अधिकारी; सेवा प्रदाताओं के अध्यक्ष और सीईओ, बिजनेस लीडर, अधिवक्ता, शिक्षाविद, और आईपी और आरवी इस अवसर पर, एसआईपीआई के साथ साझेदारी में, तीन आईपीए, अर्थात, आईसीएमआईए के आईआईपी, आईसीएसआई आईआईपी और आईसीएमएआई के आईपीए द्वारा तैयार किए गए 'दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता, 2016 और संकटग्रस्त संपत्तियों के अवसर' शीर्षक से प्रकाशन किया गया था, का विमोचन किया गया।

1 अक्तूबर, 2018 को वार्षिक दिवस व्याख्यान

सूचना का अधिकार और पारदर्शिता

आईबीबीआई पारदर्शिता के हित में, नियमों, परिपत्रों, और सेवा प्रदाताओं के विवरण कोड, के तहत प्रक्रियाओं और संहिता से संबंधित विभिन्न खुलासे अपनी वेबसाइट पर करता है। इसने सूचना के अधिकार अधिनियम, 2005 (आरटीआई

अधिनियम) की धारा 4 के अधीन किसी भी नागरिक को उस पर दिए गए आवेदन पर जानकारी प्रदान करने के अलावा निर्धारित खुलासे को अद्यतन किया है।

आईबीबीआई ने डॉ. अनुराधा गुरु, सीजीएम को अधिनियम के अधीन किसी भी नागरिक को आवेदन पर जानकारी प्रदान करने के लिए आरटीआई अधिनियम की धारा 2(ज) के अधीन 2 नवंबर, 2018 को श्री उमेश कुमार शर्मा, मुख्य महाप्रबंधक के स्थान पर नामोनिदेशित किया। इसने 2 नवंबर, 2018 को आरटीआई अधिनियम की धारा 19(1) के अधीन सीपीआईओ के आदेशों के विरुद्ध अपील के निपटारे के लिए डॉ. (सुश्री) मुकुलिता विजयवर्गीय के स्थान पर डॉ. नवरंग सैनी को प्रथम एफएए के रूप में नामित किया। सारणी–73, 2018–19 के दौरान आरटीआई अधिनियम के अधीन आवेदनों की प्राप्ति और निपटान और पहली अपील का विवरण प्रस्तुत करती है।

सारणी 73: 2018–19 में आवेदनों और प्रथम अपीलों की प्राप्ति और निपटान

क्र.सं.	विवरण	संख्या
1	पिछले वर्ष से आगे लाए गए आवेदन	9
2	आरटीआई अधिनियम, 2005 के अधीन सूचना माँगने के लिए सीपीआईओ द्वारा प्राप्त आवेदन	236
3	आवेदन जिनके लिए के. लो. सू. अधि. द्वारा सूचना प्रदान की गई	236
4	सीपीआईओ के पास लंबित आवेदन .	9
5	सीपीआईओ के आदेश के विरुद्ध एफएए के समक्ष फाइल की गई अपीलें	29
6	एफएए द्वारा निपटायी गई अपीलें	29
7	एफएए के पास लंबित अपीलें	0
8	निर्धारित समय सीमा के भीतर नहीं निपटाए गए आवेदन/अपीलें	0